पंचदश माला, खंड 7, अंक 9

सोमवार, 8 मार्च, 2010
17 फाल्गुन, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 79
Dated: 21 March 2011

(खण्ड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2010/1931 (शक)

अंक 9, सोमवार, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
क्रोएशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 142 और 143	3-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 144 से 160	15-70
अतारांकित प्रश्न संख्या 1579 से 1808	70-648
सभा पटल पर रखे गए पत्र	648-656
कार्य मंत्रणा समिति	
12वां प्रतिवेदन	656
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) भारतीय नर्स परिषद	657
(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	657-658
(तीन) तम्बाकू बोर्ड	658
सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित	
(एक) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010	658-659
(दो) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010	659-663
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई परियोजना के लिए कोष में केंद्रीय सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरीश चौधरी	663-664

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(दो) आन्ध्र प्रदेश में मल्काजगिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, के छावनी क्षेत्र में नागरिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सर्वे सत्यनारायण 664

(तीन) केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस 664-665

(चार) सरदार सरोवर परियोजना में ऊपरि पुल के निर्माण हेतु गुजरात सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 665

(पांच) राजस्थान में रतनगढ़ और सरदार शहर के बीच रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कार्य एवं चुरू और नोहर वाया तारा नगर के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 666

(छह) गुजरात के हिम्मतनगर में ग्रामीणों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए बक्तापुर गांव के नजदीक साबरकांठा-अहमदाबाद रेलवे लाईन पर रेलवे गेट सं. 93 सी को पुनः खोलने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 666-667

(सात) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में खड़ी फसल को बचाने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा आवंटित पानी का यथोचित हिस्सा रणजीतसागर बांध से छोड़े जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 667

(आठ) यातायात के सुचारू परिचालन के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जगदीशपुर रेल समपार पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री तूफानी सरोज 667-668

(नौ) दिल्ली से खुर्जा के लिए एक महिला स्पेशल रेलगाड़ी चलाए जाने आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 668

विषय **कॉलम**

(दस) केरल में पालक्काड़ और कोझीकोड के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश 668-669

(ग्यारह) हल्दिया-पारादीप अंतर-जलमार्ग खोले जाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा 669

मंत्री द्वारा वक्तव्य

महिला सशक्तिकरण

श्रीमती कृष्णा तीरथ 670-672

रेल बजट (2010-2011) - सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2010-2011

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 2009-2010

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) - 2007-2008 672-680

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 681-682

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 682-692

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 693-694

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 694-695

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एस. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

क्रोएशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से क्रोएशियन पार्लियामेंट के प्रेजीडेंट महामहिम श्री ल्यूका बेबिक तथा क्रोएशिया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वे शनिवार 6 मार्च, 2010 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और सार्थक हो। हम उनके माध्यम से क्रोएशिया के महामहिम राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, सरकार तथा मित्र जनता के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह दिवस समानता, न्याय, शांति और विकास की तलाश में जुटी साधारण महिलाओं की उपलब्धियों का मान-सम्मान करने तथा महिलाओं की आवश्यकताओं और चिंताओं को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक मिशन में सभी को समान अधिकार और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण प्रमुख मुद्दा रखा गया है। हमारे लोकतंत्र में मजबूती से अपनी जड़ें जमा चुके ये आदर्श हमारे संविधान के अंग के रूप में समाविष्ट हैं। हाल के दशकों में इस दिशा में बहुत कुछ प्रगति हुई है किंतु आज भी इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि विश्व में कहीं भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर उपलब्ध हैं और महिलाएं अभी भी असमानता और उपेक्षा की शिकार हैं। इस भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

हम देखते हैं कि 21वीं सदी के इस पहले दशक में भी महिलाओं को स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, रोजगार और नीति-निर्णयन जैसे मौलिक क्षेत्रों में कम अवसर उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, फिर भी अक्सर बालिकाओं को शिक्षित करने और उन्हें समावेशी प्रगति तथा विकास के अवसर देने से वंचित रखा जाता है। मातृत्व मृत्युदर बहुत अधिक बनी हुई है। महिला भ्रूणहत्या, दहेज मौतें, आन की खातिर बालिकाओं की हत्या और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा गहरी चिंता का विषय है क्योंकि सुविधाओं से वंचित अधिकांश महिलाओं को उन्हीं जुल्मी और अपराधी लोगों के इर्द-गिर्द ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

इसलिए यह नितांत जरूरी है कि इन असमानताओं और विकृतियों को तुरन्त दूर किया जाए और लोगों की सोच और उनके दृष्टिकोण को बदला जाए ताकि महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का विकास करने तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार मिल सके और वे सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2010 का मूलमंत्र "समान अधिकार, समान अवसर: सभी की प्रगति" है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनका सशक्तिकरण सरकार, सामाजिक संगठनों, सिविल समाज और मीडिया का साझा दायित्व है। आईये, हम अपने आपको एक बार फिर से इस कार्य के प्रति सच्चे दिल से समर्पित करें और लिंग समानता तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को देश विकास के एजेंडे और नीति का अभिन्न अंग बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, हम

महिला आरक्षण बिल के वर्तमान स्वरूप का विरोध करते हैं। हम महिलाओं के विरोधी नहीं हैं।...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री घनश्याम अनुरागी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 141, श्री हसन खान - उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 142, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग वापस जाइए।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

***142. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है;

(ख) क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश केवल उन्हीं शहरों तक सीमित रहा है जहां उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उभरते शहरों/कस्बों, दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन के विकास के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

सरकार ने किसी भी समय किसी भी रूप में उच्चत्तर शिक्षण संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन अनुमोदित किया है।

सरकार ने चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) स्थापित किए हैं। अधिकांशतः सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में बीस (20) नए आई.आई.आई.टी. स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

सरकार ने उच्च अधिगम के संस्थानों के परस्पर जोड़ने के लिए उच्चगति के (गीगाबिट क्षमता वाले) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन.के.एन.) की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं। एन.के.एन. का उद्देश्य देश में विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों तथा कृषि संस्थानों में ज्ञान के संसाधनों का सृजन, अभिग्रहण तथा भागीदारी करने की सुविधा प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.) ने ऐसे उपाय भी किए हैं जो मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) के प्रयासों को पूरक करते हुए ज्ञान पर आधारित उद्योग की उभरती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ आला क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए केन्द्रित हैं। इसके अनुसरण में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों में ये शामिल हैं:

- सूचना सुरक्षा तथा वी.एल.एस.आई. डिजाइन के क्षेत्र में परियोजनाएं।

- सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग के लिए जनशक्ति विकास की योजना।

- सरकार ने नए डी.ओ.ई.ए.सी.सी. केन्द्रों/क्षेत्रीय

ई-अधिगम एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (रीलिट) की स्थापना को अनुमोदित किया है।

- इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की दो संस्थाएं अर्थात् उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) तथा डी.ओ.ई.ए.सी.सी. संस्था देश में अपने विभिन्न केन्द्रों, फ्रेंचाइजों/मान्यता प्राप्त केन्द्रों के जरिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी (आई.ई.सी.टी.) के औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

- सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कुशलता विकास नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इसकी संस्थाओं अर्थात् सी-डैक और डी.ओ.ई.ए. सी.सी. संस्था के प्रचालन का दर्जा बढ़ाकर सूचना प्रौद्योगिकी कुशलताएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2022 तक 10 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है।

(ख) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा सेवा कंपनियों ने स्थापना स्थलों में अपने प्रचालन स्थापित किए हैं तथा अपने निवेश की योजना व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात करने वाले राज्य अर्थात आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जो लगभग 90 प्रतिशखत सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा निर्यात करते हैं, ने अन्य राज्यों की तुलना में वर्ष 1998 तथा 2007 के बीच उच्चतर शिक्षा का विस्तार लगभग सात गुणा किया है।

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.), जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, ने देश में 51 एस.टी.पी.आई. केन्द्र अनुबंध में दी गई सूची के अनुसार) स्थापित किए हैं, जिनमें से 7 केन्द्र महानगरों में हैं तथा शेष 44 केन्द्र स्तर-II तथा स्तर-III शहरों में हैं।

नये भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य सरकार को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल तथा 1 करोड़ रु. का सहायता अनुदान एस.टी.पी.आई. को उपलब्ध कराना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नये एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने के लिए एस.टी.पी.आई. को 50 लाख रु. की मूल पूंजी उपलब्ध कराता है। एस.टी.पी.आई. द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रस्ताव की निर्यात की क्षमता और व्यावसायिक व्यावहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निवेश की नीति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी उदार है। किन्तु, इसके स्थापना स्थल सहित निवेश के संबंध में निर्णय निवेशक द्वारा तकनीकी-आर्थिक विचार के आधार पर किया जाता है।

अनुबंध

एस.टी.पी.आई. केन्द्रों की सूचना

क्र. सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति
3.		विजयवाडा
4.		वाइजैग
5.		वारंगल
6.		काकीनाड़ा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखण्ड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर

क्र. सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेल
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
31.	पंजाब	मोहाली
32.	राजस्थान	जयपुर
33.		जोधपुर
34.	सिक्किम	गंगटोक
35.	तमिलनाडु	चेन्नै
36.		कोयम्बटूर
37.		मदुरै
38.		तिरुनावेली
39.		त्रिची
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
41.		लखनऊ
42.		नोएडा
43.		इलाहाबाद
44.	उत्तराखंड	देहरादून
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
46.		दुर्गापुर
47.		खड़गपुर
48.		सिलीगुड़ी
49.		हल्दिया
50.	बिहार	पटना
51.	मेघालय	शिलोंग

[हिन्दी]

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपके माध्यम से आपको और सभी महिला सांसदों को बधाई देना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद, आप लोग वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछिये।

[अनुवाद]

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: एस.टी.पी.आई. के संबंध में मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा है कि...*(व्यवधान)* महोदया, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूं कि क्या वे विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को समाप्त कर रहे हैं ताकि कंपनियों को इन विशेष आर्थिक क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य होना पड़े और यदि यह सत्य है, और चूंकि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में काफी अधिक निधियों के निवेश की आवश्यकता होती है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां संकेतक दर्शाते हैं कि अधिक निधियां उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या आप इस योजना का विस्तार करके राज्यों को प्रोत्साहन देंगे अर्थात यदि यह योजना बंद हो रही है। क्या यह सरकार मध्य प्रदेश जैसे ग्रामीण बहुल राज्य को उत्पाद शुल्क और आयकर

में अधिक छूट दे सकती है जैसा कि इसने उत्तराखंड और हिमाचल के मामले में किया है?

श्री सचिन पायलट: अध्यक्ष महोदया, एस.टी.पी.आई. योजना वर्तमान में पूरे भारत में 51 केन्द्रों के जरिए कार्य कर रही है। इन 51 केन्द्रों में से केवल सात केन्द्र महानगरों में स्थित हैं और शेष 44 केन्द्र श्रेणी-II और श्रेणी-III शहरों में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक एस.टी.पी.आई. केन्द्र है। ग्वालियर और भोपाल में दो और केन्द्रों की योजना है। महोदया, वैसे तो एस.टी.पी.आई. योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन हमारी नजर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः छोटे कस्बों और गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर है। छोटे कस्बों और गांवों में अत्यधिक प्रतिभा मौजूद है और हम राज्य सरकारों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही हमें एस.टी.पी.आई. केन्द्र के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, हम उन पर कार्यवाही करेंगे। हम तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दोहरे बी.पी.ओ. स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से फिर से इस पर क्लैरिफिकेशन चाहती हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में यह फीलिंग है कि 2012 में एस.टी.पी.आई. की योजना बंद होने वाली है।

अपने पूरक प्रश्न के रूप में मैं पूछना चाहती हूं कि आपने जवाब नहीं दिया है कि आपकी स्कीम्स रूरल एरियाज में कैसे परकोलेट होंगी और क्या आपके पास कोई बैकवर्ड एरिया सबसिडी है, जैसे बैकवर्ड एरिया ग्रांट्स हमें रूरल एरियाज के लिए मिलते हैं? पहले आप एस.टी.पी.आई. पर क्लैरिफिकेशन दे दें और फिर रूरल एरियाज के संबंध में बताएं।

[अनुवाद]

श्री सचिन पायलट: हमने एस.टी.पी.आई. पर करों में छूट के विस्तार का अनुरोध किया है। हम अभी भी वित्त मंत्रालय से बात कर रहे हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की बात है, ऐसा कोई विशिष्ट पैकेज नहीं है लेकिन राष्ट्रीय कौशल विकास का एक मिशन है जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को वर्ष 2022 तक 10 मिलियन लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया है। हम इसे सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सोसायटियों के जरिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में युवक-युवतियों को प्रशिक्षित करने में समर्थ हैं। वर्तमान में 2.3 मिलियन लोग सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में और एक मिलियन लोग हार्डवेयर क्षेत्र में रोजगाररत हैं। मैं समझता हूं कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका को बनाए रखने के लिए देश की ग्रामीण जनता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कम लागत को देखते हुए, निजी क्षेत्र भी श्रेणी-II और श्रेणी-III शहरों में जाने के बारे में सोच रहा है। 'सेन्टर फार एडवांस कंप्यूटिंग' का उद्देश्य अगले 12 वर्षों में 3,35,000 लोगों को प्रशिक्षित करना है। मैं समझता हूं कि इससे राज्य सरकारों को आगे आने और बड़ी निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने को बढ़ावा मिलेगा जिससे वे आगे आ सकेंगी और निवेश करेंगी और महानगरों से दूर जाएंगी, जैसी कि अब तक की प्रवृति रही है।

श्री पोन्नम प्रभाकर: जैसा कि सभा को ज्ञात है, आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश के सर्वाधिक आकर्षित करने वाले केन्द्र के रूप में उभरा है जिसने बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को आकर्षित किया है और इससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हैदराबाद सूचना प्रौद्योगिकी का केन्द्र बन चुका है और पिछड़े क्षेत्रों से सूचना प्रौद्योगिकी में उच्च व्यवसायिक कौशल प्राप्त अनेक लोग रोजगार के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। इस वजह से शहरों का अधिकाधिक विकास हो रहा है और ग्रामीण जनता पिछड़ रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, पिछड़े जिलों यथा आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर जैसे अनेक सुदूर क्षेत्र हैं। केवल करीम नगर जिला ही नहीं, बल्कि आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में भी अनेक जिले उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थाओं और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में निवेश के अभाव के कारण पिछड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, अब माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों यथा तेलंगाना क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में उभरते हुए शहरों और कस्बों के समग्र विकास और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कोई प्राथमिकता यथा सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों, विशेषतः, अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़े वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और सूचना प्रौद्योगिकी

क्षेत्र में निवेश के लिए कोई प्रोत्साहन अथवा विशेष पैकेज दे रही है?

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पोन्नम प्रभाकर: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दे रही है?

श्री सचिन पायलट: महोदया, हालांकि यह सत्य है कि आन्ध्र प्रदेश ऐसा राज्य बन चुका है जहां सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है, लेकिन सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा में निवेश के लिए कोई विशिष्ट राजसहायता नहीं देती है...*(व्यवधान)* लेकिन कंप्यूटर पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन ईलैक्ट्रानिकी विभाग और 'सेन्टर फार डेवलपमेन्ट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग' गरीब लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा ध्यान महानगरों से दूर हटने पर केन्द्रित है। उदाहरणार्थ, हैदराबाद में एक 'सी-डैक' केन्द्र है और 16 राज्यों में ऐसे 47 केन्द्र हैं जो 'पी.पी.पी.' आधार पर विकसित किए गए हैं।

महोदया, शिक्षा का औपचारिक हिस्सा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास है लेकिन कौशल विकास, क्षमता निर्माण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी कंपनियों में मूल्यवान योगदान देने में सक्षम होने के लिए लोगों के पास आवश्यक कंप्यूटिंग कौशल हो ताकि ये कंपनियां विश्व की अग्रणी कंपनियां बन सकें। भारत सरकार का यही प्रयास है। ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश कम है क्योंकि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिभा का ध्यान पर्याप्त रूप से घरेलू बाजार पर केन्द्रित नहीं है। यदि हां, तो देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सचिन पायलट: महोदया, गत वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निर्यात 50 बिलियन अमरीकी डॉलर के आसपास था और इस क्षेत्र का घरेलू बाजार 13 बिलियन डॉलर के आसपास है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत में तीव्र गिरावट हुई। यही कारण है कि हम महसूस करते हैं कि हमें घरेलू क्षेत्र को प्रोत्साहन देना होगा और बाजार हिस्से में वृद्धि करनी होगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं कि हरेक व्यक्ति की पहुंच सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक हो और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में यह भी इंगित किया है कि 60 प्रतिशत भारतीय हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं बोलते इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी 22 राजभाषाओं में 'फॉन्ट' निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकें ताकि वे लोग जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी नहीं बोल सकते उनकी भी कंप्यूटर तक पहुंच हो और वे भी कंप्यूटरों पर कार्य कर सकें। यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घरेलू मांग को बढ़ावा देने का एक तरीका है।

श्री एस. सेम्मलई: महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं माननीय मंत्री जी से आई.टी. क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई.टी. कार्पोरेट द्वारा अनुपालन हेतु कड़े नियमों और विनियमों को लागू करेगी तथा कुछ समय पूर्व हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के आलोक में रात्रि पाली के दौरान महिलाओं को कार्य पर लगाने पर जोर न दिया जाए...*(व्यवधान)*

श्री सचिन पायलट: आई.टी. क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कार्यरत हैं...*(व्यवधान)*, विशेषकर बी.पी.ओ. क्षेत्र में जहां बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगारत हैं। संपूर्ण देश में आई.टी. क्षेत्र ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं जो पहले कभी न था...*(व्यवधान)* कर्मचारियों, चाहे पुरुष या महिला, की सुरक्षा और बेहतर जीवन, राज्य सरकार के अंतर्गत कंपनियों का मुख्य दायित्व है चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है यह राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है...*(व्यवधान)* हम निजी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कर्मचारियों के कल्याण हेतु पर्याप्त संशोधन रखें ताकि महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मसालों का निर्यात

***143. +श्री पी.टी. थॉमस:**

श्री ई.जी. सुगावनम

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसालों के वार्षिक निर्यात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख मसाला केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने/सुविधाएं प्रदान करने हेतु मसाला पार्कों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या मसाला उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मसाला जांच एवं गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रयोगशालाओं की स्थापना कब तक की जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2007-08 में निर्यात वर्ष 2006-07 में रहे 3575.75 करोड़ रु. मूल्य के 373750 टन निर्यात की तुलना में बढ़कर 4435.50 करोड़ रु. मूल्य के 444250 टन के स्तर पर पहुंच गया था जो वर्ष 2008-09 में और अधिक बढ़कर 5300.25 करोड़ रु. मूल्य के 470520 टन के स्तर पर पहुंच गया। तथापि चालू वर्ष के दौरान निर्यात पिछले वर्ष के स्तर के समान ही है।

(ग) और (घ) सरकार ने मुख्य रूप से मसालों के मूल्यवर्धन और गुणवत्ता सुधार के जरिए मसाला उपजकर्ताओं के सशक्तीकरण के लिए प्रमुख मसाला उत्पादन केंद्रों में सफाई, प्रसंस्करण, कलर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग सुविधाओं आदि के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (मसाला पार्क) की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। XIवीं योजना अवधि के दौरान इन पार्कों के लिए 62.32 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। प्रस्तावित मसाला पार्क (1) केरल के इडुक्की जिले में पुट्टादी (2) तमिलनाडु में शिवगंगा (3) आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर (4) उत्तर प्रदेश (5) राजस्थान में जोधपुर (6) गुजरात में हैं। जहां एक ओर पुट्टादी में मसाला पार्क का कार्य लगभग पूरा होने वाला है, वहीं अन्य मसाला पार्क प्रारंभिक चरण में हैं। इसके अतिरिक्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में एक मसाला पार्क फरवरी, 2009 से प्रचालनरत है।

(ङ) और (च) निर्यात हेतु गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए सरकार ने प्रमुख मसाला व्यापार/प्रसंस्करण केंद्रों में क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। कोचीन में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के अतिरिक्त मुंबई में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रचालनरत है और गुंटूर में प्रायोगिक रूप से प्रचालन जारी है। सरकार द्वारा नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा तूतीकोरिन में ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी अनुमोदित किया गया है।

श्री पी.टी. थॉमस: अध्यक्ष महोदया, केरल राज्य मसालों के लिए मशहूर है। माननीय मंत्री जी का उत्तर यह दर्शाता है कि मसालों का निर्यात काफी बढ़ गया है जो 4,70,520 टन तक है और जिसका मूल्य 5.390 रुपये है जो एक स्वागत योग्य कदम है। यद्यपि निर्यात में वृद्धि हुई है...*(व्यवधान)* मैं उस चिन्ताजनक स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें हमारे किसान आज जी रहे हैं। फसल कटाई के समय सभी कृषि फसलों तथा नकदी फसलों की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं। यह एक नई प्रवृत्ति है जिसे जानबूझकर फायदे के लिए उन व्यापारियों द्वारा बनाया गया है जो बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं। महोदया, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार किसानों की सहायता के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाएगी?...*(व्यवधान)*

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों की मदद के लिए, विशेषकर फसल कटाई के समय में, कोई कदम उठाएगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मसालों का प्रसंस्करण करने वाली उन यूनिटों को कोई प्रोत्साहन पैकेज देने पर विचार करेगी जो हमारे अपने कच्चे माल अर्थात भारतीय कच्चे माल का प्रसंस्करण करेंगी? यदि ऐसा है तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। क्या मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदया, मसाला उद्योग पूरे देश में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराता है। ...*(व्यवधान)* लगभग 30 लाख लोग इस उद्योग में काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बेरोजगारों से संबंधित सवाल है, कृपा कर आप सुन लीजिए तो अच्छा होगा।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य का सवाल भी बेरोजगार से संबंधित है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हम निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं और यह 4400 करोड़

रुपये से बढ़कर 5300 करोड़ रुपये हो गया है जिसमें लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।...*(व्यवधान)* इसी प्रकार, मात्रा भी 4,50,000 टन से बढ़कर लगभग 4,70,000 टन हो गई है। हम सदैव यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को अधिकतम लाभकारी मूल्य मिले।...*(व्यवधान)* हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।...*(व्यवधान)* लाल मिर्च के क्षेत्र में...*(व्यवधान)* हमारे यहां विश्व का लगभग 30 प्रतिशत उत्पादन होता है।...*(व्यवधान)* हल्दी के क्षेत्र में...*(व्यवधान)* हमारे यहां विश्व उत्पादन का लगभग 80% होता है। उत्पादकता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि उन उत्पादों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा सबसे बड़ा हिस्सा हो और यह सुनिश्चित हो कि हमारे किसानों को उत्पादन का अधिक लाभ मिले।...*(व्यवधान)* ऐसा करने के लिए यह सरकार मसाला पार्क की एक प्रणाली विकसित कर रही है।...*(व्यवधान)* देश में गुंटूर से, चिंदवाड़ा से ईदुक्की तक पूरे देश में लगभग सात मसाला पार्क का निर्माण चल रहा है।...*(व्यवधान)* ईदुक्की का मसाला पार्क मार्च के अंत तक काम करना शुरू कर देगा और किसानों को यहां अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण का काम भी होगा जिससे मूल्य संवर्धन होगा।...*(व्यवधान)* निकट भविष्य में हम इसे प्राप्त कर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: केवल माननीय मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा और कुछ नहीं।

...*(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण लागत

***141. श्री हसन खान:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मैदानी, दूरस्थ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हकदार व्यक्तियों को प्रति इकाई प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्तमान स्तर क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में दी गई सहायता वास्तविक निर्माण लागत के अनुरूप नहीं है;

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वास्तविक आधार पर वर्तमान सीमा में संशोधन हेतु क्या कार्रवाई की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) इस समय इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रु. तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 38,500 रु. है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह सलाह दी है कि वे 4% की ब्याज दर पर प्रति आवासीय इकाई 20,000 रु. तक का ऋण देने के लिए आई.ए.वाई. मकानों को ब्याज की विभेदक दर के अंतर्गत शामिल करें।

(ख) और (ग) आई.ए.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि केवल इकाई सहायता है न कि वास्तविक इकाई लागत। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए मकानों के डिजाइन का अध्ययन करने तथा आई.ए.वाई. मकान औसत इकाई लागत का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। संस्थान ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में विभिन्न डिजाइनों के लिए इकाई लागत 77,000 रु. और 88,000 रु. के बीच होने का अनुमान लगाया है।

(घ) निर्माण की लागत में वृद्धि को देखते हुए वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2010-11 में आई.ए.वाई. के अंतर्गत इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रु. से बढ़ाकर 45,000 रु. तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 38,500 रु. से बढ़ाकर 48,500 रु. करना का प्रस्ताव किया।

सेवाओं संबंधी आसियान समझौता

***144. श्री जोस के. मणि:**
डॉ. जी. विवेकानन्द:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित तथा जनवरी, 2010 से लागू किए गए आसियान समझौते के अनुसार सेवाओं के आयात एवं निर्यात हेतु दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के साथ हाल ही में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसियान देशों ने व्यापार में तीव्र विकास हेतु सेवाएं आरंभ करने तथा निवेश के लिए एक ही समझौते का समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या वस्तु समझौते में व्यापार के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) भारत तथा आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी कार्यढांचा करार के अंतर्गत दिनांक 13 अगस्त, 2009 को वस्तु व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात भारत-आसियान सेवा एवं निवेश करार के संबंध में वार्ताओं के तीन दौर हो चुके हैं और वार्ताओं का अगला दौर अप्रैल, 2010 में आयोजित किया जाना है।

(ग) भारत और आसियान सेवाओं तथा निवेश से संबंधित करारों पर एकल वचनपत्र के रूप में वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं।

(घ) भारत और आसियान के बीच सेवाओं तथा निवेश के उदारीकरण से संबंधित रूपरेखाओं पर वार्ताएं चल रही हैं।

(ङ) और (च) भारत, सिंगापुर, मलेशिया तथा थाइलैंड के संबंध में भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार दिनांक 1 जनवरी, 2010 से प्रवृत्त हो गया है।

[हिन्दी]

बाल श्रम का उन्मूलन

***145. श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार विभिन्न क्षेत्रों से बंधुआ बाल श्रमिकों सहित कितने बाल श्रमिकों की पहचान की गई, उन्हें मुक्त कराया गया और उनका पुनर्वास किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने मामले दर्ज किए गए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से 'बीड़ी' उद्योग से बाल श्रम का उन्मूलन करने तथा मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास तथा दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड देना सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में 16 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है जिसमें बीड़ी उद्योग शामिल है। बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बाल बंधुआ श्रमिक और वयस्क बंधुआ श्रमिक के बीच कोई भेद-भाव नहीं करता। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुक्त कराए गए और पुनर्वासित बाल श्रमिकों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसी अवधि के दौरान मुक्त कराए गए बच्चों सहित बंधुआ श्रमिकों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाए गए अभियोजनों और प्राप्त दोषसिद्धियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गए हैं।

(ग) और (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन राज्य-क्षेत्र में इन अधिनियमों के उपबंध के प्रवर्तन हेतु समुचित सरकारें हैं। जब कभी किसी उल्लंघन का पता चलता है, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु, सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम देश के 266 जिलों में प्रचालन में है। इस स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों का विशेष स्कूलों में दाखिला कराया जाता है जहां उन्हें ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, वजीफा, स्वास्थ्य देख-रेख आदि मुहैया करायी जाती है और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में

लाया जाता है। इसके अलावा, बीड़ी कामगार कल्याण निधि, 1976 में बीड़ी उद्योग में लगे कामगारों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, आवास और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था है।

विवरण-I

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य धारा में लाए गए बच्चों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आन्ध्र प्रदेश	41,841	9,867	2,714	11,739
बिहार	1,151	उ.न.	उ.न.	1893
छत्तीसगढ	1436	899	961	36
झारखंड	90	उ.न.	उ.न.	1977
कर्नाटक	2079	2801	365	1622
मध्य प्रदेश	3329	उ.न.	100	5000
महाराष्ट्र	600	146	126	1800
उड़ीसा	5793	2279	1786	9059
राजस्थान	982	उ.न.	4094	1000
तमिलनाडु	10151	8432	2929	1641
उत्तर प्रदेश	2705	5911	18423	1330
पश्चिम बंगाल	1456	120	,1458	6500
पंजाब	1203	460	428	241
कुल योग	72,816	30,915	33,384	43,838

विवरण-II

मुक्त कराए गए और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

वर्ष	बिहार	मध्य प्रदेश	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल
2006-07	–	–	–	104	93	197
2007-08	150	192	9	277	88	716
2008-09	409	–	–	80	54	543
2009-10	264	–	–	100	–	364

विवरण-III

अभियोजनों और दोषसिद्धियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

क्र.सं.	संघ/राज्य शासित क्षेत्र का नाम	अभियोजन			दोषसिद्धियां		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0		0	0	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	9128	3104	386	0	116	135
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	–	–	–	–	–
4.	असम	0	0	–	0	1	–
5.	बिहार	284	–	–	0	–	–
6.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	0	8	7	0	2	–
7.	छत्तीसगढ़	19	–	–	0	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र	0	–	–	0	–	–
9.	दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र	0	0	–	0	–	–
10.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	187	274	–	29	8	–
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	270	233	328	270	36	11
13.	हरियाणा	0	2510		3	308	–
14.	हिमाचल प्रदेश	0	3	0	0	1	0
15.	जम्मू और कश्मीर	60	61	41	1	11	25
16.	झारखंड	4			0	–	
17.	कर्नाटक	3235	473	121	170	0	17
18.	केरल	1	1	–	0	3	–
19.	लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र	0	–	–	0	0	–
20.	मध्य प्रदेश	150	58	25	5	14	7

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	महाराष्ट्र	54	23	–	7	0	–
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0		0	0	–
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	–	–	0	–	–
26.	उड़ीसा	73	145	22	0	2	
27.	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	0	0	–	0	0	–
28.	पंजाब	129	176	–	23	46	–
29.	राजस्थान	22	26	9	26	15	2
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	603	218	–	434	295	–
32.	त्रिपुरा	0	0	–	0	0	–
33.	उत्तर प्रदेश	117	548	–	19	46	
34.	उत्तराखंड	0	–	6	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	7	2		0	0	0
	कुल	14346	7863	945	987	904	197

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनियमितताएं

***146. श्री जयवंत गंगाराम आवले:**

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.ई.आर.जी.एस.) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई/उपयोग में लाई गई, कितने रोजगार सृजित किए गए/उपलब्ध कराए गए और कितनी मजदूरी जारी की गई;

(ख) क्या सरकार को इस योजना में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताएं होने की जानकारी है और उक्त अवधि के दौरान फर्जी जॉब कार्ड, कम मजदूरी का भुगतान, धनराशि का अन्यत्र उपयोग, फर्जी मस्टर रोल तैयार करना, बिचौलियों की भूमिका, महिलाओं को रोजगार/मजदूरी न देना, लिंग आधारित भेदभाव, बैंकों/डाकघरों में खाते न खोल पाना और विलम्ब से भुगतान करना आदि के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं/जानकारी में आई हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में योजना आयोग से भी कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) संसद सदस्यों को शामिल करके इस मामले में

एक जांच समिति नियुक्त करने और एम.जी.एन.ई. आर.जी.एस. में निजी क्षेत्र को शामिल करने के संबंध में यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं; और

(च) इस कार्य हेतु किस प्रकार के प्रभावी निगरानी तंत्र की परिकल्पना की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान (जनवरी, 10 तक) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत केन्द्र द्वारा रिलीज की गई निधियों, राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों, सृजित रोजगार के श्रमदिवसों तथा अकुशल श्रमिकों को दी गई मजदूरी के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अधिनियम के शुरू से लेकर अब तक महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कुल 1230 शिकायतें ग्रामीण विकास मंत्रालय के ध्यान में लाई गई हैं। अनियमितता के सभी मामले संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं ताकि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकें। मंत्रालय कुछ विशेष शिकायतों की जांच करने के लिए संबंधित जिलों में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की भी नियुक्ति करता है। राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राज्य	अब तक प्राप्त कुल शिकायतें	ऐसी शिकायतों की सं. जिन पर कार्रवाई हो चुकी है	ऐसी शिकायतों की सं. जो राज्य सरकारों के पास लंबित पड़ी हैं
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	12	11	1
असम	29	9	20
बिहार	118	31	87
छत्तीसगढ़	35	24	11
गोवा	1	0	1
गुजरात	14	6	8
हिमाचल प्रदेश	12	7	5
हरियाणा	23	15	8
झारखंड	86	52	34
कर्नाटक	11	7	4
केरल	4	2	2
लक्षद्वीप	1	0	1
मध्य प्रदेश	218	123	95
महाराष्ट्र	13	4	9
मणिपुर	6	2	4
मिजोरम	1	1	0
नागालैंड	5	2	3

1	2	3	4
उड़ीसा	29	7	22
पंजाब	11	3	8
राजस्थान	161	44	117
तमिलनाडु	6	5	1
त्रिपुरा	20	2	0
उत्तर प्रदेश	390	239	151
उत्तराखंड	10	4	6
पश्चिम बंगाल	32	13	19
कुल	1230	613	617

(घ) जी, नहीं। इस संबंध में योजना आयोग से कोई भी रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) जी, नहीं। मंत्रालय ने इस संबंध में कोई जांच समिति नियुक्त नहीं की है।

(च) महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) एक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) (www.nrega.nic.in) लागू की गई है जिसमें जॉब कार्ड, मस्टररोल, मजदूरी का भुगतान, दिए गए रोजगार के दिवसों की संख्या तथा क्रियान्वयनाधीन कार्यों संबंधी महत्वपूर्ण विवरण ऑन लाइन उपलब्ध कराया गया है ताकि निगरानी की जा सके और इनके बारे में आम जनता को जनकारी सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों को मजदूरी के उपयुक्त रूप से भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों को मजदूरी का भुगतान बैंकों/डाकघरों में खातों के माध्यम से करना अनिवार्य बनाया गया है। वित्तीय सेवाओं तथा लोगों तक उनकी पहुंच के बीच अंतर को दूर करने और मजदूरी भुगतान में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ग्रामीण ए.टी.एम., हस्तचालित उपकरण, स्मार्ट कार्ड तथा बायोमीट्रिक्स आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

(iii) मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा किए जाने को अत्यधिक महत्व दिया है और राज्यों को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा करने संबंधी प्रक्रियाओं के लिए अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 13 में संशोधन किए गए हैं। मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नए सामाजिक लेखा परीक्षा प्रावधान लागू करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं।

(iv) प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से निगरानी संबंधी योजना अनुमोदित की गई है।

(v) महात्मा गांधी नरेगा सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

(vi) तिमाही आधार पर आयोजित निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में अधिनियम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। राज्य विशिष्ट समीक्षाएं भी की जाती हैं।

(vii) अधिनियम के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं।

(viii) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद ने पारदर्शिता, सामाजिक लेखा परीक्षा इत्यादि सहित महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए उपसमूह बनाए हैं।

विवरण

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2007-08				2008-09				2009-10 (जनवरी 2010 तक)			
		सृजित श्रमदिवस	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	अकुशल मजदूरी पर व्यय	सृजित श्रमदिवस	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	अकुशल मजदूरी पर व्यय	सृजित श्रमदिवस	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	अकुशल मजदूरी पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	2010.28	137105.40	208374.75	166929.79	2735.45	321910.19	296390.38	225796.5	2952.60	330227.23	315221.00	2636.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.79	1265.38	303.90	187.28	34.98	2948.84	3289.54	2055.82	6.19	1888.97	712.92	462.04
3.	असम	487.61	52175.01	54914.93	35749.39	751.07	95872.16	95380.73	57941.32	569.42	61795.06	77501.87	47681.85
4.	बिहार	843.03	46707.83	105222.66	68323.63	991.75	138819.05	131647.97	84379.94	902.30	83910.90	139735.56	85702.27
5.	छत्तीसगढ़	1316.11	114415.71	140183.20	90069.51	1243.18	166449.34	143447.52	91005.61	812.04	80492.74	98907.33	61992.02
6.	गुजरात	90.06	5915.71	8184.24	5785.81	213.07	16419.20	19600.66	14437.33	436.86	60413.83	49984.55	37889.8
7.	हरियाणा	35.76	4840.97	5235.01	4440.87	69.11	13656.65	10988.22	8269.37	39.61	6271.68	7854.31	5782.98
8.	हिमाचल प्रदेश	97.53	12754.06	12564.88	7355.5	205.28	40974.63	33227.64	20337.81	205.04	33177.61	40364.22	22766.57
9.	जम्मू और कश्मीर	36.80	7071.37	4200.26	2639.44	78.80	10472.53	8772.02	5321.82	65.42	8989.66	8427.19	5448.17
10.	झारखंड	747.54	65069.07	106253.85	61595.9	749.97	180580.14	134171.70	67843.6	682.72	62312.22	111063.95	67102.82
11.	कर्नाटक	197.78	25869.52	23650.54	14306.79	287.64	39851.14	35787.46	23295.85	1482.69	189748.15	195093.75	129260.86
12.	केरल	60.75	6900.55	8336.83	7139.51	153.75	19887.32	22453.65	18459.6	216.57	29643.92	32100.95	28471.23
13.	मध्य प्रदेश	2753.01	260279.82	289172.60	175006.42	2946.97	406111.54	355496.21	215621.79	2600.80	253381.66	388648.95	231748.79
14.	महाराष्ट्र	184.86	2823.75	18907.21	16585.97	419.85	18756.08	36154.33	31377.01	239.37	22199.46	26760.05	21712.3
15.	मणिपुर	48.32	6184.13	6276.15	4184.72	285.62	36540.97	34965.82	22299.42	239.71	32500.70	322221.81	19735.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मेघालय	41.33	5918.73	5091.18	3650.64	86.31	7802.60	8945.10	6052.84	104.89	9453.01	11542.39	7344.31
17.	मिजोरम	31.53	3343.49	4200.70	4020.62	125.82	15194.15	16455.70	13712.28	133.70	19003.83	17919.16	13546.76
18.	नागालैंड	24.31	4399.59	2397.57	1690.59	202.70	26805.72	27231.15	16372.28	232.44	44982.11	38178.86	23079.99
19.	उड़ीसा	405.23	53695.69	57956.90	31228.3	432.58	87843.67	67829.29	39810.35	363.67	24581.26	57563.89	37382.01
20.	पंजाब	19.15	2972.32	3004.29	1939.67	39.89	6775.32	7177.06	4412.43	53.09	8807.84	10421.92	6707.94
21.	राजस्थान	1678.38	105600.20	147733.72	98424.2	4829.55	652157.16	616439.73	426531.88	4200.84	595264.49	520231.94	365682.89
22.	सिक्किम	8.60	629.75	1185.76	808.31	26.34	4097.14	4275.61	2414.68	29.17	5376.64	4721.72	2940.96
23.	तमिलनाडु	645.25	51609.09	51642.38	49890.71	1203.59	140126,58	100406.47	95899.82	1966.57	134990.96	137333.34	133872.23
24.	त्रिपुरा	181.05	17016.45	20860.34	13134.34	351.12	46036.60	49077.13	30057.75	304.04	56871.06	45472.46	30611.52
25.	उत्तर प्रदेश	1363.05	166589.89	189825.13	126278.96	2272.21	393390.13	356887.72	225446.53	2663.58	472687.16	433102.68	264573.92
26.	उत्तराखंड	80.34	11003.65	9575.01	5930.12	104.33	10116.44	13579.33	8830.23	136.61	22341.81	20782.25	13527.33
27.	पश्चिम बंगाल	968.77	88262.88	100434.62	76549.66	786.61	92275.09	94038.47	61522.41	1007.82	134801.96	125935.35	84162.43
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		135.00			1.00	702.75	327.54	123.91	3.71	153.00	855.98	503.7
29.	दादरा और नगर हवेली		45.00			0.48	45.10	1.03	0.52	0.58	39.20	110.23	64.01
30.	दमन और द्वीव		90.00			0.00	21.86	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
31.	गोवा		114.00			0.00	618.21	249.96	97.1	1.72	0.00	509.65	122.94
32.	लक्षद्वीप		45.00			1.82	262.26	178.68	145.33	1.41	0.00	201.48	158.23
33.	पांडिचेरी		45.00			1.64	419.44	136.10	130	8.32	359.93	667.70	636.42
34.	चण्डीगढ़		45.00			0.00	20.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0
	कुल	14359.22	1261039.01	1585688.61	1073846.65	21632.48	2993960.00	2725009.92	1820003.13	22663.50	2785668.05	2950149.41	2014283.27

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन एवं निर्यात

***147. श्री सोमेन मित्रा:**

श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में चाय के कुल उत्पादन, घरेलू खपत हेतु मांग तथा इसके निर्यात का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को निकट भविष्य में विश्व स्तर पर चाय उत्पादन में होने वाली भारी कमी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बाजार में भारतीय चाय की हिस्सेदारी कम हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिए चाय उत्पादकों को वित्तीय सहायता/पैकेज देने सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में चाय के कुल उत्पादन, घरेलू खपत हेतु मांग और निर्यात से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा मि. कि.ग्रा. में)

	उत्पादन	आयात	निर्यात	अनुमानित घरेलु खपत	(+) या (-)
2006	981.80	23.81	218.73	771	15.88
2007	986.43	15.99	178.75	786	37.67
2008 (अ.)	980.82	20.28	203.12	802	(-)4.02
2009 (अ.)	979.00	25.46	191.49	819	(-) 6.03

(अ) अनुमानित एवं संशोधन के अध्यधीन।

(ख) और (ग) जी नहीं। यद्यपि वर्ष 2009 में चाय की अनुमानित वैश्विक आपूर्ति में मामूली गिरावट आई है तथापि यह वैश्विक मांग से अधिक होगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ एंड ए.ओ.) ने यह अनुमान लगाया है कि यह बेशी उत्पादन मध्यावधि दृष्टिकोण में जारी रहेगा तथापि बेशी उत्पादन की मात्रा में कमी आएगी। यह मध्यावधि अनुमान परिवर्तन के अधीन है क्योंकि चाय के एक कृषि फसल होने के कारण उसका उत्पादन विभिन्न चाय उत्पादक देशों की मौसमी स्थितियों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष अलग-अलग होगा।

(घ) और (ङ) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान वैश्विक चाय उत्पादन में भारतीय चाय के हिस्से के संबंध में मिली-जुली प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वैश्विक चाय उत्पादन में भारतीय चाय का हिस्सा वर्ष 2006 में रहे 27.43% की तुलना में वर्ष 2008 में आंशिक रूप से घट कर 25.78% रह गया था लेकिन वर्ष 2009 में बढ़कर यह 26.03% हो गया है। भारत में उत्पादन में गिरावट मुख्यत: प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण आई है जिसके परिणामस्वरूप चाय की उत्पादकता का स्तर स्थिर रहा है।

(च) चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार चाय बोर्ड, कोलकाता के माध्यम से अनेक कदम उठा रही है जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलापों का आयोजन तथा भारतीय चाय निर्यातकों के विपणन प्रयासों में उनकी संवर्धनात्मक सहायता करना भी शामिल हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा से घुसपैठ

***148. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:**
श्री एम.के. राघवन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के अति संवेदनशील क्षेत्रों तथा उत्तरी और पश्चिमी भागों में घुसपैठ की कितनी घटनाएं हुईं;

(ग) इन घटनाओं में हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) शोक संतप्त परिवारों/बेघर हुए लोगों को कितना मुआवजा तथा अन्य सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) स्थूल रूप से 'वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.)' शब्दों का प्रयोग भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के लिए किया जाता है। घुसपैठ की घटनाओं में एकाएक कोई वृद्धि नहीं हुई है।

विगत कुछ वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के मामलों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी घटनाओं में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की घटनाओं के मामलों को हॉट लाइन, ध्वज बैठकों, सीमा कार्मिक बैठकों तथा सामान्य राजनयिक चैनलों जैसे स्थापित तंत्रों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ उठाया जाता है।

टेलीफोन सघनता

***149. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री वरुण गांधी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार नीति 1999 में सभी गांवों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान की संकल्पना की गई है तथा वर्ष 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत टेलीफोन सघनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित एवं खर्च की गई तथा सर्किलवार देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्राप्त टेलीफोन सघनता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण तथा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ बाग टेलीफोन सेवाओं से वंचित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में ग्रामीण टेलीफोन सघनता में सुधार करने पर विशेष बल देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां महोदया।

(ख) नई दूरसंचार नीति 1999 (एन.टी.पी.-99) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

- वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना और इसके बाद इस स्थिति को बनाए रखना ताकि वर्ष 2005 तक टेलीघनत्व 7 और वर्ष 2010 तक टेलीघनत्व 15 हो सके।
- ग्रामीण टेलीघनत्व वर्तमान के 0.4 से बढ़ाकर वर्ष 2010 तक 4 करना।
- देश के सभी गांवों में दूरसंचार कवरेज उपलब्ध कराना और सभी एक्सचेंजों को वर्ष 2002 तक विश्वसनीय मीडिया प्रदान करना।

(ग) 2002-03 से दिसंबर, 2009 के दौरान आवंटित निधि और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए बी.एस.एन.एल. सहित विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2002-03 से निधि आवंटन और आर्थिक सहायता के वितरण को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

31-12-2009 की स्थिति के अनुसार देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध टेलीघनत्व का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कुछ ग्रामीण और सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों

में दूरसंचार सेवाओं की अभिगम्यता नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं:

- दुर्गम और पर्वतीय भू-भाग सहित सड़क द्वारा नहीं जुड़े, छितरे हुए और अलग-थलग गांव
- अशांत और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्या

2001 की जनगणना के अनुसार देश में 5,93,601 आबाद गांवों में से 567658 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) प्रदान कर दिए गए हैं। सुदूर और पर्वतीय क्षेत्रों सहित शेष सुविधारहित गांवों में उत्तरोत्तर रूप से फरवरी, 2011 तक वी.पी.टी. सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एन.टी.पी. 99 के अंतर्गत 2010 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4% टीलीघनत्व के परिकल्पित लक्ष्य के मुकाबले 31-12-2009 की स्थिति के अनुसार मौजूदा टेलीघनत्व 21.99% है।

सरकार देश में टेलीघनत्व में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

(i) देश में 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों जिनमें टेलीफोन प्रदान करने की लागत अर्जित राजस्व की तुलना में अधिक होती है, उनमें ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें संस्थापित करने के लिए यू.एस.ओ.एफ. द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 31-01-2010 की स्थिति के अनुसार देश में 72.3 लाख आर.डी.ई.एल. उपलब्ध कराए गए हैं।

(ii) ऐसे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जहां इस समय कोई स्थिर वायरलेस या मोबाइल कवरेज नहीं है, मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में 7387 साझा अवसंरचना स्थल स्थापित करने के लिए यू.एस.ओ.एफ. द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इनमें से जनवरी 2010 तक इस स्कीम के अंतर्गत 7020 टावर स्थापित किए गए हैं।

(iii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की ग्रामीण क्षेत्रों में 2010-11 के दौरान 8.99 मिलियन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जी.एस.एम.) कनेक्शन बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, बी.एस.एन.एल. की योजना 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों को अगले तीन वर्ष में उत्तरोत्तर रूप से जी.एस.एम. कवरेज प्रदान करने की योजना है बशर्ते ऐसा करना तकनीकी वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य हो।

विवरण-I

बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया निधि का आवंटन और व्यय

(करोड़ रु.)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2002-03	2491.61	3556.34
2003-04	1933.32	2694.82
2004-05	1481.42	1947.83
2005-06	1893.04	1525.73
2006-07	1281.23	1581.37
2007-08	1630.00	1202.00
2008-09	**	2082.00
2009-10 (दिसम्बर 2009 तक)	**	724.00
जोड़	10,710.62 (31-3-2008 तक)	14,590.09 (31-12-2009 तक)

**बी.एस.एन.एल. कार्पोरेट कार्यालय द्वारा विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के सर्किलों के लिए 2008-09 से पूंजीगत कार्यों के लिए अलगसे आवंटन नहीं किया गया।

विवरण-II

यू.एस.ओ.एफ. द्वारा 31-12-09 की स्थिति के अनुसार निधियों के आवंटन और संवितरण की स्थिति

(करोड़ रु.)

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधि	संवितरित निधि
1	2	3
2002-03	300.00	300.00

1	2	3
2003-04	200.00	200.00
2004-05	1314.59	1314.59
2005-06	1766.85	1766.85
2006-07	1500.00	1500.00
2007-08	1290.00	1290.00
2008-09	1600.00	1600.00
जोड़	**7971.44**	**7971.44**
2009-10	2400.00**	1846.92
कुल जोड़े	10371.44	9818.36

** वर्ष 2009-10 वित्तीय वर्ष के लिए 3000 करोड़ रु. के संशोधित बजट प्राक्कलन के मुकाबले 2400 करोड़ रु. का बजट आवंटन प्राप्त होने की संभावना है।

विवरण-III

31-12-2009 की स्थिति के अनुसार सर्किल-वार टेलीघनत्व

क्र. सं.	सर्किल का नाम	टेलीघनत्व % में		
		ग्रामीण	शहरी	समग्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.24	131.10	52.36
2.	असम	16.37	88.03	26.91
3.	बिहार	12.26	114.05	26.09
4.	गुजरात	30.13	88.48	53.44
5.	हरियाणा	36.09	91.65	54.46
6.	हिमाचल प्रदेश	49.42	256.34	71.94
7.	जम्मू और कश्मीर	23.04	106.39	45.20
8.	कर्नाटक	21.14	128.02	60.48
9.	केरल	42.05	169.96	74.80
10.	मध्य प्रदेश	12.54	84.77	31.55
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	28.96	80.93	46.65
12.	पूर्वोत्तर	21.59	90.46	38.01
13.	उड़ीसा	17.51	114.99	33.64
14.	पंजाब	39.67	114.25	69.87
15.	राजस्थान	28.71	111.37	48.42

1	2	3	4	5
16.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	34.67	105.38	67.83
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14.25	99.10	33.01
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	20.08	92.35	30.33
20.	कोलकाता	#	107.36	111.65
21.	चेन्नै	#	147.36	148.78
22.	दिल्ली	#	164.58	164.58
23.	मुंबई	#	133.62	133.62
	समस्त-भारत	21.19	110.69	47.88

#मैट्रो शहरों चेन्नै, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के लिए ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

सिर पर मैला ढोना

***150. श्री दत्ता मेघे:**

प्रो. रामशंकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई भागों में अभी भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में सिर पर मैला ढोने वालों के लिए चलाई जा रही पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लोगों के पुनर्वास कार्य पर बल देने हेतु सरकार द्वारा यदि कोई योजना तैयार की गई है तो वह क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) और (ख) संसद द्वारा अधिनियम 'सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993' अन्य बातों के साथ-साथ हाथ से मैला साफ करना निषेध करता है। अधिनियम के अनुसार, कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को मानव मल को हाथों से उठाने के कार्य पर नहीं रखेगा अथवा नियोजित नहीं करेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी को कार्य पर रखने अथवा नियोजित करने की अनुमति नहीं देगा अथवा (ख) शुष्क शौचालय का निर्माण अथवा रख-रखाव नहीं करेगा। इन उपबन्धों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है। अब तक, अधिनियम को 23 राज्यों और सभी संघ राज्य-क्षेत्रों ने अंगीकार कर लिया है। मणिपुर और मिजोरम राज्यों ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई शुष्क शौचालय नहीं है अर्थात् इन राज्यों में हाथ से मैला साफ करने वाला कोई कर्मी नहीं है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन दो राज्यों के अपने-अपने अधिनियम हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य ने अभी अधिनियम को अंगीकार नहीं किया है। सफाई, राज्य विषय है। अधिनियम का प्रवर्तन राज्य सरकारों पर निर्भर है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नामक चार राज्यों में शुष्क शौचालय विद्यमान हैं। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय समेकित न्यून लागत सफाई योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना है।

(ग) और (घ) हाथ से मैला साफ करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एस.आर.एम.एस.) को

जनवरी, 2007 से हाथ से मैला साफ करने वाले पात्र कर्मियों ओर उनके आश्रितों का समयबद्ध ढंग से पुनर्वास करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। एस.आर.एम.एस. के मुख्य संघटक स्वरोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता (ऋण और आर्थिक सहायता) हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से वृत्तिका के भुगतान सहित एक वर्ष की अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण।

(ii) 5 लाख रुपए तक की लागत वाली स्व-रोजगार परियोजना के लिए लोन पर रियायती ब्याज दर।

(iii) 25,000 रुपये तक की परियोजनाओं के लिए, परियोजना लागत का 50% की दर से और 25,000 रुपये से अधिक राशि की परियोजना के लिए 25% पूंजी सब्सिडी, न्यूनतम 12,500 रुपये तथा अधिकतम 20,000 रुपये।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत 1.17 लाख हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्ति एवं उनके आश्रित पात्र थे, जिनमें से 78,953 व्यक्ति पात्र पाए गए और वे ऋण के लिए इच्छुक थे। 28-2-2010 तक 74,235 व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य, सभी पात्र और इच्छुक लाभार्थियों को मार्च, 2010 तक पुनर्वासित करना है।

श्रम संबंधी लंबित मामले

***151. श्री अर्जुन राय:**

श्री महेन्द्र कुमार राय:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रम न्यायालयों में कितने मामले पांच वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं;

(ख) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु समुचित सरकार है। केन्द्र सरकार ने ऐसे औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु 22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना की है। आदिनांक विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। राज्य क्षेत्र में आने वाले श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के संबंध में ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) एक "वैकल्पिक शिकायत निपटान तंत्र" के रूप में लोक अदालतों के आयोजन की एक स्कीम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों के तेजी से निपटान हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में शुरू की गई थी। यह स्कीम 11वीं योजना में न्याय-निर्णयन प्रणाली का एक अनिवार्य अंग बना दी गई है। यह मंत्रालय बार-बार होने वाले औद्योगिक विवादों के तेजी से और कारगर निपटान हेतु रणनीतियों का पता लगाने के लिए समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन करता है। तथापि, सफलता की दर विवाद की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी जिसे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाना है।

विवरण

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का नाम	पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित मामलों^ की संख्या	पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित आवेदनों# की संख्या
1	2	3	4
1.	मुम्बई-I	114	9
2.	मुम्बई-II	143	230
3.	धनबाद-I	1513	288
4.	धनबाद-II	702	29
5.	आसनसोल	314	39

1	2	3	4
6.	कोलकाता	174	99
7.	चंडीगढ़-I	190	7
8.	नई दिल्ली-I	शून्य	शून्य
9.	कानपुर	185	135
10.	जबलपुर	1489	103
11.	चेन्नई	130	शून्य
12.	बंगलौर	128	60
13.	हैदराबाद	207	529
14.	नागपुर	574	5
15.	भुवनेश्वर	238	19
16.	लखनऊ	179	16
17.	जयपुर	25	91
18.	नई दिल्ली-II	133	शून्य
19.	गुवाहाटी	शून्य	शून्य
20.	एर्नाकुलम	शून्य	शून्य
21.	अहमदाबाद	2	1326
22.	चंडीगढ़-II	शून्य	शून्य
	कुल	6298	2902

^जिन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संदर्भित किया गया।
#जिन्हें कामगारों द्वारा सीधे फाइल किया गया।

[अनुवाद]

शस्त्रों की खरीद पर व्यय

***152. श्री एम.बी. राजेश:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य देशों से शस्त्रों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न आयुध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शस्त्रों के स्वदेशी विकास और विनिर्माण हेतु कितना निवेश किया गया है; और

(ग) शस्त्र सौदों में बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान हथियारों सहित विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों की भिन्न-भिन्न स्रोतों से की गई पूंजीगत अधिप्राप्ति पर फरवरी, 2010 तक लगभग 24122 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस राशि में से 8143 करोड़ रुपए की राशि विदेशी विक्रेताओं से की गई अधिप्राप्ति पर खर्च की गई है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा आयुध निर्माणियों में 31 मार्च, 2009 तक निवल सरकारी निवेश का कुल खाता मूल्य 11,685.77 करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष के दौरन डी.आर.डी.ओ. के पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत विकास हेतु 2341.83 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2008 में मूल उपस्कर विनिर्माताओं अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं या (ऐसे देशों के मामलों में जहां मूल उपस्कर विनमिर्माता को सीधे निर्यात की अनुमति नहीं है), सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों से सीधे ही सौदा करने का प्रावधान है। इसके अलावा, प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विक्रेता के किसी निजी व्यक्ति अथवा फर्म, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, किसी विक्रेता को संविदा दिलाने हेतु मध्यस्थता करने, जोड़-तोड़ करने अथवा किसी अन्य प्रकार से भारत सरकार या उसके किसी अधिकारी से सिफारिश करने के मामले में संलिप्त पाए जाने पर शास्ति लगाए जाने के प्रावधान हैं। इसके अलावा, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में 100 करोड़ रुपए से अधिक की सभी अधिप्राप्ति स्कीमों के लिए सरकारी विभाग तथा बोलीदाताओं के बीच सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान है।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन तथा आयात

***153. श्री जे.एम. आरून रशीद:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन खपत की दृष्टि से लगातार कम पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारतीय रबड़ उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चीन से आयात किए गए रबड़ उत्पाद सस्ती दरों पर उपलब्ध होने के कारण भी घरेलू रबड़ उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) यद्यपि वर्ष 2006-07 के दौरान प्राकृतिक रबड़ (एन.आर.) का उत्पादन उसकी खपत से अधिक था तथापि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान उत्पादन खपत से कम रहा था। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में गिरावट प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, रबड़ के अत्यधिक दोहन तथा रबड़ बागानों में पुरानी प्रजाति के पौधों के रोपण के कारण हुई थी। वर्ष 2007-08 में "चिकनगुनिया" नामक वायरल ज्वर के अत्यधिक फैल जाने के कारण हुई मानव दिवसों की हानि से भी इसमें गिरावट आई थी। गत तीन वर्षों के दौरान एन.आर. के उत्पादन तथा घरेलू खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (टन)	खपत (टन)
2006-07	852,895	820,305
2007-08	825,345	861,455
2008-09	864,500	871,720

(ग) और (घ) एन.आर. की कीमत में किसी प्रकार की अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 की अवधि हेतु रबड़ के आर.एस.एस. 4 ग्रेड की औसत कीमत, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समनुरूपी अवधि के दौरान 106.86 रुपए प्रति कि.ग्रा. की तुलना में 109.33 रुपए प्रति कि.ग्रा. थी, जिसमें 2.47 रुपए प्रति कि.ग्रा. की मामूली वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ङ) और (च) चीन से आयातित रबड़ उत्पादों, विशेषकर टायरों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीन से होने वाले आयातों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बस एवं ट्रक रेडियल टायरों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना

***154. श्री नारनभाई कछाड़िया:**
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'न्याय पंचायतें' आरंभ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार त्वरित कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं सहित पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं को पुनर्गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बारहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाने की सिफारिश की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) जी, हां। देश में न्याय पंचायतों की स्थापना केंद्र सरकार के विचाराधीन है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) नियोजन, कार्यान्वयन, मानीटरिंग, लेखाकरण एवं जवाबदेही समेत पंचायतों के प्रकार्यात्मक क्षेत्र में उनकी क्षमता में महत्वपूर्ण अंतरालों को सर्वोत्कृष्ट रूप से पाटने की दृष्टि से कतिपय स्कीमों को पुनर्संरचित करने के प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है।

(ङ) और (च) बारहवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों को संपूरित करने हेतु राज्य के समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2005 से 2010 के दौरान अनुदान के तौर पर 20,000 करोड़ रु. की राशि की सिफारिश की है (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों

की एक केंद्रीय समीक्षा समिति अनुदानों की निर्मुक्ति व उपयोगिता की समीक्षा करती है। समुचित उपयोगिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा राज्य स्तर पर मानिटरिंग की जाती है।

विवरण

दिनांक 28-2-2010 की स्थिति के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग अनुदानों वर्ष (2005-10) का आबंटन एवं निर्मुक्ति

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2005-06 के लिए टी.एफ.सी. द्वारा संस्वीकृत पी.आर.आई. अनुदान का आबंटन	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	कुल	तक निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	158700	31740	15870	31740	31740	47610	158700	2सरी किस्त 2009-10
2.	अरुणाचल प्रदेश	6800	0	680			2040	2720	2सरी किस्त 2006-07
3.	असम	52600	5260	0	10520		15780	31560	2सरी किस्त 2007-08
4.	बिहार	162400	16240	32480	48720	32480	32480	162400	2सरी किस्त 2009-10
5.	छत्तीसगढ़	61500	12300	12300	12300	12300	6150	55350	1 ली किस्त 2009-10
6.	गोवा	1800	180	0	77	360	180	797	1 ली किस्त 2008-09
7.	गुजरात	93100	9310	18620	18620	27930	18620	93100	2सरी किस्त 2009-10
8.	हरियाणा	38800	7760	7760	7760	7760	7760	38800	2सरी किस्त 2009-10
9.	हिमाचल प्रदेश	14700	2940	2940	2940	2940	1470	13230	1 ली किस्त 2009-10
10.	जम्मू और कश्मीर	28100	1761.97	2523.94				5285.91	1 ली किस्त 2006-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	झारखण्ड	48200	0					0	
12.	कर्नाटक	88800	8880	26640	8880	26640	17760	88800	2सरी किस्त 2009-10
13.	केरल	98500	19700	19700	19700	9850		68950	1 ली किस्त 2008-09
14.	मध्य प्रदेश	166300	33260	33260	33260	16630	33260	149670	1 ली किस्त 2009-10
15.	महाराष्ट्र	198300	19830	39660	39660	59490	39660	198300	2सरी किस्त 2009-10
16.	मणिपुर	4600	211.60	423.20	211.60	423.20	846.40	2116.00	2सरी किस्त 2009-10
17.	मेघालय	5000	0	1500	0	2500		4000	2सरी किस्त 2008-09
18.	मिजोरम	2000	200	600		800		1600	2सरी किस्त 2008-09
19.	नागालैण्ड	4000	400	800	400	1600	400	3600	1 ली किस्त 2009-10
20.	उड़ीसा	80300	16060	16060	16060	16060	16060	80300	2सरी किस्त 2009-10
21.	पंजाब	32400	3240	6480	3240	6480	3240	22680	1 ली किस्त 2008-09
22.	राजस्थान	123000	24600	24600	12300	36900	24600	123000	2सरी किस्त 2009-10
23.	सिक्किम	1300	130			910	130	1170	1 ली किस्त 2009-10
24.	तमिलनाडु	87000	17400	17400	8700	26100	17400	87000	2सरी किस्त 2009-10
25.	त्रिपुरा	5700	0	570		1140	1710	3420	2सरी किस्त 2006-07
26.	उत्तर प्रदेश	292800	58560	29280	87840	58560	58560	292800	2सरी किस्त 2009-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तराखंड	16200	1620	3240	1620		6480	12960	2सरी किस्त 2008-09
28.	पश्चिम बंगाल	127100	12710	25420	25420	38130	25420	127100	2सरी किस्त 2009-10
	कुल	2000000	304293.57	339807.14	389968.60	417723.20	377616.40	1829408.91	

भारत और चीन के बीच पाटनरोधी उपाय

***155. सी. राजेन्द्रन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच पाटनरोधी मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाटनरोधी उपायों के कारण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) जी हां।

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (दिनांक 02-03-2010 तक) में डी.जी.ए.डी. द्वारा शुरू किए गए पाटनरोधी मामलों तथा चीन जन.गण. से आयात के मामलों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	वर्ष	शुरू किए गए पाटनरोधी मामलों की संख्या (क)	(क) में से चीन जन. गण. से आयात के मामलों की सं. (ख)
1.	2006-07	11	7
2.	2007-08	13	11
3.	2008-09	21	16
4.	2009-10 (2-3-2010 तक)	15	11

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (दिनांक 20-2-2010 तक) में डी.जी.ए.डी. द्वारा विभिन्न पाटनरोधी जांचों में और चीन जन.गण. से आयातों के मामलों में अधिरोपित निश्चयात्मक पाटनरोधी उपायों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	पर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है (क)	(क) में से चीन जन.गण. से आयात के मामलों की सं. (ख)
1.	2006-07	08	07
2.	2007-08	13	10
3.	2008-09	08	07
4.	2009-10 (20-2-2010 तक)	15	11

(ग) और (घ) डी.जी.सी.आई. एंड एस. के व्यापार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में चीन से क्रमशः 17.4 बिलियन अम.डॉ., 27.1 बिलियन अम.डॉ. और 32.4 बिलियन अम.डॉ. मूल्य के आयात हुए थे। इन तीन वर्षों के दौरान चीन को हमारे निर्यातों का मूल्य क्रमशः 8.3 बिलियम अम.डॉ., 10.8 बिलियन अम.डॉ. और 9.3 बिलियन अम.डॉ. रहा था। यद्यपि वर्ष 2009 के दौरान चीन को हमारे निर्यातों में 13.9% की कमी आई थी, तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में कोई गिरावट नहीं आई है। पाटनरोधी उपायों का प्रयोजन आयातों पर रोक लगाना नहीं अपितु पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति से उत्पन्न व्यापार विकृति से निपटना है।

गुलमर्ग हिमस्खलन

***156. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में गुलमर्ग के निकट हुए हिमस्खलन में कितने कार्मिक मारे गए/उनके लापता होने की खबर है;

(ख) घायलों तथा मारे गए कार्मिकों के परिवारों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एस.ए.एस.ई.) ने इस संबंध में चेतावनी जारी की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पूर्वानुमान तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) हालांकि, जम्मू और कश्मीर में 08 फरवरी, 2010 को उच्च तुंगता युद्धपद्धति स्कूल के उच्च तुंगता प्रशिक्षण क्षेत्र में हुए हिमस्खलन में 17 सेना कार्मिक मारे गए, किंतु किसी के लापता होने की कोई सूचना नहीं है।

2. दिवंगत सेना कार्मिक के निकटतम संबंधी को पेंशन एवं दूसरे भत्ते नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

(क) **विशेष परिवार पेंशन:** आहरित अंतिम वेतन जिसमें ग्रेड वेतन, सैन्य सेवा वेतन, समूह "एक्स" वेतन एवं वर्गीकरण वेतन शामिल है, के 60 प्रतिशत की दर से स्वीकृत।

(ख) **मृत्यु अनुदान:** सेवा की अवधि के आधार पर, अधिकतम 10 लाख रुपये तक।

(ग) **अनुग्रह अनुदान:** मृत्यु के कारण 15 लाख रुपये देय।

3. घायल सेना कार्मिक, यदि उसे चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर सेवा से हटा दिया है, को अशक्तता पेंशन का भुगतान किया जाता है।

4. हिम तथा हिमस्खलन अध्ययन स्थापना (एस.ए.एस.ई.) ने गुलमर्ग सब-सेक्टर क्षेत्र के लिए हिमस्खलन चेतावनी जारी की थी। तथापि, वह क्षेत्र जहां घटना हुई, उच्च तुंगता युद्धपद्धति स्कूल का एक पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्र है और यहां पहले हिमस्खलन की कोई घटना नहीं हुई है। हिम तथा हिमस्खलन अध्ययन स्थापना पूर्वानुमान तंत्र में नियमित रूप से सुधार करने के लिए अनुसंधान करती है।

डाक सेवाओं में सुधार

***157. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डाक विभाग निजी सेवा प्रदाताओं विशेषकर कुरियर सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डाकघरों के कार्यकरण की कोई समीक्षा कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने तथा देश में डाक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) डाक विभाग, भारत की जनता को डाक पारेषण, लघु बचत, बीमा एवं रीटेल जैसे क्षेत्रों में अनेक सेवाएं प्रदान करता है। डाक पारेषण सहित इन क्षेत्रों में अन्य निजी सेवा प्रदाताओं की मौजूदगी से डाक विभाग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा से डाक विभाग को अपने विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रेरणा तथा अवसर मिलता है ताकि वह अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके, और अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके।

डाक पारेषण के क्षेत्र में, डाक विभाग ने ग्राहकों की तीव्र एवं समयबद्ध एक्सप्रेस मेल सेवा की जरूरत को पूरा करने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है। स्पीड पोस्ट सेवा प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा ग्राहकों का विश्वास और भरोसा जीतने में सफल रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में बुक की गई स्पीड पोस्ट मदों की परियात (ट्रैफिक) में आई लगातार वृद्धि से यह बात परिलक्षित होती है। वर्ष 2008-09 में स्पीड पोस्ट परियात 19.23% की वार्षिक दर से बढ़ा है।

(ग) और (घ) डाक विभाग, डाकघरों के कार्यकरण की विभिन्न प्रशासनिक स्तरों जैसे डिवीजन, क्षेत्रीय एवं सर्किल स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा करता है। ये समीक्षाएं इस प्रयोजन के लिए स्थापित की गई विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से की जाती हैं, जिनमें अन्य प्रणालियों के साथ-साथ डाकघरों के आवधिक निरीक्षण एवं आकस्मिक दौरे तथा निर्धारित विभिन्न रिपोर्टों एवं विवरणों के माध्यम से प्रचालनों की जांच भी शामिल है। ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्षों के आधार पर डाकघरों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। डाक विभाग ने चुनौतियों का सामना करने तथा देश में डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक उपयुक्त कार्यनीति तैयार की है और इस संबंध में विभिन्न कदम उठाए हैं। चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, डाक नेटवर्क की पहुंच, डाक प्रचालन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन एवं आधुनिकीकरण आदि क्षेत्रों में अनेक स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में डाक विभाग द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

- स्पीड पोस्ट मदों के लिए वेब आधारित "स्पीडनेट" नामक 'ट्रैक एवं ट्रेस' प्रणाली की शुरुआत।
- 50 ग्राम तक के वजन वाली स्पीड पोस्ट मदों के लिए "वन इंडिया वन रेट" की शुरुआत।
- स्थानीय स्पीड पोस्ट प्रभारों में कमी।
- स्पीड नेट के माध्यम से देश भर में फैले 1301 राष्ट्रीय एवं राज्य स्पीड पोस्ट केंद्रों की वेब आधारित कनेक्टिविटी।
- अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट मदों की ट्रेसिंग के लिए मुंबई, चेन्नै, कोलकाता एवं दिल्ली में इंटरनैशनल पोस्टल सिस्टम सॉफ्टवेयर स्थापित करना।
- प्रचालनों की दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रमुख स्पीड पोस्ट केंद्रों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन।
- आम आदमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डाकघरों में एक स्पष्ट, ठोस एवं उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में 'प्रोजेक्ट एरो' की शुरुआत। इस परियोजना के अंतर्गत डाकघरों के प्रमुख प्रचालनों में सुधार लाने के साथ-साथ सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत देश भर में 1000 डाकघरों को कवर किया जा चुका है।

योजना स्कीमों का विवरण

स्कीम I: डाक नेटवर्क को सुलभ बनाना

इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व, ग्राहक संतुष्टि तथा आत्म-निर्भरता की दिशा में बढ़ने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डाक नेटवर्क की पहुंच का विस्तार करना है। इस प्रयोजन के लिए नियत दूरी, जनसंख्या एवं आय के मानदंडों के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं। ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए शाखा डाकघर, विभागीय डाकघर एवं फ्रैंचाइजी आउटलेट खोले जा रहे हैं।

स्कीम II: डाक प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य बिजनेस मेल सेग्मेंट पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न ग्राहक सैग्मेंटों की उभरती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डाक प्रचालनों को आगे और सुचारू बनाना है।

स्कीम III: बैंकिंग एवं धन अंतरण प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य बैंकिंग एवं धन अंतरण प्रचालनों के क्षेत्र में विद्यमान व्यापक ग्राहक आधार एवं भारतीय डाक की संभावनाओं का पूरी तरह उपयोग करना है। "कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग एवं कोर बैंकिंग सेवाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्कीम IV: बीमा प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य बाजार के सम्भावित विकास एवं ग्राहक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी एवं कौशल उन्नयन पर जोर देकर बीमा सेक्टर की सम्भावनाओं का पूरी तरह दोहन करना है। इस स्कीम के अंतर्गत जिन-जिन प्रमुख कार्यकलापों की योजना बनाई गई हैं उनमें बीमा साफ्टवेयर का विकास करना तथा डाक जीवन बीमा (पी.एल.आई.) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर.पी.एल.आई.) कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करना शामिल है ताकि प्रचालनों को ऑन लाइन किया जा सके तथा कर्मचारियों को मार्केटिंग में एवं बीमांकन में प्रशिक्षित किया जा सके।

स्कीम V: फिलैटली प्रचालन

इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय डाक के फिलैटलिक कार्यकलापों को बिजनेस परिपाटी के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित करके फिलैटली की राजस्व अर्जन सम्भावनाओं का उपयोग करना और विभाग के राजस्व में योगदान करना है। इसमें डाक-टिकट संग्राहकों का आधार बढ़ाने की अपार सम्भावना को ध्यान में रखते हुए फिलैटली प्रदर्शनियों सहित गहन प्रचारात्मक कार्यकलाप आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा इसमें फिलैटली ब्यूरो को आधुनिकीकृत करने, फिलैटली के लिए बिजनेस वेबसाइट चालू करने और जन-साधारण की सहज सुलभता के लिए राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहालय को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्कीम VI: सम्पदा प्रबंधन

इस स्कीम का उद्देश्य वाणिज्यिक स्थानों में स्थित सम्पत्तियों से राजस्व कमाने पर बल देते हुए भवनों का निर्माण करके डाक सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाकर सार्वभौमिक सेवा दायित्व की पूर्ति करना है जिससे कि कारगर डाक प्रचालनों के लिए अनिवार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा सके।

स्कीम VII: प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

इस स्कीम का उद्देश्य सेवाओं में असाधारण दक्षता लाने एवं उनका और अधिक विस्तार करने तथा समूची सेवाओं का कायापलट करने को ध्यान में रखते हुए सभी प्रचालनों एवं सहायक क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का समावेश करके सम्पूर्ण डाक नेटवर्क का बाधारहित एकीकरण करना है। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी के व्यापक स्तर पर उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, डाटा केन्द्रों की स्थापना एवं सभी डाकघरों की नेटवर्किंग करने और इस तरह, सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत ग्राहकों को सभी प्रकार की डाक सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पलना की गई है।

स्कीम VIII: सामग्री प्रबंधन

इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं अनिवार्य उपस्करों की व्यवस्था करके एक प्रभावी सामग्री प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना स्कीम के अंतर्गत पेशेवर सामग्री प्रबंधन के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपस्कर मुहैया कराने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि डाक भंडार डिपो और डाकघर, प्रचालक कार्यालयों में प्रयुक्त प्रपत्रों तथा डाक प्रणाली के सुचारू कार्य-संचालन के लिए अनिवार्य उपस्करों सहित काफी बड़ी मात्रा में स्टेशनरी हैंडल करते हैं।

स्कीम IX: मानव संसाधन प्रबंधन

इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय प्रणालियों एवं उपयोग में कौशल-प्राप्त सुप्रशिक्षित ऐसे मैनपावर के रूप में डाक विभाग के लिए बहुमूल्य पूंजी का सृजन करना है जिसमें ग्राहक संतुष्टि पर पूर्ण फोकस दिखता हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सम्पूर्ण मानव संसाधन विकास पर और अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने एवं विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इस योजना स्कीम का उद्देश्य ग्राहकों को सेवाएं लिडीवर करने, नई प्रौद्योगिकी का समावेशन करने, बैंकिंग एवं बीमा सेक्टरों, मार्केटिंग एवं कानूनी मामलों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पर्याप्त कौशल विकसित करना है।

स्कीम X: मार्केटिंग, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास

इस स्कीम का उद्देश्य डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं जैसे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्टल और लॉजिस्टिक्स पोस्ट के संबंध में मार्केटिंग, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास पहलों को सपोर्ट करना है। इसमें सभी डाक उत्पादों एवं सेवाओं के ब्रांड विकास,

व्यावसायिक विस्तार एवं मार्केटिंग की योजना भी बनाई गई है।

स्कीम XI: गुणवत्ता प्रबंधन

जैसा कि ग्राहकों द्वारा अनुभव किया गया है, इस स्कीम का उद्देश्य है गुणवत्ता में सुधार लाकर प्रचालनात्मक तथा वाणिज्यिक कार्यनीतियों को अर्थपूर्ण बनाना। इस योजना स्कीम के माध्यम से विभाग, दसवीं योजना में की गई पहलों को अग्रेनीत करने, और उनमें बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव करते हुए एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना चाहता है जो कि सेवा की गुणवत्ता को माप सके, उसकी निगरानी कर सके, और उसमें सुधार ला सके, ताकि वह विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सके। यह प्रस्ताव है कि डाकघरों में नागरिक घोषणा-पत्र के कार्यान्वयन के लिए डाक सहायकों/डाकियों को, और सेवोत्तम परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया जाए।

स्कीम XII: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए सहायता

इस स्कीम का शुरुआत 2008-09 के दौरान योजना आयोग द्वारा की गई थी और इसे 2009-10 के दौरान भी जारी रखा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए डाकघर बचत बैंक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने हेतु सहायता के रूप में निधि उपलब्ध कराई जा रही है। इस स्कीम का अनुमानित लाभ तथा आर्थिक प्रभाव वित्तीय समावेशन तथा एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. कार्मकारों को समय पर तथा उचित रूप से मजदूरी का भुगतान करना है। चूंकि डाक विभाग का नेटवर्क इतना व्यापक है, इसलिए यह एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. को कारगर व पूर्ण सेवा/समाधान प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ एजेंसी होगी।

दूरभाष केन्द्रों की क्षमता

*158. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गोवा में अनेक दूरभाष केंद्रों की वर्तमान क्षमता अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में इन दूरभाष केन्द्रों की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी क्षमता का कब तक विस्तार कर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के टेलीफोन एक्सचेंजों की मौजूदा क्षमता उनके संबंधित सेवा क्षेत्रों में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। गोवा में बी.एस.एन.एल. की मौजूदा 2,46,344 की क्षमता में से 1,56,108 लैंडलाइन कनेक्शन कार्य कर रहे हैं। क्षमता उपयोग के सर्किलवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के पास नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए उनके लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। अतः देश में इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

31-01-2010 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के टेलीफोन एक्सचेंज (क्षमता, कार्यरत कनेक्शन और लोडिंग प्रतिशतता) के संबंध में राज्यवार/सर्किल-वार सूचना

क्र. सं.	सर्किल का नाम	स्विचन क्षमता	कार्यरत कनेक्शन	लोडिंग प्रतिशतता
1.	अंडमान और निकोबार	55,218	17,952	32.51
2.	आन्ध्र प्रदेश	3,808,898	2,089,172	54.85

क्र. सं.	सर्किल का नाम	स्विजन क्षमता	कार्यरत कनेक्शन	लोडिंग प्रतिशतता
3.	असम	696,844	327,588	47.01
4.	बिहार	1,337,968	959,469	71.71
5.	छत्तीसगढ़	414,135	205,817	49.70
6.	गुजरात	3,570,713	1,862,077	52.15
7.	हरियाणा	1,392,722	779,709	55.98
8.	हिमाचल प्रदेश	640,818	353,104	55.10
9.	जम्मू और कश्मीर	404,968	231,142	57.08
10.	झारखंड	658,257	412,725	62.70
11.	कर्नाटक	3,389,925	2,083,535	61.46
12.	केरल	4,231,963	3,385,569	80.00
13.	मध्य प्रदेश	1,625,394	1,027,975	63.24
14.	महाराष्ट्र	5,084,444	2,720,126	53.50
15.	पूर्वोत्तर-I	287,536	198,990	69.21
16.	पूर्वोत्तर-II	205,396	126,435	61.56
17.	उड़ीसा	956,380	604,973	63.26
18.	पंजाब	2,594,503	1,290,290	49.73
19.	राजस्थान	2,237,716	1,423,031	63.59
20.	तमिलनाडु	3,340,359	1,950,010	58.38
21.	उत्तराखंड	500,268	286,107	57.19
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	2,211,925	1,406,363	63.58
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	1,750,242	1,002,068	57.25
24.	पश्चिम बंगाल	1,706,015	905,700	53.09
25.	कोलकाता	1,586,275	1,324,314	83.49
26.	चेन्नई	1,290,727	1,004,115	77.79
	कुल बी.एस.एन.एल.	**45,979,609**	**27,978,356**	**60.85**
27.	गोवा (महाराष्ट्र सर्किल का भाग)	246,344	156,108	63.37

क्र. सं.	सर्किल का नाम	स्विजन क्षमता	कार्यरत कनेक्शन	लोडिंग प्रतिशतता
28.	एम.टी.एन.एल. दिल्ली	2,771,995	1,567,096	56.53
29.	एम.टी.एन.एल. मुंबई	2,822,205	2,047,452	72.54
	कुल एम.टी.एन.एल.	**5,594,200**	**3,614,548**	**64.61**

अश्लील वेबसाइटों पर रोक

***159. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**

डॉ. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वेबसाइटों पर उपलब्ध अश्लील सामग्री पर रोक लगाने हेतु वर्तमान में क्या विनियामक तंत्र मौजूद है;

(ख) क्या सरकार का इंटरनेट के माध्यम से देश में अश्लील सामग्री तथा आपत्तिजनक संदेशों का प्रसार कर रही इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में वेबसाइटों पर उपलब्ध अश्लील सामग्रियों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 लागू करके एक विधायी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। इस अधिनियम को आगे संशोधित किया गया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में अश्लील एवं बाल अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये संशोधन 27-10-2009 से लागू किये गये हैं।

अधिनियम की धारा 67 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने या प्रेषित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उल्लंघनकर्ताओं को प्रथम अपराध के लिए तीन वर्षों तक का कारावास तथा पांच लाख रुपए तक का अर्थदंड देने और दूसरे तथा आगे अपराध के लिए पांच वर्षों तक का कारावास तथा दस लाख रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 67क में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कृत्य आदि के प्रकाशन अथवा प्रेषण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, धारा 67ख विशेष रूप से बाल अश्लीलता से संबंधित है और बच्चों को अश्लील कृत्यों में लिप्त सामग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन अथवा संप्रेषण के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है।

धारा 67क तथा 67ख के उल्लंघनकर्ताओं को प्रथम अपराध पर पांच वर्षों तक का कारावास तथा दस लाख रुपए तक का अर्थदंड और दूसरे तथा उसके बाद अपराध के लिए सात वर्षों तक का कारावास तथा दस लाख रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है।

(ख) से (घ) देश में इंटरनेट के माध्यम से अश्लील सामग्रियों तथा आपत्तिजनक संदेशों का प्रकाशन अथवा संप्रेषण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत दंडनीय है।

संचार सेवाओं आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेशों का प्रेषण सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 66क के अंतर्गत दंडनीय है। उल्लंघनकर्ता को तीन वर्षों तक का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।

इसके अलावा, इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार विभाग के बीच हस्तक्षरित लाइसेंस के समझौते के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आपत्तिजनक, अश्लील, अनधिकृत या कोई अन्य सामग्री, संदेश या संचार जो प्रतिलिप्याधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा अंतरराष्ट्रीय एवं देशीय साइबर कानून का उल्लंघन करता हो, किसी भी रूप में या भारत में कानून द्वारा वर्जित रूप में अपने नेटवर्क पर नहीं डाला जायेगा।

इन्टरनेट के माध्यम से देश में वेबसाइटों पर अश्लील सामग्रियों तथा आपत्तिजनक संदेशों के परिचालन को रोकने

से संबंधित इन कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति

***160. श्री गणेश सिंह:**

श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता को निरन्तर चुनौती दे रहे साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित तथा स्थापित की है जिसके द्वारा इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों को विफल करने हेतु पूर्वोपाय करते हुए किसी भी प्रकार के साइबर अपराध/हैकिंग के प्रयासों का तुरंत पता लगाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हाल ही में विदेश स्थित कुछ हैकरों द्वारा भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों के कम्प्यूटरों को हैक करने का प्रयास किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाने से पहले, सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर आक्रमणों एवं साइबर आतंकवाद पर एक संकट प्रबंध योजना प्रतिपादित की थी। इसके अलावा, महत्वपूर्ण सूचना मूल संरचना के संरक्षण के लिए एक सूचना सुरक्षा कार्य योजना उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य सरकार तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा नेटवर्क की सुरक्षा में सुधार करने तथा जोखिम के आवधिक मूल्यांकन और तृतीय पक्ष ऑडिट संगठनों द्वारा वार्षिक ऑडिट के जरिए जांच करने की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना सरकार तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों को परिचालित की गई है।

सूचना कार्य योजना के अनुसार, सरकार तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों को निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने होते हैं:

- प्रबंधन वर्ग किसी ऐसे वरिष्ठ सदस्य का चयन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में करे जिसे सूचना सुरक्षा तथा संबद्ध मुद्दों का ज्ञान हो और उन्हें सम्पर्क बिन्दु के रूप में नामित किया जाए, जो सुरक्षा नीति के अनुपालन के प्रयासों तथा भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नियमित सम्पर्क में रहने के जिम्मेदार होंगे/होंगी।

- सूचना सुरक्षा योजना तैयार करना तथा आई.एस./आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 27001:2005 के अनुसार सुरक्षा नियंत्रण उपायों तथा यथा उपयुक्त, अन्य दिशा-निर्देशों/मानकों का कार्यान्वयन करना।

- आवधिक रूप में सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम मूल्यांकन करना तथा स्वीकार्य स्तर के जोखिमों, जो व्यवसाय/कार्यात्मक आवश्यकताओं के महत्व के अनुरूप हो, व्यवसाय/कार्यों तथा संगठन के लक्ष्यों/उद्देश्यों की उपलब्धियों पर संभावित प्रभाव का निर्धारण करना।

- सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा नेटवर्कों के लिए कार्यान्वित तकनीकी सुरक्षा नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता का आवधिक रूप में परीक्षण एवं मूल्यांकन करना। विशेष रूप से, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों/प्रणालियों/नेटवर्कों में प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद परीक्षण एवं मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है और इसमें, यथा उपयुक्त, निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

    - प्रवेश परीक्षण (घोषित एवं अघोषित)
    - संवेदनशीलता मूल्यांकन
    - अनुप्रयोग सुरक्षा परीक्षण
    - वेब सुरक्षा परीक्षण

- सूचना मूलसंरचना का वार्षिक आधार पर ऑडिट

करना तथा जब सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना में कोई प्रमुख ग्रेड उन्नयन/परिवर्तन होता है तब किसी स्वतंत्र सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा ऑडिट संगठन से ऑडिट करवाना।

– साइबर सुरक्षा घटनाओं, जब भी घटित हों, की सूचना तथा साइबर सुरक्षा की स्थिति की रिपोर्ट आवधिक रूप में सर्ट-इन को प्रस्तुत करना।

उपर्युक्त कार्य योजना के समर्थन में, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने जोखिम मूल्यांकन, नेटवर्क में प्रवेश तथा संवेदनशीलता मूल्यांकन की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना तथा सूचना प्रणालियों की ऑडिट करवाने में संगठनों की सहायता के लिए 40 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा ऑडिटरों का एक पैनल तैयार किया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के विभागों को नेटवर्क तथा प्रणाली सेवाएं उपलब्ध कराता है। एक सेवा प्रदाता के रूप में, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने अद्यतन तकनीकी जानकारी की साइबर सुरक्षा प्रणाली प्रतिष्ठापित की है, जो नेटवर्क पर विद्वेषजनक ट्रैफिक का संसूचन करने तथा रोकने के लिए नेटवर्क पर घटनाओं की निगरानी करती है। साइबर सुरक्षा प्रणाली में ये शामिल हैं: प्रवेश रोधी प्रणालियां, फायरवाल, वायरस-रोधी समाधान तथा अनुप्रयोग फायरवाल। इसी प्रकार, अपनी सेवाएं चलाने वाले बड़े संगठनों ने भी अपनी प्रणालियों तथा नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा प्रणाली प्रतिष्ठापित की है।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 द्वारा यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 27-10-2009 को लागू हो गया है। धारा 69ख में सरकार को साइबर सुरक्षा के प्रयोजन से कम्प्यूटर स्रोत के माध्यम से ट्रैफिक डेटा तथा सूचना की निगरानी करने तथा संग्रह करने का अधिकार दिया गया है।

भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) भारतीय साइबर स्पेस की जांच किसी अवांछित घटना का पता लगाने के लिए करता है, जिससे साइबर स्पेस को खतरा पहुंचा सके। सर्ट-इन कम्प्यूटर सुरक्षा घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षा समस्याओं के समाधान की पहचान, उत्पाद की संवेदनशीलता का विश्लेषण, विद्वेषमूलक कोड, वेब के विकृतिकरण, ओपन प्राक्सी सर्वरों तथा संबद्ध अनुसंधान एवं विकास की दिशा में सक्रिय एवं प्रतिक्रियात्मक दोनों ही भूमिकाएं निभाता है।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा तथा वित्त के क्षेत्र में क्षेत्रीय सर्ट कार्य कर रहे हैं। उन्हें साइबर प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले डोमेन विशिष्ट खतरों पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

(ङ) और (च) भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों में चलने वाले उच्च सुरक्षा साइबर नेटवर्क में प्रवेश करने के विदेशी मूल के प्रयास हुए हैं।

जांच-पड़ताल से यह पता चला है ये मात्र प्रयास थे और किसी भी प्रणाली को हैक किया हुआ या संक्रमित किया गया नहीं पाया गया। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र कम्प्यूटर प्रणालियों का सुरक्षा ऑडिट नियमित अन्तराल पर कर रहा है और किसी भी प्रणाली को हैक किया हुआ या संक्रमित किया गया नहीं पाया गया है।

हाल के समय में एन.आई.सी. के नेटवर्क में निम्नलिखित प्रयास चिन्हित किए गए हैं:

– मेलावेयर की अटैचमेंट सहित विद्वेषजनक रूप से तैयार ईमेल कई मेल प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए जिससे प्रयोक्ताओं की मशीनों को संक्रमित किया जा सके।

– आई.टी. मूलसंरचना की स्कैनिंग तथा प्रोबिंग।

यह पाया गया है कि ये आक्रमण विदेश के कई देशों में प्रतिष्ठापित कम्प्यूटरों से आते हैं। लेकिन संभव है कि इन कम्प्यूटरों से छेड़छाड़ की गई है और ये विश्व के दूसरे भाग के हैकरों के नियंत्रण में हैं।

ऐसे प्रयासों के संसूचन तथा रोकथाम के लिए नियोजित साइबर सुरक्षा प्रणालियों की सहायता से अधिकांश आक्रमणों को रोक दिया जाता है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के उत्पादों का निर्यात

1579. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से निर्यात बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से प्राप्त अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु पण्य वस्तु निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

अवधि	निर्यात का मूल्य (करोड़ रु.)
2005-06	150,242.02
2006-07	182,537.85
2007-08	202,017.46

(ग) सरकार और आर.बी.आई. द्वारा देश में और अंतर्राष्ट्रीय रूप से आर्थिक घटनाक्रमों पर सतत आधार पर निगरानी रखी जा रही है और वित्तीय एवं समग्र आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय किए जाते हैं। एम.एस.एम.ई. सहित निर्यातक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करके निर्यात निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2009-10 तथा विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.) 2009-14 और तत्पश्चात जनवरी, 2010 में की गई घोषणाओं सहित सरकार और आर.बी.आई. द्वारा प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में कई उपाय किए गए हैं। सरकार ने उन विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिए सहायता/प्रोत्साहन प्रदान किए हैं जो वैश्विक मंदी से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। सरकार और आर.बी.आई. द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में से कुछ उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी से उत्पन्न निर्यातकों की चिंताओं के समाधान हेतु सरकार/आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए कदम (बजट 2009-2010 और विदेश व्यापार नीति 2009-2014 में की गई घोषणाओं सहित)

(क) सरकार द्वारा किए गए उपाय:

(1) निर्यात हेतु निम्नलिखित श्रम गहन क्षेत्रों के लिए दिनांक 30-09-2009 तक प्रदत्त 2% की ब्याज छूट सुविधा की अवधि बढ़ाकर 31-03-2010 कर दी गई है:

वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, कालीन, चर्म, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा एस.एम.ई.;

(2) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) में हस्तशिल्प मदों आदि हेतु 350 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि (दिसंबर, 2008 में) उपलब्ध कराई गई;

(3) बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम के दायरे का विस्तार करके दिनांक 01-04-2009 से 30-09-2009 तक निर्यात हेतु उसमें साइकिल के पुर्जों; मोटर कारों तथा मोटर साइकिलों, वस्त्र एवं परिधान सहायक सामग्री, ऑटो के पुर्जों आदि को शामिल किया गया।

(4) एफ.टी.पी. 2009-2014 में बाजार एवं उत्पाद विविधीकरण के लिए अधिक सहायता लागू की गयी है:-

(क) फोकस बाजार स्कीम (एफ.एम.एस.) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन 2.5% से बढ़ाकर 3% किया गया;

(ख) फोकस उत्पाद स्कीम (एफ.पी.एस.) के अंतर्गत प्रोत्साहन 1.25% से बढ़ाकर 2% किया गया;

(ग) फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत 26 नए बाजार जोड़े गए। इनमें लैटिन अमरीका में 16 तथा एशिया-ओसिनिया में 10 नए बाजार शामिल हैं;

(घ) विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी संख्या में उत्पादों (8 अंकीय स्तर पर 527 नए उत्पाद तथा 82 नए हस्तशिल्प उत्पाद) को एफ.पी.एस. के अंतर्गत लाभ हेतु शामिल किया गया;

(ङ) 13 नए देशों (अल्जीरिया, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन, वियतनाम, कम्बोडिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड) को निर्यात के लिए 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकृत 1500 उत्पादों को शामिल करके बाजार संबद्ध

फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.पी.एस.) में उत्यधिक विस्तार किया गया;

(च) अन्य उत्पादों के साथ-साथ ऑटो संघटक, मोटर कार, साइकिल तथा उसके पुर्जों एवं परिधानों जैसे कुछेक मौजूदा उत्पादों के लिए अतिरिक्त नए बाजारों को भी निर्यात हेतु बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम के लाभ प्रदान किए गए;

(छ) "पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों" के निर्यात और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मूल के कुछेक उत्पादों के निर्यातों हेतु फोकस उत्पाद स्कीम के लाभ प्रदान किए गए;

(ज) परियोजना निर्यात तथा कई विनिर्मित वस्तुओं को एफ.पी.एस. तथा एम.एल.एफ.पी.एस. में शामिल किया गया;

(5) वस्तु क्षेत्र-वार निष्पादन विश्लेषण के आधार पर जनवरी, 2010 में बाजार एवं उत्पाद विविधीकरण हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई:

(झ) 8 अंकीय स्तर पर एफ.पी.एस. के अंतर्गत 112 नए उत्पाद जोड़े गए जो सभी बाजारों को हुए निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2% की दर से लाभ के पात्र होंगे; प्रमुख क्षेत्रों में इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़, रसायन, प्लास्टिक, कार्टन बॉक्स तथा एग पाउडर शामिल हैं;

(ट) सभी बाजारों को हुए निर्यातों के संबंध में विशेष एफ.पी.एस. के अंतर्गत 8 अंकीय स्तर पर 113 नए उत्पादों को निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 5% की दर से अधिक लाभ प्रदान किए गए; प्रमुख क्षेत्रों में हाथ के औजार, कृषि एवं बागवानी मशीनों के पुर्जे, सिलाई मशीनें एवं उनके पुर्जे, द्रव पम्प, नट, बोल्ट, वॉशर, स्क्रू, स्टेपलर तथा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एवं वेल्डिंग मशीनों के पुर्जे शामिल हैं।

(ठ) एम.एल.एफ.पी.एस. में 8 अंकीय स्तर पर 1837 नए उत्पाद शामिल किए गए जो विनिर्दिष्ट बाजारों को हुए निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2% की दर से लाभ के पात्र होंगे; प्रमुख क्षेत्रों में मशीनी औजार, खुदाई उपकरण, ट्रांसमिशन टावर, विद्युतीय एवं ऊर्जा उपकरण, स्टील ट्यूब, पाइप तथा गैल्वेनाइज्ड शीट, कम्प्रेसर, लौह एवं इस्पात संरचनाएं, ऑटो संघटक, तिपहिया वाहन तथा कपास से बुने फैब्रिक शामिल हैं (छह महीने की सीमित अवधि हेतु लाभ प्रदान करने के लिए रसायन को शामिल किया गया है)।

(ड) दो नए प्रमुख बाजार अर्थात चीन और जापान को एम.एल.एफ.पी.एस. में शामिल किया गया है;

(ढ) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) में तिलहन तथा गौण नारियल उत्पादों को शामिल किया गया है।

(ण) फोकस बाजार स्कीम (एफ.एम.एस.) में तिमोर लेस्ट को शामिल किया गया है;

(6) मानद निर्यातों पर सी.एस.टी./अंतिम उत्पाद शुल्क/शुल्क प्रतिअदायगी के बकाया दावों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई।

(7) निर्यातक अनुकूल एवं लोकप्रिय शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीम अर्थात शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम की अवधि को 31 दिसम्बर, 2010 तक बढ़ा दिया गया है;

(8) जिन मदों पर नवम्बर, 2008 में डी.ई.पी.बी. दरें कम की गयी थीं, उन समस्त मदों पर भूतलक्षी प्रभाव से डी.ई.पी.बी. दरों को बहाल किया गया और वर्ष 2007 से डी.ई.पी.बी. दरों में 1% से 3% की तदर्थ वृद्धि को जारी रखा गया;

(9) दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से कुछेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की उच्चतर दरें बहाल की गईं; सभी मदों के लिए उत्पाद टैरिफ में और कुछेक मदों के लिए सीमाशुल्क टैरिफ में कमी के बावजूद शुल्क प्रतिअदायगी दरों को उसी स्तर पर बहाल रखा गया; पहली बार बेशकीमती धातु आभूषण मदों के लिए शुल्क प्रतिअदायगी दरों की घोषणा की गई;

(10) बैंक वसूली प्रमाण-पत्र (बी.आर.सी.) की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अनंतिम रूप से डी.ई.पी.बी. तथा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों की अनुमति;

(11) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत संरचना शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात दायित्व की अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया;

(12) हमारे निर्यात क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन में सहायता करने के लिए कुछेक क्षेत्रों हेतु शून्य शुल्क पर ई.पी.सी.जी. स्कीम की शुरुआत की गई है। यह स्कीम दिनांक 31-3-2011 तक प्रचालनरत रहेगी;

(13) निर्यातों में वृद्धि करने और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए दर्जाधारकों को पूंजीगत वस्तुओं की खरीद हेतु कुछेक क्षेत्रों के पूर्ववर्ती निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 1% की दर से अतिरिक्त शुल्क ऋण पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह सुविधा दिनांक 31-3-2011 तक उपलब्ध रहेगी;

(14) आर.बी.आई. द्वारा निर्यात आय प्राप्ति को विशेष रूप से बट्टे-खाते डालने तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्रमाण-पत्र की शर्त पर निर्यातकों को प्रदत्त प्रोत्साहनों को वसूल न करने की सुविधा;

(15) निर्यातकों के लिए सौदा लागत को कम करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं जैसे सभी प्रोत्साहन स्कीमों पर आवेदन शुल्क की समाप्ति; शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों हेतु आवेदन शुल्क में कटौती; सीमाशुल्क विभाग, डी.जी.एफ.टी., बैंकों, पत्तनों, एयरलाइनों आदि सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए समयबद्ध तरीके से ई-व्यापार परियोजना को कार्यान्वित करने संबंधी लक्ष्य, अग्रिम प्राधिकार तथा ई.पी.सी.जी. स्कीमों जैसी शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों को ई-वाणिज्य तंत्र में शामिल किया गया है;

(16) प्रत्येक वर्ष विश्वभर में आयोजित किए जाने वाले छह या उससे अधिक "मेड इन इंडिया" शो के जरिए ब्रांड इंडिया का संवर्धन;

(17) ई.सी.जी.सी. को 350 करोड़ रु. तक समर्थन गारंटी उपलब्ध कराई गई ताकि वह दुर्गम बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियां प्रदान कर सके। ई.सी.जी.सी. अब अपने दायरे में विस्तार करने में सक्षम है;

(18) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों के पिछले दावों का निपटान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;

(19) एम.डी.ए. तथा एम.ए.आई. स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं;

(20) निम्नलिखित रोजगारोन्मुख क्षेत्रों के लिए मौजूदा शुल्क मुक्त आयात हकदारी के भीतर अतिरिक्त मदों की अनुमति दी गई है:

(i) खेल सामान क्षेत्र हेतु 5 अतिरिक्त मदें

(ii) चर्म परिधानों तथा फुटवियर और वस्त्र मदों के लिए अतिरिक्त मदें।

(21) वेतनेतर लाभकर (एफ.बी.टी.) समाप्त कर दिया गया है।

(22) धारा 10क और 10ख (एस.टी.पी.आई. तथा ई.ओ.यू. स्कीमों के लिए क्रमशः सनसैट खंड) को वित्त वर्ष 2010-2011 के लिए लागू किया गया है। "निर्धारिती की तुलना में इकाई" के कराधान लाभ से संबंधित धारा 10कक में विसंगति हटा दी गई है।

(23) निर्यातों पर सेवाकर वापसी से संबंधित कुछेक लम्बित मुद्दों का निपटान किया गया। कुछ मुद्दे हैं:

(i) निर्यातों से जुड़ी सेवाओं पर सेवाकर से छूट:

(क) किसी सी.एफ.एस. या आई.सी.डी. से पत्तन या विमानपत्तन तक सड़क द्वारा निर्यात वस्तुओं की ढुलाई से संबंधित सेवाकर और हटाए जाने के स्थान से किसी आई.सी.डी., सी.एफ.एस., पत्तन या विमानपत्तन तक सड़क द्वारा सीधे निर्यात वस्तुओं की ढुलाई से संबंधित सेवा पर;

(ख) विदेशी एजेन्ट की कमीशन सेवा द्वारा प्रदत्त सेवाएं।

(ii) वापसी का दावा निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 0.25% से कम होने की स्थिति में स्व-प्रमाणन पर वापसी की अनुमति देकर और अन्य मामलों में सनदी लेखाकार के सत्यापन द्वारा सेवाकर वापसी की प्रक्रिया सरल बना दी गई है।

(iii) दावा दायर करने की अवधि निर्यात की तारीख से बढ़ाकर एकवर्ष (छः महीने की तुलना में) कर दी गई है।

(24) निर्यातकों के लिए विलंब में कमी करने हेतु अनेक प्रक्रियागत मुद्दों के फास्ट ट्रैक समाधान हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें राजस्व एवं वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं। तदनुसार कई मुद्दों का समाधान किया गया;

(25) संबंधित बैंकों द्वारा निर्यातकों को डॉलर ऋण उपलब्ध न कराने से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है;

(26) व्यापार उपचार साधनों के जरिए अपने अधिकारों का लाभ उठाने में भारतीय उद्योग एवं निर्यातकों विशेष रूप से एम.एस.एम.ई. को सहायता प्रदान करने के लिए व्यापार उपचार उपाय निदेशालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(27) पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य उत्पादों जिनके संबंध में वर्तमान दर 4% सेकम थी, को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में 4% की समान दर से कमी की गयी। चर्म आदि जैसे कुछेक उत्पादों हेतु उत्पाद शुल्क में आगे और 2% की कमी की गई;

(28) अतिलघु एवं लघु उद्यमों के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर 50% के गारंटी कवर के साथ दोगुना कर 1 करोड़ रु. किया गया। ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा प्रदत्त गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की ऋण सुविधा हेतु बढ़ाकर 85% किया गया। ऐसे सम्पार्श्विक मुक्त ऋणों हेतु अवरुद्ध अवधि में कमी की गयी;

(29) सभी एम.एस.एम.ई. निर्यातकों तथा विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात वस्त्र, हस्तशिल्प एवं हथकरघा सहित, रत्न एवं आभूषण, चर्म, इंजीनियरी वस्तुओं, कालीन, परियोजना वस्तुओं, ऑटो संघटक एवं रसायन के गैर-एम.एस.एम.ई. निर्यातकों को 95% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन पहले से प्रदत्त सुरक्षा के साथ 5% की संवर्धित अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई.सी.जी.सी. द्वारा दिसम्बर, 08 में शुरू की गई समायोजन सहायता स्कीम मार्च, 2010 तक लागू रखी गई है;

(30) बैंक द्वारा एम.एस.एम.ई. निर्यातकों को प्रदत्त निर्यात वित्त हेतु ई.सी.जी.सी. द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा जोखिम सुरक्षा जिसे 75% से बढ़ाकर 85% किया गया है, को 31-3-2010 तक जारी रखा गया है;

(31) विशेष रूप से चीन से पाटित/सस्ते आयातों से घरेलू विनिर्माण उद्योग की रक्षा करने के लिए आटोफोर्ज्ड संघटक, एच.आर. कॉयल, कार्बन ब्लैक, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न (पी.एफ.वाई.) तथा रेडियल टायरों (बस एवं ट्रक) पर आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं; जिन्हें बाद में पी.एफ.वाई., एच.आर. कॉयल एवं कार्बन ब्लैक के लिए हटा लिया गया।

(32) पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में वृहद हथकरघा समूहों और राजस्थान में विद्युतकरघा समूह और श्रीनगर और मिर्जापुर में नए वृहद कालीन समूहों को अनुमोदित किया गया;

(33) हस्तशिल्प हेतु जयपुर, श्रीनगर तथा अनन्तनाग को; चर्म उत्पादों हेतु कानपुर, देवास तथा अम्बुर को और बागवानी उत्पादों के लिए मलीहाबाद को "निर्यात उत्कृष्टता के शहर" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(34) अपरिष्कृत/अनगढ़ मूगों पर 5 प्रतिशत का मूल सीमाशुल्क समाप्त कर दिया गया;

(35) नियमित निगरानी तंत्रः

(क) सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षानुसार आगे और सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें। इस संबंध में सरकार ने

निम्नलिखित दो उच्चस्तरीय समितियां गठित की हैं जो नियमित आधार पर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही हैं:-

(i) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ दल जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपाध्यक्ष (योजना आयोग), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शामिल हैं;

(ii) वर्तमान वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट के संबंध में व्यापार एवं उद्योग जगत तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करने तथा शीर्षस्थ दल के लिए कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु नियमित रूप से बैठक करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की समिति जिसमें वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, सचिव (डी.आई.पी.पी.), सचिव (योजना आयोग) शामिल हैं।

(ख) एम.एस.एम.ई. के ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राज्यस्तरीय बैंककार समिति की मासिक बैठक की बैठकों की प्रगति पर एम.एस.एम.ई. विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जाएगी।

ख. आर.बी.आई. द्वारा किए गए उपाय:

I. निम्नलिखित के द्वारा नकद प्रवाह में वृद्धि करने के लिए बैंकों की नकदी में वृद्धि:

(i) सी.आर.आर., एस.एल.आर., रेपो दर तथा प्रति रेपो दर में कमी (अक्तूबर, 08 से सी.आर.आर. को 9% से घटाकर 5%, (अब 13-02-10 को संशोधित कर 5.5% किया गया और दिनांक 27-02-10 से बढ़ाकर 5.75% किया जाएगा), एस.एल.आर. को 25% से घटाकर 24%, (जिसे अक्तूबर, 09 में 25% पर बहाल किया गया), रेपो दर को 7.5% से घटाकर 4.75% और प्रति रेपो दर को 6% से घटाकर 3.25% किया गया)।

(ii) रुपए या डॉलर में लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात ऋण प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि हेतु एक्जिम बैंक को पुनर्वित्त सुविधा।

(iii) निर्यातों, अति लघु एवं लघु उद्यमों, म्युचुअल फंड तथा एन.बी.एफ.सी. को वित्त प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बैंकों हेतु एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्थापित की गई है। उपबंधात्मक अपेक्षाओं में कमी की गई है। वाणिज्यिक बैंकों हेतु निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा को बढ़ा कर बकाया रुपया निर्यात ऋण का 50% किया गया है (अब 27-10-2009 को 15% पर बहाल किया गया)।

II. विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की नकदी में वृद्धि:

(i) घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा (अम.डॉ.) की बिक्री जारी रखने के संबंध में आर.बी.आई. का आश्वासन।

(ii) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर को फरवरी, 2010 में एल.आई.बी.ओ.आर.+350 आधार बिन्दु से घटाकर एल.आई.बी.ओ.आर.+ 200 आधार बिन्दु किया गया है।

III. ऋण शर्तों को सरल बनाना:

(i) लादान-पूर्व तथा लदान-पश्चात रुपया निर्यात ऑण की अवधि को बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 90 दिन करना;

(ii) गैर-दर्जाधारक निर्यातकों हेतु निर्यात आय की समयावधि को दर्जाधारकों के समतुल्य बनाते हुए बढ़ाकर 12 माह करना। यह सुविधा जो पहले 03-06-2009 तक के लिए उपलब्ध थी, इसमें और एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया है।

(iii) आर.बी.आई. द्वारा घोषित उपायों के उपरांत पी.एस.यू. बैंकों द्वारा निर्यात इकाइयों हेतु गारंटियों पर मार्जिन मनी में कमी की गई।

जल का अधिकार

1580. श्री पी. बलराम:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जल के अधिकार को मूलभूत/मौलिक अधिकार घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार कब तक पूरे देश में समय-सीमा के अन्दर पेयजल उपलब्ध कराएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल राज्य का विषय है। केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के तहत भारत सरकार ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए उन्हें वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देती है। इस कार्यक्रम के तहत जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, अनुमोदित तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्यों के पास हैं।

किसी बसावट में पूरे वर्ष भर स्वच्छ पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता समय-समय पर अलग-अलग हो सकती है क्योंकि यह अनेक कारकों अर्थात् कम अथवा अपर्याप्त वर्षा, अत्यधिक दोहन के कारण भूजल का स्तर बदलना और/अथवा कम पुनर्भरण, मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों की समयावधि पूरी हो जाना तथा निष्क्रिय हो जाना अथवा कम मात्रा में जल निकलना, बसावट की आबादी बढ़ना, खराब प्रचालन एवं अनुरक्षण, समुद्रतटीय क्षेत्रों में लवणता बढ़ना, भू-जल में रासायनिक संदूषण छोड़ा जाना इत्यादि पर निर्भर करती है। इस तरह, पर्याप्त स्वच्छ जल वाली बसावटें/गांव अपर्याप्त जल वाली बसावटों/गांव में बदल सकते हैं अथवा उनमें गुणवत्ता समस्या हो सकती है। तथापि, भारत निर्माण-II के तहत शेष सभी कवर न की गई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

भूमिहीन लोगों पर बकाया ऋण

1581. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा राज्य-वार कुल कितने भूमिहीन लोगों को ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन ऋणों को माफ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में (एस.सी.एफ.सी.) के ऋण की कुल कितनी बकाया राशि है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों के राज्य संचरण अभिकरण (एस.सी.ए.) अनुसूचित जाति के परिवारों के व्यक्तियों (भूमिहीन व्यक्तियों सहित) को उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार ऋण प्रदान करते हैं।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन एस.सी.एज द्वारा जिन भूमिहीन लोगों को ऋण दिया गया है, उनकी कुल संख्या के बारे में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 28-02-2010 की स्थिति के अनुसार, 11 राज्यों में भूमि खरीद योजना के अंतर्गत 51,378 भूमिहीन व्यक्तियों को निधियां प्रदान की गई हैं।

(ख) और (ग) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) 28-02-2010 की स्थिति के अनुसार, इन एस.सी.एज के बारे में ऋण की कुल बकाया राशि 234.51 करोड़ रुपए है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवंटन

1582. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का सरकार द्वारा उचित रूप से वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का समाधान करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख पत्तन

1583. श्री अमरनाथ प्रधान: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रमुख पत्तनों पर अवसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा चुनी गई निजी कंपनियों के पत्तन-वार क्या नाम हैं;

(ख) सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना-वार तथा पत्तन-वार कुल कितनी राशि का निवेश अनुमोदित किया गया है; और

(ग) इसके आवंटन के साथ-साथ परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.) मूल्य निर्धारण एजेंसी है और देश के प्रमुख पत्तनों पर अवसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु किसी निजी कंपनी को चुना नहीं है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्य निर्धारित एवं अनुमोदित पी.पी.पी. परियोजनाओं की सूची परियोजनाओं के नाम एवं पत्तन सहित संलग्न विवरण में दी गई है। ये सभी परियोजनाएं इस समय कार्य-निष्पादन/कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

विवरण

वर्ष, 2008-09 और 2009-10 के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति मूल्य-निर्धारित और अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना और पत्तन का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	क्षमता (एम.टी.पी.ए.)
1	2	3	4
1.	पारादीप पत्तन में गहरे डुबाव वाले लौह अयस्क घाट का निर्माण	591	10
2.	पारादीप पत्तन में गहरे डुबाव वाले कोयले का निर्माण	479	10
3.	नव मंलूर में घाट सं. 14 में मशीनीकृत लौह अयस्क संभलाई सुविधा की स्थापना	277.11	6.62
4.	मुरगांव में घाट सं. 7 का बल्क कार्गो की संभलाई के लिए विकास	252	7
5.	कांडला 13 से 16 बहुद्देशीय कार्गो घाट (तरल एवं कंटेनरी कार्गो के अतिरिक्त) का विकास	755.5	8
6.	इन्नौर में कंटेनर टर्मिनल का विकास	1407	15
7.	तूतीकोरिन में घाट सं. 8 को कंटेनर टर्मिनल में बदला जाना	312.23	6
8.	पारादीप पत्तन में बहुद्देशीय घाट	387.31	5.0
9.	विशाखापट्टणम पत्तन के बाह्य बंदरगाह में सामान्य-सह-कार्गो बर्थ (जी.सी.बी.) में मशीनीकृत कोयला संभलाई सुविधा	444.10	10.18
10.	नव मंगलूर पत्तन में कंटेनर टर्मिनल का विकास	275.82	4.24

1	2	3	4
11.	चेन्नई पत्तन में विशाल कंटेनर टर्मिनल का सृजन	3125	48
12.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन में एन.एस.आई.सी.टी. टर्मिनल के उत्तर में स्टैंडलोन कंटेनर संभलाई सुविधा 330 मी. क्वे लम्बाई का विकास	600	9.6
13.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन में चौथे कंटेनर टर्मिनल	6700	57.6
14.	तूतीकोरिन में नॉर्थ कार्गो घाट सं II का निर्माण	332.16	5

बीड़ी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और पेंशन

1584. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बीड़ी कामगारों की यूनियनों/एसोशिएशनों से कम्पनियों द्वारा 100 रुपये की अनिवार्य मजदूरी के साथ-साथ 1500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का भुगतान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र सरकारें और राज्य सरकारें दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के तहत अनुसूचित नियोजनों के संबंध में कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने, संशोधित करने, समीक्षा करने और प्रवर्तित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। बीड़ी बनाने का अनुसूचित नियोजन राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

सामाजिक-आर्थिक और कृषि जलवायु दशाओं, आय, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता और स्थानीय दशाओं आदि में भिन्नता की वजह से न्यूनतम मजदूरी में व्यापक अंतर्राज्यिक असमानता के कारण देश में बीड़ी कामगारों के लिए एकसमान मजदूरी दर संभव नहीं है। पूरे देश में एकसमान मजदूरी ढांचा रखने और न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने के उद्देश्य से, वर्ष 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एन.सी.आर.एल.) की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय स्तर की निम्नतम न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। एन.सी.आर.एल. की सिफारिश तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अनुवर्ती वृद्धि को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने 01-09-2007 से राष्ट्रीय स्तर की निम्नतम न्यूनतम मजदूरी 66 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 80 रुपये की थी।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय निम्नतम न्यूनतम मजदूरी विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के ऊर्ध्वगामी संशोधन को सुनिश्चित करने के लिए एक गैर-सांविधिक उपाय है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी इस तरह से निर्धारित करने हेतु राजी किया जाता है कि किसी भी अनुसूचित रोजगार में, न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय स्तर की निम्नतम न्यूनतम मजदूरी से कम न रहे। इस उपाय से न्यूनतम मजदूरी को भिन्न-भिन्न दरों के बीच असमानता को कम करने में मदद मिली है।

न्यूनतम पेंशन के संबंध में, केन्द्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समग्र समीक्षा हेतु अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। यह समिति बीड़ी कामगारों सहित सभी कामगारों के अन्य मुद्दों के साथ न्यूनतम पेंशन दरों की समीक्षा करेगी।

बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी

1585. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीदी जा रही बुलेट प्रूफ जैकेटें भारतीय सेना तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) गोली रोधी

जैकेट (बी.पी.जे.) सेना की जरूरतों के आधार पर अधिप्राप्त की जाती हैं तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा, आतंकवादी रोधी ऑपरेशनों में खतरे की अवधारणा में वृद्धि के मद्देनजर, गोली रोधी जैकेटों की सामान्य स्टाफ गुणता आवश्यकता की पुनरीक्षा करने की जरूरत अनुभव की गई थी तथा इसे तदनुसार, संशोधित किया गया है।

कनाडा के साथ व्यापार समझौता

1586. श्री रमेश राठौड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कनाडा के साथ व्यापार शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे व्यापार समझौते के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक तैयार की गई संयुक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) भारत और कनाडा ने दोनों के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सी.ई.पी.ए.) की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल गठित किया है। भारत और कनाडा के बीच सी.ई.पी.ए. के उद्देश्य, प्राथमिक रूप से दोनों देशों के बीच सभी आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहन बनाना तथा व्यापार एवं निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करना होगा।

सीमा सड़कों का निर्माण

1587. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण के लिए निर्धारित बहुत बड़ी संख्या में सीमा सड़कों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मानवशक्ति की कमी सीमा सड़कों के निर्माण में विलम्ब का एक कारण बताए जाने की रिपोर्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(ङ) उपर्युक्त सड़कों के निर्माण को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क), (ख) और (ङ) सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही 61 सड़कों में से 43 सड़कों को सन् 2012 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर दिया जाएगा। शेष 9 सड़कों का कार्य सन् 2013 तक पूरा कर दिया जाएगा। शेष 9 सड़कों को सन् 2018 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। विलम्ब के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां, निर्माण के दौरान कठोर चट्टानों को तोड़ना, वन-विभाग और वन्य जीव विभाग की अनुमति प्राप्त करने में देरी, जनशक्ति की कमी और हवाई सुविधा की अपर्याप्त उपलब्धता है।

(ग) और (घ) जी, हां। सीमा सड़क संगठन की 42, 636 का अधिकृत नफरी के प्रति वर्तमान नफरी 35, 987 है। तथापि, जनशक्ति की भर्ती करके कमी को पूरा करने के उपाय किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए जी.आर.ई.एफ. केन्द्र, पुणे के अतिरिक्त ऋषिकेश, पठानकोट, जोधपुर और तेजपुर में चल भर्ती दलों का गठन किया गया है। समूह 'क' सिविल इंजीनियरी संवर्ग अधिकारियों के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के साथ साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती के लिए भी एक मामला उठाया गया है।

निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों द्वारा व्यापार

1588. श्रीमती जे. शांता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल आयात-निर्यात व्यापार की तुलना में निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए व्यापार के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इन इकाइयों को दी गई वित्तीय रियायतों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई.ओ.यू.) द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा क्रमशः लगभग 15400 मिलियन अम.डॉ. 41900 मिलियन अम.डॉ. तथा 38,400 मिलियन अम.डॉ., रही थी। इन वर्षों में

देश के कुल निर्यातों में ई.ओ.यू. का हिस्सा क्रमशः लगभग 12.2%, 25.7% और 20.8% रहा है।

(ग) निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ई.ओ.यू.) वित्तीय रियायतों की पात्र हैं जिनमें पूंजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्री, उत्पादन कार्यकलापों हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद और उन पर केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति तथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निर्यात आय पर निगम कर छूट शामिल हैं।

रोजगार अवसरों में कमी

1589. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009-10 के दौरान वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा क्षेत्र, ऑटो उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा रीयल इस्टेट क्षेत्र में कोई रोजगार अवसर सृजित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) भारत में आर्थिक मंदी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 से श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किए जाते रहे हैं। अक्तूबर-दिसम्बर, 2009 की अवधि हेतु किए गए नवीनतम त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि समग्र रोजगार में, आई.टी./बी.पी.ओ. क्षेत्र में 5.70 लाख से रोजगार में पर्याप्त वृद्धि के कारण सितम्बर, 2009 की अपेक्षा दिसम्बर, 2009 के दौरान लगभग 6.38 लाख से सुधार हुआ है। इसमें यातायात क्षेत्र में आंशिक गिरावट को छोड़कर अध्ययन किए गए समस्त क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि दर्शाई गई है। इस अवधि के दौरान 6.38 लाख रोजगारों की कुल वृद्धि में से 5.80 लाख (91 प्रतिशत) रोजगार निर्यात इकाइयों में शामिल किए गए हैं। केवल आई.टी./बी.पी.ओ. में इस अवधि के दौरान 4.87 लाख रोजगार निर्यात इकाइयों में शामिल किए गए हैं। इस अवधि के दौरान, शामिल किए गए समस्त अन्य क्षेत्रों (यातायात क्षेत्र को छोड़कर जिसमें कोई निर्यात इकाई प्रतिदर्श के रूप में नहीं है) की निर्यात इकाइयों में रोजगार में सामान्य या सीमान्त रूप से वृद्धि हुई है। तीन प्रोत्साहन पैकेजों और चौथे प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 2009-10 हेतु बजट के परिणामस्वरूप देश में रोजगार की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.एन.आर.ई.जी.एस.) नामक विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है।

कृषि पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का प्रभाव

1590. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेतों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की ओर मजदूरों के जाने से कृषि उत्पादकता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने स्थिति के आकलन हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) मंत्रालय में खेतों से मनरेगा की ओर मजदूरों के जाने से कृषि उत्पादकता में कमी आने का कोई भी मामला मंत्रालय में प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के प्रभाव का जायजा लेने के लिए पेशेवर संस्थाओं ने अध्ययन किए हैं। किसी भी अध्ययन में यह नहीं पाया गया है कि अधिनियम के शुरू होने के बाद से मजदूरों की कमी की वजह से कृषि उत्पादकता पर मनरेगा का प्रतिकूल-प्रभाव पड़ा है।

व्यापक योजना में ग्रामीण विकास योजनाओं का विलय

1591. श्री नरहरि महतो: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी ग्रामीण विकास योजना का एक व्यापक योजना में विलय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेटेंट दर्ज करना

1592. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान काफी ज्यादा संख्या में पेटेंट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरन पेटेंट के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त किए गए तथा कितने पेटेंट जारी किए गए;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारतीय पेटेंटों का अनुपात काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो प्रक्रिया को मजबूत करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्राप्त पेटेंट आवेदनों तथा मंजूर किए गए पेटेंटों का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	दायर किए गए पेटेंट आवेदन	मंजूर पेटेंट
2006-07	28940	7539
2007-08	35218	15261
2008-09	36812	16061
2009-10 (31 जनवरी, 2010 तक)	26752	5014

(ग) और (घ) जी, हां। प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के सृजन करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) अवसंरचना विकास, कंप्यूटरीकरण, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन हेतु 9वीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 153.00 करोड़ रुपये की लागत से बौद्धिक संपदा कार्यालयों के आधुनिकीकरण की एक योजना कार्यान्वित की गई।

(ii) दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई में चार नए एकीकृत बौद्धिक संपदा कार्यालय स्थापित किए गए।

(iii) पेटेन्ट आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने संबंधी कार्य प्रारंभ किया गया।

(iv) बौद्धिक संपदा कार्यालयों का और उन्नयन करने एवं इसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 300 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से एक योजना प्रारंभ की है ताकि बौद्धिक संपदा कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा सके एवं इसे सुदृढ़ बनाया जा सके।

(v) राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, नागपुर की स्थापना बौद्धिक संपदा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान एवं थिंक टैंक हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्ठता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई है।

(vi) बौद्धिक संपदा कार्यालय में 414 नए पदों का सृजन किया गया है।

(vii) बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं इसका संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठि/सम्मेलन/कार्याशालाओं का आयोजन किया गया।

(viii) बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में जागरूकता सृजन क्षमता निर्माण एवं मानव संशोधन विकास में सहयोग हेतु भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्वीटजरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता

1593. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम में ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फ्लैक्स फैब्रिक संबंधी पाटनरोधी शुल्क

1594. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए चीन तथा हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से अब तक उद्योग से क्या प्रतिक्रिया मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 01-10-2009 को पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा जारी निम्न अंतिम जांच परिणाम एक पाटनरोधी जांच है, जिसे 03-10-2008 को शुरू किया गया था। यह जांच चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों से संबंधित है। राजस्व विभाग द्वारा निश्चयात्मक शुल्क दिनांक 21-12-2009 की अधिसूचना सं. 142/2009-सीमाशुल्क द्वारा दिनांक 26-03-2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था (जब तक कि उसे अवधि समाप्त होने से पूर्व समाप्त, प्रतिस्थापित अथवा संशोधित न किया जाए)। तदनुसार इस समय चीन जन.गण. तथा हांगकांग से उक्त वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। अब तक डी.जी.ए.डी. को उद्योग अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा फ्लैक्स फैब्रिक पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण

1595. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किए गए अनुदानों का प्रतिशत अलग-अलग होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनावर्ती व्यय के शीर्ष के अंतर्गत वस्तुओं की खरीद हेतु कोई समय-सारणी निर्धारित की गई है तथा इनके अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण तथा धनराशि जारी करने की समय-सीमा निर्धारित करने हेतु मानदंड क्या हैं तथा ये किस वर्ष में निर्धारित किए गए थे;

(छ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों हेतु धनराशियों के आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) योजनाएं इस प्रकार हैं-

I. अनुसूचित जाति कल्याण

1. अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
3. अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
4. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

5. अनुसूचित जातियों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रवासों का निर्माण
6. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित दुर्बल वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध सहायता
7. अनुसूचित जातियों के छात्रों का योग्यता उन्नयन
8. अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा
9. हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना
10. अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
12. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
13. अनुसूचित जाति विकास निगम
14. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
15. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

1. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
2. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3. अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण
4. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के लिए विभिन्न रियायती-ऋण योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों को योजना में उल्लिखित किसी/सभी मदों पर अनुमोदित व्यय का क्रमशः 75-90% की सीमा तक सहायता अनुदान प्रदान किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों सहित दुर्बल वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध सहायता की योजना तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को संबंधित योजना के मानकों के अनुरूप सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत अनावर्ती व्यय की संस्वीकृति पर विचार विभिन्न परियोजना में उल्लिखित पैरामीटरों के अनुसार किया जाता है। संबंधित संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बारह माह के भीतर तथा सामान्य वित्तीय नियमों की शर्तों के अनुसार उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है।

(च) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की मौजूदा योजनाएं वर्ष 1998-99 से लागू हैं। मौजूदा योजनाओं और संगत कार्यकारी निर्देशों के अनुसार उन्हें निधियों की उपलब्धता की शर्त पर सहायता अनुदान जारी किया जाता है।

(छ) और (ज) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत किया गया आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

योजना	वर्ष	बजट अनुमान
1	2	3
अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2009-10 2010-11	35.0 35.0

1	2	3
अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2009-10 2010-11	05.0 05.0

दूरसंचार उपकरण विनिर्माता

1596. श्री देवेन्द्र नागपाल:

श्री मिथिलेश कुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माताओं को कोई अनुदान अथवा प्रोत्साहन नहीं देने के संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ (सी.ओ.ए.आई.) ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

"यू.एस.ओ.एफ. निधि को स्वदेशी दूरसंचार विनिर्माण के लिए आर्थिक राजसहायता प्रदान नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस निधि में सेवा प्रदाता द्वारा अंशदान किया जाता है तथा यदि उपस्कर विनिर्माताओं को आर्थिक राजसहायता प्रदान करनी हो या उन्हें कोई प्रोत्साहन प्रदान करना हो, तो यह यू.एस.ओ.एफ. के क्षेत्र से बाहर की पृथक गतिविधि/पहल होनी चाहिए।"

(ग) सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस. ओ.एफ.) से उपस्कर विनिर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

निम्न लागत वाले कंप्यूटरों का प्रावधान

1597. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने प्रतिशत लोगों की पहुंच में कंप्यूटर तथा इंटरनेट है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में डिजिटल डिवाइड को पूरा करने के लिए निम्न लागत वाले कंप्यूटर उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) भारत में 1.2 बिलियन जनसंख्या के लिए लगभग 30 मिलियन कम्प्यूटरों का प्रतिष्ठापित आधार है। (वैयक्तिक कम्प्यूटर प्रसार लगभग 2.5%)। दिसम्बर, 2009 के अनुसार इन्टरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या 15.16 मिलियन है। राज्यवार आंकड़ों के अनुसार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रति कम्प्यूटर 5 प्रयोक्ता मानते हुए, 76 मिलियन प्रयोक्ता होंगे (इन्टरनेट प्रसार लगभग 6.3%)।

(ख) से (घ) सरकार कम लागत के कम्प्यूटरों की आपूर्ति सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रोडबैण्ड सम्पर्क का विस्तार करने के लिए एक सार्वजनिक सेवा बाध्यता निधि (यू.एस.ओ.एफ.) के जरिए इमदाद दे रही है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें निवेश और अनुकूल शुल्क प्रणाली शामिल है।

विवरण

दिसम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही के लिए इन्टरनेट उपभोक्ता रिपोर्ट (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य/दूरसंचार सर्किल	इन्टरनेट उपभोक्ता (31-12-09 के अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	7729
2.	आन्ध्र प्रदेश	1084531
3.	असम	74576

1	2	3
4.	बिहार (झारखंड सहित)	206343
5.	दिल्ली*	1715719
6.	गुजरात	832788
7.	हरियाणा	282696
8.	हिमाचल प्रदेश	71419
9.	जम्मू और कश्मीर	90765
10.	कर्नाटक	1206826
11.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	1089104
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	3,070,303
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	580384
14.	पूर्वोत्तर राज्य**	100149
15.	उड़ीसा	185149
16.	पंजाब	665559
17.	राजस्थान	628425
18.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	1617734
19.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	753600
20.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	901238
	कुल	15165037

*गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा तथा गुड़गांव शामिल हैं।

**मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण

1598. श्री यशवंत लागुरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मित मकानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य को संतोषजनक पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक इसे संतोषजनक पाया गया है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) किन-किन राज्यों में उक्त कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(च) स्थिति में सुधार लाने के लिए इन राज्यों के साथ की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना उड़ीसा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर) के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। मकानों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत निर्मित मकानों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) देश में आई.ए.वाई. का समग्र निष्पादन संतोषजनक है। जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, वर्ष 2006-07 और 2007-08 में लक्ष्य की उपलब्धि 90% से अधिक थी और वर्ष 2008-09 में लक्ष्य की उपलब्धि 100% से अधिक थी। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान लक्ष्य की उपलब्धि में कमी किसी विशेष वर्ष में निर्माणाधीन मकानों का निर्माण कार्य परवर्ती वर्षों में पूरा किए जाने की वजह से थी। तथापि, मणिपुर के निष्पादन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्धि कम है क्योंकि वहां ग्रामीण मकानों की बहुत मांग नहीं है। मासिक प्रगति रिपोर्टों की ऑन-लाइन प्राप्ति, आई.ए.वाई. के समन्वयक अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन, मणिपुर सहित राज्य सचिवों की तिमाही बैठक, परियोजना निदेशकों का वार्षिक सम्मेलन और मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के जरिए योजना की गहन निगरानी की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष अर्थात 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान आई.ए.वाई. के अंतर्गत राज्यवार लक्षित, निर्मित मकानों की संख्या और हासिल लक्ष्य के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10#		
		लक्षित मकानों की सं.	निर्मित मकानों की. सं.	हासिल लक्ष्य का प्रतिशत	लक्षित मकानों की सं.	निर्मित मकानों की. सं.	हासिल लक्ष्य का प्रतिशत	लक्षित मकानों की सं.	निर्मित मकानों की. सं.	हासिल लक्ष्य का प्रतिशत	लक्षित मकानों की सं.	निर्मित मकानों की. सं.	हासिल लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	138342	146403	105.83	192148	194861	101.41	192132	266654	138.79	371982	251036	67.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	4939	4600	93.14	6765	6422	94.93	6770	7236	106.88	10873	3336	30.68
3.	असम	109214	125441	114.86	149593	150776	100.79	149699	112706	75.29	240446	117943	49.05
4.	बिहार	408350	349053	85.48	567171	430864	75.97	567125	484197	85.38	1098001	542762	49.43
5.	छत्तीसगढ	21393	20818	97.31	29714	30093	101.28	29712	30023	101.05	57520	14016	24.37
6.	गोवा	852	1115	130.87	1183	735	62.13	1183	586	49.54	2291	1173	51.20
7.	गुजरात	67846	65195	96.09	94234	110908	117.69	94226	122412	129.91	182429	101178	55.46
8.	हरियाणा	9526	10375	108.91	13231	13398	101.26	13229	13302	100.55	25611	14111	55.10
9.	हिमाचल प्रदेश	3054	3317	108.61	4242	4029	94.98	4242	4501	106.11	8212	4894	59.60
10.	जम्मू और कश्मीर	9487	10667	112.44	13177	15361	116.57	13176	13211	100.27	25508	7201	28.23
11.	झारखंड	36423	57246	157.17	50589	45936	90.80	50585	56180	111.06	97926	47460	48.47
12.	कर्नाटक	53299	49088	92.10	74029	39990	54.02	74023	87051	117.60	143311	108054	75.40
13.	केरल	29639	30817	103.97	41167	37094	90.11	41164	53133	129.08	79695	34124	42.82
14.	मध्य प्रदेश	42548	54544	128.19	59096	60222	101.91	59091	74651	126.33	114396	61085	53.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	83430	78427	94.00	115879	126117	108.84	115869	118611	102.37	224323	99575	44.39
16.	मणिपुर	4287	3460	80.71	5872	3379	57.54	5877	514	8.75	9439	2073	21.96
17.	मेघालय	7467	4183	56.02	10228	2271	22.20	10235	5619	54.90	16440	6362	38.70
18.	मिजोरम	1591	2178	136.90	2180	1918	87.98	2181	5179	237.46	3504	2561	73.09
19.	नागालैंड	4941	6321	127.93	6768	7491	110.68	6773	24717	364.93	10878	7848	72.15
20.	उड़ीसा	80228	81345	101.39	111431	140853	126.40	111422	62447	56.05	215715	67173	31.14
21.	पंजाब	11780	8250	70.03	16362	17992	109.96	16361	11700	71.51	31674	17934	56.62
22.	राजस्थान	34094	33397	97.96	47354	42517	89.79	47350	52654	111.20	91670	53392	58.24
23.	सिक्किम	945	1554	164.44	1294	1533	118.47	1295	1774	136.99	2080	1160	55.77
24.	तमिलनाडु	55389	27919	50.41	76932	103379	134.38	76925	94160	122.40	148929	93794	62.98
25.	त्रिपुरा	9621	10612	110.30	13178	12945	98.23	13187	26389	200.11	21182	6928	32.71
26.	उत्तर प्रदेश	183414	165469	90.22	254750	264296	103.75	254729	267543	105.03	493156	277633	56.30
27.	उत्तराखंड	8359	17239	206.23	11611	18766	161.62	11610	12696	109.35	22476	11192	49.80
28.	पश्चिम बंगाल	110667	128838	116.42	153709	107575	69.99	153697	123808	80.55	297564	162194	54.51
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1316	62	4.71	1828	297	16.25	1828	124	6.78	2750	92	3.35
30.	दादर और नगर हवेली	219	77	35.16	305	121	39.67	305	41	13.44	458	0	0.00
31.	दमन और दीव	98	8	8.16	136	12	8.82	136	0	0.00	205	0	0.00
32.	लक्षद्वीप	85	88	103.53	118	97	82.20	118	190	161.02	229	88	38.43
33.	पांडिचेरी	655	261	39.85	910	101	11.10	910	52	5.71	1370	22	1.61
	कुल	1533498	1498367	97.71	2127184	1992349	93.66	2127165	2134061	100.32	4052243	2118394	52.28

#02-03-2010 के अनुसार स्थिति।

स्वजलधारा योजना

1599. डॉ. संजय सिंह:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान स्वजलधारा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत कराए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में उक्त योजना के क्रियान्वयन में कोई अनियमितता लाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) स्वजलधारा योजना को वर्ष 2007-08 से समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद राज्यों को कोई निधियां आबंटित नहीं की गईं। वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान योजना के अंतर्गत निधियों के राज्यवार आबंटन, रिलीज तथा उपयोग और शुरू की गई योजनाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्यों में स्वजलधारा योजना के कार्यान्वयन में किसी अनियमितता की जानकारी नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	आबंटन (लाख रु. में)			रिलीज (लाख रु. में)			शुरू की गई योजनाओं की सं.		
		2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.01	27.00							
2.	आन्ध्र प्रदेश	4065.55	2880.00		3815.74	2622.02		496	289	
3.	अरुणाचल प्रदेश	933.61	597.00	243.00			182.00			
4.	असम	1571.29	1004.00		954.27			1781		
5.	बिहार	2232.74	2434.00	1809.00	1674.56		1357.00			
6.	छत्तीसगढ़	750.97	858.00							
7.	दादरा और नगर हवेली	16.67	17.00							
8.	दिल्ली	12.50	13.00							
9.	गोवा	28.05	33.00							
10.	गुजरात	2172.94	1838.00	15522.00	2172.45	1838.00	15522.00	196	226	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	हरियाणा	682.31	596.00		511.69			1		
12.	हिमाचल प्रदेश	1667.72	1420.64		148412	1300.81		182	246	
13.	जम्मू और कश्मीर	2900.60	3429.00	500.00	2237.73		375.00			
14.	झारखण्ड	1074.14	310.96		805.61	233.22		103	32	
15.	कर्नाटक	3005.31	2005.00		2750.48	1893.75		179	123	
16.	केरल	1046.19	914.00		963.52	814.55		89	51	
17.	मध्य प्रदेश	2696.24	2463.00		2062.26			429		
18.	महाराष्ट्र	5359.79	4737.00		4727.76			151		
19.	मणिपुर	320.93	205.00		318.62	164.50				
20.	मेघालय	366.77	234.00		275.08					
21.	मिजोरम	262.58	168.00		284.07			6		
22.	नागालैंड	361.24	173.00		364.62	92.34				
23.	उड़ीसा	2409.99	1354.00		2026.00			393		
24.	पुडुचेरी	12.50	13.00							
25.	पंजाब	580.45	537.00		562.14			11		
26.	राजस्थान	6179.16	3884.00	3406.00	5160.91	3038.97	2555.00	290	9	
27.	सिक्किम	112.53	72.00							
28.	तमिलनाडु	2306.82	1772.00		2241.41	106.92		495	31	
29.	त्रिपुरा	325.10	207.00		321.93	46.58		64	13	
30.	उत्तर प्रदेश	3608.10	4114.00		2933.72	2883.13		17	1	
31.	उत्तराखंड	1112.15	986.00		834.11	650.96		62	73	
32.	पश्चिम बंगाल	2585.18	2071.00		2023.65			15		
	कुल	50785.16	41366.60	21480.00	41506.45	15685.75	19991.00	4960	1094	117

निर्यात संवर्धन जोन

1600. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में चल रहे निर्यात प्रसंस्करण जोनों, विशेष आर्थिक जोनों, विदेश व्यापार जोनों तथा कृषि निर्यात जोनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन जोनों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जोनों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) स्थापित करने के संबंध में गुजरात से प्राप्त कुल 48 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिनमें से 30 को अधिसूचित कर दिया गया है। कुल 10 एस.ई.जेड. पहले से निर्यात कर रहे हैं। एस.ई.जेडों के वस्तु क्षेत्र, स्थान, क्षेत्रफल जैसे ब्यौरे वेबसाइट: www.sezindia.nic.in पर उपलब्ध है।

गुजरात में तीन कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड.) की स्थापना की गई है। इन ए.ई.जेडों में 30.33 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और उनसे 302.14 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात किए जा चुके हैं।

(ख) 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार गुजरात में एस.ई.जेडों. में 56,713 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा 47,324 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान गुजरात में एस.ई.जेडों से 23,931.50 करोड़ रुपए के कुल निर्यात किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान राज्य में एस.ई.जेडों द्वारा 67,052.15 करोड़ रुपए के निर्यात किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक जोन हेतु विकास आयुक्तों की अध्यक्षता में गठित अनुमोदन समितियों, जिनमें सीमाशुल्क, आयकर, राज्य सरकारों इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हैं, को एस.ई.जेड. इकाइयों के कार्य निष्पादन की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (ए.पी.आर.), तिमाही निष्पादन रिपोर्ट (क्यू.पी.आर.) तथा किराया वसूली के ब्यौरों की संवीक्षा शामिल है। स्कीम की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने अथवा किसी उल्लंघन के लिए विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

पोरबंदर पत्तन पर पोत परिवहन सुविधाएं

1601. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित विभिन्न राज्यों ने राज्यों में विभिन्न पत्तनों पर पोत परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण

1602. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक राज्य में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा उन जिलों का जहां अभी भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ है;

(ख) उक्त रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) शेष जिलों में इन रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस कार्य को करने के लिए सरकार ने संबंधित राज्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूची-II-राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 45 के अनुसार भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण राज्य का विषय है। तथापि,

केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में कार्य वर्ष 1987-88 में "राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने" के रूप में तथा वर्ष 1988-89 में "भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण" के रूप में आरंभ किए गए थे। इन दोनों योजनाओं को समेकित, विस्तृत किया गया था तथा वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) नामक विस्तृत योजना आरंभ की गई थी। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में हुई प्रगति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने भी भूमि संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों से राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है।

विवरण

भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जिलों की कुल सं.	जिलों की सं.	
			कम्प्यूटरीकृत	अंशतः कम्प्यूटरीकृत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	23	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	शून्य
3.	असम	27	14	13
4.	बिहार	38	2	36
5.	छत्तीसगढ़	18	2	16
6.	गुजरात	26	26	शून्य
7.	गोवा	1	1	शून्य
8.	हरियाणा	21	21	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	12	12	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	22	सभी जिलों में भूमि अभिलेखों की डॉटा एंट्री का कार्य शुरू किया जाना है। तथापि, इन-हाऊस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए 550 गांवों का पुनसर्वेक्षण करने के उपरांत उक्त गांवों के संबंध में कम्प्यूटर के जरिए अधिकारों के अभिलेख तैयार किए गए हैं।	
11.	झारखंड	4	3	1
12.	कर्नाटक	29	29	शून्य

1	2	3	4	5
13.	केरल	14	4	10
14.	मध्य प्रदेश	50	50	शून्य
15.	महाराष्ट्र	35	35	शून्य
16.	मणिपुर	9	3	6
17.	मेघालय	7	नक्शों के अंकीकरण के लिए निधियां जारी की गई थीं, जो पूरा हो चुका है।	
18.	मिजरोम	8	भूमि अभिलेखों के समस्त मानदण्डों को अपनाते हुए, सभी जिलों में, मुख्यतः 5 प्रकार के अभिलेख रखे जा रहे हैं। 3,34,782 भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।	
19.	नागालैण्ड	8	8	शून्य
20.	उड़ीसा	30	30	शून्य
21.	पंजाब	20	3	17
22.	राजस्थान	36	36	शून्य
23.	सिक्किम	4	4	शून्य
24.	तमिलनाडु	32	31	1
25.	त्रिपुरा	4	शून्य	4
26.	उत्तर प्रदेश	71	71	शून्य
27.	उत्तराखंड	13	13	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	18	6	12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	शून्य
30.	चण्डीगढ	1	1	शून्य
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	शून्य
32.	दिल्ली	7	7	शून्य
33.	दमन और दीव	2	2	शून्य
34.	लक्षद्वीप	1	शून्य	1
35.	पुडुचेरी	2	2	शून्य

भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार

1603. राजकुमारी रत्ना सिंह:

श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य देशों की तुलना में मध्य एशिया के साथ कम व्यापार होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन और सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत एवं मध्य एशिया के पांच देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

भारत एवं मध्य एशियाई देशों तथा अन्य देशों के बीच वस्तु-वार द्विपक्षीय व्यापार के ब्यौरे वाणिज्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.commerce.gov.in पर उपलब्ध है। द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार संभावना सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य विभाग ने इस संबंध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण नहीं किया है।

(च) विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत मध्य एशियाई देशों को फोकस बाजार स्कीम में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहन विदेश व्यापार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट http://dgft.gov.in पर उपलब्ध है।

विवरण

(मिलियन अम. डॉलर)

क्र. सं.	देश	2006-07		2007-08		2008-09	
		निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1.	कजाकिस्तान	83.18	88.30	111.99	76.78	131.68	159.03
2.	किर्गिस्तान	37.08	0.76	31.52	0.91	22.92	1.03
3.	ताजिकिस्तान	7.46	7.95	12.40	9.81	16.71	17.47
4.	तुर्कमेनिस्तान	33.99	11.95	36.09	8.55	41.40	12.10
5.	उज्बेकिस्तान	29.69	33.91	40.32	16.20	45.53	70.74
	कुल	191.40	142.87	232.32	112.26	258.23	260.36
	भारत के कुल व्यापार में प्रतिशत हिस्सा	0.15	0.08	0.14	0.04	0.14	0.09

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

भारत में यू.ए.ई. का व्यापार कार्यालय

1604. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) ने भारत में अपने व्यापार कार्यालय खोलने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किए गए द्विपक्षीय व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार कार्यालय की स्थापना के पश्चात द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु किन्हीं नए क्षेत्रों की पहचान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार को संयुक्त अरब अमीरात से भारत में व्यापार कार्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। व्यापार कार्यालय खोलने का निर्णय संबद्ध देश का आंतरिक निर्णय होता है और भारत सरकार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मूल्य मिलियन अम. डॉलर)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2006-07	12,021.77	8,655.28	20,677.05
2007-08	15,636.91	13,482.61	29,119.52
2008-09	24,477.48	23,791.25	48,268.72

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत

1605. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत आवंटन करने हेतु अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान पी.एम.जी. एस.वाई. के अंतर्गत किए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों और जनप्रतिनिधियों ने सड़कों के निर्माण की गारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात् सड़कों की मरम्मत के मद में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत प्रावधान करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) में हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) पर लगाए गए उपकर की 50% राशि को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। वर्ष 2000-01 में योजना आयोग द्वारा निधियों के आबंटन के लिए दिए गए फॉर्मूले के अनुसार राज्यों के मध्य इसका आबंटन किया जाता है। राज्यों को, उनकी तैयारी की स्थिति, चल रही परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की गति और कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमता के आधार पर अतिरिक्त निधियां मुहैया करवाई जाती हैं।

(ख) वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 के लिए उपकर घटक में से निधियों का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए उपकर का राज्यवार आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	2008-09	2009-10
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	105.00	89.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.00	48.68
3.	असम	181.00	154.58
4.	बिहार	337.00	287.81
5.	छत्तीसगढ़	240.00	204.97
6.	गोवा	5.00	1.71
7.	गुजरात	65.00	55.51
8.	हरियाणा	30.00	25.62
9.	हिमाचल प्रदेश	87.00	74.30
10.	जम्मू और कश्मीर	65.00	55.51
11.	झारखंड	175.00	149.45
12.	कर्नाटक	110.00	93.94
13.	केरल	30.00	25.62
14.	मध्य प्रदेश	440.00	375.77
15.	महाराष्ट्र	145.00	123.83
16.	मणिपुर	33.00	28.18
17.	मेघालय	45.00	38.43
18.	मिजोरम	32.00	27.33
19.	नागालैंड	30.00	25.62
20.	उड़ीसा	273.00	233.15
21.	पंजाब	35.00	29.89
22.	राजस्थान	234.00	200.70
23.	सिक्किम	30.00	25.62
24.	तमिलनाडु	90.00	76.86
25.	त्रिपुरा	40.00	34.16
26.	उत्तर प्रदेश	375.00	323.68
27.	उत्तराखंड	100.00	85.40
28.	पश्चिम बंगाल	226.00	193.01
	कुल	3615.00	3089.00

[अनुवाद]

अन्य देशों से अवांछित कालें

1606. डॉ. चरण दास महन्त:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक मोबाइल उपभोक्ताओं को पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों से अवांछित कालें आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कुछ मोबाइल उपभोक्ताओं को पाकिस्तान से मिस कॉलें प्राप्त हुई हैं। तदनुसार, संबंधित सेवा प्रदाताओं ने अपने उपभोक्ताओं को ऐसी कॉलों का प्रत्युत्तर न देने तथा अनजान कॉल करने वालों को अपने व्यक्तिगत ब्यौरे न बताने का परामर्श दिया है।

(ग) सरकार ने भी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पाकिस्तान के कतिपय टेलीफोन नंबरों से भारत में कॉल अवरुद्ध करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

पूर्ण स्वच्छता अभियान से वंचित गांव

1607. श्री अर्जुन मुंडा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखण्ड सहित देश के विभिन्न भागों में ऐसे गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो अभी भी पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) से वंचित है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में अनेक बीमारियां फैल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) भारत सरकार खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने तथा साफ वातावरण बनाए रखने के मुख्य उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.), एक व्यापक कार्यक्रम पहले से ही चला रही है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग जनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को इकाई माना जाता है। झारखंड के सभी 24 जिलों सहित देश में 593 जिला परियोजनाएं हैं। जिले में सभी ग्राम पंचायतों सहित जिला परियोजना में टी.एस.सी. दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता होती है। किसी अन्य जिले से टी.एस.सी. के अंतर्गत कोई भी नया प्रस्ताव भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों के परिवारों को सहायता

1608. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने तथा स्वास्थ्य परिचर्या सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर क्या तंत्र मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं की विधवाओं की उपेक्षा किए जाने, जिसकी हाल ही में खबर आई है को संज्ञान में लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों को केन्द्र स्तर पर रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि (आर.एम.डी.एफ.) से वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं। वीरता पुरस्कार पाने वालों को केन्द्रीय सरकार से इन पुरस्कारों से सम्बद्ध एक मासिक वित्तीय भत्ता भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कार्मिकों के लिए राज्यों की अपनी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो राज्य झण्डा दिवस निधियों में से संबंधित राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से मुहैया कराई जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एकमुश्त नकद अनुदान, जमीन के बदले जमीन/नकद राशि, वार्षिक वृत्ति इत्यादि जैसे लाभ भी दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वालों सहित सभी भूतपूर्व सैनिक पैंशनधारियों तथा उनके परिवारों/आश्रितों को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) में शामिल किया गया है।

(ख) परमवीर चक्र विजेताओं की विधवाओं की उपेक्षा किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एफ.सी. नेटवर्क

1609. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने देश में रक्षा बलों हेतु एक विशिष्ट एवं समर्पित ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) नेटवर्क बनाने का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) जी, हां। अवसंरचना

संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.आई.) ने 3 दिसंबर, 2009 को आयोजित बैठक में दिसंबर, 2012 तक स्पेक्ट्रम निर्मुक्त करने के संबंध में रक्षा सेवाओं के लिए एक अनन्य और विशिष्ट ओ.एफ.सी. संचार नेटवर्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। सी.सी.आई. ने 9175.16 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया है जिसमें वायुसेना के नेटवर्क के लिए 1077.16 करोड़ रुपए और सेना तथा नौ सेना के नेटवर्क के लिए 8098 करोड़ रुपए शामिल हैं।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा एम.जी.एन. आर.ई.जी.एस. का कार्यान्वयन

1610. श्री जयराम पांगी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई. जी.एस.) को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं के कार्य में तेजी लाने हेतु सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) जी, हां। पंचायतों का पुनरूद्धार करने और मनरेगा की आयोजना एवं कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि लोगों को आजीविका गारंटी दी जा सके और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों यथा - मृदा एवं जल संरक्षण के जरिए प्रतिकूल जलवायुवीय स्थितियों का सामना किया जा सके। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक कर्मचारी एवं अवसंरचना के जरिए पंचायतों को समर्थ बनाने, परियोजनाओं के निष्पादन तथा अधिनियम के कार्यान्वयन की अन्य प्रक्रियाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा और निगरानी सहित पारदर्शिता एवं जवाबदेही में उनकी भूमिका के संबंध में दिए गए विशिष्ट सुझावों पर विचार करें।

[हिन्दी]

ग्राहक सेवा नम्बर पर प्रभार

1611. श्री राकेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मोबाइल कम्पनियां उपभोक्ताओं द्वारा उनके ग्राहक सेवा नम्बर पर कॉल किए जाने के लिए भी प्रभार वसूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई कार्रवाई करने का है ताकि ये कम्पनियां अपने उपभोक्ताओं को निःशुल्क ग्राहक सेवा मुहैया कराएं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) देश में दूरसंचार प्रशुल्क का विनियमन का दायित्व 1997 के ट्राई अधिनियम के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दिया गया है। ट्राई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल सेंटर नंबर पर की गई कालें निःशुल्क हैं। यदि उपभोक्ता इंटरएक्टिव वाइज रेस्पान्स (आई.वी.आर.) के माध्यम से सूचना चाहता है तथा उपभोक्ता सहायता एजेंट से बात करने का विकल्प नहीं चुनता है तो उस स्थिति में सूचना/ जानकारी मांगने के लिए उपभोक्ता सहायता नंबर पर की गई कालें भी निःशुल्क हैं। तथापि, यदि उपभोक्ता, उपभोक्ता सहायता एजेंट से बात करने का विकल्प चुनता है तो ऐसी कालें भुगतान योग्य हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट

1612. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलायची, काली मिर्च इत्यादि जैसी और अधिक फसलें शामिल करके मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट (पी.एस.एफ.टी.) का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) यद्यपि सरकार इस चरण पर पी.एस.एफ.टी. की पुनर्संरचना पर विचार नहीं कर रही है तथापि उसकी संगतता और प्रभावोत्पादकता को स्थापित करने के मद्देनजर वह न्यास की स्कीमों के निष्पादन की निगरानी करती है। इस समीक्षा के एक हिस्से के रूप में सरकार फसल बीमा स्कीम पर विचार कर रही है।

ग्राम पंचायत विनियमन

1613. श्री पबन सिंह घाटोवार: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में काफी संख्या में गांव ग्राम पंचायत विनियमन के अंतर्गत शामिल नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सभी राजस्व गांव अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994 के तहत शामिल हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जनजातीय गांव अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (जनजातीय परिषद्) विनियमन, 2009 के तहत शामिल है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति तथा आवास गारंटी योजना

1614. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति तथा आवास गारंटी योजना तैयार की गयी है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य हेतु प्रस्तावित निधि आवंटन कितना है;

(ग) क्या सरकार को इस मुद्दे पर कतिपय पक्षों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा इसके अंतर्गत अनुमानतः कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) जी, नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आरःई.जी.एस.) की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आवास नीति तथा आवास गारंटी योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों, बैंकर्स इत्यादि सहित स्टैक होल्डरों से व्यापक सलाह करने के बाद मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आवास तथा पर्यावास नीति का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित निधि का उद्देश्य "सरकारी सहायता बढ़ाकर, सामुदायिक भागीदारी, स्वसहायता तथा पंचायती राज के ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर सभी को पर्याप्त तथा किफायती मकान मुहैया कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और बृहत पर्यावास के विकास को आसान बनाना है।"

नीति के प्रारूप पर योजना आयोग से सलाह-मशवरा किया जा रहा है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव

1615. श्री एम. आनंदन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत निधियों के आवंटन हेतु पश्चिम बंगाल के कृषि विकास शिल्प केन्द्र सहित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) जी, हां। मनरेगा के अंतर्गत कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के आबंटन के संबंध में स्वैच्छिक संगठन तत्सील जाति आदिवासी प्रकाटन सैनिक, कृषि विकास शिल्प केन्द्र, जिला वीरभूम, पश्चिम बंगाल का अभ्यावेदन मंत्रालय को

प्राप्त हुआ है। चूंकि इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए इस प्रस्ताव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

पदों को परिवर्तित करना

1616. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों (समूह ख) के करीब 3500 पदों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों से 35 प्रतिशत विभागीय कोटा में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीधी भर्ती कोटे को विभागीय कोटे में परिवर्तित करने हेतु सरकार के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति ली गयी है;

(ग) क्या 3500 पदों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा से 35 प्रतिशत विभागीय कोटा में परिवर्तित करने में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के मिलने वाले हिस्से व हितों के रक्षार्थ भारत के संविधान में विद्यमान आरक्षण प्रावधानों का अनुपालन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार कम्पनियों की लेखापरीक्षा

1617. **श्री राजैया सिरिसिल्ला:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ दूरसंचार कम्पनियों हेतु विशेष लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कराने की समय-सीमा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लेखापरीक्षा कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) लेखा परीक्षकों को भारती एयरटेल लि., वोडाफोन एस्सार लि. तथा आइडिया सेल्यूलर लि. के मामले में 28 फरवरी, 2010 तक और टाटा टेलीकॉम कंपनीज के मामले में 15 मार्च तक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया था।

(ग) भारतीय एयरटेल लि., वोडाफोन एस्सार लि. और आइडिया सेल्यूलर लि. के मामले में मार्च 2010 में जबकि टाटा टेलीकॉम कंपनीज के मामले में अप्रैल, 2010 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने कि संभावना है।

वस्त्र मिलों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान न किया जाना

1618. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित देश में बंद/परिसमाप्त वस्त्र मिलों के कर्मचारियों की भविष्य निधि (पी.एफ.) की बकाया राशि उक्त मिलों के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मिलों के नाम तथा उन पर बकाया भविष्य निधि सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त बकायों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) बंद और परिसमाप्त प्रतिष्ठानों के संबंध में कामगारों के अंशदान की बकाया राशि का भुगतान विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) से किया जाता है।

जब भी ऐसे प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारियों से दावे प्राप्त होते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित क्षेत्र कार्यालय से अनुरोध प्राप्त होने पर एस.आर.एफ. से आबंटन किया जा रहा है।

गुजरात की कपड़ा मिलों सहित बंद/परिसमाप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की देय राशियों के भुगतान हेतु एस.आर.एफ. से निम्नानुसार निधियां आबंटित की गई थीं।

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
2007-08	255.00
2008-09	395.81

मसाला बाजार

1619. श्री संजय भोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के मसाला बाजार में भारत की स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का मसाला निर्यात किया गया;

(ग) क्या इन उत्पादों के उत्पादन और विपणन में निजी भागीदारी को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है तथा वर्तमान में 145 देशों को मसालों तथा मसाला उत्पादों के निर्यात से मात्रा के रूप में विश्व मसाला बाजार में उसका 47% हिस्सा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2006-07	3,73,750	3575.75
2007-08	4,44,250	4435.50
2008-09	4,70,520	5300.25

(ग) और (घ) जी, हां। मसालों का निर्यात मुख्य रूप से निजी निर्यातकों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मसाला बोर्ड के पास 2653 निर्यातक पंजीकृत हैं। मसाला बोर्ड द्वारा मसाला कृषकों के लिए सड़क, जल, विद्युत आदि जैसी साझा अवसंरचनाएं और सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं भण्डारण जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख मसाला उत्पादक केन्द्रों में मसाला पार्कों की स्थापना की जा रही है। निर्यातकों को भी इन पार्कों में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की अनुमति दी गई है ताकि वे बिचौलियों को हटाकर सीधे कृषकों से ताजी कच्ची सामग्री प्राप्त कर सकें। इससे कृषकों के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित होंगी और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का निर्यात

1620. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान ताजा फलों और सब्जियों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान का तत्संबंधी मात्रावार और मूल्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु कोई योजना शुरू की है/कोई रणनीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उत्पादकों के साथ कोई बातचीत की है अथवा देश से फल और सब्जियों के निर्यात की संभाव्यता का आकलन करने हेतु कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान देश से फलों और सब्जियों के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मी. टन; मूल्य: लाख रुपए)

उत्पाद	2007-08		2008-09		2008-09* (अप्रैल-सितम्बर, 08)		2009-10* (अप्रैल-सितम्बर, 09)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सब्जियां	1258843	152527	2175471	250772	उपलब्ध नहीं	98485	उपलब्ध नहीं	129385

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फल	265731	91185	470795	115143	उपलब्ध नहीं	93274	उपलब्ध नहीं	106485

स्रोत: एपीडा *अनंतिम

एन.ए. - उपलब्ध नहीं।

(ग) और (घ) सरकार, फलों और सब्जियों सहित वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक उपाय के रूप में एपीडा के जरिए पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। एपीडा अपनी अवसंरचना विकास स्कीम, गुणवत्ता विकास स्कीम, बाजार विकास स्कीम तथा अनुसंधान एवं विकास स्कीम के माध्यम से फलों और सब्जियों सहित निर्यातों में वृद्धि करने हेतु प्रयास करता रहा है। सरकार ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम की घोषणा की है और वह बागवानी उत्पादों के संवर्धन हेतु कार्यकलापों के लिए उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकारें भी बागवानी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं।

(ङ) और (च) पूर्ववर्ती निर्यात निष्पादन के आधार पर एपीडा के माध्यम से सरकार ने वर्ष 2010-11 में 4115 करोड़ रुपए के ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहन

1621. श्री नित्यानंद प्रधान:

श्री वैजयंत पाण्डा:

श्री पी.बलराम:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चमड़ा उद्योग में श्रमशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु नए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वित्तपोषण के स्रोत सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों की तुलना के संदर्भ में गुणवत्ता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी कठोर मानदंडों को पूरा करने हेतु परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार चमड़ा/चमड़ा उत्पाद उद्योग को बढ़ावा दे रही है और उसे प्रोत्साहन/रियायती ऋण दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार चमड़ा उद्योग में जनशक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) के अन्तर्गत तीन उप योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इन उप योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	उप-योजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन (रुपये करोड़ में)	वित्तपोषण के स्रोत	वह स्थान जहां केन्द्र स्थापित है
1	2	3	4	5
1.	फुटवियर (डिजाइन तथा विकास संस्थान	7.17	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) के अन्तर्गत	उत्तर प्रदेश में फुर्सतगंज

1	2	3	4	5
	(एफ.डी.डी.आई.), फुर्सतगंज 7.17		केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	
2.	संस्थागत सुविधाओं का उन्नयन तथा स्थापना	300.07	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	तमिलनाडु के चैन्नई, पश्चिम बंगाल के कोलकाता तथा हरियाणा के रोहतक में एफ.डी.डी.आई. की तीन शाखाएं स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा, नोएडा स्थित एफ.डी.डी.आई. की मौजूदा शाखा को उन्नत किया जायेगा।
3.	मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	24.88	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	मध्य प्रदेश में छिन्दवाडा

(ग) और (घ) चमड़ा उद्योग के लिए परीक्षण सुविधाएं केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चैन्नई तथा जालंधर, कोलकाता तथा कानपुर स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्रों; नोएडा तथा फुर्सतगंज स्थित फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान; तथा चैन्नई स्थित फुटवियर कंपोनेंट पार्क में परीक्षण केन्द्र पर हैं। चमड़ा उद्योग के पर्यावरण संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई.एल.डी.पी. के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के परिव्यय से "पर्यावरण पहलें नामक" एक उपयोजना क्रियान्वित कर रही है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आई.एल.डी.पी. के अन्तर्गत 253.43 करोड़ रुपये के परिव्यय से "चमड़ा क्षेत्र का एकीकृ-त विकास" नामक एक उप योजना को क्रियान्वित कर रही है। इस उपयोजना के अन्तर्गत चमड़ा इकाइयों को लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के लिए 30 प्रतिशत की दर से तथा गैर लघु उद्योगों के लिए 20 प्रतिशत की दर से 50 लाख रुपये तक निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। 50 लाख रुपये से अधिक सहायता 2 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के अन्दर 20 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है।

जलचर के आयात पर प्रतिबंध

1622. श्री एस. सेम्मलई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोपीय संघ (ई.यू.) एन्टीबायटिक अवशिष्ट की उपस्थिति की वजह से भारत से जलचर झींगों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुणवत्ता वाले झींगों का निर्यात सुनिश्चित करने और प्रतिबंध से बचने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

1623. श्री हर्ष वर्धन:
श्री पी. बलराम:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात का राज्य-वार और मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनको लौह अयस्क का निर्यात होता है तथा यह निर्यात किस दर पर होता है;

(ग) क्या उक्त निर्यात की मात्रा और दर का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने लौह अयस्क फाइन्स तथा पिण्ड पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात ड्यूटी लगाई है या इसका लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) लौह अयस्क की लगभग समग्र मात्रा की खरीद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और झारखंड राज्यों से की जाती है और विशाखापत्तनम, चेन्नई, इन्नौर, गोवा, पारादीप, हल्दिया, कृष्णापत्तनम आदि पत्तनों से इसका निर्यात किया जाता है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त लौह अयस्क के भंडारण और मिश्रण का कार्य विभिन्न पत्तनों पर किया जाता है जिससे उसकी पृथक राज्य-वार पहचान खत्म हो जाती है। अतः लौह अयस्क के निर्यात के राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान लौह अयस्क के पत्तन-वार निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का लौह अयस्क का देश-वार निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र से निर्यात का संबंध है, एम.एम.टी.सी. द्वारा जापान तथा दक्षिण कोरिया को दीर्घावधिक करारों के अंतर्गत लौह अयस्क का निर्यात बेंचमार्क कीमतों पर किया जा रहा है जिनका निर्धारण प्रत्येक वर्ष किया जाता है और वे पूरे वर्ष लागू रहती हैं। चीन को होने वाले निर्यात के लिए कीमतों का निर्धारण सौदा-दर-सौदा आधार पर किया जाता है। वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान चीन को निर्यातित मध्यम ग्रेड के फाइन्स की औसत कीमत और जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यातित लम्प्स एवं फाइन्स हेतु एम.एम.टी.सी. की कीमतें संलग्न विवरण-III में दर्शायी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) जी, हां। लौह अयस्क के निर्यातों को विनियमित करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को लौह अयस्क फाइन्स पर मूल्यानुसार 5% की दर से निर्यात शुल्क लागू किया गया और लौह अयस्क लम्प्स पर निर्यात शुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% किया गया था। वर्तमान में लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय इस्पात संयंत्रों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से लौह अयस्क के निर्यात पर निगरानी रखने का सुझाव दिया गया है।

विवरण-I

लौह अयस्क का पत्तन-वार निर्यात

(मात्रा लाख टन)

पत्तन	2006-07	2007-08	2008-09 (अनन्तिम)
1	2	3	4
बेलेकेरी	41.22	45.77	18.45
चेन्नई	103.50	105.51	82.81
इन्नौर	17.19	21.94	11.11
हल्दिया	78.49	95.61	85.84
काकीनाड़ा	38.13	34.62	18.26

1	2	3	4
करवर	14.90	16.86	21.76
कृष्णापत्तनम	5.50	19.99	62.40
गोवा	405.37	395.52	455.89
मुम्बई-रेवडांडा जेट्टी	3.15	0.49	2.76
न्यू मंगलौर	52.40	81.40	74.13
पारादीप	119.48	127.17	136.67
रेडी पत्तन	4.30	4.54	5.29
विजाग	54.27	93.28	83.28
कुल	937.90	1042.70	1058.65

स्रोतः गोवा खनिज अयस्क निर्यातक एसोसिएशन (जी.एम.ओ.ई.ए.), कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (के.आई.ओ.सी.एल.) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.), एम.एम.टी.सी. लि.

विवरण-II

लौह अयस्क का देश-वार निर्यात

(मात्रा लाख टन)

देश	2006-07	2007-08	2008-09 (अनन्तिम)
चीन	801.60	919.82	978.48
जापान	86.32	77.03	54.29
दक्षिण कोरिया	19.08	17.63	9.86
यूरोप	20.69	16.18	7.55
अन्य	10.21	12.04	8.47
कुल	937.90	1042.70	1058.65

विवरण-III

लौह अयस्क निर्यात की बैंचमार्क कीमतें तथा मौके पर कीमतें

वर्ष		मूल्य मिलियन अम. डॉलर में/डी.एम.टी. एफ.ओ.बी. आधार	
1	2	3	
2006-07	बेंचमार्क	बैला लम्प	59.08

1	2	3	
		डोनी लम्प	57.08
		बैला फाइन्स	45.83
		डोनी फाइन्स	45.83
	मौके पर कीमतें - रेंज	लौह अयस्क फाइन्स	51-65
2007-08	बेंचमार्क	बैला लम्प	64.68
		डोनी फाइन्स	62.50
		बैला फाइन्स	50.19
		डोनी फाइन्स	50.19
	मौके पर कीमतें-रेंज	लौह अयस्क फाइन्स	65-157
2008-09	बेंचमार्क	बैला लम्प	127.10
		डोनी लम्प	122.82
		बैला फाइन्स	90.28
		डोनी फाइन्स	90.28
	मौके पर कीमतें-रेंज	लौह अयस्क फाइन्स	52-145

टिप्पणी: (1) बेंचमार्क कीमतें पूरे वर्ष के लिए तय की जाती हैं और वर्ष के दौरान उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(2) मौके पर कीमतें 63.5/63% लौह तत्व वाले ग्रेड के लौह अयस्क फाइन्स के लिए हैं। ये कीमतें वर्ष के दौरान सौदा-दर-सौदा आधार पर परिवर्तित होती रहती हैं।

(3) लम्प्स की मौके पर कीमतें उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनायें

1624. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए धनराशि की अनिवार्य प्रतिशतता को खर्च करने में विफल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण/उत्थान के लिए योजनाओं पर प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि राज्य-वार और वर्ष-वार व्यय की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं कि इन योजनाओं के लिये निर्धारित निधियां निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत खर्च किए जाएं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) अनुसूचित जाति उपयोजना (पूर्व में विशेष संघटक योजना के नाम से ज्ञात) को तैयार करने, कार्यान्वित करने और इसका अनुश्रवण करने के दिशा-निर्देशों, जिन्हें अक्तूबर, 2005 में योजना आयोग द्वारा जारी किया गया था, के अनुसार राज्य सरकारों/संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या के कम से कम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के समानुपात में कुल राज्य योजना परिव्यय में से अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए निधियां निर्धारित करें।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक आबंटित निधियों के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत निधियों के निर्धारण की समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत आबंटन का 25% अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत के समानुपात में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत निधियों के निर्धारण में उनके निष्पादन के आधार पर जारी किया जाता है।

विवरण

वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति जनसंख्या (2001 जनगणना)	वार्षिक योजना 2007-08			वार्षिक योजना 2008-09			वार्षिक योजना 2009-10		
			कुल परिव्यय	कुल अनुमोदित परिव्यय		कुल परिव्यय	कुल अनुमोदित परिव्यय		कुल परिव्यय	कुल अनुमोदित परिव्यय	
				अनु.जा. उपयोजना	%		अनु.जा. उपयोजना	%		अनु.जा. उपयोजना	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.20	30500.00	4355.90	14.28	44000.00	7630.42	17.34	33496.75	5243.17	15.65
2.	असम	6.90	3800.00	81.09	2.13	5011.51	100.70	2.01	6000.00	115.67	1.93
3.	बिहार	15.70	10200.00	2131.21	20.89	13500.00	2428.26	17.99	16000.00	2721.02	17.01
4.	छत्तीसगढ़	11.60	7413.72	2722.31	36.72	9600.00	0.00	0.00	10947.76		
5.	गोवा	1.80	1430.00	25.74	1.80	1737.65	13.52	0.78	2240.00	16.15	0.72
6.	गुजरात	7.10	16000.00	1134.40	7.09	21000.00	186.50	0.89	23500.00	1294.94	5.51
7.	हरियाणा	19.30	5300.00	1023.00	19.30	6650.00	1433.27	21.55	10000.00	1493.21	14.93
8.	हिमाचल प्रदेश	24.70	2100.00	231.00	11.00	2400.00	594.00	24.75	2700.00	668.00	24.74
9.	जम्मू और कश्मीर	7.60	4850.00	368.6	7.60	4500.00	0.00	0.00	5500.00	319.73	5.81
10.	झारखंड	11.80	6676.00	3539.70	53.02	8015.00	1012.75	12.64	8200.00	852.86	10.40
11.	कर्नाटक	16.20	17782.58	2916.40	16.40	26188.83	3232.45	12.34	29500.00	निर्दिष्ट नहीं	निर्दिष्ट नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	केरल	9.80	6950.00	681.80	9.81	7700.47	755.95	9.82	8920.00	875.12	9.81
13.	मध्य प्रदेश	15.20	12011.00	2745.88	22.86	14182.61	2209.81	15.58	16174.17	2499.61	15.45
14.	महाराष्ट्र	10.20	20200.00	2060.00	10.20	25000.00	2332.80	9.33	*	*	*
15.	मणिपुर	2.80	1374.31	33.04	2.40	1660.00	48.30	2.91	2000.00	58.06	2.90
16.	उड़ीसा	16.50	5105.00	843.96	16.53	7500.00	1239.75	1653	9500.00	1563.03	16.45
17.	पंजाब	28.90	5111.00	1330.00	26.02	6210.00	1792.00	28.86	8600.00	2488.31	28.93
18.	राजस्थान	17.20	11638.87	1787.77	1536	14000.00	2081.80	14.87	17322.00	2735.49	15.79
19.	सिक्किम	5.02	691.14	34.70	5.02	852.00	42.60	5.00	1045.00		
20.	तमिलनाडु	19.00	14000.00	1649.85	11.78	16000.00	2379.20	14.87	8051.67	1521.45	18.90
21.	त्रिपुरा	17.40	1220.00	205.22	16.82	1450.00	242.19	16.70	1680.00	280.11	16.67
22.	उत्तर प्रदेश	21.10	25000.00	5307.00	21.23	35000.00	7430.00	21.23	39000.00	8275.00	21.22
23.	उत्तरांचल	17.90	4378.63	749.82	17.12	4775.00	854.73	17.90	*	*	*
24.	पश्चिम बंगाल	23.00	9150.00	2328.83	25.45	11602.38	2677.83	23.08	14150.00	3258.37	23.03
25.	चंडीगढ़	17.50	269.91	46.72	17.31	304.65	45.98	15.09	319.22	55.92	17.52
26.	दिल्ली	16.90	9000.00	1525.13	16.95	10000.00	1694.51	16.94	10000.00	1782.39	17.82
27.	पांडिचेरी	16.20	1455.00	235.71	0.00	1750.00	283.33	16.19	2250.00	176.83	7.86
	समस्त भारत	16.20	233607.16	40094.78	17.16	300590.10	42742.29	14.22	287096.57	38294.44	13.34

*महाराष्ट्र और उत्तरांचल राज्यों की बैठकें नहीं हुई।

खान श्रमिकों/कामगारों का स्वास्थ्य

1625. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान में लगे हुये श्रमिकों/कामगारों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं तथा इन खान कार्मिकों के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) देश में इन खान कार्मिकों को क्या चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) हालांकि सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी. एम.एस.) द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है, तथापि, कोयला खनन कम्पनियों द्वारा किए गए निरीक्षणों, जांचों और दी गई सांविधिक सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि सिलीकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस दो आम व्यावसायिक बीमारियां हैं और तदनुसार, सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हैं। इसके अलावा, कोयला खान विनियम,

1957 के अंतर्गत धूल, धूल नियंत्रण हेतु निष्पादन उपायों, धूल नियंत्रण हेतु उपायों संबंधी जांचों, पत्थर धूल बाधाओं, वातायन के मानक वायु प्रवाह के वेग के लिए पूर्वोपायों संबंधी व्यापक उपबंध मौजूद हैं। इसी प्रकार, धातुमय खान विनियम, 1961 के अंतर्गत व्यापक उपबंध मौजूद हैं। निरीक्षणों तथा पूछताछ के दौरान इन उपबंधों का सख्ती से पालन किया जाता है और जहां भी आवश्यकता होती है उपचारात्मक उपाय शुरू किए जाते हैं।

(घ) खान नियमावली, 1955 के अंतर्गत खानों में नियोजित व्यक्तियों के लाभ के लिए चिकित्सा सुविधाओं में प्राथमिक सहायता केन्द्रों तथा प्राथमिक सहायता कक्षों का प्रावधान किया जाना सांविधिक अनिवार्यता है। प्रत्येक कामगार नियोजन पूर्व आरंभिक चिकित्सा जांच करवाने तथा उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में एक बार कर्मचारी के कार्यस्तर/स्थिति पर विचार किए बिना आवधिक चिकित्सा जांच करवाने के शर्तों के अध्यधीन है।

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

1626. श्री रामकिशुन:

श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कितना लक्ष्य हासिल किया गया है और इस उद्देश्य के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये योजनायें अपने निर्धारित लक्ष्यों से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना के सुगम क्रियान्वयन तथा यह सुनिश्चित करने कि योजनाओं के लाभ लक्षित लोगों तक पहुंचे, क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित योजनाओं के लिए मंत्रालय का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का आबंटन क्रमशः 10096.21 करोड़ रुपये और 965.00 करोड़ रुपये है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का आबंटन और किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2006-07	1250.10	1316.30	86.99	100.37
2007-08	1521.50	1716.20	149.50	174.30
2008-09	1815.50	1807.00	202.50	249.24
2009-10	1900.00	1443.00 (19-02-10 के अनुसार)	205.00	200.47 (03-02-2010 के अनुसार)

उपर्युक्त आंकड़ों से आबंटन की तुलना में व्यय की गति किसी प्रकार से सुस्त नहीं दिखाई पड़ती।

(घ) योजनाओं को निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। इनके कार्यान्वयन की समीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ तथा संबंधित अभिकरणों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है।

हेलीकॉप्टर की खरीद

1627. श्री प्रदीप माझी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायु सेना के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिर्माताओं के चयन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदण्ड का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसकी खरीद पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) खरीद कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर मैसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टर मैसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस से, और अति विशिष्ट व्यक्तियों के परिवहन के लिए हेलिकॉप्टर मैसर्स अगोस्टा वैस्टलैंड, यू.के. से अधिप्राप्त करने के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विक्रेताओं से अतिरिक्त मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टरों, आक्रामक हेलिकॉप्टरों, हल्को उपयोगी हेलिकॉप्टरों, हैवी लिफ्ट हेलिकॉप्टरों और टोही तथा निगरानी हेलिकॉप्टरों के अधिप्राप्ति संबंधी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। ये सभी अधिप्राप्तियां भारतीय वायुसेना द्वारा तैयार की गई संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर आधारित है। अधिप्राप्तियों पर व्यय संबंधी जानकारी केवल वाणिज्यिक प्रस्तावों के सामने आने पर ही पता चलेगी।

(ङ) सभी पूंजीगत अर्जनों पर कार्रवाई रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 में ऐसी बड़ी पूंजीगत अधिप्राप्तियों को अंतिम रूप देने के लिए 20-34 माह की समय-सीमा की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

1628. श्री वैजयंत पांडा:

श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद की तर्ज पर किसी नये डिजाइन संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नये संस्थानों की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय डिजाइन नीति में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र/पिछड़े राज्यों जैसे उड़ीसा जहां परम्परागत कला/शिल्प/हस्तकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत है, पर ध्यान देने की परिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 8 फरवरी, 2007 को घोषित राष्ट्रीय डिजाइन नीति में भारतीय डिजाइन शिक्षा को उत्कृष्टता के वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। इस नीति के कार्यान्वयन की कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - एन.आई.डी. अहमदाबाद की तर्ज पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों की स्थापना करना तथा चुनिंदा स्थानों/औद्योगिक क्लस्टरों/पिछड़े राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर में डिजाइन केंद्र/नवप्रयोग के हब स्थापित करने हेतु एक योजना तैयार करना। तदनुसार, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम में से हर राज्य में चार-चार संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

1629. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों विशेषकर राजस्थान को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत देय निधियों की दूसरी किस्त जारी कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि जारी की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान समेत सात राज्यों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त चालू वर्ष के दौरान जारी कर दी गई है। स्कीम के तहत दूसरी किस्त के तौर पर चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिनांक 28 फरवरी, 2010 के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत 2 सरे किस्त के तौर पर चालू वर्ष (वर्ष 2009-10) के दौरान निर्मुक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	घटक	राशि (करोड़ रु.)
1.	असम	संसाधन केंद्र	2.37
2.	बिहार	प्रशिक्षण	3.28
3.	हिमाचल प्रदेश	प्रशिक्षण	1.07
		संसाधन केंद्र	3.82
4.	तमिलनाडु	प्रशिक्षण	2.36
5.	पश्चिम बंगाल	प्रशिक्षण	1.59
6.	मणिपुर	अवसंरचना विकास	0.94
7.	राजस्थान	अवसंरचना विकास	3.00
	योग		18.43

जम्मू और कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल फोन

1630. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

श्री प्रदीप माझी:

श्री पी. बलराम:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

चौधरी लाल सिंह:

श्री मिलिंद देवरा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल फोन सेवाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नया सत्यापन दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र में नए मोबाइल कनेक्शन (प्री-पेड और पोस्ट-पेड) जारी करने और विद्यमान प्री-पेड मोबाइल उपभोक्ताओं का पुनः सत्यापन करने के पश्चात री-चार्ज सुविधा प्रदान करने के संबंध में 20-01-2010 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन संशोधित दिशा-निर्देशों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र में दिनांक 30-10-2009 के अनुदेश के तहत प्री-पेड सिम कार्डो के नवीकरण और बिक्री पर 01-11-2009 से लगाया गया निलंबन दिनांक 20-1-2010 से वापस ले लिया गया है।

विवरण

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

(ए.एस.-IV प्रकोष्ठ)

20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 842-1070/2009-ए.एस.-IV/63 दिनांक: 20 जनवरी 2010

(i) भारत संचार निगम लि.
भारत संचार भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110 001

(ii) भारती एयरटेल लि.
यूनिटेक वर्ल्ड साइबर पार्क,
टावर-ए, चौथा तल,
सेक्टर, 39, गुड़गांव-122 001

(iii) डिशनेट वायरलेस लि.
5वां तल, डी.एल.एफ. साइबर सिटी,
बिल्डिंग नं. 10-ए,
गुड़गांव-122 001

(iv) रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.
15वां तल, विजय बिल्डिंग,
17 बाराखंबा रोड, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110 001

(v) वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.
सी-48, ओखला औद्योगिक क्षेत्र
फेज-II, नई दिल्ली-110 020.

(vi) वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लि.
चौथ तल, 248, फेस-IV, उद्योग विहार,
गुड़गांव-122 015

(vii) आइडिया सेल्यूलर लि.
1005-6, 10वां तल, कैलाश बिल्डिंग
26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

(viii) लूप टेलीकॉम लिमिटेड
708-709, प्रकाश दीप बिल्डिंग,
7, टॉलस्टॉय मार्ग, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110 001

(ix) एस टेल प्रा. लि.
प्रथम तल, टावर-बी
यूनिटेक साइबर पार्क, सेक्टर-39
गुड़गांव-122 001

(x) सिस्टेमा श्याम टेली सर्विसेज लि.
10वां तल, टावर-I
जीवन भारती, कनाट सर्कस
नई दिल्ली-110 001

(xi) टाटा टेलीसर्विसेज लि.
10वां तल, टावर-I, जीवन भारती, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110 001

(xii) यूनिटेक वायरलेस (नार्थ) प्रा. लि.,
दि मास्टरपीस, प्लाट नं. 10,
गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54,
डी.एल.एफ. फेज-V, आई.बी.आई.एस. होटल के सामने गुड़गांव-122 002

विषय: जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र में नए मोबाइल कनेक्शन (प्री-पेड और पोस्ट-पेड) जारी करना और विद्यमान उपभोक्ताओं का पुनः सत्यापन करना।

इस कार्यालय के दिनांक 30 अक्तूबर, 2009 के कार्यालय आदेश सं. 842-1070/2009-ए.एस.-IV के अधिक्रमण में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि:

(i) संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र में प्री-पेड मोबाइल सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

(ii) पुनः सत्यापन पूरा होने के पश्चात विद्यमान प्री-पेड उपभोक्ताओं को री-चार्ज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(iii) जम्मू और कश्मीर सेवा क्षेत्र में विद्यान प्री-पेड उपभोक्ताओं के पुनःसत्यापन और नए प्री-पेड और पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए नए उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(iv) मोबाइल सेवा प्रदाताओं से इन संशोधित दिशा-निर्देशों का तत्काल प्रभाव से सत्यनिष्ठा से पालन करने की अपेक्षा है।

(शशि मोहन)
निदेशक (एस-IV)
दूरभाष: 23372063/फैक्स: 23372404

संलग्नक: यथोपरि

प्रति:

1. सचिव, ट्राई, नई दिल्ली
2. उप महानिदेशक (एस), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली
3. उप महानिदेशक (ए.एस.-I)
4. उप महानिदेशक (टी.ई.आर.एम.), जम्मू और कश्मीर, जम्मू
5. संयुक्त सचिव (आई.एस.), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. संयुक्त निदेशक (श्री आर.एन. बेहुरा), गृह मंत्रालय, 35, एस.पी. मार्ग, नई दिल्ली
7. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

अनुबंध-I

जम्मू और कश्मीर में प्री-पेड और पोस्ट-पेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन जारी करने और पुनः सत्यापन तथा सत्यापन के लिए दिशा-निर्देश

1. जम्मू और कश्मीर में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की अनुमति शेष देश में इसकी शुरुआत के 8 वर्ष के पश्चात, वर्ष 2003 में दी गई थी। मेबाइल टेलीफोनों के उपयोग (दुरुपयोग) पर वर्ष 2004 से सतर्कतापूर्वक निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय सरकार के पास उपलब्ध आसूचना संबंधी जानकारी यह दर्शाती है कि मोबाइल टेलीफोन, विशेषतः प्री-पेड मोबाइल टेलीफोनों का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) से कार्यरत आतंकवादी संगठनों सहित, जम्मू और कश्मीर में स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा

बहुतायत में उपयोग किया जाता है। यह भी नोटिस किया गया है कि मोबाइल टेलफोन कनेक्शन, विशेषतः प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन में अत्यधिक लापरवाही है और ऐसी लापरवाही आतंकवादियों द्वारा मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के दुरुपयोग का कारण बनती है। अतः सरकार ने मौजूदा उपभोक्ताओं का पुनः सत्यापन तथा नए उपभोगताओं का सत्यापन तथा मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन (प्री-पेड और पोस्ट-पेड दोनों) प्रदान करने संबंधी नई प्रणाली के गठन में देरी की वजह से, 1 नवंबर, 2009 से सभी नए प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों के साथ-साथ मौजूदा प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों के नवीकरण पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

2. गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय, जम्मू एवं कश्मीर सरकार और मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के बीच वार्ताओं के विभिन्न दौर हुए हैं। इन वार्ताओं के आधार पर, मौजूदा उपभोक्ताओं के पुनः सत्यापन और नए उपभोक्ताओं का सत्यापन तथा नए मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन (प्री-पेड और पोस्ट-पेड दोनों) प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं से तत्काल प्रभाव से नई प्रक्रिया का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन

मौजूदा प्री-पेड कनेक्शनों का पुनः सत्यापन

3. निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक मौजूदा प्री-पेड उपभोक्ता/कनेक्शन का पुनः सत्यापन किया जाएगा।

4. केवल सेवा प्रदाता के स्वयं के आउटलेट अथवा उसके फ्रेंचाइजी द्वारा ही पुनः सत्यापन किया जाएगा। ऐसे आउटलेट और फ्रेंचाइजियों की संख्या और पता एक सप्ताह के भीतर कानून प्रवर्तन एजेंसी (एल.ई.ए.), राज्य पुलिस और टर्म सेव, जम्मू और कश्मीर को अधिसूचित की जाएगी।

5. एल.ई.ए., राज्य पुलिस एवं जम्मू एवं कश्मीर के टर्म सेल को पेशगी में स्थलों एवं तारीखों को अधिसूचित करने के बारे में सेवा प्रदाता द्वारा पुनर्जांच हेतु विशेष शिविर भी आयोजित किए जा सकते हैं।

6. पुनः सत्यापन का तात्पर्य एक या अधिक निर्धारित कागजात की दूसरी प्रति प्राप्त करना होगा ताकि ग्राहकों के निम्नलिखित की जांच की जा सके:

(i) पहचान

(ii) पता

और इन कागजात में उपलब्ध सूचना की सेवा प्रदाता के रिकार्ड में पहले से उपलब्ध सूचना से तुलना की जा सके।

7. केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों, विद्यार्थियों के मामलों में संबंधित व्यक्तियों की पहचान और पते को अधिप्रमाणित करते हुए कार्यालय/संस्थान प्रमुख द्वारा जारी एक नए प्रमाणपत्र को पहचान एवं पते के सबूत के रूप में माना जाएगा।

8. सशस्त्र बलों एवं अर्धसैन्य बलों के सेवारत अधिकारियों/जवानों और उनके परिजनों के मामले में संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान एवं पते को अधिप्रमाणित करते हुए कमांडिंग अधिकारी द्वारा जारी किए गए एक नए प्रमाणपत्र को पहचान एवं पते के सबूत के रूप में माना जाएगा।

9.1 पहचान और पते के सबूत के रूप में स्वीकार्य कागजात की सूची अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

9.2 राज्य सरकार ग्राहक द्वारा प्रस्तुत कागजात की तुलना के लिए अनुबंध-II में सूचीबद्ध कागजात की एक नमूना प्रति उपलब्ध कराएगी।

10. पुनःसत्यापन के समय प्रत्येक ग्राहक अपने फोटोग्राफ की चार प्रतियां प्रस्तुत करेगा। सेवा प्रदाता फोटोग्राफ को ग्राहक से मिलाएगा और फोटोग्राफ की वास्तविकता की जांच करेगा।

11. सेवा प्रदाता प्रत्येक ग्राहक के बारे में एक नया मशीन द्वारा नम्बर दिया गया ग्राहक अधिग्रहण फार्म (सी.ए.एफ.) तैयार करेगा। पिछले ग्राहक अधिग्रहण फार्म (सी.ए.एफ.) को निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त किए गए फार्म को दो वर्ष के लिए रखा जाएगा। नए ग्राहक अधिग्रहण फार्म (सी.ए.एफ.) में ग्राहक के नाम, पते और फोटोग्राफ एवं उसको आवंटित टेलीफोन नम्बर संबंधी जानकारी होगी।

12.1 किसी मौजूदा प्री-पेड मोबाइल ग्राहक के नाम में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राहक को नया ग्राहक माना जाएगा और पैरा 17 से 21 में निर्धारित प्रक्रिया को निम्नवत अपनाया जाएगा।

12.2 किसी मौजूदा प्री-पेड मोबाइल ग्राहक के नाम

में परिवर्तन होने की स्थिति में पते के सबूत की जांच करने के बाद पते में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। पुराने पते की एक प्रति सेवा प्रदाता द्वारा रखी जाएगी और डाटाबेस में ग्राहक के पुराने और नए दोनों पतों को रखा जाएगा।

13. मौजूदा प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता के पुनः सत्यापन की कार्रवाई एक बार की जाएगी। पुनः सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण हो जाने पर उपभोक्ता को रिचार्ज सुविधा की अनुमति दे दी जाएगी।

14. पुनः सत्यापित प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की दैनिक सूची सॉफ्ट कापी में एल.ई.ए., राज्य पुलिस और टर्म सेल, जम्मू और कश्मीर के नोडल अधिकारियों को सूचना हेतु भेजी जाएगी। इसमें उपभोक्ता का नाम, टेलीफोन नंबर, पता और साथ ही पहचान एवं पते के प्रमाण के साथ-साथ नए सी.ए.एफ. नंबर को शामिल किया जाएगा।

15. प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता की पहचान अथवा पते के विषय में प्राधिकारियों द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट दिए जाने की स्थिति में, रिपोर्ट प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जाएगा।

16. प्रत्येक प्रति पर उपभोक्ता के मूल फोटो सहित सी.ए.एफ. की प्रति, प्रत्येक पखवाड़े में एल.ई.ए., राज्य पुलिस और टर्म सेल, जम्मू और कश्मीर को भेजी जाएगी। फोटो की चौथी प्रति सेवा प्रदाता द्वारा उसकी सी.ए.एफ. की प्रति पर रख ली जाएगी।

नए प्री-पेड कनेक्शन जारी करना

17. नए प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता का नामांकन उपर्युक्त पैराग्राफ 4 से 10 और 16 में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन करते हुए किया जाए और उसे मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिया जाए तथा "पुनः सत्यापन" शब्द को "सत्यापन" पढ़ा जाए।

18. सेवा प्रदाता प्रत्येक नए प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता के संबंध में नए मशीनी-नंबर वाला उपभोक्ता अधिग्रहण फार्म (सी.ए.एफ.) तैयार करेगा। नंबरयुक्त सी.ए.एफ. में उपभोक्ता का नाम, फोटाग्राफ और पते से संबंधित डाटा और उसे आबंटित टेलीफोन नंबर दिया जाएगा।

19. उपभोक्ता के पते में प्रत्येक परिवर्तन के बारे में सेवा प्रदाता को सूचित किया जाएगा जो नया पता सही होने का सत्यापन करने के बाद रिकार्ड में संशोधन करेगा और संदर्भ हेतु पाराना पता रखकर उसमें नया पता भी लिख लेगा।

20. नए प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की सूची प्रत्येक माह के अंत में, सॉफ्ट कॉपी में एल.ई.ए., राज्य पुलिस और टर्म सेल, जम्मू और कश्मीर को सूचना हेतु भेजी जाएगी। इसमें उपभोक्ता का नाम, टेलीफोन नंबर, पता और साथ ही पहचान एवं पते के प्रमाण के साथ-साथ सी.ए.एफ. नंबर को शामिल किया जाएगा।

21. प्री-पेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की पहचान या पते के बारे में प्राधिकारियों से नकारात्मक रिपोर्ट के मामले, रिपोर्ट प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर टेलीफोन कनेक्शन दिया जाएगा।

पोस्टपेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन

22. नए प्रीपेड कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्यविधि नए पोस्टपेड मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन के नामांकन पर भी लागू होगी।

23. उपर्युक्त के अलावा, यदि किसी पोस्टपेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता को भेजा गया बिल वापस हो जाता है या यदि बिल का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक नहीं किया जाता, तो सेवा प्रदाता एल.ई.ए., राज्य पुलिस तथा टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठ, जम्मू और कश्मीर को तत्काल सूचित करेगा। सम्बन्धित प्राधिकरण शीघ्र मामले का सत्यापन करेंगे और तदनुसार सेवा प्रदाता को सलाह देंगे। यदि इन प्राधिकरणों से पोस्टपेड मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता की पहचान या पते के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जाएगा।

सुरक्षा पहलू

24. पूर्वोक्त पैराग्राफों में किसी बात का उल्लेख होने के बावजूद, यदि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का सक्षम प्राधिकारी भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार लाइसेंसप्रदाता या सेवा प्रदाता को यह सलाह देता है कि किसी उपभोक्ता का मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन (प्रीपेड या पोस्टपेड) सुरक्षा के कारणों से रद्द कर दिया जाए तो सेवा प्रदाता सलाह प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर कनेक्शन काट देगा और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी को जैसा भी मामला हो, फोन काटने की सूचना देंगे सेवा प्रदाता उपभोक्ता को भी फोन काटे जाने की सूचना देगा।

कई कनेक्शन

25. साधारणतः कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन नहीं लेगा, चाहे वह प्रीपेड हो या पोस्टपेड।

26. कोई भी व्यक्ति जो दूसरा कनेक्शन या कई कनेक्शन प्राप्त करने का इच्छुक है, आवेदन में अपने नाम से अथवा अपने परिवार के सदस्यों के नाम वाले सभी अन्य मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा देगा और दूसरा या कई कनेक्शन प्राप्त करने के कारणों का खुलासा करेगा।

27. दूसरे कनेक्शन सम्बन्धी आवेदन का सत्यापन अधिक कड़ाई से तथा तीसरे कनेक्शन और क्रमशः अन्य कनेक्शन सम्बन्धी आवेदन का सत्यापन इससे भी अधिक कड़ाई से किया जाएगा। किसी भी मामले मे, जम्मू और कश्मीर राज्यों में रहने वाला व्यक्ति छह से अधिक संख्या में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन (चाहे प्रीपेड हो या पोस्टपेड) प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा या उसे प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लिए गए मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों के संबंध में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की अधिकतम संख्या छः होगी।

28. दूसरे या दो से अधिक कनेक्शनों के लिए आवेदन के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले सत्यापन में राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा पुलिस एवं आय कर प्राधिकारी सहित सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

29. सेवा प्रदाता दूसरे या दो से अधिक कनेक्शन प्रदान करने में अधिकतम सावधानी एवं विवेक का प्रयोग करेगा। सेवा प्रदाता दूसरे कनेक्शन या दो से अधिक कनेक्शनों के लिए उल्लिखित कारणों तथा संबंधित व्यक्ति या परिवार की आय सहित सभी संगत कारकों पर विचार करेगा।

30. कोई सरकारी संगठन, शैक्षिक संस्था, कंपनी, प्रतिष्ठान या कोई अन्य संस्था अपने कर्मचारियों या सदस्यों के लिए एक से अधिक कनेक्शनों हेतु आवेदन कर सकती है। आवेदनकर्ता, जहां तक संभव हो, मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों या सदस्यों के नाम, उक्त कर्मचारियों के पते की सूची फोटो सहित जारी करेगा। इस सूची का प्रमाणन संगठन, कंपनी, प्रतिष्ठान, संस्था, जैसा भी मामला हो, के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा तथा ऐसे सत्यापन में पुलिस तथा आयकर प्राधिकारियों सहित सरकार के प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। यदि सेवा प्रदाता सभी संगत कारकों पर विचार करने के बाद इस बात पर संतुष्ट हो जाता है कि आवेदनकर्ता को एक से अधिक मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जा सकते हैं, तो प्रदाता कनेक्शन, उतनी संख्या में जितनी वह उपयुक्त समझे, आवंटित कर सकता है।

31. सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए दूसरे कनेक्शन या दो से अधिक कनेक्शनों के संबंध में विधि प्रवर्तन एजेंसी या राज्य पुलिस तथा टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठ, जम्मू और कश्मीर को प्रत्येक माह के अंत में सॉफ्ट कॉपी में सूचनार्थ रिपोर्ट दी जाएगी। इस रिपोर्ट में उपभोक्ता का नाम, टेलीफोन नंबर, पता तथा सी.ए.एफ. नंबर सहित पहचान एवं पता प्रमाण संबंधी ब्यौरे शामिल होंगे।

गलत सूचना दिए जाने पर दंड

32. यदि उपभोक्ता द्वारा गलत सूचना देकर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त किया जाता है, विधि के तहत की जाने वाली कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना ही मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा।

विवरण-II

जम्मू और कश्मीर में मोबाइल कनेक्शन उपभोक्ता के लिए पहचान के साक्ष्य/पते के साक्ष्य के संबंध में स्वीकार्य दस्तावेज

पहचान के साक्ष्य/पते के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य होंगे:-

पहचान के लिए साक्ष्य (पहचान के सभी) साक्ष्यों पर फोटो लगा होना चाहिए)	पते के लिए साक्ष्य
1	2
1. पासपोर्ट	1. पासपोर्ट
2. हथियार का लाइसेंस	2. हथियार का लाइसेस

1		2	
3.	ड्राइविंग लाइसेंस	3.	ड्राइविंग लाइसेंस
4.	चुनाव आयोग का पहचान पत्र*	4.	चुनाव आयोग का पहचान पत्र*
5.	राशन कार्ड (आवेदक के फोटो सहित)	5.	राशन कार्ड (पता सहित)
6.	सी.जी.एच.एस./ई.सी.एच.एस. कार्ड	6.	सी.जी.एच.एस./ई.सी.एच.एस. कार्ड
7.	भारत सरकार, डाक विभाग द्वारा जारी किया गया फोटो सहित पते वाला कार्ड	7.	भारत सरकार, डाक विभाग द्वारा जारी किया गया फोटो सहित पते वाला कार्ड
8.	डाकघर/किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाता की फोटो सहित पास बुक	8.	डाकघर/किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाता की फोटो सहित पास बुक
9.	फोटो पहचान पत्र (केवल केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी)।	9.	फोटो पहचान पत्र (केवल केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी)।
10.	पेंशनर का कार्ड फोटो सहित	10.	पेंशनर का कार्ड पता सहित
11.	स्वतंत्रता सेनानी कार्ड फोटो सहित	11.	स्वतंत्रता सेनानी का पता सहित कार्ड
12.	फोटो सहित किसान पास बुक	12.	पता सहित किसान पास बुक
13.	आयकर पी.ए.एन. कार्ड	13.	आयकर निर्धारण आदेश
14.	फोटो सहित क्रेडिट कार्ड	14.	क्रेडिट कार्ड विवरणी (जो पिछले तीन महीनों से अधिक पुरानी न हो)
15.	सी.एस.डी./रक्षा सेनाओं/पैरा मिलिट्री द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड	15.	फिक्स लाइन का टेलीफोन बिल (जो पिछले तीन माह से अधिक पुराना न हो)
16.	सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र (केवल विद्यार्थियों के लिए)	16.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

* केवल वे ही मतदाता कार्ड, जो वर्ष 2008 से जारी किए गए हैं, जिनमें होलोग्राम इत्यादि अनेक सुरक्षा संबंधी विशिष्टताएं उपलब्ध हैं; पहचान और पते के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।

[हिन्दी]

वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन

1631. श्री हरीश चौधरी:

श्री इज्यराज सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार कुल कितने वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) देश में ऐसे कुल टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिशतता के हिसाब से भागीदारी कितनी है; और

(ग) राजस्थान सहित देश में टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) 31-01-2010 की

स्थिति के अनुसार देश में 150.22 मिलियन वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे हैं जो कुल टेलीफोन कनेक्शनों का लगभग 25.81% हैं। देश में डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन कनेक्शनों की लाइसेंस क्षेत्रवार संख्या और देश में कुल टेलीफोन कनेक्शनों में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) सेवा गुणवत्ता विनियमों में निर्धारित विभिन्न पैरामीटरों के लिए दिए गए बेंचमार्क के मुकाबले सेल्युलर मोबाइल सेवा के निष्पादन की मॉनीटरिंग तिमाही निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों के जरिए करता रहा है। इसके अतिरिक्त, प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पी.ओ.आई.) पर संकुलन की मासिक आधार पर मॉनीटरिंग की जा रही है। ट्राई सेवा गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों को पूरा करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए निर्देश जारी करता रहा है। ग्राहकों की संतुष्टि को जानने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए सर्वेक्षण भी कराया गया था जिसकी रिपोर्ट का जनता/स्टेकहोल्डरों की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार किया गया।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा प्रदान की जा रही डब्ल्यू.एल.एल. सेवा संतोषजनक रूप में काम कर रही है और सामान्यतः ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को पूरा कर रही है। डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. देश में नवीनतम मोबाइल स्विचन केंद्र (एम.एस.सी.) आधारित प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

2. बी.एस.एन.एल. अपने डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क का उत्तरोत्तर संवर्धन कर रहा है ताकि कवरेज और क्षमता में वृद्धि की जा सके और सेवा गुणवत्ता में और अधिक सुधार हो। बी.एस.एन.एल. अपने निष्पादन के लिए अपने नेटवर्क का निरंतर इष्टतमीकरण कर रहा है।

3. आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए यथाअपेक्षित सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बी.एस.एन.एल. द्वारा राजस्थान दूरसंचार सर्किल में डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

- डब्ल्यू.एल.एल. बी.टी.एस. के कवरेज का इष्टतमीकरण।
- माध्यम में उत्पन्न विफलता के कारण व्यवधान कम करने के लिए डब्ल्यू.एल.एल. बी.टी.एस. में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) मीडिया की अधिक रिंग कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है।
- दोषपूर्ण बी.टी.एस. के लिए दैनिक आधार पर सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है।

विवरण

31-01-2010 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस क्षेत्रवार डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोन कनेक्शन

क्र.सं.	लाइसेंस क्षेत्र का नाम	कुल डब्ल्यू.एल.एल. फोन	कुल टेलीफोन (स्थिर + मोबाइल)	कुल टेलीफोनों में डब्ल्यू.एल.एल. टेलीफोनो की प्रतिशत हिस्सेदारी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13782376	45350195	30.39
2.	असम	182382	843891	2.16
3.	बिहार	6849229	35394349	19.35
4.	गुजरात	6971401	32215059	21.64

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	4658897	14006998	33.26
6.	हिमाचल प्रदेश	544904	5020160	10.85
7.	जम्मू और कश्मीर	669768	5373344	12.46
8.	कर्नाटक	10728175	37195767	28.84
9.	केरल	6183054	26271166	23.54
10.	मध्य प्रदेश	7967994	31178077	25.56
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	14510565	44193558	32.83
12.	पूर्वोत्तर	171806	5226978	3.29
13.	उड़ीसा	2704771	14231910	19.00
14.	पंजाब	4891433	20496448	23.86
15.	राजस्थान	8693871	33075479	26.28
16.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	8840097	42014052	21.04
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	10643056	41555829	25.61
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9078783	29485373	30.79
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	3762096	23594022	15.95
20.	कोलकाता	4554812	16916138	26.93
21.	चेन्नै	2815945	12808954	21.98
22.	दिल्ली	11132810	30001271	37.11
23.	मुंबई	9884699	27997806	35.31
	कुल	150222924	582041914	25.81

नोट: 1. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमशः अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के टेलीफोन भी शामिल हैं क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता लाइसेंस क्षेत्रवार ही आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।

2. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और टाटा ने वायरलेस फोनों (जी.एस.एम. सहित डब्ल्यू.एल.एल.) से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया है न कि प्रौद्योगिकी-वार।

[अनुवाद]

एल.सी.ए. परियोजना की स्थिति

1632. श्री सी. शिवासामी:

श्री शरद यादव:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) 'तेजस' के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं तथा एल.सी.ए. परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इसके लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) परियोजना में और अधिक विलम्ब को रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इस विमान को वायुसेना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति समरूपण में 20 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की अधिप्राप्ति हेतु 31 मार्च, 2006 को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संविदा की कुल लागत 2701.70 करोड़ रुपए है। इस हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन में विलम्ब का मुख्य कारण विकास के चरण में इसका परिष्करण किया जाना है। हल्के लड़ाकू विमान के इस कार्यक्रम के लिए 31 दिसम्बर, 2009 तक हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को 1712.11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कुछ तकनीकी जटिलताओं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के प्राप्त न होने के कारण हल्के लड़ाकू विमान के विकास में कुछ विलम्ब हुआ था। हल्के लड़ाकू विमान के विकास के लिए 3301.78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें सीमित श्रृंखला में बनाए जाने वाले 8 विमानों का निर्माण किया जाना शामिल था। हल्के लड़ाकू विमान चरण-II कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा 2475.78 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।

(ग) वायु सेनाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तिमाही में और उप वायु सेनाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक महीने में एक बार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है।

(घ) हल्के लड़ाकू विमान को मार्च 2011 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने की संभावना है।

जलयानों का अपहरण

1633. श्री निशिकांत दुबे:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री सुरेश अंगडी:
श्री वरुण गांधी:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सोमाली के जल दस्युओं द्वारा भारतीय सीफेरर्स और मर्चेन्टशिप के अपहरण की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में इन घटनाओं को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उन पीड़ितों को जल दस्युओं द्वारा मारे गए के सगे संबंधियों को वर्ष-वार दिए गये मुआवजा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जलयानों की सुरक्षा में लगे अनेक बहुउद्देश्यीय निकायों से सहयोग लेने हेतु इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) पोतों में तैनात भारतीय नाविकों के अपहरण के घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले तीन वर्षों तक एवं चालू वर्ष (उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार) का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	अपहरण किये गये पोतों की सं.	बंधक बनाए गए नाविकों की कुल सं.	अपहरण किए गए भारतीय पोतों की सं.	पोतों पर बंधक बनाए गए भारतीय नाविकों की सं.	अपहरण किए गए भारतीय एम.एस.वी. की सं.	एम.एस.वी. के बंधक बनाए गए भारतीय नाविकों की सं.
2007	12	177	शून्य	28	2	28
2008	42	795	शून्य	50	1	13
2009	47	740	शून्य	58	8	116
2010	03	67	शून्य	05	1	14

(ग) सरकार द्वारा समुद्री डकैती की घटनाओं का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) नौवहन महानिदेशालय द्वारा अदन की खाड़ी में गुजरने वाले उन पोतों/जलयानों को विभिन्न प्रकार की सलाह जारी की गई है जो क्षेत्र में होने वाले डकैती के संबंध में जानकारी देते हैं और जो क्षेत्र में भारतीय नौसेना पोत में पेट्रोलिंग करने के समय की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

(ii) क्षेत्र में तैनात विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों से प्राप्त सलाह और सूचनाएं भारतीय नौवहन को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।

(iii) भारतीय पोतों और अन्य पोतों की सहायता के लिए इस क्षेत्र में दिनांक 23-10-2008 से भारतीय नौसेना का युद्धपोत तैनात किया गया है।

(iv) लन्दन में नवम्बर, 2008 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की 101वीं परिषद बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मामले को उठाया और एक प्रस्ताव रखा कि सोमाली तट पर बढ़ रही समुद्री डकैती के मुकाबले के लिए एक एकीकृत कमांड के अधीन संयुक्त राष्ट्र के कार्यबल का निर्माण किया जाए।

(घ) डकैतों द्वारा आज की तिथि तक केवल एक ही भारतीय नाविक के मारे जाने की सूचना है और पोत पर पनामा देश का ध्वज था। मृत्यु और हताहत सहायता का दायित्व पोत स्वामी का है जो प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब द्वारा बीमा सुरक्षा प्राप्त करता है।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ-साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुद्दे को उठाया है ताकि विश्व इकाई को हस्तक्षेप करने के लिए जागरूक किया जाए और इस घटना का मुकाबला किया जाए।

बागान क्षेत्र के समक्ष वित्तीय कठिनाई

1634. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:

श्री वरुण गांधी:

श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कॉफी उद्योग सहित बागान क्षेत्र प्रतिकूल मौसम दशाओं एवं अलाभकारी मूल्यों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कॉफी उद्योग के अंतर्गत मुख्यतः लघु एवं सीमांत किसान आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कॉफी उत्पादकों को सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या ऋण राहत उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। पिछले एक दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण कॉफी उद्योग सहित बागान क्षेत्र को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। तथापि पिछले कुछ वर्षों में कीमतों की स्थिति लाभकारी स्तर पर पहुंच गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। कॉफी उद्योग में 99% उपजकर्ता ऐसे लघु उपजकर्ता हैं जिनके पास 10 है. से कम जोत क्षेत्र है। वित्तीय अभाव से जूझ रहे उपजकर्ताओं की सहायता के लिए भारत सरकार ने कॉफी उपजकर्ताओं को समय-समय पर विशेष कॉफी आवधिक ऋण पैकेज अप्रैल, 2002, कॉफी क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु राहत पैकेज, ऋणग्रस्त किसानों हेतु प्रधानमंत्री राहत पैकेज, 2006 और कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत स्कीम जैसे विभिन्न राहत उपाय/सहायता प्रदान की है। सरकार अपनी XIवीं योजना स्कीमों के जरिए भी उपजकर्ताओं और कॉफी उद्योग की सहायता कर रही है।

किराए के परिसरों में डाकघर

1635. श्री शिवराम गौडा:

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार डाक घरों को चलाने के लिये प्रतिवर्ष कितने किराये का भुगतान किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में डाक घरों के निर्माण हेतु भूमि/स्थान की खरीद के लिये राज्य-वार कितना आबंटन किया गया; और

(ग) डाकघरों के इन प्रस्तावित भवनों के निर्माण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) देश में डाकघरों को चलाने के लिए वर्ष 2008-09 और चालू वर्ष के दौरान अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक प्रतिवर्ष अदा किए गए किराए का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों, और चालू वर्ष के दौरान देश में डाकघरों के निर्माण हेतु भूमि/स्थान की खरीद के लिए राज्यवार किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) डाकघरों के लिए प्रस्तावित भवनों का निर्माण कार्य पूरा होना, निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

देश में डाकघरों को चलाने के लिए प्रतिवर्ष अदा किए गए किराए का राज्यवार ब्यौरा

(राशि रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10 (अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	38350857	33504659
2.	अरुणाचल प्रदेश	32635	37468
3.	असम	10247970	10091991
4.	बिहार	9757274	9316315
5.	छत्तीसगढ	3315025	2930795
6.	गोवा	716192	634547
7.	गुजरात	13279256	13578133
8.	हरियाणा	4904495	4657522
9.	हिमाचल प्रदेश	4719432	4329580
10.	जम्मू और कश्मीर	3886544	3616665
11.	झारखंड	2524673	2203541
12.	कर्नाटक	41273000	30938000
13.	केरल	35301000	30400000
14.	मध्य प्रदेश	10220367	9060245
15.	महाराष्ट्र	40752537	38176175
16.	मणिपुर	85750	88980
17.	मेघालय	1409394	1207070

1	2	3	4
18.	मिजोरम	1031040	859200
19.	नागालैण्ड	58620	60650
20.	उड़ीसा	12360554	10725612
21.	पंजाब	6959649	6309265
22.	राजस्थान	9438816	7585893
23.	सिक्किम	731548	652274
24.	तमिलनाडु	49823524	44499281
25.	त्रिपुरा	365750	318180
26.	उत्तर प्रदेश	30788669	27680594
27.	उत्तराखंड	5016103	4494716
28.	पश्चिम बंगाल	35162130	25438389
	कुल जोड़	372512804	323395740

विवरण-II

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक) डाकघरों के निर्माण हेतु भूमि/स्थान की खरीद के लिए राज्यवार किए गए आबंटन का ब्यौरा

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान किए गए आबंटन			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	129.50	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-
4.	बिहार	-	-	24.22	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	0.36	-	7.76	-
8.	हरियाणा	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
11.	झारखंड	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	1.09	-	-	-
13.	केरल	-	-	-	-
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-
15.	महाराष्ट्र	-	-	-	-
16.	मणिपुर	-	-	-	-
17.	मेघालय	-	-	-	-
18.	मिजोरम	-	-	-	-
19.	नागालैण्ड	-	-	-	-
20.	उड़ीसा	-	-	-	-
21.	पंजाब	-	-	-	-
22.	राजस्थान	-	-	-	-
23.	सिक्किम	-	-	-	-
24.	तमिलनाडु	-	-	-	25.51
25.	त्रिपुरा	-	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	6.51	-	-	-
27.	उत्तराखंड	-	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
	कुल जोड़	137.46	0.00	31.98	25.51

हिन्दी]

सुरक्षित पेय जल की कमी

1636. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार सुरक्षित पेय जल की कमी का सामना कर रही ग्रामीण बसावटों/गांवों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) पृथकतः उन ग्रामीण बसावटों/गांवों का ब्यौरा क्या है जो पूर्णतः कवर किये गये हैं, आंशिक रूप से कवर किए गए हैं, कवर नहीं किये गये हैं जो जल की गुणवत्ता को लेकर प्रभावित हैं और वे जो पुरानी स्थिति में वापस चले गये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गईं, जारी की गईं, प्रयोग की गई, एवं क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(घ) क्या सरकार ने देश में सुरक्षित पेय जल की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है या कोई रणनीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के प्रभावित क्षेत्रों में एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुरक्षित पेय जल देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) बसावटों को कवर्ड श्रेणी में माना जाता है यदि सभी बसावटों में संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित जल आपूर्ति मानकों के अनुसार पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो, परन्तु वह 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम न हो। सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से कवर की गई बसावटों तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के सन्दर्भ में ग्रामीण बसावटों की स्थिति की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार निधि आबंटन, रिलीज तथा व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में और उपलब्धित का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह नीति रही है और इसके कार्यक्रमों में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी पेयजल योजनाओं में स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि आवर्ती कमियों को दूर किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) संबंधी दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित कार्रवाई योजनाओं और 11वीं योजनावधि के लिए इस क्षेत्र में चालू कार्यक्रमों में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:-

- कवर न की गई शेष, निचली श्रेणी में लौट आई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करना,
- सभी पेयजल योजनाओं में स्थायित्व सुनिश्चित करना, ताकि निचली श्रेणी में लौटने की स्थिति न आए,
- भू-जल सतही जल तथा वर्षा जल का संयोजित रूप से उपयोग करना,
- ग्रामीम पेयजल योजनाओं का प्रबंधन पंचायतों को सौंपने के संबंध में राज्यों को प्रोत्साहन देना और इसके लिए उन्हें अधिकार देना एवं उनकी क्षमता बढ़ाना।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भारत निर्माण अवधि के दौरान बजटीय सहायता में वृद्धि करना। केन्द्रीय आबंटन को वर्ष 2004-05 में 2900 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2005-06 में 4050 करोड़ रु., 2006-07 में 5200 करोड़ रु., 2007-08 में 6500 करोड़ रु. तथा 2008-09 में 7300 करोड़ रु. किया गया है। इसे 2009-10 में बढ़ाकर 8000 करोड़ रु. कर दिया गया।
- केन्द्रीय सहायता में बढ़ोतरी के माध्यम से पेयजल स्रोतों के स्थायित्व को बढ़ावा देना।
- जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी एन.आर.ई.जी.एस. जैसे विद्यमान सरकारी कार्यक्रमों और मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के बीच तालमेल को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक रूप से कमजोर पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर के मामले में निधि की भागीदारी के मामले में निधि की भागीदारी पद्धति को उदार बनाया गया है, जिसे पूर्व के 50:50 (केन्द्रःराज्य) अनुपात से बदलकर 90:10 (केन्द्रःराज्य) किया गया है, ताकि उन्हें ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों।

विवरण-I

1-4-2009 की स्थिति के अनुसार पर्याप्त सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से कवर की गई बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के संदर्भ में बसावटों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल बसावटें	शून्य जनसंख्या कवरेज सहित बसावटें*	0 से 25% के बीच जनसंख्या क़वरेज सहित बसावटें	25% से 50% के बीच जन-संख्या कवरेज बसावटें	50% से 75% के बीच जन-संख्या कवरेज* बसावटें	75% से 100% के बीच जन-संख्या कवरेज सहित बसावटें	100% जनसंख्या कवरेज सहित बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	
2.	आन्ध्र प्रदेश	72147	5532	0	0	0	0	66615	1097
3.	अरुणाचल प्रदेश	5612	0	1968	763	606	181	2094	274
4.	असम	86976	26105	4161	7500	7869	3660	37681	26589
5.	बिहार	107642	0	6035	12237	12983	16785	59602	34909
6.	चंडीगढ़	18	18	0	0	0	0	0	
7.	छत्तीसगढ़	72329	756	1193	6904	15608	22414	25454	8379
8.	दादरा और नगर हवेली	70	70	0	0	0	0	0	
9.	दमन और दीव	21	21	0	0	0	0	0	
10.	दिल्ली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	
11.	गोवा	347	0	0	43	1	1	302	
12.	गुजरात	34415	0	43	351	653	706	32662	948
13.	हरियाणा	7385	0	68	187	341	759	6030	179
14.	हिमाचल प्रदेश	53205	90	8301	3676	3591	915	36632	88
15.	जम्मू और कश्मीर	12331	4806	331	886	1111	1348	3849	6
16.	झारखंड	120473	1091	23	65	211	308	118775	815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	कर्नाटक	59203	64	581	3890	11871	17684	25113	8559
18.	केरल	11883	0	0	0	0	0	11883	1879
19.	लक्षद्वीप	9	9	0	0	0	0	0	
20.	महाराष्ट्र	127197	0	2484	12280	32457	30545	49431	5385
21.	मणिपुर	97206	0	0	13349	6403	0	77454	3989
22.	मेघालय	2870	1	616	528	557	115	1053	5
23.	मिजोरम	9326	206	953	1230	1009	691	5237	107
24.	मध्य प्रदेश	777	0	125	111	69	124	348	
25.	नागालैंड	1386	280	43	29	63	40	931	157
26.	उड़ीसा	141928	1873	2262	24050	35355	14447	63941	23676
27.	पुडुचेरी	248	0	0	0	1	39	208	4
28.	पंजाब	14221	1632	494	199	1066	823	10007	864
29.	राजस्थान	121133	38616	909	5063	7455	4017	65073	37658
30.	सिक्किम	2498	0	136	352	400	2	1608	
31.	तमिलनाडु	92689	0	1684	4571	3179	814	82441	637
32.	त्रिपुरा	8132	2559	1	53	2393	408	2718	7102
33.	उत्तर प्रदेश	260110	0	0	0	0	0	260110	5911
34.	उत्तराखंड	39142	4891	1223	2548	2148	2894	25438	9
35.	पश्चिम बंगाल	95394	2726.	567	2339	8676	0	81086	10773
	कुल	1658323	91346	34201	103204	156076	119720	1153776	179999

एन.आर. - जानकारी उपलब्ध नहीं।

*9% कवरेज वाली बसावटों में जनसंख्या अथवा 100% से कम कवरेज वाली बसावटों में जनसंख्या में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) सार्वजनिक स्रोतों से निर्धारित मानकों से कम स्तर पर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) बारहमासी स्रोत न होने की कारण मौसमी कमी।

(ग) जानकारी में निजी स्रोत शामिल नहीं हैं।

(घ) गुणवत्ता संबंधी मुद्दों वाले स्रोतों से पेयजल।

विवरण-II

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (1-4-2009), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (31-3-2009 तक) - पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटन, रिलीज तथा उपयोग

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	20084.08	27221.88	27649.64	29530.00	30524	38840.72	39453.00	39505.49	39805.3	42074.00	49752.5	20737
2.	अरुणाचल प्रदेश	10299.00	13663.78	10333.2	11241.00	11241	12130.67	14612.00	16246.35	18843.64	18000.00	17820	6484.49
3.	असम	17369.00	11372.37	18104.16	18959.00	18959	11726.22	24644.00	18756.8	26539.8	30160.00	30350.29	11813.68
4.	बिहार	18571.00	13006.65	13681.84	27937.00	16968.5	16580.54	42538.00	45238	16474.16	37221.00	18610.5	13958.46
5.	छत्तीसगढ़	6549.00	6549	7237	9595.00	9595	10415.54	13042.00	12525.5	11242.21	11580.00	9794.47	6882.93
6.	गोवा	253.00	127	147.88	331.00	165.5	230.99	398.00	0	0	564.00	332	0
7.	गुजरात	13161.56	14033.08	12166.76	20589.00	20589	21911.79	31444.00	36944	30161.87	31870.00	44054	30657.6
8.	हरियाणा	6045.63	6372.63	6341.02	9341.00	9341	10953.87	11729.00	11729	11729	10586.00	20486	7568.5
9.	हिमाचल प्रदेश	9706.86	15620.86	15632.68	11746.00	13042	13245.19	14151.00	14151	14151	13852.00	12752.31	3649.06
10.	जम्मू और कश्मीर	26324.79	23314.67	27092.31	32992.00	32992	36140.83	39786.00	39649	32097.95	44774.00	22387	27219.7
11.	झारखण्ड	7261.00	3631	4115.15	11388.00	8445.51	11751.1	16067.00	8033	1884.57	14929.00	8164.5	375.89
12.	कर्नाटक	19502.40	24336	24590.65	27851.00	28316.24	28656.79	47719.00	47784.57	48119.9	44432.00	55631	25796.94
13.	केरल	6216.00	6216	7471.95	8293.00	8425.08	8346.25	10333.00	10697	10775.83	15277.00	15189.31	7681.8
14.	मध्य प्रदेश	18797.00	19733.4	16798.24	25162.00	25162	26755.6	37047.00	38047	37452.3	36766.00	34940	15137.34
15.	महाराष्ट्र	36152.00	36152	34870.89	40440.00	40440	37838.33	57257.00	64824.49	65314.98	61834.00	61471.8	37996.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मणिपुर	3379.00	1689.5	3234.95	3859.00	4559	3470.73	5016.00	4522.91	3725.67	6160.00	6940	3218.52
17.	मेघालय	4073.00	5104.59	4569.51	4446.00	5529	5661.16	5779.00	6338	7451.25	7040.00	6940	3553.6
18.	मिजोरम	2920.00	4271.39	4381.79	3188.00	3888	3015.73	4144.00	5419.26	4808.26	5040.00	2520	3355.14
19.	नागालैंड	2998.00	2998	2857.52	3272.00	3974.57	2738.62	4253.00	4253	6921.01	5200.00	4706.39	4542.54
20.	उड़ीसा	10332.00	9722.58	9954.61	16885.00	17194.55	23360.27	29868.00	29868	27708	18713.00	18525.87	12919.3
21.	पंजाब	4098.00	4098	4111.48	5291.00	5179.91	4027.59	8656.00	8656	7755.78	8117.00	7880.7	5755.4
22.	राजस्थान	41489.68	31466.3	51477.91	60672.00	60672	61966.8	97013.00	97182.66	97182.66	46965.00	78535	34013.25
23.	सिक्किम	1229.00	1630.77	1596.4	1342.00	2013	1536.2	1745.00	3245	851	2160.00	1080	2073
24.	तमिलनाडु	12057.00	12496.22	16111.32	19090.00	19090	19090	24182.00	28782	23105.15	32043.00	31799.23	18057.9
25.	त्रिपुरा	3613.00	4577.89	3681.54	3943.00	5443	5430.45	5125.00	4100.8	5484.44	6240.00	6140	3556.28
26.	उत्तर प्रदेश	27990.00	28389.4	33073.82	40151.00	40151	42113.56	53974.00	61577.55	61344.3	95912.00	91343.52	36365.35
27.	उत्तराखंड	7523.00	8329.36	5916.69	8930.00	8930	11414.46	10758.00	8586.83	6380.01	12616.00	6308	5630.1
28.	पश्चिम बंगाल	15806.00	17118.4	14454.73	19137.00	19137	23054.59	38939.00	38939	37162.25	29871.00	37572.29	19480.69
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	32.73	0	0	0.00	0	472.18	0.00	0	0	0.00	0	
30.	दादरा नगर हवेली	5.92	0	0	37.50	0		0.00	0	0	0.00	0	
31.	दमन और दीव	13.53	0	0	0.00	0		0.00	0	0	0.00	0	
32.	दिल्ली	0.00	0	0	31.25	0		0.00	0	0	0.00	0	
33.	लक्षद्वीप	3.64	0	0	0.00	0		0.00	0	0	0.00	0	
34.	पुडुचेरी	38.72	0	0	31.25	0	0	0.00	0	17	0.00	0	
35.	चंडीगढ़	5.46									0.00	0	
	कुल	353900.00	353242.72	381655.64	475701.00	469966.86	492876.77	689672.00	705602.21	654489.29	689996.00	698166.68	368481.01

*28-02-2010 तक

**28-02-2010 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

विवरण-III

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) (31-3-09 तक) - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (1-4-09 से) - पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बसावटों की कवरेज के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3957	5198	10094	8716	15889	19697	8500	2722
2.	अरुणाचल प्रदेश	328	245	1584	1049	2390	1306	2400	266
3.	असम	2978	2491	12792	18174	23099	23940	23000	6249
4.	बिहार	5116	15430	15863	15306	39956	35233	40508	9283
5.	छत्तीसगढ	4800	8230	4342	4465	4408	12586	3551	3883
6.	गोवा	6	1	4	1	3	4	0	
7.	गुजरात	2329	2361	3771	6748	4232	8207	1396	876
8.	हरियाणा	725	768	1140	1074	635	1164	950	459
9.	हिमाचल प्रदेश	3000	3694	4510	4510	5184	5529	5000	2598
10.	जम्मू और कश्मीर	1008	549	2241	747	4704	2283	4700	67
11.	झारखंड	3802	1982	5479	7370	7170	7007	1552	5733
12.	कर्नाटक	5333	2686	9176	12487	12950	13820	13000	4403
13.	केरल	1065	1505	3258	1194	4596	9627	395	44
14.	मध्य प्रदेश	6963	13344	10107	13915	3718	6803	4500	1965
15.	महाराष्ट्र	7673	6152	14975	11824	19877	26128	8605	5242
16.	मणिपुर	123	178	153	218	0	115	730	35
17.	मेघालय	700	1118	1558	1286	1881	1209	500	197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	134	134	145	237	306	46	300	46
19.	नागालैंड	274	123	379	219	170	178	200	3
20.	उड़ीसा	4226	8425	10361	18943	16492	38403	3452	3700
21.	पंजाब	882	875	2845	1791	4933	2453	1651	1029
22.	राजस्थान	2853	7990	19123	20969	25654	32650	10929	12131
23.	सिक्किम	164	138	307	375	300	27	300	51
24.	तमिलनाडु	3072	7156	9625	11145	4602	13235	7000	5333
25.	त्रिपुरा	446	570	784	2670	138	4751	3132	361
26.	उत्तर प्रदेश	7024	10947	3479	4431	1639	4302	2000	567
27.	उत्तराखंड	111	1896	1451	2117	1450	1332	1199	823
28.	पश्चिम बंगाल	3900	3039	5896	8734	11460	65215	9093	233
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45	31	14		34	26	42	
30.	दादर और नगर हवेली	16	9	15	21	0		0	
31.	दमन और दीव	0		0		0		0	
32.	दिल्ली	0		0		0		0	
33.	लक्षद्वीप	3		7		10		0	
34.	पुडुचेरी	64	85	21	52	18	103	4	19
35.	चंडीगढ़	0		0		0		0	
	कुल	73120	107350	155499	180788	217898	337379	158589	57400

*28-2-2010 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा

1637. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु कोई कदम उठाये हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिनमें अनेक बेरोजगार हैं, को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित कर दिया गया है। अधिनियम में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य प्रसूति हितलाभ, वृद्धावस्था संरक्षण जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अन्य लाभ की सिफारिश करेगा।

(ख) और (ग) ऐसे कामगारों को 30000 रुपये का बिना नकद भुगतान के स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' 1 अक्तूबर, 2007 को शुरू की गई। योजना 01-04-2008 से प्रचालन में है। सभी बी.पी.एल. परिवार चाहे रोजगार में हों अथवा बेरोजगार, योजना के अंतर्गत कवर होंगे।

ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष आयु समूह के बीच के व्यक्तियों को मृत्यु एवं अपंगता कवर उपलब्ध कराने के लिए 'आम आदमी बीमा योजना' शुरू की गई है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 65 वर्ष से अधिक तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास प्रस्तावों की संवीक्षा

1638. श्री इज्यराज सिंह:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों से प्राप्त ग्रामीण विकास प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए सरकार द्वारा औसतन कितना समय लिया जा रहा है;

(ख) इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस औसत समय को कम करने हेतु सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) अगर प्रस्ताव संबंधित कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद प्राप्त होता है तब ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभागों को एक प्रस्ताव की संवीक्षा में औसतन केवल कुछ दिनों का ही समय लगता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषदों को प्रस्तावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगने वाले औसत समय को कम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने से पहले सभी संबद्ध दस्तावेज/जानकारी संलग्न करने की सलाह दी गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सुचारू करना

1639. श्रीमती मीना सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को सुचारू बनाने का कोई प्लान है ताकि युवाओं सहित अनेक लोग इसका लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) महात्मा गांधी नरेगा को अधिक सुप्रवाही बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि युवा सहित अनेक लोग इसका लाभ उठा सकें:

(i) व्यक्तिगत जमीन पर कार्य के लाभ, जैसा कि मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 1(iv) में दिया गया है, दिनांक 22-7-2009 की अधिसूचना द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को दिए गए हैं।

(ii) ग्राम ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण दिनांक 11-11-2009 की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा I में अनुमेय क्रियाकलापों के रूप में शामिल किया गया है।

(iii) कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास विभाग की एस.जी.एस.वाई. तथा पी.एम.जी.एस.वाई. का नरेगा के साथ तालमेल के लिए संयुक्त तालमेल दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त तालमेल दिशा-निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए 23 राज्यों में 115 प्रायोगिक जिले निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

बी.एस.एन.एल. का कार्यकरण

1640. **श्री आर. थामराईसेलवन:**
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री नीरज शेखर:
श्री तूफानी सरोज:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. को ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के अलाभकारी बाजार में फिक्स्ड टेलीफोन लाइन्स देने पर प्रतिवर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा एक वर्ष पहले टेलीकाम कंपनियों को जारी किए गए अधिकांश मोबाइल लाइसेंस से अपनी सेवायें नहीं शुरू की जा सकी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. दो खंडों नामतः 'सेल्युलर' और 'सेल्युलर के अलावा' में अपना वित्तीय लेखा रख रहा है। 'सेल्युलर के अलावा' खंड में मुख्यतः फिक्स्ड-लाइन और ब्रॉडबैंड शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान बी.एस.एन.एल. को "सेल्युलर के अलावा" खंड में लगभग 4,963.63 करोड़ रु. के लगभग नुकसान हुआ है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 'सेल्युलर के अलावा' खंड में हुए लाभ (हानि) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ में)

विवरण	राशि (रु.)
खंड का राजस्व	21819.93
खंड का व्यय	26656.66
ब्याज और करों से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	(4836.73)
ब्याज आय	54.65
ब्याज खर्च	(10.31)
अवधि से पहले और अन्य समायोजनों से पूर्व लाभ/(हानि)	(4792.39)
अवधि से पहले और अन्य समायोजन	(171.24)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(4963.63)
कर के लिए प्रावधान	0.00
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(4963.63)

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने बी.एस.एन.एल. के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने तथा कंपनी के समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ङ) से (छ) दिनांक 10-02-2009 को जारी किए गए संशोधित रॉल-आउट दायित्व की शर्तों के अनुसार, रॉल-आउट दायित्वों के प्रथम चरण की अवधि में शुरुआती स्पेक्ट्रम के आवंटन की तारीख से एक वर्ष और सांविधिक अनुमतियों की मंजूरी में औसत विलंब की अवधि शामिल होती है जैसे कि फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.एफ.ए.) की स्वीकृति में लगने वाली अवधि। जांच संबंधी रॉल-आउट दायित्वों के संबंध में पूरा किए जाने वाले कवरेज मानदंडों के मामले में दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन तथा संसाधन अनुश्रवण (टी.ई.आर.एम.) प्रकोष्ठों द्वारा सेवा जांच से संबंधित पंजीकरण की तारीख को रॉल आउट दायित्व को पूरा करने की तारीख के रूप में माना जाता है। इसलिए, रॉल आउट दायित्वों को पूरा करने की तारीख का पता टी.ई.आर.एम. प्रकोष्ठों द्वारा जांच पूरी करने के बाद लगाया जा सकता है। यदि लाइसेंसधारक सेवा अथवा सेवा का कोई भाग सेवा चालू करने के लिए निर्धारित तारीख, के भीतर चालू करने (अर्थात् सेवा प्रदान करने या अपेक्षित कवरेज मानदंड/नेटवर्क रॉल आउट दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है) में विफल रहता है तो लाइसेंस प्रदाता प्रथम 13 सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह 5 लाख रु. (पांच लाख रु.) की दर से, अगले 13 सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह 10 लाख रु. की दर से तथा तत्पश्चात 26 सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह 20 लाख रु. की दर से परिनिर्धारित नुकसानी (एल.डी.) प्रभारों की वसूली का हकदार होगा जो अधिकतम 7.00 करोड़ रु. के अध्ययधीन होगा। 52 सप्ताह से अधिक विलंब होने पर, लाइसेंस करार की शर्तों के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से निधियां देना

1641. **श्री लालजी टन्डन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सीधे पंचायतों को निधियां देने की बजाय इन्हें किसी अन्य सरकारी एजेन्सी के माध्यम से देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) मनरेगा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को सीधे निधियां रिलीज नहीं की जाती हैं। 31-3-2009 तक मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा जिलों को निधियां सीधे रिलीज की जाती थीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 21(1) के तहत सभी राज्यों को केन्द्र से निधियां प्राप्त करने के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष बनाने के अनुदेश दिए हैं। आठ राज्य सरकारों यथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश ने अब तक ऐसे कोष बनाए हैं। 1-4-2009 से इन राज्यों को केन्द्र निधियां उनके राज्य कोषों में रिलीज की गईं। सभी शेष राज्यों के लिए निधियां सीधे जिलों को रिलीज की जाती हैं।

[अनुवाद]

नियंत्रण रेखा पर मौतें

1642. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा एल.ओ.सी. पर कितनी मौतें हुईं;

(ख) क्या सीमा पार आतंकवाद के कारण अनेक नागरिक भी मारे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक उनको कितना मुआवजा दिया गया; और

(ङ) नियंत्रण रेखा के आस-पास रहने वाले नागरिकों को क्या सुरक्षा दी जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुम्बई पर कार्गो टर्मिनल की स्थापना करना

1643. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, मुम्बई पर नये कार्गो टर्मिनल की स्थापना करने हेतु कोई व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नये टर्मिनल के निर्माण के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां। भारत सरकार के निदेशानुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा एक व्यापार योजना तैयार की गई हैं। इस व्यापार योजना के अनुसार, दो नए कार्गो टर्मिनलों का विकास किया जाना चिन्हित किया गया है।

(ख) और (ग) यह पत्तन 6700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास कर रहा है। टर्मिनल के चरण-I को अन्तरिम रूप से दिसम्बर, 2010 में आरम्भ किया जाना नियत हैं और दिसम्बर, 2013 तक पूरा किया जाना। चरण-II को दिसम्बर, 2013 में आरम्भ किया जाना निर्धारित है और दिसम्बर, 2015 में पूरा किया जाना है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के उत्तर में 330 मी. लम्बे क्वे सहित एक स्टैण्डएलोन कंटेनर टर्मिनल विकसित किये जाने की अन्य परियोजना है। इस टर्मिनल की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये होगी। इसे अन्तरिम रूप से नवम्बर 2010 में आरम्भ किया जायेगा और नवम्बर 2012 में पूरा किया जायेगा। इन दोनों परियोजनाओं की कुल अतिरिक्त क्षमता 5.6 मिलियन टी.ई.यू.एस. प्रतिवर्ष होगी।

[हिन्दी]

कार्य न कर रहे मोबाइल टावरों की संख्या

1644. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा लगाये गये सभी टावर कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा संस्थापित टावरों के माध्यम से प्रदान की जा रही मोबाइल सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और आमतौर पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों को पूरा कर रही है। तथापि, कभी-कभार लंबे समय तक बिजली न आने, पारेषण मीडिया के विफल होने जैसे कारणों के फलस्वरूप कुछ मोबाइल टावर थोड़े समय के लिए कार्य नहीं कर पाते।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अपने नेटवर्क का रखरखाव कर रहे हैं। प्रायः सभी साइटों पर डीजल जेनरेटर (डी.जी.) सेटों के माध्यम से बिजली सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

[अनुवाद]

क्रूज शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी

1645. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी कंपनियों द्वारा लक्जरी-क्रूज की आरम्भिक समुद्र यात्रा को जनता से उत्साहवर्द्धक उत्तर मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी कंपनियों ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा आन्ध्र प्रदेश सहित देश के अन्य पत्तनों के बीच क्रूज मार्ग शुरू करने में रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में उक्त मार्गों पर कितनी निजी कंपनियां अपने क्रूज चला रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में क्रूज शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां। लुईस क्रूजेज इंडिया ने दिसम्बर, 2009 से जनवरी, 2010

तक मालदीव/कोलम्बो से कोच्चि पत्तन तक क्रूज संचालित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय के अधीन, पर्यटन अवसंरचना के लिए बड़े निदेशों के संबंध में बजटीय संसाधनों की कमियों को दूर करने हेतु अधिक राजस्व सृजित करने के प्रयोजन से एक योजना है। इस योजना में निजी क्षेत्र, निगम और संस्थानागत संसाधनों के साथ-साथ पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए तकनीकी-प्रबंधकीय क्षमताएं परिकल्पित हैं। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी, कुल परियोजना लागत के 25% तक की अधिकतम की शर्त पर 50.00 करोड़ की सीमा अथवा प्रोमोटर की 50% का इक्विटी अंशदान जो भी कम हो, होगी।

तटरक्षक बल के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

1646. श्री पी. करुणाकरन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल तट सहित देश के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न भागों में तट रक्षक बल के लिए पूर्ण प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई वार्ता की है;

(घ) क्या सरकार ने सामुद्रिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत विभिन्न भागों में तट रक्षक इन्क्लेव की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) तटरक्षक जैसे विस्तारशील संगठन में इसके अफसरों और कार्मिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय भारतीय तटरक्षक बल के अफसर/भर्ती कार्मिक आरंभिक प्रशिक्षण नौसेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में लेते हैं। हाल ही में सरकार ने कोच्चि, नया मंगलौर, विजाग और गोवा में तटरक्षक वायु इन्कलेव स्थापित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

[हिन्दी]

डाकघरों की बचत योजनाएं

1647. श्री महेश जोशी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के कितने डाकघर बचत योजनाओं का कार्य कर रहे हैं;

(ख) ग्रामीण बचतों में डाकघर बचत योजनाओं का हिस्सा कितना है; और

(ग) सरकार का देश में डाकघर बचत योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बचत को किस प्रकार बढ़ावा देने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे 137412 डाकघर हैं जो डाकघर बचत बैंक (पी.ओ.एस.बी.) का कार्य कर रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) लघु बचत स्कीमों में जोखिम रहित निवेश शामिल होता है क्योंकि इनमें राजकीय गारंटी अंतर्निहित होती हैं। ये स्कीमें निवेशकों के भिन्न-भिन्न सेग्मेंटों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इन स्कीमों में कई प्रकार के प्रोत्साहन जैसे शून्य जोखिम, नियमित आमदनी, कर में रियायत, सहज सुलभता, तरलता आदि प्रदान किए जाते हैं। सभी डाकघर बचत स्कीमें ग्रामीण जनता एवं शहरी जनता दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

केन्द्र एवं राज्य सरकारें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके और संगोष्ठियों, बैठकों का आयोजन करके, तथा इन स्कीमों के अंतर्गत जमा-राशि जुटाने से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करके लघु बचत स्कीमों का प्रचार-प्रसार करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के उपाय करती हैं। इस निरंतर चलने वाले प्रयास के एक भाग के रूप में सरकार ने लघु बचत स्कीमों को और अधिक आकर्षक एवं निवेशक-हितैषी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) स्कीम के अंतर्गत 08 दिसंबर, 2007 को या इसके बाद जमा की गई राशि पर राशि की परिपक्वता के उपरांत 5% की दर से बोनस की शुरुआत कर दी गई है।

(ii) पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर भी 01-04-2007 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है।

(iii) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) स्कीम के अंतर्गत 01-08-2007 से जमा राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर एकल एवं संयुक्त खातों के संबंध में क्रमशः 3.00 लाख रु. से 4.50 लाख रु. एवं 6.00 लाख रु. से 9.00 लाख रु. कर दिया गया है।

(iv) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) स्कीम के अंतर्गत परिपक्वता अवधि से पहले जमा राशि को निकाले जाने पर लगने वाले जुर्माने को युक्तिसंगत बना दिया गया है अर्थात् एक वर्ष के बाद किन्तु तीन वर्ष पूरे होने पर या उसके पूर्व निकाली जाने वाली धनराशि पर जुर्माना 3.5% से घटाकर 2%, और तीन वर्षों के पूरे होने के बाद निकाली जाने वाली धनराशि पर 1% तक जुर्माना लगाया जाएगा।

(v) 11 जुलाई, 2007 से सभी श्रेणियों में पेंशनभोगियों को डाकघर बचत खाता नियमावली के अंतर्गत 'पेंशन खाता' खोलने एवं बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

(vi) 24 मई 2007 से वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अंतर्गत एक कैलेंडर माह के दौरान एक से अधिक खाता खोलने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

(vii) 26-08-2008 से डाकघर बचत खाता नियमावली के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अधीन नियोजित मजदूरों के लिए "शून्य जमा/शून्य शेष" खाते खोलना।

(viii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशनभोगी खाता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम के अंतर्गत विधवा पेंशनभोगी खाता और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति पेंशनभोगी खातों के लिए 13-10-2009 से "शून्य जमा/शून्य शेष" खाता खोला जाना।

(ix) लघु बचत पर जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करके जन-साधारण से संपर्क करना सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान, जो आर्थिक-कार्य विभाग (बजट डिवीजन) के अंतर्गत एक अधीनस्थ संगठन है, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के गठजोड़ में अपनी वेबसाइट nsiindia.gov.in का भी संचालन करता है। इस सेवा में निवेशकों की शिकायतों के ऑन-लाइन पंजीकरण एवं निपटान की सुविधा भी प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम

1648. **डॉ. भोला सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) किस तारीख को आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी सफलता हासिल हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.डब्ल्यू.पी.) नवम्बर, 2004 में देश के निर्धारित 150 जिलों में शुरू किया गया था। कार्यक्रम को नरेगा की पूर्व तैयारी के रूप में शुरू किया गया था तथा 2-2-2006 से इसे इस अधिनियम में मिला दिया गया था। एन.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत 2004-05 के दौरान रोजगार के 785.15 लाख श्रमदिवस तथा 2005-06 के दौरान रोजगार के 3043.56 लाख श्रमदिवस सृजित किए गए थे।

[अनुवाद]

साइबर अपराध के लिए पृथक् कानून

1649. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव:**
श्री एंटो एंटोनी:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में साइबर से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक पृथक कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में दिनांक 27-10-2009 से सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के जरिए संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम एक व्यापक अधिनियम है तथा इसमें साइबर अपराध के सभी विद्यमान रूपों पर ध्यान दिया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

गैर-वन/बंजर भूमि पर जैव-ईंधन पादपों का पौधारोपण

1650. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जैव-ईंधन पादपों के पौधारोपण के लिए गैर-वन तथा बंजर भूमि की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ पहचान की गई ऐसी भूमि का हैक्टेयर में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जैव-ईंधन पौधारोपण के लिए देश के प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी हैक्टेयर भूमि उपयोग की गई तथा जैव-ईंधन पौधारोपण की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) देश में बायो-ईंधन के पौधों को उगाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने वनेत्तर एवं बंजरभूमि की पहचान नहीं की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। भूमि संसाधन विभाग के बायो-डीजल कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धान्तिक रूप से इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया है कि देश में पहले से आरंभ किए गए पौधरोपण कार्य का मूल्यांकन किया जाए तथा इस संबंध में सकारात्मक सूचना प्राप्त हो एवं इसके लिए बजट उपलब्ध हो। तदनुसार, विभाग अध्ययन करवा रहा है। अतः भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बायो-डीजल मिशन कार्यक्रम का निष्पादन आरंभ नहीं किया है।

औद्योगिक गलियारे का विकास

1651. श्री सज्जन वर्मा:
श्री वीरेन्द्र कश्यम
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डी.एम.आई.सी.) विकसित करने के लिए अन्य देशों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो निवेश के तरीके का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डी.एम.आई.सी. के विद्यमान स्थानों/लिंकजों में परिवर्तन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। रेल मंत्रालय के मल्टीमॉडल वेस्टर्न डेडीकेटिड फ्राइट कॉरिडोर के साथ-साथ "दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर" की स्थापना के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ इकानामी, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री, जापान सरकार के बीच 13 दिसम्बर, 2006 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि जापान सहित अन्य देशों से और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र का और विकास किया जा सके और इस बेल्ट से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

औद्योगिक कारिडोर का विकास दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण के दौरान (2008-2013) छः निवेश क्षेत्रों और छः औद्योगिक क्षेत्रों की (संलग्न विवरण के अनुसार) पहचान की गई है। छः निवेश क्षेत्र इस समय नियोजन के चरण में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) परियोजना के चरण-1 के लिए नोड्स की स्थिति संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार है। संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके इन नोड्स को अंतिम रूप दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारिडोर (डी.एम.आई.सी.) परियोजना के चरण-1 को विकास हेतु पहचाने गए नोड्स
उत्तर प्रदेश	दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र मेरठ-मुजफ्फर नगर औद्योगिक क्षेत्र
हरियाणा	मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र फरीदाबाद-पलवल औद्योगिक क्षेत्र
मध्य प्रदेश	पीतमपुरा-धार-महु निवेश क्षेत्र
	नीमच-नयागांव औद्योगिक क्षेत्र
राजस्थान	खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र जयपुर-दौसा औद्योगिक क्षेत्र
गुजरात	अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र वडोदरा-अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र
महाराष्ट्र	इगतपुरी-नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र दीघी स्थित ग्रीनफील्ड पोर्ट के साथ औद्योगक क्षेत्र

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अनियमितताएं

1652. श्री शरद यादव:

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्वीकृत निधियों तथा निर्मित सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. में निधियों के विपथन, निविदा प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किए जाने तथा कार्यान्वयन की अविश्वसनीय निगरानी के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या ठेकेदार निधियों की साइफनिंग कर रहे हैं तथा कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ भविष्य में एक नई योजना लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष, जनवरी, 2010 तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत स्वीकृत की गई/रिलीज की गई निधियों तथा बनाई गई सड़कों की लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10 (जनवरी, 2010 तक) के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत शुरू की गई सड़क परियोजनाओं में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में 126 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 94 शिकायतें जांच तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। 32 शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्र-स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता तैनात किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ठेकेदारों द्वारा निधियां निकाले जाने से संबंधित किसी मामले की जानकारी राज्य सरकारों द्वारा नहीं दी गई है। पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत शुरू की गई सड़क परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि कार्य आदेश जारी किए जाने की तारीख से नौ से बारह महीने है। यदि इसमें विलंब होता है, तो ठेका के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(च) जी, नहीं।

विवरण-I

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत रिलीज की गई निधि (करोड़ रु. में) तथा बनाई गई सड़क की लंबाई (कि.मी. में)

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (जनवरी, 2010 तक)	
		रिलीज की गई निधि	बना ली गई सड़क की लं.	रिलीज की गई निधि	बना ली गई सड़क की लं.	रिलीज की गई निधि	बना ली गई सड़क की लं.	रिलीज की गई निधि	बना ली गई सड़क की लं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	155.09	2194.94	316.57	1656.80	470.60	1885.00	705.00	1948.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.22	272.05	102.03	271.90	104.49	317.43	256.52	446.00
3.	असम	431.05	1546.97	555.00	1141.00	967.32	1985.11	900.00	1370.00
4.	बिहार	524.48	1078.54	701.15	1665.35	1022.62	2532.20	1375.30	1340.17
5.	छत्तीसगढ़	708.52	2988.89	1050.89	2719.36	964.12	2427.08	431.18	1872.98
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	117.20	585.80	144.56	830.24	229.67	1262.07	117.80	739.51
8.	हरियाणा	200.43	373.55	216.21	670.21	272.02	969.87	230.49	697.38
9.	हिमाचल प्रदेश	139.90	1502.93	320.58	1555.20	268.90	1360.10	53.95	1215.05
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	46.82	72.20	140.69	190.66	469.80	311.70	549.08
11.	झारखंड	56.83	308.60	0.00	277.15	208.67	214.97	324.74	1159.39
12.	कर्नाटक	45.73	366.45	271.49	1427.01	634.63	2099.13	585.87	2125.31
13.	केरल	15.00	77.27	24.68	100.54	82.29	240.22	77.11	103.97
14.	मध्य प्रदेश	1150.00	3788.50	1615.66	5231.45	1877.10	7893.72	1487.26	7762.10
15.	महाराष्ट्र	103.42	1599.23	563.96	2942.19	1030.00	4138.65	694.18	1927.25
16.	मणिपुर	0.00	199.55	76.17	265.99	20.00	78.95	118.16	748.80
17.	मेघालय	0.00	38.35	0.00	52.47	35.70	30.80	0.00	25.16
18.	मिजोरम	27.00	146.81	19.39	207.43	65.00	195.18	28.58	122.10
19.	नागालैंड	0.00	9.50	12.51	398.42	85.71	298.53	60.02	252.00
20.	उड़ीसा	624.59	2069.85	546.83	1836.04	1251.38	2641.00	1235.95	2687.14
21.	पंजाब	80.63	440.50	360.21	1036.49	243.42	751.62	273.42	549.71
22.	राजस्थान	1141.67	6216.63	1646.64	9887.50	1771.32	10349.93	460.00	3553.93
23.	सिक्किम	36.26	204.22	170.46	142.47	55.00	308.57	70.00	84.32
24.	तमिलनाडु	20.00	519.03	71.03	747.90	88.68	609.59	417.00	1048.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	71.43	175.61	130.00	59.51	359.98	361.27	79.49	260.39
26.	उत्तर प्रदेश	325.19	2656.39	1222.15	3551.98	1660.78	6461.02	2378.21	7351.19
27.	उत्तराखंड	12.79	105.89	78.74	842.08	114.89	645.60	98.95	497.90
28.	पश्चिम बंगाल	123.69	1197.58	544.69	1573.81	623.44	1877.11	375.00	815.25
	कुल	6165.12	30710.44	10833.80	41231.17	14698.39	52404.51	13145.88	41252.99

विवरण-II

वर्ष 2009-10 (जनवरी, 2010 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की सं.	जांच तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को भेजी गई शिकायतें	उन शिकायतों की संख्या जिनकी जांच करने के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता तैनात किए गए हैं
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	
2.	असम	6	5	1
3.	बिहार	21	4	17
4.	छत्तीसगढ़	8	8	
5.	हिमाचल प्रदेश	2	2	
6.	झारखण्ड	2	2	
7.	हरियाणा	1	1	
8.	कर्नाटक	3	3	
9.	केरल	2	2	
10.	मध्य प्रदेश	17	12	5
11.	महाराष्ट्र	8	6	2
12.	मेघालय	1	1	
13.	नागालैण्ड	2	1	1
14.	उड़ीसा	7	7	
15.	पंजाब	6	3	3
16.	राजस्थान	3	3	
17.	सिक्किम	2	2	
18.	तमिलनाडु	1	1	
19.	त्रिपुरा	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उत्तर प्रदेश			24		21		3	
21.	उत्तराखंड			1		1			
22.	पश्चिम बंगाल			6		6			
	कुल			126		94		32	

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों के आबंटन के मानदंडों में संशोधन

1653. श्री हरिन पाठक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निधियों के वितरण के मानदंडों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पी.एम.जी.एस.वाई. के पूर्व निर्मित सड़कों का स्तर एवं मजबूती पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के समान करने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के पूर्व निर्मित सड़कों का स्तर एवं मजबूती पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के समान करने के लिए उसके उन्नयन की मंजूरी दी गई। उन्नयन कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु नहीं है इसलिए राज्य में पात्र संपर्कविहीन बसावटों के लिए राज्य के आबंटन को 20% तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही उन्नयन के अंतर्गत ग्रामीण कोर-नेटवर्क के थ्रू-रूटों को प्राथमिकता दी जाती है जहां पर यातायात अधिक है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाएं

1654. श्री पकौड़ी लाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्राप्त तथा उपयोग की गई सहायता का राज्य-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तपोषित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाएं तथा इनके तहत प्राप्त सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना	ऋण राशि	राज्य द्वारा उपयोग की गई सहायता तथा सहायता देने वाली एजेंसी द्वारा की गई क्षतिपूर्ति			
			2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)						
1.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	65.500	12.332	2.913	5.210	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	(30-09-2009 को बंद कर दी गई)					
2.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (30-09-2009 को बंद कर दी गई)	181.000	84.708	56.558	22.750	6.300
3.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	151.600	28.327	31.651	16.100	5.400
4.	उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	120.000	0.000	14.604	2.270	7.800
5.	पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	154.000	0.000	5.000	12.880	3.300

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

		(मिलियन जापानी येन में)			(करोड़ रु.)	
6.	होगेनक्कल जल आपूर्ति तथा फलोरोसिस मिटिगेशन परियोजना	22387.000	0.000	0.000	5.430	8.340
7.	होगेनक्कल जल आपूर्ति तथा फलोरोसिस मिटिगेशन परियोजना चरण-2	17095.000	0.000	0.000	0.000	0.000

[अनुवाद]

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

1655. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक कार्रवाई तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कापार्ट) ने कई गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा स्वयंसेवी संगठनों (वी.ओ.) को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इनके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) ने विभिन्न राज्यों, जिनमें संघशासित प्रदेश भी सम्मिलित हैं, में 890 गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया है तथा उसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। एक गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डाले जाने के कई कारण हो सकते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल है:-

(i) कपार्ट मापदंडों का उल्लंघन

(ii) जाली दस्तावेज

(iii) निधियों का दुरुपयोग

(iv) दस्तावेजों का प्रस्तुत न किया जाना

(v) कार्यों को पूरा नहीं किया जाना

(vi) क्षेत्रीय समिति द्वारा अगली सहायता रोक दी गई के रूप में श्रेणीबद्ध

(vii) विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को चलाना

(viii) आस्तित्वहीन स्वैच्छिक संगठन

(ix) अन्य एजेंसियों द्वारा काली सूची में डाला जाना

(x) निर्माण के लिए घटिया सामग्री का उपयोग किया जाना

(xi) परिवार आधारित संगठन की हैसियत से

(xii) निधियों का दुर्विनियोजन आदि

(ग) दुरुपयोग किए गए अनुदानों की वसूली करने के लिए कपार्ट ने काली सूची में डाले गए संगठनों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। छानबीन के लिए 10 मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया गया है। 129 गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और 31 गैर-सरकारी संगठनों से 28.97 लाख रु. की राशि की वसूली कर ली गई है। काली सूची में डाले गए अन्य संगठनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है और दुरुपयोग की गई अनुदान राशि की वसूली के लिए एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है। इसके अतिरिक्त कपार्ट ने अपने क्षेत्रीय केन्द्रों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	काली सूची में डाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	205
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	131
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	24
7.	गुजरात	13
8.	हरियाणा	20
9.	हिमाचल प्रदेश	5
10.	जम्मू और कश्मीर	3
11.	झारखण्ड	9
12.	कर्नाटक	76
13.	केरल	35
14.	मध्य प्रदेश	15
15.	महाराष्ट्र	24
16.	मणिपुर	20
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	5
19.	नागालैण्ड	11
20.	उड़ीसा	52
21.	पाण्डिचेरी	2
22.	राजस्थान	43
23.	तमिलनाडु	90
24.	उत्तर प्रदेश	73
25.	उत्तराखंड	1
26.	पश्चिम बंगाल	29
	कुल	890

[हिन्दी]

असंगठित मजदूरों/कामगारों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

1656. श्री राजू शेट्टी:
श्री जगदीश शर्मा:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों/कामगारों के स्वास्थ्य सहित उनकी बिगड़ती दशा के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार ने उन्हें पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या योजना बनाई है;

(ग) इन योजनाओं से लाभान्वित हुए/लाभान्वित होने वाले श्रमिकों/कामगारों की राज्य-वार और योजना-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की योजनाओं के संबंध में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/कामगारों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों/अभियानों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) असंगठित क्षेत्र में अधिकांश कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अभाव को देखते हुए तथा इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की व्यवस्था है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा जीवन एवं अशक्तता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा अन्य कई लाभ जिसे सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए निर्धारित किया जा सकता है, की सिफारिश करता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच सदस्यों की इकाई) को 30,000 रुपये का बिना नकद भुगतान के स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' 1 अक्तूबर, 2007 को शुरू की गई। योजना 01-04-2008 से प्रचालन में है। गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब तक गरीबी रेखा से नीचे के 1.27 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर किया जा चुका है।

सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के व्यक्तियों को मृत्यु एवं अशक्तता कवर उपलब्ध कराने के लिए 'आम आदमी बीमा योजना' शुरू की गई है। 31-12-2009 की स्थिति के अनुसार 1.01 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 65 वर्ष से अधिक तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

(घ) संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य माध्यमों से समय-समय पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम/अभियान चलाए गए ताकि लाभार्थियों के बीच जागरूकता का सृजन किया जा सके।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयां

1657. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर. ई.जी.एस.) के सामाजिक लेखापरीक्षा करने में इसकी विफलता के कारण इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं; और

(ग) भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं/नागरिकों के लाभार्थ एक पारदर्शी नीति कब तक अपनाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. की धारा 17(2) में प्रावधान है कि ग्राम सभा योजना के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षा कराएगी। तदनुसार, मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने को सर्वाधिक महत्व दिया है और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने के संबंध में प्रक्रियाविधि का प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 13 में संशोधन किए गए हैं। मंत्रालय ने नरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा-परीक्षा के नए प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं कि वे नरेगा वेबसाइट पर जिलेवार सामाजिक लेखा-परीक्षा समय-सारणी डाल दें और इस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की नियमित

सामाजिक लेखा-परीक्षा कराएं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 620 जिलों में से 573 जिलों ने सामाजिक लेखा-परीक्षा समय-सारणी को वेबसाइट पर डाल दिया है और 1.94 लाख ग्राम पंचायतों में 2.50 लाख सामाजिक लेखा-परीक्षा कराई गई है।

टी.एस.सी. के अंतर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार

1658. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) संतोषजनक ढंग से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना की खामियों को दूर करने तथा इसके सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में 'निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना' के अंतर्गत गत वर्ष के विजेता 'ग्राम सभाओं' को पुरस्कार राशि जारी कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त पुरस्कार राशि विजेताओं को कब तक जारी की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) जी, हां। 1981 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 1% थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 22% पहुंची है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान की ऑन लाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार प्रतिशत 62.12% तक पहुंच गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को पुरस्कार का वितरण करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित संबंधित राज्यों को पिछले वर्ष की पुरस्कार राशि रिलीज कर दी गई है। संबंधित राज्यों के लिए पुरस्कार राशि की रिलीज को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2008 तथा 2009 एन.जी.पी. के लिए राज्यों हेतु पुरस्कार राशि की रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	पुरस्कार राशि (रुपये लाख)	
		एन.जी.पी.-2008	एन.जी.पी.-2009
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	888.50	427.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.00	4.00
3.	असम	60.00	26.00
4.	बिहार	654.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	357.50	130.00
6.	गुजरात	981.50	427.00
7.	हरियाणा	1149.00	165.00
8.	हिमाचल प्रदेश	363.00	364.50
9.	जम्मू और कश्मीर	11.00	0.00
10.	झारखंड	478.50	242.00
11.	कर्नाटक	1421.00	857.00
12.	केरल	4853.00	600.50
13.	मध्य प्रदेश	916.50	874.00
14.	महाराष्ट्र	4989.50	2460.50
15.	मणिपुर	2.00	2.00
16.	मेघालय	6.50	29.50
17.	मिजोरम	12.00	22.50
18.	नागालैंड	4.50	48.00
19.	उड़ीसा	309.00	69.00
20.	पंजाब	17.00	64.50
21.	राजस्थान	424.00	122.00
22.	सिक्किम	353.00	0.00
23.	तमिलनाडु	2847.00	326.50
24.	त्रिपुरा	55.00	0.00

1	2	3	4
25.	उत्तर प्रदेश	1220.00	6.00
26.	उत्तराखंड	128.50	98.00
27.	पश्चिम बंगाल	1965.00	622.00

मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार

1659. श्रीमती राजकुमारी चौहान:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा बहुत असंतोषजनक तथा घटिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में मोबाइल टेलीफोन सेवा में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) ट्राई तिमाही निष्पादन मानिटरिंग रिपोर्ट तथा सम्पूर्ण लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक संकुलन रिपोर्ट के माध्यम से ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता बैंचमार्कों की तुलना में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। सितंबर 2009 को समाप्त तिमाही के लिए उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत निष्पादन मानिटरिंग रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है। प्रायः यह देखा गया है कि सेवा प्रदाता सामान्यतः बैंचमार्कों को पूरा करते हैं।

(ग) बी.एस.एन.एल. उतरोत्तर रूप से अपने मोबाइल नेटवर्क में वृद्धि कर रहा है ताकि कवरेज क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा सेवा की गुणवत्ता को और सुधारा जा सके। बी.एस.एन.एल. अपने निष्पादन के लिए अपने नेटवर्क को सतत रूप से अनुकूलित बना रहा है। तकरीबन सभी स्थलों पर डीजल जनरेटर सेट के माध्यम से बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं।

विवरण

सितंबर, 2009 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के संबंध में तिमाही निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्ट (पी.एम.आर.)

		नेटवर्क संबंधी पैरामीटर								
		नेटवर्क उपलब्धता		कनेक्शन स्थापन (अभिगम्यता)			कनेक्शन अनुरक्षण (धारणीयता)			पी.ओ.आई.
सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	बी.टी.एस. का संचित डाउन टाइम (सेवा के लिए उपलब्ध नहीं) प्रतिशतता	डाउन टाइम के कारण सर्वाधिक प्रभावित बी.टी.एस. (प्रतिशतता)	कॉल सेटअप सफलता दर (लाइसेंस-धारक के अपने नेटवर्क में)	एसडीसीसी एच/पेजिंग सीएचएल संकुलन (प्रतिशतता)	टीसीएच संकुलन (प्रतिशतता)	कॉल ड्रॉप दर (प्रति-शतता)	3% से अधिक टीसीएच ड्रॉप (कॉल ड्रॉप) वाले सर्वाधिक प्रभावित कॉलों की दर (प्रतिशतता)	अच्छी वॉइस गुणवत्ता वाले कनेक्शनों की प्रतिशतता	बैंचमार्क को पूरा नहीं करने वाले प्वाइंट ऑफ इंटर कनेक्शन (पीओआई) संकुलन की की संख्या
		≤2%	≤2%	≥95%	≤1%	≤2%	≤2%	≤5%	≥95%	≤0.5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरटेल	0.67%	4.05%	95.38%	1.07%	1.66%	2.05%	19.49%	91.34%	0.33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	बीएसएनएल	0.64%	7.12%	97.00%	0.69%	1.50%	1.53%	3.50%	96.67%	0.33%
	डिशनेट	0.49%	1.32%	97.83%	0.05%	0.15%	0.86%	14.43%	95.87%	0.00%
	आईडिया	0.37%	0.41%	99.75%	0.30%	0.95%	0.95%	7.04%	96.61%	0.00%
	आरसीओएम	0.32%	0.97%	98.92%	0.00%	0.48%	1.10%	0.85%	99.69%	एन.आर.
	टीटीएसएल	0.37%	C.24%	98.24%	0.00%	0.07%	0.76%	0.75%	98.53%	0.00%
	वोडाफोन	0.20%	2.28%	97.26%	0.67%	1.36%	1.71%	2.63%	95.51%	0.00%
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	एयरटेल	0.45%	2.22%	96.87%	0.73%	1.35%	1.17%	11.31%	95.73%	0.00%
	बीएसएनएल	0.63%	1.87%	98.41%	0.58%	1.82%	1.50%	4.42%	97.50%	0.00%
	डिशनेट	0.45%	0.82%	97.22%	0.19%	0.16%	0.97%	14.19%	96.39%	0.00%
	आईडिया	0.30%	1.47%	99.82%	0.47%	1.31%	1.25%	8.00%	99.30%	0.00%
	आरसीओएम	0.19%	0.83%	99.28%	0.00%	0.35%	1.07%	2.00%	99.55%	एन.आर.
	टीटीएसएल	0.07%	0.03%	98.71%	0.00%	4.35%	0.78%	0.73%	99.07%	0.00%
	वोडाफोन	0.67%	1.84%	97.82%	0.78%	1.10%	1.35%	4.32%	95.64%	0.00%

सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	ग्राहक सेवा गुणवत्ता पैरा मीटर							
		मीटरिंग एवं बिलिंग				ग्राहक सहायता के लिए रेस्पॉन्स टाइम		सेवा समापन/सेवा बंद करना	
		मीटरिंग एवं बिलिंग विश्वसनीयता पोस्ट-पेड	मीटरिंग एक बिलिंग विश्व-सनीयता प्री-पेड	बिलिंग/ चार्जिंग/ वैधीकरण संबंधी शिकायतों का निपटान	शिकायतों के निपटान की तारीख से ग्राहक के खाते में जमा/छूट/ समायोजन करने की अवधि	कॉल सेंटर/ ग्राहक सुविधा तक पहुंच	60 सेकंड के भीतर प्रचालक द्वारा उत्तरित कॉलों (वॉइस टू वॉइस) का प्रतिशत	7 दिनों के भीतर संकलित सेवा के समाप्त/ बंद करने के अनुरोधों का प्रतिशत	सेवा बंदी के बाद जमा राशि लौटाने में लगने वाला समय
		≤0.1%	≤0.1%	4 सप्ताह के भीतर 100%	शिकायत के निपटारे के 1 सप्ताह के भीतर	≥95%	≥90%	7 दिन के भीतर 100%	60 दिनों के भीतर 100%
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
उत्तर प्रदेश पूर्व	एयरटेल	0.02%	0.01%	100%	1 सप्ताह	83.28%	88.00%	98.00%	100%

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
	बीएसएनएल	0.00%	0.00%	100%	उसी दिन	100.00%	92.00%	100.00%	100%
	डिशनेट	लागू नहीं	0.72%	लागू नहीं	1 सप्ताह	100.00%	71.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
	आईडिया	0.02%	0.01%	100%	1 सप्ताह	98.83%	96.00%	100.00%	100%
	आरसीओएम	0.10%	0.01%	100%	1 सप्ताह	87.00%	78.00%	100.00%	100%
	टीटीएसएल	0.04%	0.02%	100%	<1सप्ताह	96.50%	76.00%	93.75%	100%
	वोडाफोन	0.10%	0.07%	100%	1 सप्ताह	99.02%	99.29%	100.00%	100%
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	एयरटेल	0.11%	0.00%	100%	1 सप्ताह	95.10%	81.00%	99.00%	100%
	बीएसएनएल	0.00%	0.00%	100%	1 सप्ताह	99.00%	86.50%	100.00%	100%
	डिशनेट	लागू नहीं	2.65%	लागू नहीं	1 सप्ताह	100.00%	69.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
	आईडिया	0.06%	0.01%	100%	1 सप्ताह	93.12%	94.00%	99.96%	100%
	आरसीओएम	0.10%	0.03%	100%	1 सप्ताह	89.00%	75.00%	100.00%	100%
	टीटीएसएल	0.04%	0.04%	100%	<1 सप्ताह	98.08%	82.00%	93.70%	100%
	वोडाफोन	0.01%	0.00%	100%	शिकायत दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर	99.29%	91.14%	100.00%	100%

☐ बैंचमार्क पूरा नहीं किया गया

एन.आर.: आंकड़े सूचित नहीं किए गए

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1660. श्री घनश्याम अनुरागी:

श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के राज्य-वार नामों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई राज्य-वार और योजना-वार निधियां क्या हैं; और

(ग) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार, वर्ष-वार और योजना-वार कितने बीड़ी कामगार लाभान्वित हुए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) बीड़ी कामगारों के लिए योजनाओं से संबंधित ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

बीड़ी कामगारों के लिए संक्षिप्त योजनाएं

- असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर सामाजिक सहायता उपायों का विस्तार करने के उद्देश्य से श्रम कल्याण निधि की अवधारणा विकसित की गई थी।
- बीड़ी उद्योग में लगे कामगारों को स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, आवासीय तथा मनोरंजनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रसाशित की जाने वाली कल्याण योजनाओं के गठन के लिए संसद द्वारा बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया है।
- पूरे देश में 7 अस्पतालों और 204 औषधालयों के माध्यम से इन कामगारों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देख-रेख का विस्तार किया जाता है।
- पश्चिम बंगाल में झालदा में एक नया अस्पताल शुरू होने जा रहा है।

- **गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति-**

हृदय रोग - 1.30 लाख रुपये तक

गुर्दा प्रत्यारोपण - 2 लाख रुपये तक

कैंसर का उपचार - वास्तविक व्यय

- **छोटे आपरेशन-**

हर्नियां, प्रोस्टेट, अपैंडि-क्टोमी, स्त्री रोग संबंधी आपरेशन आदि - 30,000 रुपये तक

- **अन्य सुविधाएं-**

महिला कामगारों के लिए प्रसूति लाभ - 1000 रुपये

विधवा/विधुर कामगारों की दो पुत्रियों का विवाह - 5000 रुपये प्रत्येक

अंत्येष्टि संबंधी व्यय के लिए वित्तीय सहायता - 1500 रुपये

चश्मों की खरीद - 300 रुपये

परिवार कल्याण आपरेशन - 500 रुपये

बीड़ी कामगार और सिने कामगार सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कवर होते हैं, जिसमें जीवन बीमा निगम द्वारा स्वाभाविक मृत्यु के लिए 10,000 रुपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

- **शिक्षा**

कामगारों के कक्षा 1 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों - 250 रुपये से 8000 रुपये तक अध्ययनरत बच्चों के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियां

- **आवास योजना**

– 1 अप्रैल, 2007 से "संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2007"

– 40,000 रुपये की एक समान केन्द्रीय आर्थिक सहायता

– श्रम कल्याण संगठन के कल्याण आयुक्तों के द्वारा क्रियान्वित की गई

– प्रशासनिक अनुमोदन के बाद तथा आवेदन प्रस्तुत करने के समय नहीं, 5,000 रुपये का कामगार का अंशदान, जैसी पहले व्यवस्था थी।

विवरण-II

बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय 2006-07

(रुपये हजारों)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	500000	567900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अजमेर	राजस्थान, गुजरात व हरियाणा	16286	18512	11650	17630	487	415	-	-
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर	26103	29859	14600	14600	0	0		-
बंगलौर	केरल व कर्नाटक	52188	52442	85800	85800	10	0	-	-
भुवनेश्वर	उड़ीसा	23810	25434	18300	7383	513	339	-	-
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु	69121	56103	140800	140288	70	0	-	-
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	48511	47934	29750	29748	50	0	-	-
कर्मा	बिहार तथा झारखंड	36481	33218	13020	12997	345	184	-	-
कोलकाता	पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्य	44198	40909	43055	55636	150	147	-	-
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	20552	22999	43025	56023	25	24	-	-
कुल		337250	327410	400000	420105	1650	1109	500000	567900

बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय 2007-08

(रुपये हजारों)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	1090000	1090000
अजमेर	राजस्थान, गुजरात व हरियाणा	21845	17595	26790	27977	645	536	-	-
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर	32925	32747	36125	33610	0	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बंगलौर	केरल व कर्नाटक	76908	66138	200000	219432	20	0	-	-
भुवनेश्वर	उड़ीसा	24510	23477	32649	35437	600	314	-	-
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु	70656	62167	250500	260158	60	0	-	-
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	48751	44243	44050	48017	0	0	-	-
कर्मा	बिहार तथा झारखंड	36168	33119	16720	19217	245	188	-	-
कोलकाता	पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्य	79939	43348	113450	124143	250	199	-	-
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	25252	24155	65025	65900	25	45	-	-
कुल		416954	346989	785309	833891	1845	1282	1090000	1090000

बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय 2008-09

(रुपये हजारों)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	731500	707100
अजमेर	राजस्थान, गुजरात व हरियाणा	21080	24361	26300	27179	610	778	-	-
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर	43155	31484	60150	17844	0	0	-	-
बंगलौर	केरल व कर्नाटक	79833	91571	355500	307608	20	0	-	-
भुवनेश्वर	उड़ीसा	30960	36424	26630	39431	600	504	-	-
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु	73555	86719	270500	300467	20	0	-	-
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	56200	66247	68400	26604	0	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्मा	बिहार तथा झारखंड	39654	44496	19250	17394	311	297	-	-
कोलकाता	पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्य	82985	77134	174230	223203	270	194	-	-
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	26615	32099	65025	64055	55	52	-	-
कुल		454037	490535	1065985	1023785	1886	1825	731500	707100

बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय 2009-2010
(दिसम्बर, 2009 तक)

(रुपये हजारों)

क्षेत्र	शामिल राज्य	स्वास्थ्य		शिक्षा		मनोरंजन		आवास	
		बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय
मुख्यालय		0	0	0	0	0	0	590784	291626
अजमेर	राजस्थान, गुजरात व हरियाणा	28214	5073	29450	205	1073	144	-	-
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर	66555	6938	38150	0	0	0	-	-
बंगलौर	केरल व कर्नाटक	116816	29066	245500	93046	20	0	-	-
भुवनेश्वर	उड़ीसा	44110	6252	43120	0	350	37	-	-
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु	108920	21365	238990	57509	20	0	-	-
जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	66600	16292	42400	0	50	0	-	-
कर्मा	बिहार तथा झारखंड	56625	10058	24050	0	335	74	-	-
कोलकाता	पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्य	150092	10648	217945	0	280	41	-	-
नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	35761	7209	75525	0	70	0	-	-
कुल		673693	113101	955130	150760	2198	296	590784	291626

विवरण-III

वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित बीड़ी कामगारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

योजनाओं का नाम	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	मुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक, केरल	उड़ीसा	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना	40000	341878		157808	90000	382764	13038	375333	15000	1258013
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	44	222	28		66	573		289		1462
स्वास्थ्य										
औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	363408	323227	627629	368431	1090342	249480	456427	519284	346448	4344676
टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	1	1	2	3	24	168	17	580	7	803
अंत्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता	81	90	5	2		31		60	49	838
कैंसर का उपचार	1	2	25	7	2	10		20	15	642
कुष्ठ रोग का इलाज	102	511	87	5	5	822	20	61	117	1730
प्रसूति लाभ	420	348	1028	336	228	409	81	3289	671	6810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परिवार कल्याण आपरेशन	7	2	11		4	13		30	108	175
हृदय रोग का उपचार	6		32	3	3	61		8	8	121
गुर्दा रोग संबंधी उपचार	1		2			7			2	12
छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज			21			3			8	32
विधवा/विधुर की पुत्री के विवाह का व्यय	22	77	5			70		6	21	201
स्त्री रोगों का इलाज	2					3		6		11
अपैंडिक्टोमी का इलाज	1					1		9		11
शिक्षा										
छात्रवृत्ति दिया जाना	15966	10549	76290	5400	148554	28652	10221	51359	32794	379785
पुस्तकों/वर्दी की आपूर्ति	6400	8000	23200	9165		8800	12000	12290	17000	96855
मनोरंजन										
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार				1528				424		1952
आवास	3	128	1160	1634	14383	225	829	259	129	18750

वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत
लाभान्वित बीड़ी कामगारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

योजनाओं का नाम	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक केरल	उड़ीसा	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना										
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	40000	363139		152810	[illegible]0000	20513	9566	375333		1051361
स्वास्थ्य										
औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	398082	326480	617817	354756	1059981	305583	303288	419936	203063	3988986
टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	1		7	5		160	16	493	6	688
अंत्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता	229	187	38	34		350		363	141	1342
कैंसर का उपचार	5	2	65	1	2	36		21	12	144
चश्मों की खरीद	795	1387	79	2	7	2506		72	235	5083
कुष्ठ रोग का इलाज										0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रसूति लाभ	299	301	3275	351	371	361		4093	429	9480
परिवार कल्याण आपरेशन	10	1	15	2	7	15			63	113
हृदय रोग का उपचार	1		53	2	11	106		4	1	178
गुर्दा रोग संबंधी उपचार	1		23			7				31
छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज			13	3					9	25
विधवा/विधुर की पुत्री के विवाह का व्यय	34	165	7	4		119		20	63	412
स्त्री रोगों का इलाज		1				4		13		18
अपैंडिक्टोमी का इलाज								5		5
शिक्षा										
छात्रवृत्ति दिया जाना	24023	26168	180895	31610	138596	42440	9431	117683	57812	628658
पुस्तकों/वर्दी की आपूर्ति	10840	4000	41873	21492		11279	92744	16066	18267	216561
मनोरंजन										
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार				1217				508		1725
आवास	175	504	1854	1552	6950	3704	1188	13515	9327	38322

वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित बीड़ी कामगारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

योजनाओं का नाम	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक केरल	उड़ीसा	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना										
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	40000	374515		115540	90000		15655	429444	15000	1080154
स्वास्थ्य										
औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	430183	225774	554474	368858	10054541	141641	336039	478043	322716	3881814
टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	10	11		12	29	280	42	410	5	799
अंत्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता	191	295	20	94	1	829	7	355	67	1859
कैंसर का उपचार	4	1	68	4	2	65		46	7	197
चश्मों की खरीद	648	1784	128	2	12	435	53	152	107	3321
कुष्ठ रोग का इलाज	1							1		2
प्रसूति लाभ	375	349	1197	432	238	499	45	2025	785	5945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परिवार कल्याण आपरेशन	32		31	31	4	24		30	61	213
हृदय रोग का उपचार	6		54	2	6	128		8	8	212
गुर्दा प्रत्यारोपण संबंधी उपचार	3	1	14			8			2	28
छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज		2	17	8				9	7	43
विधवा/विधुर की पुत्री के विवाह का व्यय	44	209	6	7	1	256		34	62	619
स्त्री रोगों का इलाज						5				5
शिक्षा										
छात्रवृत्ति दिया जाना	22425	19091	243065	35792	153711	40115	12375	208286	49365	758255
पुस्तकों/वर्दी की आपूर्ति	10882	4800	82374	16445		11177	12960	19207	20458	178303
मनोरंजन										
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार				3631				702		4333
आवास	945	537	635	1748	9397	1950	1769	5078	1339	23398

वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित बीड़ी कामगारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

योजनाओं का नाम	अजमेर	इलाहाबाद	बंगलौर	भुवनेश्वर	हैदराबाद	जबलपुर	कर्मा	कोलकाता	नागपुर	कुल
	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल राज्य									
	राजस्थान, गुजरात	उत्तर प्रदेश	कर्नाटक, केरल	उड़ीसा	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	बिहार, झारखंड	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य	महाराष्ट्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
समूह बीमा योजना										
समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कामगार	40000	338882		115540	90000		6931	429444	15000	1035797
स्वास्थ्य										
औषधालय/अस्पताल में उपचारित रोगी	161956	165188	438337	280582	681242	258886	207004	302571	158641	2756559
टी.बी. रोगियों का घर पर उपचार	4			8	12	105	14	144	3	290
अंत्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता			4					50	149	203
कैंसर का उपचार		3	41	1		40		29	2	116
मानसिक रोगों का इलाज						1				1
चश्मों की खरीद	213	442		3	3	1044	61	140	251	2157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रसूति लाभ	186	251	2241	322	234	177	39	1403	250	5103
परिवार कल्याण आपरेशन	15	2	93	8	8	22		281	140	569
हृदय रोग का उपचार	7		74	2		47		2	4	136
गुर्दा रोग का इलाज	3	2	11			3			1	20
मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता	149	177		102		476	15	50		969
विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह खर्च	1		4	16	2			6	1	30
स्त्री रोगों का इलाज.	42	233	2	3	2	167	6	22	69	546
शिक्षा						1				1
छात्रवृत्ति दिया जाना	4593		81219	94	219396	659	5811	104732	29964	446468
पुस्तकों/वर्दी की आपूर्ति	1981		1185	0			456			3622
मनोरंजन										
अवकाश गृहों में जाने वाले कामगार				840				245		1085
आवास	271	322	273	2530	4164	475	540			8575

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता

1661. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री नरहरि महतो:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न पक्षों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अवधि के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्मित अनेक ग्रामीण सड़कें पहली बारिश में ही बह गईं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों की जांच के लिए किसी जांच समिति/निगरानी प्राधिकरण का गठन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत कुल 1,24,346 कि.मी. लम्बी सड़क का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष 2009-10 के दौरान (जनवरी, 2010 तक) पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के बारे में 95 विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों से ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा स्थापित जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति पी.एम.जी.एस.वाई. के संबंध में प्रगति की निगरानी तथा सतर्कता संबंधी कार्य भी करती है।

(ज) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत शुरू की गई सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर गहन निगरानी की जा रही है। पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क परियोजनाओं का औचक निरीक्षण करने हेतु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। यदि निगरानीकर्ताओं द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी कार्य को असंतोषजनक पाया जाता है तो उस पर राज्यों द्वारा कार्रवाई की जानी और की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होती है। मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निगरानी की जाती है।

विवरण-I

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत पूरी की गई सड़क लम्बाई (कि.मी.)

क्र. सं.	राज्य	2006-07 पूरी की गई लं.	2007-08 पूरी की गई लं.	2008-09 पूरी की गई लं.
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2194.94	1656.80	1885.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	272.05	271.90	317.43
3.	असम	1546.97	1141.00	1985.11

1	2	3	4	5
4.	बिरार	1078.54	1665.35	2532.20
5.	छत्तीसगढ़	2988.89	2719.36	2427.08
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	585.80	830.24	1262.07
8.	हरियाणा	373.55	670.21	969.87
9.	हिमाचल प्रदेश	1502.93	1555.20	1360.10
10.	जम्मू और कश्मीर	46.82	140.69	469.80
11.	झारखंड	308.60	277.15	214.97
12.	कर्नाटक	366.45	1427.01	2099.13
13.	केरल	77.27	100.54	240.22
14.	मध्य प्रदेश	3788.50	5231.45	7893.72
15.	महाराष्ट्र	1599.23	2942.19	4138.65
16.	मणिपुर	199.55	265.99	78.95
17.	मेघालय	38.35	52.47	30.80
18.	मिजोरम	146.81	207.43	195.18
19.	नागालैण्ड	9.50	398.42	298.53
20.	उड़ीसा	2069.85	1836.04	2641.00
21.	पंजाब	440.50	1036.49	751.62
22.	राजस्थान	6216.63	9887.50	10349.93
23.	सिक्किम	204.22	142.47	308.57
24.	तमिलनाडु	519.03	747.90	609.59
25.	त्रिपुरा	175.61	59.51	361.27
26.	उत्तर प्रदेश	2656.39	3551.98	6461.02
27.	उत्तराखंड	105.89	842.08	645.60
28.	पश्चिम बंगाल	1197.58	1573.81	1877.11
	कुल योग	30710.45	41231.18	52404.52

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान (जनवरी, 2010 तक)
प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	1
2.	असम	4
3.	बिहार	18
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	झारखंड	2
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	8
11.	महाराष्ट्र	8
12.	मेघालय	1
13.	नागालैण्ड	2
14.	उड़ीसा	5
15.	पंजाब	5
16.	राजस्थान	2
17.	सिक्किम	2
18.	तमिलनाडु	1
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	17
21.	उत्तराखंड	1
22.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	95

विशेष प्रयोजनार्थ चाय निधि

1662. श्रीमती रानी नरह:
श्री वरुण गांधी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विशेष प्रयोजनार्थ चाय निधि (ए.पी.टी.एफ.) के अंतर्गत चाय बागानों को जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने चाय बागानों का पुनरुद्धार किया गया; और

(ग) चाय तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात संवर्धन एवं मूल्य संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान विशेष प्रयोजन चाय निधि (एस.पी.टी.एफ.) के अंतर्गत चाय बागानों को ऋण तथा सब्सिडी के रूप में क्रमशः 16.01 करोड़ और 35.36 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई थीं। चालू वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009 तक) के दौरान एस.पी.टी.एफ. के अंतर्गत चाय बागानों को 25.07 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

(ख) एस.पी.टी.एफ. से लाभान्वित चाय बागानों की कुल संख्या 707 हो गई है। इसमें असम (395), पश्चिम बंगाल (218), तमिलनाडु (39), केरल (33), त्रिपुरा (19) और कर्नाटक (3) शामिल हैं।

(ग) 11वीं योजना स्कीमों के अंतर्गत सरकार चाय बोर्ड के प्रचारात्मक अभियानों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, चाय आस्वादन सत्रों, व्यापार मेलों, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा निर्यातकों को प्रोत्साहन आदि में सहायता द्वारा चाय बोर्ड के माध्यम से चाय के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त (i) पुरानी तथा बेकार मशीनों को बदलने, (ii) 100% क्रश, टियर एवं कर्ल (सी.टी.सी.) फैक्टरियों में परंपरागत चाय के लिए प्रसंस्करण मशीनों की खरीद और सफाई, ब्लेंडिंग, कलर सॉटिंग, पैकेजिंग आदि के लिए अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन हेतु सब्सिडी प्रदान करके चाय के मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन दिया जाता है।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत जनसंख्या मानदंडों में छूट

1663. डॉ. राजन सुशान्त: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्वतीय राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखण्ड की कठिन भौगोलिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत इनके लिए जनसंख्या के मानदंडों को शिथिल करने का है;

(ख) क्या अन्य दशाओं अर्थात् बर्फबारी, भारी वर्षा आदि दशाओं के संबंध में जनसंख्या के संबंध में उक्त छूट सहित कोई विशेष छूट देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 या इससे अधिक आबादी वाली सभी बसावटें बारहमासी सड़क-संपर्क के लिए पात्र हैं। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तराखंड) के मामले में पात्रता मानदंड में छूट दी गई है और 250 या इससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटें इस योजना के तहत पात्र हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इन क्षेत्रों के मामले में किसी विशेष छूट का प्रस्ताव नहीं है। विद्यमान पी.एम.जी.एस.वाई. दिशानिर्देशों में, पहाड़ी राज्यों में मौजूद दुर्गम परिस्थितियों के मद्देनजर पहले से ही कुछ विशेष प्रावधान मौजूद हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) सड़क कार्य दो चरणों में कार्यान्वित किए जा सकते हैं। दिशानिर्देशों में उल्लिखित सड़क कार्य को पूरा करने की अवधि, इन क्षेत्रों में प्रत्येक चरण के लिए लागू है।

(ii) पहाड़ी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित) में जनसंख्या के अनुसार पात्रता का निर्धारण करने के लिए 10 कि.मी. की दूरी के अंतर्गत स्थित सभी बसावटों के समूह को एक बसावट मानने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों के पैरा 3.4 में संशोधन किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए पूर्व में यह सीमा 1.5 कि.मी. थी।

(iii) ग्रामीण सड़कों के ज्योमेट्रिक्स डिजाइन संबंधी मानकों को ग्रामीण सड़क नियमावली आई.आर.सी. एस.पी.: 20-2002 के तहत संचालित किया जाता है। तथापि, सरकार ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ज्योमैट्रिक मानकों में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार छूट देने का निर्णय लिया है जिसे पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत निर्माण लागत में कमी लाने के प्रयोजन से ग्रामीण सड़कों संबंधी मानकों, विशिष्टियों तथा डिजाइन की समीक्षा हेतु गठित किया गया था।

[अनुवाद]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. का आकलन

1664. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) का कोई आकलन एवं मध्यावधि समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में योजना के आरम्भ होने से प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में लक्ष्यों तथा व्यक्तियों को मजदूरी के भुगतान आदि के रूप में वर्ष-वार कितनी सफलता हासिल की गई है;

(ग) क्या सरकार ने योजना में कुछ कठिनाइयों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन तथा बेहतर परिणाम देने वाले राज्यों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) यह मंत्रालय निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों में तिमाही आधार पर सभी राज्यों में मनरेगा के निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है। समय-समय पर राज्य विशेष समीक्षाएं भी की जाती हैं। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य भी विभिन्न जिलों के अपने दौरों के दौरान मनरेगा के निष्पादन की समीक्षा करते हैं।

(ख) मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है तथा इसी वजह से इसके अंतर्गत पहले से लक्ष्य निर्धारित नहीं

किए जाते। तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत 2.10 करोड़ परिवारों को, वर्ष 2007-08 के दौरान 3.39 करोड़ परिवारों को, वर्ष 2008-09 के दौरान 4.51 करोड़ परिवारों को, वर्ष 2009-10 के दौरान (जनवरी, 10 तक) 4.49 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी वर्ष 2006-07 के दौरान 65 रु., वर्ष 2007-08 के दौरान 75 रु., वर्ष 2008-09 के दौरान 84 रु. थी तथा वर्ष 2009-10 के दौरान अब तक 88.56 रु. है।

(ग) से (ड) मनरेगा के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के दौरान इस मंत्रालय को रोजगार के लिए आवेदन, काम के लिए आवेदन की दिनांकित रसीद, जॉब कार्ड प्रपत्र, मस्टररोल, रिकार्ड रजिस्टर के रख-रखाव, कार्यों के निरीक्षण, कार्यान्वयन एजेंसियों के पास स्टाफ की कमी इत्यादि जैसी प्रक्रिया से संबंधित कमियों का पता चला। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को न्यूनतम करने के लिए तथा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करते हुए गहन आई.ई.सी. क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता सृजन।

(ii) नरेगा के लिए समर्पित स्टाफ तैनात करने, सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक सहायता संरचना को सुदृढ़ करने, शिकायत का निवारण करने तथा आई.सी.टी. अवसंरचना के लिए प्रशासनिक व्यय की अनुमत सीमा को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

(iii) मजदूरी संवितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नरेगा कामगारों के सांस्थानिक खातों के माध्यम से भुगतान। वित्तीय सेवाओं तथा इनकी उपलब्धता की कमी को दूर करने तथा मजदूरी संवितरण में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भी ग्रामीण ए.टी.एम., हस्तचालित उपकरण, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक्स शुरू किए गए हैं।

(iv) 07-9-09 को अनुदेश जारी किए गए जिसमें सभी राज्यों को शिकायत के निवारण के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करने का निदेश दिया गया है।

(v) सामाजिक लेखा-परीक्षा: सामाजिक लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए 31-12-08 को अधिनियम में परिशोधन किया गया है।

(vi) प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वतंत्र निगरानी को अनुमोदित कर दिया गया है।

(vii) जन संवीक्षा के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने, जॉब कार्ड को शामिल करने, रोजगार की मांग तथा आबंटित किए गए कार्य, कार्यदिवसों की संख्या, मस्टर रोल, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई निधियां, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायत दर्ज करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए आई.सी.टी. आधारित एम.आई.एस.।

(viii) राष्ट्रीय हेल्पलाइन को अब आई.सी.टी. आधारित राष्ट्रीय हैल्पलाइन नेटवर्क के रूप में उन्नत बनाया जा रहा है। टॉल फ्री हैल्पलाइन नं. 1800110707 है।

(ix) इस अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए जिला उत्कृष्टता पुरस्कार। वर्ष 2007-08 के दौरान 22 जिलों को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया तथा वर्ष 2008-09 के दौरान 25 जिलों को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया।

[हिन्दी]

निर्माण मजदूरों/कामगारों का कल्याण

1665. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में निर्माण क्षेत्र/उद्योग में कार्यरत पुरुष और महिला कामगारों/मजदूरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कामगारों/मजदूरों के कल्याण समग्र विकास के लिए व्यापक नीति बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में कार्यस्थल पर मारे गए कामगारों/मजदूरों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ङ) देश में ऐसे कामगारों/मजदूरों की स्वास्थ्य, कार्य दशाओं, सुरक्षा, चिकित्सा परिचर्या, रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उनके बच्चों हेतु शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (2004-05) के अनुमान के अनुसार भारत में भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों की अनुमानित संख्या लगभग 25.71 मिलियन है। राज्यवार तथा महिला-पुरुष आधार पर ब्यौरे नहीं रखे जाते। तथापि, भारत की जनगणना 2001 में दिये गये अनुसार राज्य-वार तथा महिला-पुरुष आधार पर ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख), (ग) और (ङ) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

विवरण-I

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार राज्यवार तथा महिला-पुरुष आधार पर निर्माण कामगारों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1095380	911450	183930
2.	अरुणाचल प्रदेश	30078	24351	5727
3.	असम	197420	190960	6460
4.	बिहार	412270	393550	18720
5.	छत्तीसगढ़	182540	145350	37190
6.	गोवा	47977	41707	6270
7.	गुजरात	850300	738160	112140
8.	हरियाणा	370000	333560	36440
9.	हिमाचल प्रदेश	129710	121510	8200
10.	जम्मू और कश्मीर	135220	126580	8640
11.	झारखण्ड	327430	284330	43100
12.	कर्नाटक	947000	819320	127680
13.	केरल	1007180	934730	72450
14.	मध्य प्रदेश	661200	565340	95860
15.	महाराष्ट्र	1616790	1386910	229880
16.	मणिपुर	14360	13220	1140

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	19510	17700	1810
18.	मिजोरम	16579	15420	1159
19.	नागालैंड	17201	15316	1885
20.	उड़ीसा	595640	473340	122300
21.	पंजाब	450380	429550	20830
22.	राजस्थान	1066780	931710	135070
23.	सिक्किम	13602	11343	2259
24.	तमिलनाडु	1134370	988010	146360
25.	त्रिपुरा	27130	25400	1730
26.	उत्तर प्रदेश	1330760	1267320	63440
27.	उत्तराखण्ड	162860	157080	5780
28.	पश्चिम बंगाल	864180	827910	36270
29.	दिल्ली	352830	327840	24990
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17874	16259	1615
31.	चंडीगढ़	32679	30840	1839
32.	दादरा और नगर हवेली	4919	3784	1135
33.	दमन और दीव	4065	3227	838
34.	लक्षद्वीप	1837	1780	57
35.	पुडुचेरी	26993	24142	2851
	कुल	14165044	12598999	1566045

विवरण-II

सरकार ने विशेष रूप से भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों के लिए मजदूरी, कार्य दशाओं, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कल्याण उपायों आदि को विनियमित करने के उद्देश्य से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 को अधिनियमित किया है। अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य नियम बनाना, सलाहकार समिति एवं राज्य भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करना है। कल्याण बोर्ड की निधि का मुख्य स्रोत नियोक्ता से निर्माण लागत पर हुए व्यय का 1% की दर से उपकर संग्रह करना है। राज्य कल्याण बोर्ड लाभार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करा

सकता है, 60 वर्ष से अधिक की आयु पूरी करने वाले लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान कर सकता है, मकान का निर्माण के लिए ऋण एवं पेशगियां मंजूर कर सकता है, समूह बीमा योजना के संबंध में प्रीमियम का भुगतान कर सकता है, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दे सकता है, लाभार्थियों की बड़ी बीमारी के उपचार में चिकित्सा व्यय को पूरा कर सकता है तथा महिला लाभार्थियों आदि के लिए प्रसूति हितलाभ का भुगतान कर सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिनियम के कार्यान्वयन का सघन अनुवीक्षण एवं समीक्षा के लिए एक विशेष समूह का गठन किया गया है। विशेष समूह संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के प्रभावी कार्यान्चयन की तात्कालिकता तथा महत्व पर जोर देने के लिए क्षेत्रवार बैठक आयोजित कर रहा है। अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में विशेष समूह की 18 क्षेत्रवार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

विशिष्ट व्यक्तियों हेतु विमानों का अधिग्रहण

1666. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग हेतु तीन बोइंग बीजनेस जेट विमानों को विमान बेड़े में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं से अलग अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त विमानों का उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना में तीन बोइंग बिजनेस जेट विमान क्रमशः अगस्त 2008, अक्तूबर, 2008 और जनवरी, 2009 में शामिल किए गए थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) बोइंग बिजनेस जेट विमान की रेंज 3140 समुद्री मील की है। इससे यह विमान पुनः ईंधन भराई के बिना यूरोप तक और उससे आगे के गंतव्यों तक पुनः ईंधन भराई के एक स्टॉप के साथ उड़ान भरने में सक्षम है।

सुकना जमीन मामले में सेना मुख्यालय को निदेश

1667. श्री मनीष तिवारी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा सुकना जमीन मामले में सेना मुख्यालय को कोई अनुदेश/निदेश जारी किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं। तथापि, एक एडवाइस जारी की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

1668. श्री संजय धोत्रे:
श्री मदनलाल शर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कल्याणकारी योजना की निगरानी तथा समन्वय के अभाव के कारण उक्त योजनाओं के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार की प्रत्येक योजना के अंतर्गत बजट धनराशि में से निगरानी के उद्देश्य के लिए कितनी प्रतिशत धनराशि खर्च की जा रही है;

(घ) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मंत्रालय निम्नांकित योजनाओं अर्थात् (i) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अखिल भारत अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को सहायता की केन्द्रीय योजना और (ii) सामाजिक रक्षा, विकलांगता और अन्य पिछड़े वर्गों के विषयगत क्षेत्रों को कवर करते हुए अनुसंधान और प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। 2009-10 के दौरान, इन योजनाओं के अंतर्गत 1.6 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इन योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर सावधिक रूप से समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निधियों/छात्रवृत्तियों को नियमित रूप से तथा समय पर जारी करना, छात्रावासों में पर्याप्त सुविधाएं, नियमित निरीक्षण और अनुश्रवण की आवश्यकता और योजनाओं आदि के बारे में जागरुकता पैदा करना शामिल है।

भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विलय

1669. श्री पी. लिंगम:

श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) का भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. बोर्ड ने 25-02-2008 को आयोजित अपनी 113वीं बैठक में सूचीबद्ध किए जाने संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद और नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने संबंधी कंपनी के दावे को मजबूत करने के संबंध में यह निर्णय लिया कि कंपनी को सूचीबद्ध होना चाहिए। सरकार बी.एस.एन.एल. में अपनी इक्विटी शेयरधारिता के हिस्से को निम्नलिखित कारणों से जनता को बेचने की पेशकश करने पर विचार कर रही है:

- यह बी.एस.एन.एल. के विस्तार में वृद्धि करेगा।
- आवश्यकता होने पर यह नई इक्विटी पूंजी को प्राप्त करने के लिए पूंजी बाजार की सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे बी.एस.एन.एल. को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

इस इश्यू को जारी करने का समय पूंजी बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) सरकार के पास फिलहाल एम.टी.एन.एल. का बी.एस.एन.एल. के साथ विलय करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशेष आर्थिक जोनों तथा निर्यातोन्मुख जोनों से निर्यात हेतु लक्ष्य

1670. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) तथा निर्यातोन्मुख जोनों (ई.ओ.यू.) से विभिन्न वस्तुओं/मदों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) सरकार

एस.ई.जेड./ई.ओ.यू. से निर्यातों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

एस.ई.जेडों. में इकाइयां पांच वर्षों की अवधि में सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा में (एन.एफ.ई.) आय प्राप्त करने के लिए बाध्य है, विफल होने पर शास्ति लगाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एस.ई.जेड. से कुल 99,689 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जिसमें वर्ष 2007-08 में एस.ई.जेड. से हुए निर्यातों की तुलना में 50% की वृद्धि दर्ज हुई है।

[हिन्दी]

पंचायतों को मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं

1671. श्री शैलेन्द्र कुमार:

श्रीमती जे. शांता:

श्री वीरेन्द्र कश्यप:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश सहित देश में पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय स्थान पंचायतों का कंप्यूटरीकरण और पंचायती राज के विभिन्न प्रतिनिधियों/अधिकारियों के प्रशिक्षण जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) पंचायतों के तीन स्तरों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता व कमी के संबंध में सूचना का अनुरक्षण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) कई पंचायतों में अवसंरचनात्मक कमी है एवं राज्यों से इसे समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने हेतु अनुसरण किया जा रहा है। प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.) के तहत राज्य सरकारों व उनके नामित एजेंसियों को निधियां उपलब्ध करता है। इन स्कीमों के तहत निर्मुक्त निधियों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नवत हैं:

(राशि करोड़ रुपये)

स्कीम-घटक	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10 (02-03-2010 तक)	कुल
बी.आर.जी.एफ.-क्षमता निर्माण	121.32	135.65	190.64	447.61
आर.जी.एस.वाई.-प्रशिक्षण	30.01	48.32	28.18	106.51
आर.जी.एस.वाई.-अवसंरचना	16.22	0.00	4.94	21.16

[अनुवाद]

कौशल विकास मिशन कार्यक्रम

1672. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ-साथ इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना का संपूर्ण वित्तपोषण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या इस योजना का विस्तार संपूर्ण देश में करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना का विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कौशल विकास पर समन्वित कार्रवाई में (i) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एन.एस.डी.सी.बी.) तथा (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) के त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचे की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद की नीतिगत सलाह, निदेश तथा समीक्षा हेतु शीर्षस्थ संस्था के रूप में स्थापना की गई है। एन.एस.डी. एस.बी. से अपेक्षा है कि वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने की कार्यनीतियां बनाए तथा कौशल विकास के बृहतर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुचित प्रचालन दिशानिर्देश तथा अनुदेश विकसित करे। एन.एस.डी.सी. को निजी क्षेत्र में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में निगमित किया गया है।

(ख) और (ग) मिशन की ओर से कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। तथापि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/राज्य अपने नियंत्रणाधीन कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अपनी योजनाओं के लिए योजना आयोग से निधियां प्राप्त करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में निगमित किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एन.एस.डी.एफ.) के मध्य एक निवेश प्रबन्धन-करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करार के अनुसार, करार में निर्धारित किए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एन.एस.डी.सी. निधियों का प्रबन्ध करेगा।

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन कार्यक्रम में पूरा देश समाहित है।

(ङ) कौशल विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा इसलिए कोई भी समापन अनुसूची नहीं है।

स्पैक्ट्रम जारी करना

1673. श्री अनंत कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय को दूरसंचार विभाग से रक्षा बलों द्वारा धारित स्पैक्ट्रम को जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावित स्पैक्ट्रम को जारी करने से भविष्य में रक्षा संबंधी संचार विस्तार प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। स्पैक्ट्रम जारी करने के लिए रक्षा मंत्रालय और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 22 मई, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) एक विशिष्ट आप्टीकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) नेटवर्क मुहैया कराने के लिए समझौता ज्ञापन में किए गए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए स्पैक्ट्रम जारी होने से रक्षा संचार के भावी विस्तार के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों की कमी

1674. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 2010 तक) के लिए सूखा प्रभावित राज्यों में आरंभ और पूर्ण कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार की मांग पूरी करने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को सलाह पुस्तिका जारी की।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (जनवरी, 2010 तक)	
		कुल कार्य	पूर्ण कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	2E+05	87571	475648	183724	670693	209527	886500	447710
2.	असम	15407	9518	11855	6339	17098	7135	17386	5290
3.	बिहार	61881	29759	86740	44780	105603	53668	141297	52301
4.	हिमाचल प्रदेश	8726	4722	19262	7496	45556	22281	51733	23847
5.	झारखंड	63815	24048	159057	49438	160302	65483	147772	59006
6.	कर्नाटक	18643	11005	26180	18040	56538	34431	402346	22366
7.	मध्य प्रदेश	2E+05	82548	341529	136003	525888	212231	500910	172199
8.	महाराष्ट्र	10892	5324	13281	4602	25076	10778	20975	7868
9.	मणिपुर	1615	901	2893	271	12213	9106	10732	6938
10.	नागालैंड	128	124	790	292	6029	5016	7649	3669
11.	उड़ीसा	51521	18803	64304	19621	148011	10415	194771	9790
12.	राजस्थान	22049	8771	63238	18090	236192	100472	187161	68727
13.	उत्तर प्रदेश	75500	42984	147867	102154	307180	188082	401252	205082
	कुल	720633	326078	1412644	590850	2316379	928625	2970484	1084793

प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का रखरखाव

1675. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसी संगठन अभिकरण को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये संगठन समुचित तरीके से काम कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इन संगठनों/अभिकरणों द्वारा मरम्मत की गई उक्त सड़कों से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया में है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों की सभी कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्माण के लिए कार्य का आबंटन करते समय उसी ठेकेदार के साथ पांच वर्ष का अनुरक्षण ठेका करना होता है जिस ठेकेदार को सड़क बनाने का काम दिया जाता है। ठेका को पूरा करने के लिए अनुरक्षण निधियां राज्य सरकार द्वारा दी जानी होती हैं तथा राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

को सौंपना होता है। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी राज्य में कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में निधियों के आबंटन तथा सड़क कार्यों के अनुरक्षण की निगरानी करती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की नेमी अनुरक्षण स्थिति की निगरानी करने का काम दिसंबर, 2007 से शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को नमूने के तौर पर सड़कों की अनुरक्षण स्थिति की जांच करने के लिए अलग-अलग राज्यों में भेजा गया है। उनकी अभ्युक्तियों के आधार पर सड़कों के अनुरक्षण के स्तर को तीन श्रेणियों अर्थात् समुचित अनुरक्षण, कम अनुरक्षण तथा कोई अनुरक्षण नहीं में श्रेणीकृत किया जाता है। इन राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा नवंबर, 2009 तक किए गए निरीक्षणों तथा निष्कर्षों के सारांश का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिसंबर, 2007 से नवम्बर, 2009 तक पूरे कर लिए गए कार्यों के अनुरक्षण के संबंध में राष्ट्रस्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता की अभ्युक्ति का सारांश

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति						
		कुल	पी.एम.	पी.एम.%	एल.एम.	एल.एम.%	एन.एम.	एन.एम.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	396	64	16%	168	42%	164	41%
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	0	0%	7	35%	13	65%
3.	असम	328	83	25%	160	49%	85	26%
4.	बिहार (एन.ई.ए.)	59	5	8%	17	29%	37	63%
5.	छत्तीसगढ़	247	40	16%	145	59%	62	25%
6.	गुजरात	335	89	27%	161	48%	85	25%
7.	गोवा	0	0	0%	0	0%	0	0%
8.	हरियाणा	109	19	17%	44	40%	46	42%
9.	हिमाचल प्रदेश	158	38	24%	64	41%	56	35%
10.	जम्मू और कश्मीर	55	10	18%	17	31%	28	51%
11.	झारखण्ड	221	29	13%	110	50%	82	37%
12.	कर्नाटक	335	57	17%	163	49%	115	34%
13.	केरल	156	7	4%	38	24%	111	71%
14.	मध्य प्रदेश	729	326	45%	291	40%	112	15%
15.	महाराष्ट्र	743	196	26%	307	41%	240	32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मणिपुर	32	0	0%	7	22%	25	78%
17.	मेघालय	50	6	12%	16	32%	28	56%
18.	मिजोरम	22	4	18%	8	36%	10	45%
19.	नागालैंड	25	0	0%	6	24%	19	76%
20.	उड़ीसा	600	216	36%	269	45%	115	19%
21.	पंजाब	261	39	15%	169	65%	53	20%
22.	राजस्थान	582	200	34%	289	50%	93	16%
23.	सिक्किम	29	10	34%	5	17%	14	48%
24.	तमिलनाडु	372	25	7%	138	37%	209	56%
25.	त्रिपुरा	44	21	48%	14	32%	9	20%
26.	उत्तर प्रदेश	832	177	21%	400	48%	255	31%
27.	उत्तराखंड	122	34	28%	36	30%	52	43%
28.	पश्चिम बंगाल	337	56	17%	173	51%	108	32%
	कुल योग	7199	1751	24%	3222	45%	2226	31%

पी.एम. - समुचित अनुरक्षण

एल.एम. - कम अनुरक्षण

एन.एम. - कोई अनुरक्षण नहीं

कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधाएं

1676. **डॉ. संजय जायसवाल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संगठित/निजी क्षेत्र में प्रतिमाह दस हजार रुपये से ज्यादा अर्जित करने वाले कर्मचारियों/कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कर्मचारियों/कामगारों के लिए सरकार द्वारा तैयार/लागू की गई वैकल्पिक योजना का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 19-02-2010 को आयोजित अपनी बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों के कवरेज हेतु मजदूरी की उच्चतम सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये का अनुमोदन किया था। इस आशय की अधिसूचना 26-02-2010 से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए जारी कर दी गई थी।

[अनुवाद]

कॉफी का उत्पादन

1677. **श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान मौसम की अनियमित स्थितियों के कारण कर्नाटक में कॉफी उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक में कॉफी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) यद्यपि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान कर्नाटक में कॉफी के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई है तथापि चालू वर्ष में उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक में कॉफी के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(उत्पादन टन)

वर्ष	अरेबिका	रॉबस्टा	कुल
2005-06	76300	119975	196275
2006-07	80250	125775	206025
2007-08	73950	117625	191575
2008-09	61135	122725	183860
2009-10*	73400	132300	205700

*मानसून पश्चात अनुमान

(ग) और (घ) जी, हां। कर्नाटक में कॉफी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से पुनर्रोपण, जल संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण, गुणवत्ता उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। दीर्घावधि में इन उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान हेतु ई.बी.टी. प्रणाली

1678. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थियों को पूरी तरह से स्मार्ट कार्ड आधारित इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ई.बी.टी.) को अपनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्राइल तथा जी.सी.सी. देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

1679. श्री के. सुधाकरण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी देश सहयोग परिषद (जी.सी.सी.) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत को मिलने वाले आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस्राइल के साथ पृथक मुक्त व्यापार समझौता करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत खाड़ी सहयोग परिषद (जी.सी.सी.) देशों के साथ एक मुक्त व्यापार करार (एफ.टी.ए.) पर वार्ताएं कर रहा है।

(ख) और (ग) अब तक वार्ताओं के दो दौर आयोजित किए जा चुके हैं। मुक्त व्यापार करार का उद्देश्य खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश का संवर्धन करना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने इस्रायल के साथ एक मुक्त व्यापार करार (एफ.टी.ए.) करने का प्रस्ताव किया है। दोनों पक्षों के लिए किसी सुविधाजनक तारीख और स्थान पर वार्ताएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु समय सीमा

1680. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य-स्थल पर ही कामगारों को भुगतान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इस समय देश के प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत भुगतान करने में औसतन कितना समय लगता है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) मनरेगा की धारा 3(3) में यह व्यवस्था है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार या किए गए कार्य की तारीख के 15 दिन के भीतर किया जाए।

(ख) राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान करें।

(ग) मनरेगा की अनुसूची-II के पैरा 30 में यह व्यवस्था है कि अगर योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो मजदूर मजदूरी के भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

कृषि मजदूरों/कामगारों के लिए योजनाएं

1681. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री गणेश सिंह:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय भूमिहीन कृषि मजदूरों/कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त मजदूरों/कामगारों के कल्याण, उत्थान तथा सहायता के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार तथा योजनावार कितनी धनराशि आबंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से राज्यवार, वर्षवार तथा योजनावार कितने मजदूर/कामगार लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार ऐसे मजूदरों/कामगारों की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे मजदूरों/कामगारों की स्थिति तथा आजीविका में सुधार हेतु अन्य क्या प्रयास/योजनाएं तैयार की गई हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भूमिहीन कृषि कामगारों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कृषि मजदूरों/कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में राष्ट्रीय

सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है। यह बोर्ड असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा जीवन एवं अपंगता कवर, स्वास्थ्य तथा प्रसूति लाभों, वृद्धावस्था संरक्षण और सरकार द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य लाभ की सिफारिश करेगा। 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु तथा अपंगता कवर प्रदान करने के लिए, सरकार ने "आम आदमी बीमा योजना" प्रारम्भ की थी। 31-12-2009 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 1.01 करोड़ जीवन कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की रोजी-रोटी संरक्षा के संवर्धन का प्रावधान है।

(ग) से (च) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटन तथा व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट: कृषक परिवार की आय, व्यय तथा उत्पादक परिसंपत्तियां, 2003 के अनुसार कृषक परिवार की औसत मासिक आय 2115 रुपये है।

विवरण-I

देश में भूमिहीन कृषि कामगारों की संख्या

(स्रोत: जनगणना 2001)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कामगारों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13832152
2.	अरुणाचल प्रदेश	18840
3.	असम	1263532
4.	बिहार	13417744
5.	छत्तीसगढ़	3091358
6.	गोवा	35806
7.	गुजरात	5161658
8.	हरियाणा	1278821
9.	हिमाचल प्रदेश	94171
10.	जम्मू और कश्मीर	246421
11.	झारखंड	2851297
12.	कर्नाटक	6226942
13.	केरल	1620851
14.	मध्य प्रदेश	7400670
15.	महाराष्ट्र	10815262
16.	मणिपुर	113630
17.	मेघालय	171694
18.	मिजोरम	26783
19.	नागालैण्ड	30907
20.	उड़ीसा	4999104
21.	पंजाब	1489861
22.	राजस्थान	2523719
23.	सिक्किम	17000
24.	तमिलनाडु	8637630
25.	त्रिपुरा	276132
26.	उत्तर प्रदेश	13400911
27.	उत्तराखंड	259683
28.	पश्चिम बंगाल	7362957
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5169

1	2	3
30.	चंडीगढ़	563
31.	दादरा और नगर हवेली	14715
32.	दमन और दीव	1323
33.	दिल्ली	15773
34.	लक्षद्वीप	00
35.	पांडिचेरी	72251
	कुल	**106775330**

*टिप्पणी: भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर राज्य में सेनापति जिले के माओ मराम, पाओमाता तथा पुरूल सब-डिविजन शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रशासनिक तथा तकनीकी कारणों से जनगणना परिणाम निरस्त कर दिए गए थे।

विवरण-II

(करोड़ रुपयों)

क्र. सं.	योजना	आबंटन			व्यय		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	(i) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 65 वर्ष की आयु पर वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ii) विपन्न लोगों की सहायता के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	2489.61*	2889.73*	45000*	1968.27*	3121.93*	4055.82*
2.	सुरक्षित मातृत्व के लिए जननी सुरक्षा योजना	135.51	250.00	1281.47	258.32	880.17	1241.33
3.	गरीबी रेखा से नीचे के लोगों तथा गरीबी रेखा से आंशिक रूप से ऊपर के लोगों को जीवन एवं दुर्घटना कवर प्रदान करने वाली जनश्री बीमा योजना	500***			132.79	204.50	267.13
4.	भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को जीवन एवं दुर्घटना कवर प्रदान करने वाली आम आदमी बीमा योजना		1000***	500*** (छात्रवृति निधि)		44.81	43.53 (छात्रवृति सहित)

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना 1-04-2008 से प्रभावी हुई।	-	-	250	-	-	101.65

*राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के पांच कारकों में शामिल हैं: इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना,. इंदिरा गांधी अशक्तता पेंशन योजना एवं अन्नपूर्णा।

***यह एक कायिक निधि है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्राधिकरण

1682. श्री नृपेन्द्रनाथ राय: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमि अधिग्रहण

1683. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में अन्य क्रियाकलापों के लिए अधिग्रहीत उपजाऊ कृषि भूमि/अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि सहित विभिन्न प्रकार की भूमि संबंधित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-से क्षेत्र विचाराधीन हैं तथा मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) उन संगठनों के क्या नाम हैं जिन्हें देश के प्रत्येक राज्य में इन क्षेत्रों को अधिग्रहीत करने की अनुमति दी गई है/दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन क्षेत्रों को अत्यंत कम दर पर अधिग्रहीत किया गया है/किया जा रहा है तथा किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा केवल परती भूमि के अधिग्रहण के साथ-साथ कम दर पर भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने एवं प्रभावित लोगों/किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 में की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से राज्यों के विधायी एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एन.आर.आर.पी.-2007) तैयार की है, जिसे भारत के राजपत्र में 31 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित किया गया है। नीति में यह व्यवस्था की गई है कि जिन परियोजनाओं से लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है, उन सभी परियोजनाओं में मूल न्यूनतम आवश्यकताओं को अवश्य पूरा किया जाए, जबकि राज्य सरकारें, सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रम या एजेंसियां या अन्य अर्जनकारी निकाय निर्धारित स्तर से अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। एन.आर.आर.पी.-2007 में यह भी उल्लेख किया गया है कि लक्ष्य बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन को यथासंभव कम से कम करने का होना चाहिए। परियोजना के प्रयोजन के अनुरूप भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का ही अधिग्रहण किया जाए। इसके अलावा, यह भी व्यवस्था की गई है कि परियोजनाओं को बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि या असिंचित भूमि पर ही स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

काजू बोर्ड

1684. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में काजू बोर्ड की स्थापना के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) काजू बोर्ड स्थापित करने के लिए कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रमुख हितबद्ध पक्षकारों के बीच कोई सहमति न होने के कारण काजू बोर्ड स्थापित किए जाने के बारे में कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धीमी प्रगति

1685. श्री मनोहर तिरकी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो कितना प्रतिशत लक्षित कार्य पूरा हुआ है तथा इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस संबंध में झारखण्ड सहित राज्यों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(घ) परियोजना के समय-सीमा के अनुसार पूरी होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (एन.आर.आर.डी.ए.) ने राज्यों को जारी की जाने वाली धनराशि को अस्थायी रूप से रोक दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत कुल पात्र बसावटों में से 49% बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है तथा राज्यों ने जनवरी, 2010 तक सड़क कार्यों पर 61,611.60 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

(ग) झारखंड सहित राज्यों का कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(घ) पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कुछ कारण निम्नानुसार हैं:-

(i) कुछ राज्यों में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता।

(ii) कुछ राज्यों में सीमित ठेका क्षमता।

(iii) अभियंता और ठेकेदार सहित पर्याप्त अर्हता वाले तकनीकी कार्मिक उपलब्ध न होना।

(iv) राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों को वित्तीय शक्ति का अपर्याप्त प्रत्यायोजन किए जाने के कारण परियोजनाएं आबंटित करने में विलंब होना।

(v) कार्य के सीमित मौसम तथा प्रतिकूल जलवायुवीय परिस्थितियां।

(vi) प्रतिकूल मौसम अर्थात् वर्षा की लंबी अवधि/बाढ़ ने कुछ राज्यों में पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

(vii) कार्यस्थल में निर्माण सामग्रियां उपलब्ध न होना।

(viii) भूमि उपलब्ध न होना तथा वन क्षेत्रों में आने वाली भूमि के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी न मिल पाना।

(ix) देश के कुछ हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं होना।

(x) सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होना।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(रुपये करोड़ में, लंबाई कि.मी. में)

#	राज्य	स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि (26-2-2010 तक)	सड़क कार्यों की सं.	सड़क कार्यों की लंबाई	पूरे कर लिए गए सड़क कार्यों की सं. (जनवरी, 2010 तक)	पूरे कर लिए गए सड़क कार्यों की लंबाई (जनवरी, 2010 तक)	पूरे कर लिए गए सड़क कार्यों का % (जनवरी, 2010 तक)	बनाई गई सड़क की लंबाई का प्रतिशत (जनवरी, 2010 तक)	व्यय (जनवरी, 2010 तक)	रिलीज की गई राशि की तुलना में व्यय का % (जनवरी 2010 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	3915.34	2653.72	6196.00	20481.43	5237.00	15910.09	84.52	77.68	2749.29	103.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	1613.28	726.71	687.00	3705.87	445.00	2382.52	64.77	64.29	680.62	93.66
3.	असम	8798.22	3574.67	4643.00	15900.62	1626.00	7857.48	35.02	49.42	3751.75	104.95
4.	बिहार (आर.डब्ल्यू.डी.)	8590.99	1338.57	5788.00	18972.34	891.00	2134.97	15.39	11.25	1201.80	89.78
5.	बिहार (एन.ई.ए.)	8354.57	2903.49	3428.00	18912.88	772.00	6173.58	22.52	32.64	2749.12	94.68
6.	छत्तीसगढ़	6465.95	4076.91	5320.00	25508.58	3230.00	15005.13	60.71	58.82	4071.42	99.87
7.	गोवा	9.72	10.00	90.00	178.16	72.00	158.70	80.00	89.08	5.32	53.20
8.	गुजरात	1421.86	894.10	3082.00	7908.57	2376.00	5778.92	77.09	73.07	948.87	106.13
9.	हरियाणा	1517.96	1075.22	420.00	4589.33	321.00	3818.86	76.43	83.21	1073.25	99.82
10.	हिमाचल प्रदेश	2419.93	1264.08	2100.00	12166.15	1327.00	8311.99	63.19	68.32	1328.78	105.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	जम्मू और कश्मीर	2242.97	719.91	885.00	4772.13	256.00	1297.69	28.93	27.19	698.13	96.97
12.	झारखंड	2385.85	1096.86	1930.00	9190.88	734.00	4191.48	38.03	45.60	1083.08	98.74
13.	कर्नाटक	3197.83	2133.96	3204.00	16138.47	2497.00	10938.78	77.93	67.78	2176.97	102.02
14.	केरल	718.74	321.05	953.00	2089.03	455.00	867.80	47.74	41.54	322.52	100.46
15.	मध्य प्रदेश	13280.47	7918.04	12271.00	55288.07	7659.00	34719.03	62.42	62.80	8230.38	103.94
16.	महाराष्ट्र	4667.59	2987.77	4891.00	20464.48	3734.00	13852.91	76.34	67.69	3059.70	102.41
17.	मणिपुर	636.70	343.66	954.00	2424.21	634.00	1970.64	66.46	81.29	339.74	98.86
18.	मेघालय	313.88	158.87	409.00	1100.56	332.00	811.69	81.17	73.75	152.84	96.20
19.	मिजोरम	708.27	375.47	191.00	2487.16	99.00	1639.44	51.83	65.92	368.93	98.26
20.	नागालैण्ड	376.96	319.80	249.00	2674.87	218.00	2532.32	87.55	94.67	307.69	96.21
21.	उड़ीसा	9933.49	4848.81	7519.00	29283.83	3544.00	13820.41	47.13	47.19	4907.72	101.21
22.	पंजाब	1563.95	1133.99	761.00	4497.76	647.00	3579.59	85.02	79.59	1138.02	100.36
23.	राजस्थान	8888.79	6824.99	11705.00	50781.13	10882.00	44350.93	92.97	87.34	6801.82	99.66
24.	सिक्किम	763.73	443.56	380.00	2893.97	156.00	2226.26	41.05	76.93	394.50	88.94
25.	तमिलनाडु	2035.70	1153.58	4970.00	10053.99	3189.00	6149.17	64.16	61.16	1174.19	101.79
26.	त्रिपुरा	1566.23	739.37	959.00	3050.98	489.00	1293.84	50.99	42.41	778.26	105.26
27.	उत्तर प्रदेश	10058.64	7960.54	15708.00	41541.55	13597.00	33544.85	86.56	80.75	7821.02	98.25
28.	उत्तराखण्ड	1219.96	520.70	624.00	4708.45	303.00	2593.54	48.56	55.08	572.36	109.92
29.	पश्चिम बंगाल	4666.82	2870.28	2327.00	13580.25	1457.00	8668.76	62.61	63.83	2723.51	94.89
	कुल	112334.40	61388.65	102644.00	405345.70	67179.00	256581.35	65.45	63.30	61611.60	100.36

विवरण-II

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

उन पात्र बसावटों का राज्य-वार ब्यौरा जिन्हें अभी तक सड़कों से जोड़ा जाना है

#	राज्य	सड़क से न जोड़ी गई पात्र बसावटें	31-1-2010 तक सड़क से जोड़ी गई बसावटें	अन्य योजनाओं में शामिल की गई तथा अव्यवहार्य बसावटें	ऐसी शेष बसावटें, जिन्हें अभी सड़कों से जोड़ा जाना है
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1901	886	363	652
2.	अरुणाचल प्रदेश	819	215	9	695
3.	असम	12185	5309	1316	5560
4.	बिहार	10034	2954	0	7080
5.	छत्तीसगढ	9855	4623	7	5225
6.	गोवा	20	2	0	18
7.	गुजरात	3661	1901	371	1389
8.	हरियाणा	2	1	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3861	1758	110	1993
10.	जम्मू और कश्मीर	2792	654	68	2070
11.	झारखंड	10006	1574	2236	6196
12.	कर्नाटक	274	269	5	0
13.	केरल	454	330	19	105
14.	मध्य प्रदेश	19615	8926	37	10652
15.	महाराष्ट्र	1925	1062	364	499
16.	मणिपुर	654	118	0	536
17.	मेघालय	756	164	0	592
18.	मिजोरम	251	79	6	166
19.	नागालैंड	116	74	3	39
20.	उड़ीसा	18339	4608	208	13523

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	536	406	9	121
22.	राजस्थान	.11235	10368	385	482
23.	सिक्किम	318	126	0	192
24.	तमिलनाडु	2402	1948	199	255
25.	त्रिपुरा	1952	775	0	1177
26.	उत्तर प्रदेश	28842	10720	14869	3253
27.	उत्तराखंड	2531	383	92	2056
28.	पश्चिम बंगाल	22932	6147	11127	5658
	कुल	168268	66380	31804	70084

[हिन्दी]

रक्षा व्यय की समीक्षा

1686. श्री तूफानी सरोज: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक उच्च स्तरीय रक्षा व्यय समीक्षा समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के गठन के उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार समिति की सिफारिशों को लागू करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) अक्तूबर, 2008 में एक समिति का गठन किया गया था जो निम्नलिखित कार्यों के लिए उपायों की सिफारिश करेगी:-

(क) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर देने के साथ प्रणाली में इष्टतम कार्य क्षमता लाना;

(ख) बाहर से कार्य कराने तथा पुनर्गठन के माध्यम से आपूर्ति सेवाओं में अधिक कार्यक्षमता तथा किफायत;

(ग) रक्षा व्यय के प्रबंधन के संबंध में अधिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व;

(घ) संभारिकी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उच्च कार्यक्षमता;

(ङ) रक्षा व्यय को परिणामोन्मुखी बनाना;

(च) सशक्त निजी सेक्टर की शक्ति के इस्तेमाल से आत्मनिर्भरता में वृद्धि;

(छ) हथियार प्रणालियों की तैयारी/प्रयोज्यता के उच्च स्तर;

(ज) प्रशिक्षण में अधिक कार्यक्षमता तथा किफायत।

2. समिति के अध्यक्ष श्री वी.के. मिश्रा, पूर्व सचिव (रक्षा वित्त) थे। समिति के अन्य सदस्य तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त तीन तारा अफसर तथा रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा (वित्त) में कार्यरत दो संयुक्त सचिव स्तर के अफसर थे।

3. रक्षा व्यय पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4. समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल, अर्जन तथा अधिप्राप्ति

को सरल और कारगर बनाना, रक्षा औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करना तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी में संवर्धन तथा संभारिकी तथा अनुरक्षण प्रबंधन, सहायक सेवाओं, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, वित्तीय प्रबंधन तथा परियोजना प्रबंधन में सुधार से सम्बद्ध हैं।

5. रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अफसरों को समिति की सिफारिशों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन बूथों का प्रावधान

1687. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को एस.टी.डी., पी.सी.ओ. और आई.एस.डी. टेलीफोन बूथ उपलब्ध कराए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) सरकार दूरसंचार सेवा प्रदान नहीं करती है। अतः सरकार द्वारा देश में गरीबों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को एस.टी.डी., पी.सी.ओ. और आई.एस.डी. टेलीफोन बूथ प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)/ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा गरीबों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित पात्र आवेदकों को संबंधित निबंधन और दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन पी.सी.ओ. प्रदान किए जाते हैं।

(ख) बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. द्वारा ग्राम पंचायत टेलीफोनों को छोड़कर, पी.सी.ओ. के आंकड़े राज्य-वार नहीं, सर्किल-वार तैयार किए जाते हैं। बी.एस.एन.एल./ एम.टी.एन.एल. द्वारा गरीबों और विधवाओं के लिए अलग से कोई श्रेणी तैयार नहीं की गई है। गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष (31-01-2010 तक) के दौरान विकलांग व्यक्तियों को बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा आबंटित पी.सी.ओ. का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (31-1-10 तक) के दौरान विकलांग व्यक्तियों को आवंटित पी.सी.ओ. के लिए आवेदनों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	निम्न अवधि के दौरान विकलांग व्यक्तियों को आवंटित पी.सी.ओ. की संख्या				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (31-1-10)	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	अण्डमान और निकोबार	0	2	0	0	2
2.	अन्ध्र प्रदेश	837	228	367	20	1452
3.	असम	18	1	4	0	23
4.	बिहार	39	21	7	0	67
5.	छत्तीसगढ़	2	1	1	0	4
6.	गुजरात	59	38	17	43	157

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	10	0	4	9	23
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	30	0	21	51
10.	झारखंड	1	2	1	0	4
11.	कर्नाटक	75	31	14	59	179
12.	केरल	45	48	136	37	266
13.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	1
14.	महाराष्ट्र	1095	310	215	28	1648
15.	पूर्वोत्तर-I	0	0	0	0	0
16.	पूर्वोत्तर-II	0	4	3	1	8
17.	उड़ीसा	0	9	5	0	14
18.	पंजाब	3	2	1	0	6
19.	राजस्थान	5	2	2	0	9
20.	तमिलनाडु	128	99	121	34	382
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	109	82	105	0	296
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	120	105	51	5	281
23.	उत्तरांचल	0	2	0	0	2
24.	पश्चिम बंगाल	219	206	223	159	807
25.	कलकत्ता टेलीफोन्स	17	2	3	0	22
26.	चेन्नै टेलीफोन्स	0	91	0	0	91
27.	एम.टी.एन.एल. दिल्ली	350	368	234	105	1057
28.	एम.टी.एन.एल. मुम्बई	917	630	477	205	2229
	जोड़	4050	2314	1991	726	9081

ई.पी.एफ.ओ. के पास अदावाकृत धनराशि

1688. श्री एस.आर. जेयदुरई:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या चर्चा हुई;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भारी मात्रा में अदावाकृत धनराशि पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस अदावाकृत/निष्क्रिय धनराशि के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि अदावाकृत धनराशि का न तो दुरुपयोग किया जाएगा और न ही उसे गलत दावाकर्ताओं को वितरित किया जाएगा;

(छ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से ऐसी धनराशि का असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करने की अनुमदि देने का अनुरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 30 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के श्रम मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तारपूर्वक एवं सार्थक विचार विमर्श हुआ:

(i) कौशल विकास एवं रोजगार

(क) वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

(ख) रोजगार कार्यालयों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण

(ग) सरकारी निजी साझेदारी स्वरूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना

(ii) असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 से संबंधित मुद्दे

(iii) निर्माण कामगारों से संबंधित मुद्दे

(iv) ठेका श्रम अधिनियम से संबंधित मुद्दे

(v) राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यान्वयन

(vi) राज्यों में बाल श्रम उन्मूलन संबंधी उपबंधों का कार्यान्वयन

(ग) और (घ) ऐसे सदस्यों की राशि जो देय होने की 3 वर्ष की अवधि के भीतर दावा नहीं करते हैं अथवा किसी सदस्य को दी जाने वाली राशि बिना डिलीवर हुए वापस हो जाती है तथा 3 वर्षों की अवधि के भीतर उसके द्वारा धावा नहीं किया जाता है तो इसे "अप्रचालित खाता" में अंतरित कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तुलन-पत्र के अनुसार कुल 58,92,53,00,941.60 रुपये अप्रचालित खाते में हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) जैसा कि अप्रचालित खातों में पड़ी राशि सदस्यों अथवा उनके उत्तराधिकारियों की होती है और यह किसी भी समय दावे प्राप्त होने पर भुगतेय है, अतः इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतः इस राशि के उपयोग संबंधी कोई योजना अथवा प्लान नहीं है।

जब भी कोई संबंधित सदस्य अथवा उसका/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी उसके भविष्य निधि राशि से संबंधित दावे प्रस्तुत करते/करती हैं तो वे दावे कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कार्य प्रक्रिया संहिता में दिए गए सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए निपटाए जाते हैं ताकि दुरुपयोग अथवा गलत भुगतान न हो। स्थानीय समाचार पत्रों में उन व्यक्तियों से दावा आमंत्रित करने के संबंध में विज्ञापन दिए जाते हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ने के तीन वर्षों के पश्चात भी अप्रचालित खातों से बकाया राशि के भुगतान के संबंध में दावा नहीं किया है।

(छ) और (ज) राज्य सरकारों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अदावाकृत राशि का असंगठित क्षेत्रों की सामाजिक सुरक्षा में उपयोग संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि के पास अप्रचालित खाता

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	31-03-2009 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित संचित तुलन-पत्र अंतशेष के अनुसार
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश-हैदराबाद	5,960,442,298.84
2.	आन्ध्र प्रदेश-गुन्टूर	2,349,819,190.00
3.	बिहार-पटना	640,455.03
4.	छत्तीसगढ़-रायपुर	1,547,757,920.50
5.	दिल्ली (उत्तरी)-मयूर भवन	36,612,348.55
6.	दिल्ली (दक्षिणी)- नेहरू प्लेस	29,973,933.04
7.	गोवा-पणजी	180,369,271.00
8.	गुजरात-अहमदाबाद	20,144,984.69
9.	गुजरात-बड़ौदा	6,137,088.62
10.	हरियाणा-फरीदाबाद	31,674,066.60
11.	हिमाचल प्रदेश-शिमला	1,005,117,000.00
12.	झारखण्ड-रांची	503,214.65
13.	कर्नाटक-बंगलौर	31,901,486.00
14.	कर्नाटक-मंगलौर	362,000.00
15.	केरल-त्रिरुवन्तपुरम	1,757,689.00
16.	मध्य प्रदेश-इंदौर	1,344,460,643.00
17.	महाराष्ट्र-मुंबई-I-बांद्रा	78,957,978.49
18.	महाराष्ट्र-II-थाणे	0.00
19.	महाराष्ट्र-नागपुर	3,139,926,215.80
20.	महाराष्ट्र-पुणे	17,754,414,135.67
21.	पूर्वोत्तर क्षेत्र-गुवाहाटी	4,241,478.53

1	2	3
22.	उड़ीसा-भुवनेश्वर	2,925,876.08
23.	पंजाब-चंडीगढ़	44,649,373.00
24.	पंजाब-लुधियाना	81,505,706.37
25.	राजस्थान-जयपुर	11,549,049.14
26.	तमिलनाडु-चेन्नई	4,405,128,663.58
27.	तमिलनाडु-कोयम्बटूर	782,335,401.74
28.	तमिलनाडु-मदुरै	1,994,091,617.80
29.	उत्तराखण्ड-देहरादून	39,179,693.43
30.	उत्तर प्रदेश-कानपुर	12,736,558,898.13
31.	पश्चिम बंगाल-कोलकाता	4,286,103,228.49
32.	पश्चिम बंगाल-जलपाईगुड़ी	1,016,060,035.83
	कुल	58,925,300,941.60

फ्रैंचाइजी मॉडल पर विमैक्स

1689. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने देश में फ्रैंचाइजी मॉडल पर वर्ल्डवाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस (विमैक्स) आधारित ब्राडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए साझेदारों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य को इस साझेदारी के लिए चुना गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के शहरी क्षेत्रों के लिए फ्रेन्चाइजी मॉडल पर विमैक्स आधारित ब्राडबैन्ड सेवा आरंभ करने के लिए मैसर्स सोमा के साथ करार किया है। अन्य 16 लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एल.एस.ए.) नामतः- असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोलकाता और चेन्नै के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) जारी की गई है।

(ग) और (घ) बी.एस.एन.एल. ने आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल के शहरी क्षेत्रों के लिए फ्रेन्चाइजी मॉडल पर विमैक्स आधारित ब्रॉडबैण्ड सेवा आरंभ करने के लिए मैसर्स सोमा के साथ दिनांक 27-12-2007 को करार किया है। आन्ध्र प्रदेश सर्किल में दिनांक 25-4-2009 को 25 विमैक्स बेस स्टेशन चालू हो गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार प्रभारों में कटौती

1690. श्री के.पी. धनपालन:

श्री जयराम पांगी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के मोबाइल/टेलीफोन कनेक्शनों की काल दरों में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी दूरसंचार कंपनियां बारंबार अपनी प्रशुल्क योजना में संशोधन करती हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के द्वारा शुल्क के विनियमन का दायित्व टी.आर.ए.आई. को दिया गया है। टी.आर.ए.आई. ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार शुल्क आदेश (टी.टी.ओ.), 1999 (समय-समय पर यथासंशोधित) जारी किया है जो देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क प्रणाली का निर्धारण करता है। टी.टी.ओ. के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर लाइन सेवा, नेशनल रोमिंग सेवा और लीजशुदा लाइन सेवा को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क विवेकाधीन हैं। अतएव, सेवा प्रदाता के पास रोमिंग प्रभारों, जोकि टी.आर.ए.आई. द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर हों, सहित विभिन्न तरह के शुल्कों को प्रदान करने की सुविधा है। फिलहाल, टी.आर.ए.आई. का ग्राहकों के मोबाइल/टेलीफोन कनेक्शनों की काल दरों को और कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) टी.आर.ए.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को शुल्क दर संशोधित करने पर कोई रोक नहीं है। तथापि, टी.आर.ए.आई. ने शुल्क में अक्सर होने वाले संशोधनों से ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम छह माह के लिए प्लान की उपलब्धता, आजीवन/सीमारहित योजना की उपलब्धता के बारे में निर्देश और किसी योजना की अवधि के दौरान शुल्क को बढ़ाने के विरुद्ध सुरक्षा शामिल है।

महादलित और अति पिछड़ा वर्ग आयोग

1691. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तर्ज पर महादलित और अति पिछड़ा वर्ग समुदायों के अध्ययन/कल्याण के लिए "महादलित और अति पिछड़ा वर्ग" आयोग की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सैनिकों को आधुनिक वर्दी

1692. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लड़ाकू दायित्वों में सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें आधुनिक वर्दियां उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वर्दियों की खरीद के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सैनिकों को वर्दी की सप्लाई आवश्यकता और निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

ठेके पर कामगार

1693. **श्री बसुदेव आचार्य:**

शेख सैदुल हक:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में ठेके पर काम करने वाले कामगारों की कुल संख्या कितनी है और देश-वार उनका तुलनात्मक मजदूरी ढांचा क्या है; और

(ख) देश-वार उक्त देशों की तुलना में भारत में ठेके पर काम करने वाले कामगारों की उत्पादकता कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, 2005-06 के दौरान देश में ठेकागत श्रमिकों की कुल संख्या 2032103 थी और उनकी दैनिक औसत आय 114.88 रुपये थी। इस समय, केन्द्रीय क्षेत्र में, लाइसेंसशुदा ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कामगारों की संख्या 13,77,710 है। विकसित और विकासशील देशों के आंकड़े नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. और एस.जी.आर.वाई. का नरेगा के साथ विलय करते समय लेखा उपलब्ध न होना

1694. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) का ए.एन.आर.ई.जी.एस. (नरेगा) में विलय करते समय इन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध खाद्यान्नों और धनराशि की उपलब्धता का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) नरेगा चरणबद्ध तरीके से देश में कार्यान्वित की गई है। इसके पहले चरण में अधिनियम को 2-2-2006 से 200 जिलों में शुरू किया गया। 150 जिलों में चल रहे एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. को इस तारीख से पूरी तरह से अधिनियम में मिला दिया गया। इन 200 जिलों में एस.जी.आर.वाई. को 1-4-2006 से नरेगा में मिला दिया गया। 2007-08 के दौरान नरेगा के अंतर्गत 130 अतिरिक्त जिलों को शामिल किया गया तथा इन जिलों में एस.जी.आर.वाई. को अधिनियम में शामिल कर दिया गया। 1-4-2008 से नरेगा को देश के शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया तथा शेष जिलों में एस.जी.आर.वाई. को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। विभिन्न जिलों में नरेगा के लागू होने से मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए कि वे मौजूदा कार्यक्रमों को सहजता से नरेगा में मिलाएं। इन अनुदेशों के अनुसार सभी राज्य सरकारों को एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. तथा एस.जी.आर.वाई. की अव्ययित राशि को नरेगा निधियों में अंतरित करना था।

पी.एम.जी.एस.वाई. की निगरानी के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन

1695. श्री जगदानंद सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) की निगरानी के लिए संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों को स्थानीय अधीक्षण इंजीनियर से छः महीने के अंतराल पर निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण करने का अनुरोध करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निरीक्षण रिपोर्टों में पाई गई गलतियों को ठीक करने का उत्तरदायित्व संभालने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी हां। जिला स्तरीय सतर्कता तथा निगरानी समिति का अध्यक्ष जिले से चुना गया संसद सदस्य (लोक सभा) अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया गया मंत्री होता है। इस संबंध में मंत्रालय की वेबसाइट www.rural.nic.in. पर ब्यौरा देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) योजना के तहत चल रहे तथा पूरे कर लिये गये कार्यों का संयुक्त निरीक्षण किए जाने की व्यवस्था करें। संयुक्त निरीक्षणों की व्यवस्था निम्नानुसार की गई है:-

(i) संबंधित अंचल/क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता द्वारा माननीय सांसद और संबंधित अंचल/क्षेत्र के जिला प्रमुख से यह निवेदन करते हुए अनुरोध किया जाना चाहिए कि छह महीने में एक बार किसी एक पी.एम.जी.एस.वाई. की परियोजना(ओं) को संयुक्त निरीक्षण के लिए चुना जाए। माननीय सांसद/जिला प्रमुख की सुविधानुसार संयुक्त निरीक्षण के कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) एक मंडल के प्रभारी अधीक्षण अभियंता को माननीय विधान सभा सदस्य/संबद्ध मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से यह अनुरोध करना चाहिए कि वे अपनी रुचि तथा सुविधानुसार तीन महीने में एक बार पी.एम.जी.एस.वाई. की परियोजना(ओं) का संयुक्त निरीक्षण करें।

(iii) इसी प्रकार, उप मंडल के सहायक अभियंता द्वारा 2 माह में एक बार संबद्ध ग्राम पंचायत के सरपंच से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे संयुक्त निरीक्षण किये जाने के लिए किसी एक पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजना(ओं) का चयन करें। परियोजना(ओं) का निरीक्षण उनकी सुविधानुसार किया जाना चाहिए।

(ङ) पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते राज्य सरकारें निरीक्षण रिपोर्टों में होने वाली गलतियों/कमियों में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

[अनुवाद]

आई.एल.ओ. कन्वेंशन

1696. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

श्री गुरुदास दासगुप्तः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाल श्रम से संबंधित अन्य कन्वेंशन के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के कन्वेंशन संख्या 182 और 138 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बाल श्रम के अधिकार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) बाल श्रम के विकृत रूप से संबंधित आई.एल.ओ. अभिसमय संख्या 182 तथा रोजगार हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करने संबंधी आई.एल.ओ. अभिसमय संख्या 138 का अनुसमर्थन नहीं किया गया है क्योंकि ये तभी संभव होंगे जब इनके कारगर क्रियान्वयन हेतु विधायी ढांचा और तंत्र बन जाएंगे। इसके अलावा, देश में मौजूदा सामाजिक-आर्थिक दशाओं की वजह से इन बच्चों को विवश होकर अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है और इन परिस्थितियों में रोजगार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने से ये गरीब परिवार और गरीबी में आ जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पी.एम.जी.एस.वाई. के चरण-तीन के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

1697. श्री पूर्णमासी रामः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के चरण-तीन के अंतर्गत बिहार में निर्माण के लिए स्वीकृत सड़कों की कुल लंबाई का ब्यौरा क्या है और किन-किन केन्द्रीय एजेंसियों को इन सड़कों का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) क्या सड़क निर्माण की गति काफी धीमी है और यदि हां, तो इन प्रत्येक एजेंसियों द्वारा अभी तक निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़कों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या इन एजेंसियों द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता खराब है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई

की गई है तथा बेहतर गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) सड़क परियोजनाओं के अतिरिक्त बिहार में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पांच केंद्रीय एजेंसियों नामतः- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, मैसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, मैसर्स-राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड तथा मैसर्स परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड की सेवाएं भी ली गई हैं। अभी तक बिहार, में, पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से 18,903.27 कि.मी. लम्बाई की सड़क के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) जनवरी, 2010 तक बिहार में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निर्मित सड़क की लंबाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	केंद्रीय एजेंसी का नाम	पूरी की गई सड़क की लंबाई (कि.मी. में)
1.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	404.29
2.	मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1,001.81
3.	मैसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	2,400.66
4.	मैसर्स राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम लि.	1,021.00
5.	मैसर्स राष्ट्रीय परियोजनाएं निर्माण निगम लि.	1,088.55
	कुल	5,916.31

(ग) पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्बद्ध केंद्रीय एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी संस्थागत क्षमता में वृद्धि करें। इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है।

(घ) पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत शुरू की गई सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी स्तरों पर अधिक गहन और सख्त निगरानी की जा रही है। पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क परियोजनाओं के औचक निरीक्षण किए जाने के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं (एन.क्यू.एम.) की तैनाती की जाती है। यदि निरीक्षण किए जाने पर एन.क्यू.एम. द्वारा किसी कार्य को "असंतोषजनक" पाया जाता है तो राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे काम को सुधारें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ए.टी.आर.) भेजे। मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें प्रस्तुत करने की गहन निगरानी की जाती है।

सेना के टैंकों की क्षमताएं

1698. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेना के अपने शस्त्रागार में संक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए केवल 3000 टैंक मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रेणीवार उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या ये टैंक रात्रि युद्धक क्षमताओं से सुसज्जित हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सेना के पास टैंकों का मौजूदा भंडारण संक्रियात्मक आवश्यकता पर आधारित है। आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका उन्नयन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

नए प्रमुख पत्तनों की स्थापना

1699. श्री प्रबोध पांडा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सहित देश में नए समुद्री पत्तनों की स्थापना/निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पत्तनों की कब तक स्थापना/निर्माण किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में एक वैकल्पिक पत्तन सुविधा विकसित किए जाने की आवश्यकता के मद्देनजर 26 फरवरी, 2010 को वर्ष 2010-11 के बजट-भाषण में सागर द्वीप में घोषणा के रूप में एक परियोजना विकसित किया जाना प्रस्तावित किया है।

[हिन्दी]

इजरायल से रक्षा उपकरणों की खरीद

1700. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इजरायल से रक्षा उपकरणों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच अब तक क्या चर्चाएं हुई हैं; और

(ग) उन उपकरणों का ब्यौरा क्या है, जिसके संबंध में सरकार ने अंतिम निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा मदों की अधिप्राप्ति, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्वदेशी स्रोतों के साथ-साथ इजरायल सहित विदेशी स्रोतों से की जाती है। यह सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए की जाने वाली एक सतत् प्रक्रिया है ताकि किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार रखा जा सके।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदाय के श्रमिक/कामगार

1701. श्री शरीफुद्दीन शारिक: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के श्रमिकों/कामगारों की राज्यवार और समुदायवार संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) उन व्यवसायों और ट्रेडों का ब्यौरा क्या है, जिनमें अल्पसंख्यकों का प्रतिशत व्यापक है; और

(ग) इन व्यवसायों और ट्रेडों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। पिछले सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर सामान्य मुख्य एवं गौण स्थिति के अनुसार रोजगार प्राप्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जिन पेशों या व्यवसायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत बहुत अधिक है, उनसे संबंधित आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर (गैस एवं इलेक्ट्रिक) प्लम्बर, फिटर, नक्शानवीस (सिविल) इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्रशीतन एवं वातानुकूलन मैकेनिक (एम.आर.ए.सी.), मोटर वाहन मैकेनिक (एम.एम.वी.), डीजल मैकेनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली अनुरक्षण (आई.टी. एंड ई.एस.एम.) नामक रोजगार अवसरों के लिए संभावना के आधार पर 10 व्यवसायों की पहचान की गई है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से इन व्यवसायों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रमुख धार्मिक समूहों को एक साथ लेते हुए सामान्य मुख्य एवं गौण स्थिति के अनुसार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों (प्रति 1000) का अनुपात

ग्रामीण व्यक्ति

राज्य/संघ शासित प्रदेश	धर्म					व्यक्तियों की संख्या	
	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	सभी*	ई.एस.टी.डी. (00)	प्रतिदर्श
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	550	469	510	500	544	290072	11980
अरुणाचल प्रदेश	414	516	483	323	458	3370	3274
असम	417	346	390	0	391	87171	6616
बिहार	327	245	197	335	316	203811	7029
छत्तीसगढ	510	353	490	377	509	92771	5136
दिल्ली	294	1000	0	549	311	2939	85
गोवा	383	802	268	0	342	2184	250
गुजरात	516	476	559	0	513	162246	5782
हरियाणा	427	376	250	409	424	66639	3860
हिमाचल प्रदेश	529	557	500	586	530	29149	5537
जम्मू और कश्मीर	491	378	817	312	416	20694	4426
झारखंड	430	358	428	200	427	82892	5151
कर्नाटक	548	480	367	0	542	180981	6993
केरल	443	269	444	0	400	93071	5562
मध्य प्रदेश	461	412	572	280	459	211433	9223
महाराष्ट्र	527	385	424	543	521	285528	12200
मणिपुर	386	294	507	373	440	6268	4752
मेघालय	553	398	520	570	525	9266	2872
मिजोरम	426	400	533	0	521	2135	1938
नागालैण्ड	446	395	532	0	527	2764	2451

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	452	364	522	0	452	143214	7971
पंजाब	379	542	442	456	440	70490	5884
राजस्थान	461	358	250	618	459	194446	8935
सिक्किम	438	414	414	0	443	1908	1853
तमिलनाडु	539	301	450	0	528	180253	8189
त्रिपुरा	328	279	439	333	323	8973	2616
उत्तराखंड	484	349	0	440	474	28102	3597
उत्तर प्रदेश	379	322	402	299	371	487016	17049
पश्चिम बंगाल	396	336	447	400	379	224465	9010
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	441	365	460	400	442	792	503
चंडीगढ़	458	159	0	298	388	377	138
दादरा और नगर हवेली	519	519	277	0	516	904	361
दमन और दीव	388	913	0	0	402	346	136
लक्षद्वीप	1000	352	1000	0	379	112	115
पांडिचेरी	464	333	250	0	461	1388	280
अखिल भारत	451	339	461	457	439	3178168	171754

*सभी धार्मिक समूह शामिल हैं।

विवरण-II

राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रमुख धार्मिक समूहों को एक साथ लेते हुए सामान्य मुख्य एवं गौण स्थिति के अनुसार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों (प्रति 1000) का अनुपात

शहरी व्यक्ति

राज्य/संघ शासित प्रदेश	धर्म					व्यक्तियों की संख्या	
	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	सभी*	ई.एस.टी.डी. (00)	प्रतिदर्श
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	407	320	405	0	392	72839	4520

1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	327	374	289	630	319	328	670
असम	339	322	272	455	336	7920	1220
बिहार	266	301	318	141	272	17614	2030
छत्तीसगढ़	368	351	239	371	364	12171	1337
दिल्ली	337	346	262	272	334	35750	1504
गोवा	382	271	377	0	363	1449	377
गुजरात	392	307	262	501	377	59468	3322
हरियाणा	338	278	515	413	339	19586	1685
हिमाचल प्रदेश	462	562	195	328	456	2586	608
जम्मू और कश्मीर	329	333	434	350	331	5635	1422
झारखंड	308	311	348	394	311	12503	1584
कर्नाटक	398	344	375	250	386	58101	3726
केरल	410	266	396	0	371	26746	3119
मध्य प्रदेश	349	330	437	309	347	48391	3702
महाराष्ट्र	397	341	341	458	384	41466	8442
मणिपुर	347	373	225	400	338	1586	1837
मेघालय	361	452	383	400	373	1074	660
मिजोरम	489	779	381	0	383	1048	2045
नागालैण्ड	392	428	353	0	364	863	564
उड़ीसा	336	270	392	200	334	16584	1828
पंजाब	367	392	333	358	365	27308	3052
राजस्थान	353	305	500	564	349	45677	2778
सिक्किम	388	321	323	0	369	208	274
तमिलनाडु	431	306	388	0	418	90387	6405
त्रिपुरा	399	321	0	0	298	1316	671
उत्तराखंड	329	339	506	482	332	6400	1114

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	330	335	343	333	331	107656	5790
पश्चिम बंगाल	383	393	506	222	384	76385	4623
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	373	439	368	415	379	375	551
चंडीगढ़	351	273	228	283	343	2685	408
दादरा और नगर हवेली	452	1000	333	0	452	96	147
दमन और दीव	429	214	0	0	415	197	120
लक्षद्वीप	570	257	1000	0	274	79	192
पांडिचेरी	356	230	353	0	343	1824	768
अखिल भारत	373	331	375	365	365	904300	73095

*सभी धार्मिक समूह शामिल हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन

1702. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में क्षेत्र, सतही और भूजल की उपलब्धता, जल के अभाव सहित पर्यावासों की संख्या, मवेशियों के लिए जल की आवश्यकता, वार्षिक वर्षा आदि पर विचार किए बिना ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराने के लिए नए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इन नियमों में तर्कसंगत बदलाव लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (घ) 1-4-2009 से राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या, पेयजल आपूर्ति योजनाओं तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) तथा विशेष श्रेणी के पहाड़ी राज्यों के आधार पर निधियां आबंटित की गई हैं। मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के तहत तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों को अलग से आबंटन किया जाता है। डी.डी.पी. तथा डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत क्षेत्रों को भू जल एवं सतही जल स्रोतों के मामले में कमी वाले क्षेत्र माना जाता है और इसलिए निधियों के आबंटन के समय उन्हें अतिरिक्त महत्व दिया जाता है। आबंटन संबंधी मानदंड में किसी परिवर्तन से पहले राजस्थान सहित सभी राज्यों से परामर्श किया जाता है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. दिशानिर्देश 1-4-2009 से लागू किए गए थे। तत्पश्चात्, आबंटन मानदंड में संशोधनों के बारे में राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया गया था और इन्हें सरकार द्वारा 25-2-2010 को अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित परिवर्तनों में मुख्य रूप से ये शामिल हैं - संबंधित राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को विशेष वेटेज देना, डी.डी.पी. ब्लॉकों के अंतर्गत क्षेत्र को डी.पी.ए.पी., एच.ए.डी.पी. तथा पहाड़ी राज्यों संबंधी मानकों में शामिल करना और डी.डी.पी. क्षेत्रों के लिए वेटेज को बढ़ावा देना।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्वीकृति

1703. श्री जगदीश ठाकोर:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं और ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत पृथक रूप से स्वीकृत किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अपनाए गए मापदंड का ब्यौरा क्या है और दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान पृथक रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व स्थापित केन्द्र सरकार के सात एस.ई.जेडों तथा राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एस.ई.जेडों के अतिरिक्त 575 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 348 एस.ई.जेडों को अधिसूचित किया जा चुका है। कुल 105 एस.ई.जेड. पहले से ही निर्यात कर रहे हैं। एस.ई.जेडों का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार वितरण दर्शाने वाली एक तालिका क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। एस.ई.जेडों की स्थापना सामान्यतः निजी निवेश से की जाती है। एस.ई.जेड. नियमावली 2006 में एस.ई.जेडों की स्थापना हेतु मानदंड एवं अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

विवरण-I

अनुमोदित विशेष आर्थिक जोनों का राज्यवार वितरण

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एस.ई.जेड.	प्रचालनरत एस.ई.जेड.
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	103	4	72	21
चंडीगढ	2	0	2	1
छत्तीसगढ	1	2	0	0
दिल्ली	3	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	4	0	2	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	48	11	30	10
हरियाणा	45	17	32	3
हिमाचल प्रदेश	0	3	0	0
झारखंड	1	0	1	0
कर्नाटक	52	10	29	15
केरल	26	0	15	5

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	14	6	6	1
महाराष्ट्र	110	38	57	15
नागालैंड	2	0	1	0
उड़ीसा	10	3	5	1
पांडिचेरी	1	1	0	0
पंजाब	8	7	2	0
राजस्थान	8	11	7	3
तमिलनाडु	69	20	55	19
उत्तर प्रदेश	34	5	16	6
उत्तराखंड	3	0	2	0
पश्चिम बंगाल	24	13	11	5
महायोग	575	15	348	105

विवरण-II

अनुमोदित विशेष आर्थिक जोनों का जोन-वार वितरण

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एस.ई.जेड.	प्रचालनरत एस.ई.जेड.
1	2	3	4	5
कृषि	5	4	3	0
हवाई पत्तन आधारित बहु-उत्पाद	2	2	0	0
ऑटो तथा संबद्ध उत्पाद	3	5	1	1
विमानन/अंतरिक्ष	1	2	2	0
बीच तथा खनिज/धातुएं	2	0	2	0
जैव प्रौद्योगिकी	31	0	17	2
निर्माण उत्पाद/सामग्री	1	2	1	0
इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद/उद्योग	3	4	3	0

1	2	3	4	5
इंजीनियरी	23	10	16	4
फुटवियर/चर्म	7	2	5	2
खाद्य प्रसंस्करण	5	2	6	0
एफ.टी.डब्ल्यू.जेड.	10	9	4	0
रत्न एवं आभूषण	11	4	5	3
हस्तशिल्प	4	1	2	2
आई.टी./आई.टी.ई.एस./इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर/सेमीकन्डक्टर	356	10	216	65
धातु/स्टोनलेस इस्पात/एलम/ फाउंडरी	9	5	4	1
धातु इंजीनियरी	1	0	0	0
बहु-उत्पाद	24	55	13	15
बहु-सेवाएं/सेवाएं	16	13	7	0
अपारंपरिक ऊर्जा	5	0	4	1
प्लास्टिग प्रसंस्करण	0	2	0	0
पेट्रोकेमिकल तथा पेट्रो	4	0	1	0
भेषज/रसायन	22	2	20	3
पत्तन आधारित बहु-उत्पाद	7	1	2	2
विद्युत/वैकल्पिक ऊर्जा/सौर ऊर्जा	4	2	1	0
वस्त्र/परिधान/ऊन	19	13	12	4
लेखन एवं मुद्रण पेपर मिल	2	0	1	0
कार्यनीतिक विनिर्माण	0	1	0	0
ग्रेनाइट प्रसंस्करण उद्योग तथा अन्य संबद्ध मशीनें/विनिर्माण	1	0	0	0
महायोग	575	151	348	105

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए विद्यालय

1704. श्री संजय दिना पाटील: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यवार कितने रिहायशी विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कुछ और रिहायशी विद्यालयों की स्थापना करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 20 रिहायशी विद्यालयों सहित 168 रिहायशी विद्यालय सहायता-अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। राज्य वार ब्यौरा इस प्रकार है:

राज्य	रिहायशी विद्यालयों की सं.
1	2
आन्ध्र प्रदेश	32
असम	02
बिहार	06
झारखंड	01
कर्नाटक	28
महाराष्ट्र	20
मणिपुर	01
उड़ीसा	21
राजस्थान	10
तमिलनाडु	03
उत्तर प्रदेश	32
उत्तराखंड	02
पश्चिम बंगाल	08
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	02
कुल	168

(ख) और (ग) सरकार, राज्य सरकार सहायता-अनुदान समिति द्वारा विधिवत् संस्तुत प्रस्तावों की प्राप्ति पर, संबंधित योजना के मानकों की अनुरूपता तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर अनुसूचित जातियों के लिए रिहायशी विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करती है।

[हिन्दी]

बाडमेर-उद्वह जल परियोजना

1705. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में बाडमेर-उद्वह जल आपूर्ति परियोजना के लिए अपने हिस्से का खर्चा जारी कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बेकार पड़े जलयान/पोत

1706. श्री विष्णु पद राय: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पोत परिवहन विभाग के अन्तर्गत कार्यशील और बंद पड़े पैसेन्जर कार्गो और फेरी जलयानों/पोतों के श्रेणीवार नाम क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक ऐसे पोतों/जलयानों की पृथकवार निर्माण लागत कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक ऐसे पोत/जलयान के संबंध में पृथकवार और वर्षवार कितनी क्षमता उपयोग में लाई गई, और धनराशि खर्च की गई तथा राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बंद पड़े ऐसे पोतों/ जलयानों का वर्षवार और श्रेणीवार नाम और संख्या क्या है; और

(ङ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पोत परिवहन विभाग द्वारा ऐसे पोतों/जलयानों को सेवा में बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ङ) अंडमान और निकोबार प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सूचना प्राप्त होने पर इस सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्पेक्ट्रम शुल्क

1707. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि देश में कुछ निजी दूरसंचार कंपनियां स्पेक्ट्रम के लिए कम शुल्क का भुगतान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार ने शिकायतों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कुछ दूरसंचार कंपनियां स्पेक्ट्रम के लिए कम शुल्क का भुगतान कर रही हैं। तथापि, राजस्व की प्राप्ति को दूरसंचार विभाग को वास्तविक प्राप्ति से कम बताने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्पेक्ट्रम प्रभार वार्षिक समग्र राजस्व (ए.जी.आर.) के प्रतिशत के रूप में वसूल किया जाता है; इसलिए कंपनियों की ए.जी.आर./राजस्व संबधी शिकायतें स्पेक्ट्रम प्रभारों से जुड़ी हो सकती हैं।

(ख) से (ङ) पांच प्रमुख दूरसंचार प्रचालकों नामत: भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम कंपनीज, वोडाफोन एस्सार लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड और टाटा टेलीकॉम कंपनीज के लिए विशिष्ट लेखा परीक्षा का आदेश दिया गया है। रिलायंस कंपनीज के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है। अन्य प्रचालकों की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित हैं।

अम्बेडकर सामाजिक समता केन्द्र योजना

1708. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अम्बेडकर सामाजिक समता केन्द्र योजना क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों हेतु उक्त योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) डॉ. अम्बेडकर सामाजिक समता केन्द्र योजना नामक योजना को डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) योजना का उद्देश्य, युवाओं और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए अम्बेडकर समुदाय केन्द्र स्थापित करने हेतु पंजीकृत संगठनों/स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करना है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत चार राज्यों में अब तक 11 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश के लिए कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु धनराशि

1709. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु उनकी जनसंख्या के आधार पर धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आज की तारीख तक पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ वर्षवार और राज्यवार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) अनुसूचित जाति उपयोजना (पूर्व में विशेष संघटक योजना के नाम से ज्ञात) को तैयार करने, कार्यान्वित करने और इसका अनुश्रवण करने के दिशा-निदेशों जिन्हें अक्तूबर, 2005 में योजना आयोग द्वारा जारी किया गया था, के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कम से कम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के समानुपात में कुल राज्य योजना परिव्यय में से अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए निधियां निर्धारित करें।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक आबंटित निधियों के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 2007-08 और 2009-10 के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति जनसंख्या (2001 जनगणना)	वार्षिक योजना 2007-08			वार्षिक योजना 2008-09			वार्षिक योजना 2009-10		
			कुल परिव्यय	कुल अनुमोदित परिव्यय		कुल परिव्यय	कुल अनुमोदित परिव्यय		कुल परिव्यय	कुल अनुमोदित परिव्यय	
				अनु.जा. उपयोजना	%		अनु.जा. उपयोजना	%		अनु.जा. उपयोजना	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.20	30500.00	4355.90	14.28	44000.00	7630.42	17.34	33496.75	5243.17	15.65
2.	असम	6.90	3800.00	81.09	2.13	5011.51	100.70	2.01	6000.00	115.67	1.93
3.	बिहार	15.70	10200.00	2131.21	20.89	13500.00	2428.26	17.99	16000.00	2721.02	17.01
4.	छत्तीसगढ़	11.60	7413.72	2722.31	36.72	9600.00	0.00	0.00	10947.76	-	-
5.	गोवा	1.80	1430.00	25.74	1.80	1737.65	13.52	0.78	2240.00	16.15	0.72
6.	गुजरात	7.10	16000.00	1134.40	7.09	21000.00	186.50	0.89	23500.00	1294.94	5.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	हरियाणा	19.30	5300.00	1023.00	19.30	6650.00	1433.27	21.55	10000.00	1493.21	14.93
8.	हिमाचल प्रदेश	24.70	2100.00	231.00	11.00	2400.00	594.00	24.75	2700.00	668.00	24.74
9.	जम्मू और कश्मीर	7.60	4850.00	368.6	7.60	4500.00	0.00	0.00	5500.00	319.73	5.81
10.	झारखंड	11.80	6676.00	3539.70	53.02	8015.00	1012.75	12.64	8200.00	852.86	10.40
11.	कर्नाटक	16.20	17782.58	2916.40	16.40	26188.83	3232.45	12.34	29500.00	निर्दिष्ट नहीं	निर्दिष्ट नहीं
12.	केरल	9.80	6950.00	681.80	9.81	7700.47	755.95	9.82	8920.00	875.12	9.81
13.	मध्य प्रदेश	15.20	12011.00	2745.88	22.86	14182.61	2209.81	15.58	16174.17	2499.61	15.45
14.	महाराष्ट्र	10.20	20200.00	2060.00	10.20	25000.00	2332.80	9.33	*	*	*
15.	मणिपुर	2.80	1374.31	33.04	2.40	1660.00	48.30	2.91	2000.00	58.06	2.90
16.	उड़ीसा	16.50	5105.00	843.96	16.53	7500.00	1239.75	16.53	9500.00	1563.03	16.45
17.	पंजाब	28.90	5111.00	1330.00	26.02	6210.00	1792.00	28.86	8600.00	2488.31	28.93
18.	राजस्थान	17.20	11638.87	1787.77	15.36	14000.00	2081.80	14.87	17322.00	2735.49	15.79
19.	सिक्किम	5.02	691.14	34.70	5.02	852.00	42.60	5.00	1045.00	-	-
20.	तमिलनाडु	19.00	14000.00	1649.85	11.78	16000.00	2379.20	14.87	8051.67	1521.45	18.90
21.	त्रिपुरा	17.40	1220.00	205.22	16.82	1450.00	242.19	16.70	1680.00	280.11	16.67
22.	उत्तर प्रदेश	21.10	25000.00	5307.00	21.23	35000.00	7430.00	21.23	39000.00	8275.00	21.22
23.	उत्तरांचल	17.90	4378.63	749.82	17.12	4775.00	854.73	17.90	*	*	*
24.	पश्चिम बंगाल	23.00	9150.00	2328.83	25.45	11602.38	2677.83	23.08	14150,00	3258.37	23.03
25.	चंडीगढ़	17.50	269.91	46.72	17.31	304.65	45.98	15.09	319.22	55.92	17.52
26.	दिल्ली	16.90	9000.00	1525.13	16.95	10000.00	16941.15	16.94	10000.00	1782.39	17.82
27.	पांडिचेरी	16.20	1455.00	235.71	0.00	1750.00	283.33	16.19	2250.00	176.83	7.86
	समस्त भारत	16.20	233607.16	40094.78	17.16	300590.10	42742.29	14.22	287096.57	38294.44	13.34

*महाराष्ट्र और उत्तरांचल राज्यों की बैठकें नहीं हुई।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन की व्यवस्था

1710. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कृषकों को 500 रुपये में मोबाइल मुहैया कराने की है ताकि उन्हें अपने उत्पाद की बेहतर कीमत का पता लग सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कृषि मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) की किसानों को मोबाइल देने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पेयजल की बर्बादी

1711. श्री सुदर्शन भगत: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में साल भर में राज्यवार उपलब्ध कितना प्रतिशत पेयजल बर्बाद हो जाता है;

(ख) क्या सरकार ने चूककर्त्ताओं/दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) बर्बादी का आकलन तभी किया जा सकता है जब पेय जल आपूर्ति को मापा जाए। चूंकि ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजनाएं मुख्यतया हैंडपंप अथवा पाइप जल आपूर्ति के स्टैंड पोस्ट पर आधारित हैं इसलिए उन्हें मापा नहीं जा सकता तथा बर्बादी का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प

1712. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियों द्वारा विनिर्मित कोम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सी.एफ.एल.) की गुणवत्ता घटिया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने सी.एफ.एल. के उपयोग हेतु कतिपय दिशानिर्देश विहित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके उपयोग में क्या समस्याएं हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008 और 2009 के दौरान निम्नलिखित पांच विनिर्माताओं द्वारा बनाए गए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंपों (सी.एफ.एल.) की गुणवत्ता बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई गई और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा "आई.एस.आई." को उपयोग करने के उनके बी.आई.एस. प्रमाणन चिन्हों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए:-

(i) क्रॉम्पटन ग्रीव्ज प्रा. लि. वडोदरा

(ii) परमालाइट इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. दिल्ली

(iii) एटलस इंडस्ट्रीज दिल्ली

(iv) ग्लिटर ओवरसीज सोलन

(v) एशियन इलेक्ट्रोनिक्स लि. विहोली

(ग) और (घ) सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सेल्फ बैलेस्टेड लैंपों के लिए (जिन्हें आमतौर पर सी.एफ.एल. के नाम से जाना जाता है); बी.आई.एस. ने सुरक्षा और कार्यनिष्पादन संबंधी अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की हैं। जो निम्न प्रकार हैं:

(i) आई.एस. 15111 (भाग 1): 2002 सेल्फ बैलेस्टेड लैंप सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए: भाग 1 सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं; तथा

(ii) आई.एस. 15111 (भाग 2): 2002 सेल्फ बैलेस्टेड लैंप सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए: भाग 2 सुरक्षा संबंधी अपेक्षाएं।

सरकार द्वारा 17 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 189(अ.) के तहत जारी किए गए दि इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, एप्लायंसिज एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेज एंड एक्सेसरीज (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2003 के तहत उपर्युक्त

मानक अनिवार्य बना दिए गए हैं। इस आदेश का निहितार्थ अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि कोई भी व्यक्ति रुपये या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के जरिये किसी भी ऐसे विद्युतीय वायर, केबल, उपकरण, सुरक्षा उपकरण और सहायक सामग्री का विनिर्माण, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं कर सकता, जो विनिर्दिष्ट मानकों पर खरा न उतरता हो।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र

1713. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को जलापूर्ति प्रणाली के विस्तार हेतु स्वीकृति प्रदान की है और धनराशि की दूसरी किश्त जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो दूसरी किश्त कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण-पत्र भेज दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और स्वीकृत धनराशि जारी करने में अब तक हुई देरी के कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी, नहीं। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत परियोजनाओं को वाटरशेड विकास परियोजनाओं संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांत-2008 के तहत वाटरशेड पद्धति के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में जलापूर्ति प्रणाली के विस्तार संबंधी कोई संघटक नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

भूमि सुधार संबंधी प्रतिवेदन

1714. कुमारी मीनाक्षी नटराजन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमि सुधार से संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में गठित और जनवरी, 2000 में अधिसूचित समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ख) उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और अधिसूचित विचारार्थ विषयों के संदर्भ में सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) भूमि सुधारों के संबंध में जनवरी, 2000 में कोई समिति गठित नहीं की गई थी। तथापि, जनवरी, 2008 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति' का गठन किया गया था और निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ इसे 9 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था:

(i) देश में फालतू घोषित की गई भूमि के वितरण की स्थिति, आबंटित भूमि पर ग्रामीण गरीबों द्वारा कब्जा बनाए रखने और फालतू घोषित की गई परन्तु मुकदमेबाजी में रुकी हुई भूमि के शीघ्रता से निपटान सहित भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यक्रम की गहराई से समीक्षा करना तथा इस संबंध में समुचित और कारगर कार्यनीतियों का सुझाव देना।

(ii) सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों की गरीबों को प्राप्ति सुनिश्चित करना, सरकारी/बंजरभूमि की पहचान, प्रबंधन, विकास तथा भूमिहीनों को इसके वितरण के संबंध में उपाय सुझाना।

(iii) राज्यों में भू-दान भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करना तथा शेष पड़ी भू-दान भूमि भूमिहीन लोगों को वितरित करने के लिए उपाय सुझाना।

(iv) भू-धृति और उप भू-धृतियों के मामले की जांच करना तथा सभी कृषि काश्तकारों को अभिलेखबद्ध करने और किसानों को उचित लगान, काश्तकारी अवधि और पुनर्ग्रहण के अधिकार की सुरक्षा हेतु उचित आश्वासनों के साथ भूमि पट्टे पर लेने और पट्टे पर देने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक संरचना तैयार करने के लिए उपाय सुझाना।

(v) वन आश्रित जनजातीय लोगों के पारम्परिक अधिकारों सहित जनजातीय भूमि के अंतरण से संबंधित मामलों की जांच करना तथा ऐसी अंतरित भूमि को उन्हें वापस दिलाने से संबंधित संगत कानूनों में अपेक्षित परिवर्तनों सहित यथार्थवादी उपाय सुझाना।

(vi) भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए फॉस्ट-ट्रैक न्यायालयों/तंत्र की स्थापना करने के मामले की जांच करना।

(vii) भूमि उपयोग पहलुओं, विशेष रूप से कृषि भूमि से संबंधित की जांच करना और कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग को रोकने अथवा कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अंतरण को देश की विकास आवश्यकताओं के समनुरूप न्यूनतम करने हेतु उपायों की सिफारिश करना।

(viii) वासभूमि अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना तथा वासभूमि विहीन परिवारों को गृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपाय सुझाना।

(ix) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने, भूमि अधिकारों को उचित रूप से अभिलेखबद्ध करने और भूमि से संबंधित विरोधों और विवादों का शीघ्रता से निपटान करने पर विशेष ध्यान देते हुए भूमि प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु उपाय सुझाना।

(x) भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रों का सुझाव देना।

(xi) भूमि तथा अन्य उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों की महिलाओं को अधिक प्राप्ति का लाभ देने हेतु उपायों की जांच करना।

(xii) कोई अन्य सुसंगत मामला।

(xiii) कोई अन्य विचारार्थ विषय, जिसके बारे में समिति की प्रथम बैठक में निर्णय लिया जाए।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अन्य बातों के साथ-साथ भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट इस विभाग की वेबसाइट (dolr.nic.in) पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' के समक्ष विचार-विमर्श एवं निदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाना है। चूंकि समिति द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं, अतः समिति की रिपोर्ट को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके अभिमत/टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। इसी दौरान यह निर्णय लिया गया है कि समिति की सिफारिशों को "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद" के समक्ष रखे जाने से पूर्व उनकी सचिवों की उपयुक्त समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा जांच की जाए। तदनुसार, इस प्रयोजन हेतु आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बाल श्रम अधिनियम, 1986 में संशोधन

1715. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों सहित विभिन्न वर्गों से समय-समय पर बाल श्रम अधिनियम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधनों/परिवर्तनों हेतु प्राप्त सुझावों की जांच के संबंध में किसी कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं;

(ग) क्या उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में कोई संशोधन, यदि हो, का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री एस.के. श्रीवास्तव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव थे तथा इसमें सर्वश्री आर.के. खन्ना, तत्कालीन सचिव, श्रम विभाग, तमिलनाडु सरकार, सुबेश के. दास, तत्कालीन प्रधान सचिव, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, रजनीश वैश, तत्कालीन श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश सरकार, पीयूश शर्मा, संयुक्त श्रमायुक्त, एन.सी.टी. दिल्ली, यू.पी. सिंह, उप मुख्य श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, शाहिद मीजान, तत्कालीन निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रीमती हरजोत कौर, तत्कालीन निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शामिल थे।

(ग) और (घ) कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

(i) एक व्यक्ति के रूप में बच्चे की मौजूदा परिभाषा

जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जारी रहेगी।

(ii) बाल श्रम मामलों की जांच हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना।

(iii) अधिनियम के अंतर्गत पहले ही प्रावधान किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा के अलावा बाल श्रम शिक्षा को शामिल करना।

(iv) श्रम कार्य हेतु बच्चों के अवैध व्यापार के अपराध के लिए विशेष प्रावधान।

(v) अपराधों को संयोजित करना तथा शास्तियों को बढ़ाना।

(vi) अधिनियम के अंतर्गत तलाश करने और जब्ती की शक्ति हेतु प्रावधान।

(vii) माता-पिता की देख रेख के अंतर्गत बच्चों को कार्य करने की अनुमति देने वाली अधिनियम की धारा-3 के परंतुक को बनाए रखना।

(ङ) कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था

1716. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्री बलीराम जाधवः
श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेलः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर देश के दूरस्थ क्षेत्रों के सभी स्थानों पर टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शन मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र सहित देश के सभी स्थानों को उक्त दूरसंचार कनेक्शनों से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) जी, हां। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.), दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार देश के गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 5,93,601 आबाद गांवों में से 31-01-2010 तक 5,67,658 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधा प्रदान की गई है जिसमें निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा कवर किए गए 3433 गांव शामिल हैं। बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा द्वारा कवर किए गए गांवों का सर्किल वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बी.एस.एन.एल. ने दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश के सभी सर्किलों में मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। 2009-10 और 2010-11 के लिए योजना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

बी.एस.एन.एल. का गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) उपलब्ध कराने के लिए यू.एस.ओ.एफ., दूरसंचार विभाग के साथ निम्नलिखित करार हैः-

(i) बी.एस.एन.एल. ने देश में भारत निर्माण के तहत 62,302 (संशोधित) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) प्रदान करने के लिए यू.एस.ओ.एफ., दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 31-01-2010 तक 61,526 वी.पी.टी. प्रदान किए गए हैं। शेष गांवों को उत्तरोत्तर रूप से कवर किया जा रहा है।

(ii) बी.एस.एन.एल. ने 2001 का जनगणना के अनुसार देश में दूरसंचार सुविधारहित आबाद गांवों में 62443 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) प्रदान करने के लिए फरवरी, 09 में यू.एस. ओ.एफ., दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली के साथ एक अन्य करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 31-01-2010 तक 40,758 गांव वी.पी.टी. सुविधा से कवर किए गए हैं जिसमें निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा कवर किए गए 3433 गांव शामिल हैं। महाराष्ट्र के गांवों सहित शेष अभिगम्य, अविवादित, शांत, आबादी वाले गांवों में फरवरी, 2011 तक दूरसंचार सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

एम.टी.एन.एल. दूरसंचार विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट

दिल्ली और मुम्बई के समग्र लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में टेलीफोन और मोबाइल कनेक्शन और साथ ही समीपवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान कर रहा है। एम.टी.एन.एल. ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं प्रदान नहीं करता।

विवरण-I

2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) सुविधा युक्त आबाद गांवों के संबंध में बी.एस.एन.एल. की सर्किल-वार स्थिति

क्र.सं.	सर्किल का नाम	आबादी युक्त गावों की सं.	बी.एस.एन.एल. द्वारा कवर किए गए गांव	पी.बी.एस.ओ. द्वारा कवर किए गए गांव*	कवर किए गए कुल गांव
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	501	314	0	314
2.	आन्ध्र प्रदेश	26,613	23,146	845	23,991
3.	असम	25,124	23,887	0	23,887
4.	बिहार	39,032	38,563	0	38,563
5.	छत्तीसगढ़	19,744	18,033	1130	19,163
6.	गुजरात	18,159	16,890	0	16,890
7.	हरियाणा	6,764	6,683	0	6,683
8.	हिमाचल प्रदेश	17,495	17,285	0	17,285
9.	जम्मू और कश्मीर	6,417	5,963	0	5,963
10.	झारखंड	29,354	27,687	0	27,687
11.	कर्नाटक	27,481	27,419	0	27,419
12.	केरल	1,372	1,372	0	1,372
13.	मध्य प्रदेश	52,117	51,986	0	51,986
14.	महाराष्ट्र	41,442	39,018	886	39,904
15.	पूर्वोत्तर-1	7,347	4,906	0	4,906
16.	पूर्वोत्तर-2	7,456	4,894	0	4,894
17.	उड़ीसा	47,529	43,207	0	43,207
18.	पंजाब	12,301	12,047	0	12,047
19.	राजस्थान	39,753	38,800	572	39,372
20.	तमिलनाडु	13,837	13,826	0	13,826

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तराखंड	15,761	14,669	0	14,669
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	74,161	74,123	0	74,123
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23,781	23,636	0	23,636
24.	पश्चिम बंगाल	37,512	33,649	0	33,649
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	893	567	0	567
26.	चेन्नै टेलीफोन्स	1,655	1,655	0	1,655
	कुल	593,601	564,225	3,433	567,658

नोट*: पी.बी.एस.ओ. का अर्थ निजी बुनियादी सेवा प्रचालक है।

विवरण-II

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए मोबाइल कनेक्शनों के संबंध में बी.एस.एन.एल. की सर्किल-वार योजना

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निम्न वर्षों के लिए जी.एस.एम. मोबाइल कनेक्शनों की योजना	
		2009-10	2010-11
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33,000	37,000
2.	आन्ध्र प्रदेश	1,455,000	1,617,000
3.	असम	234,000	260,000
4.	बिहार	1,056,000	1,173,000
5.	छत्तीसगढ़	327,000	363,000
6.	गुजरात	1,134,000	1,260,000
7.	हरियाणा	564,000	626,000
8.	हिमाचल प्रदेश	153,000	170,000
9.	जम्मू और कश्मीर	192,000	213,000
10.	झारखंड	405,000	450,000
11.	कर्नाटक	1,170,000	1,300,000
12.	केरल	582,000	647,000

1	2	3	4
13.	मध्य प्रदेश	690,000	767,000
14.	महाराष्ट्र	1,644,000	1,827,000
15.	पूर्वोत्तर-1	84,000	93,000
16.	पूर्वोत्तर-2	102,000	113,000
17.	उड़ीसा	438,000	487,000
18.	पंजाब	651,000	723,000
19.	राजस्थान	1,422,000	1,580,000
20.	तमिलनाडु	1,452,000	1,613,000
21.	उत्तराखंड	285,000	317,000
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,719,000	1,910,000
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	630,000	700,000
24.	पश्चिम बंगाल	816,000	907,000
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	528,000	587,000
26.	चेन्नै टेलीफोन्स	234,000	260,000
	कुल	18,000,000	20,000,000

दुग्ध उत्पादों का आयात

1717. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दुग्ध उत्पादों विशेषकर कैसीन का आयात बंद करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) चीन में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मेलामाइन संदूषण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की सलाह के अनुसार चीन से चॉकलेट एवं चॉकलेट उत्पादों सहित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों और कैंडीज/मिष्ठान/खाद्य निर्मितियों जिनमें एक घटक के रूप में दुग्ध अथवा दुग्ध ठोस शामिल है, के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात निम्नानुसार हैं:-

(लाख रुपए)

2006-07	8661.6
2007-08	4047.7
2008-09	8158.4

(स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस. कोलकाता)

दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के साथ व्यापार समझौता

1718. **श्री पी. बलराम:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के तीन प्रमुख राष्ट्रों के साथ अपने व्यापार को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी ओर से अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) भारत-दक्षिण कोरिया गहन आर्थिक भागीदारी करार (सी.ई.पी.ए.) के अन्तर्गत टैरिफ उदारीकरण दिनांक 01-01-2010 से प्रभावी हो गया है।

वस्तुओं के व्यापार में भारत-आसियान करार के अन्तर्गत भारत और तीन आसियान देशों नामतः सिंगापुर, मलेशिया तथा थाइलैंड के लिए टैरिफ उदारीकरण दिनांक 01-01-2010 से प्रभावी हो गया है।

सभी पक्षों के प्रस्तावों सहित इन दोनों करारों का विवरण वाणिज्य विभाग की वेबसाइट (http://commerce.gov.in/trade/internationta.asp?id=2&trade=i) पर उपलब्ध है।

अ.पि.व. महिलाओं हेतु योजनाएं

1719. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का विचार आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु योजनाएं क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए "नई स्वर्णिम योजना" को कार्यान्वित करता है ताकि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से उनमें स्व-निर्भरता की भावना भरी जा सके। इस योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज को समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में स्व-निर्भरता की भावना को भरने के लिए

'नई स्वर्णिम योजना'

मुख्य विशेषताएं

(i) लाभार्थी को 50,000 रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं पर कोई राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि लाभार्थी को निगम की सामान्य ऋण योजनाओं में परियोजना की कुल लागत की 5% राशि को स्वयं निवेश करना है।

(ii) ऋण की पुनरअदायगी की अवधि, सामान्य योजना की तुलना में 2 वर्ष अधिक है।

(iii) निगम की सामान्य ऋण योजना की तुलना में इस ऋण की राशि पर ब्याज की दर कम है।

पात्रता

केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की महिलाएं, इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र होंगी।

ग्रामीण अभ्यर्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। शहरी अभ्यर्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 27,500 रुपए से कम होनी चाहिए।

अधिकतम ऋण राशि 50,000 रुपए प्रति लाभार्थी

वित्त पोषण पद्धति

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण	95%
एस.सी.ए. अंशदान	5%

ब्याज दर

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से एस.सी.ए.	1% वार्षिक
एस.सी.ए. से लाभार्थी	4% वार्षिक

पुनरअदायगी की अवधि

यह योजना की प्रकृति पर निर्भर है, तथापि, पुनर-अदायगी की अधिकतम अवधि, सामान्य योजना से दो वर्ष अधिक है।

उड़ान क्षेत्र का उल्लंघन

1720. श्री एस.एस. रामासुब्बु: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के महीनों में उड़ान क्षेत्र के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं और इसमें संलिप्त राष्ट्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 2007 से जनवरी, 2010 तक विदेशी वायुयानों द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र के उल्लंघन की 32 घटनाएं हुई हैं। वायु क्षेत्र के ऐसे उल्लंघनों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राजनयिक चैनल के माध्यम से संबंधित देश के साथ उठाया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/ औषधालयों का आधुनिकीकरण

1721. श्रीमती जे. शांता: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) के अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध विशेषीकृत चिकित्सा सेवाओं, दवाओं तथा नैदानिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की ई.एस.आई. इकाइयों का उन्नयन करने और इन्हें आधुनिक बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित, जारी और उपयोग की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम देश में अपने अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से एलोपैथी और आयुष पद्धति में चिकित्सा और नैदानिक सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और योग शामिल हैं। योजना अति विशेषज्ञता चिकित्सा देखरेख सेवाओं सहित सभी तीन स्तरीय चिकित्सा देखरेख अर्थात् प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय चिकित्सा देखरेख प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत लाभाधिकारियों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख उपलब्ध है जिसमें निवारक, उन्नायक, उपचारात्मक तथा पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं निम्न प्रकार हैं:-

- स्वास्थ्य शिक्षा
- परिवार कल्याण सेवाएं
- प्रतिरक्षण सेवाएं
- एच.आई.वी. और एड्स नियंत्रण सेवाएं
- बाह्य रोगी, अंतःरोगी, आपात चिकित्सा सेवाएं
- नैदानिक प्रयोगशाला तथा रेडियोधर्मिता सेवाएं
- व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं
- विशेषज्ञ जांच सहित अति विशेषज्ञता सेवाएं
- भौतिक और व्यावसायिक पुनर्वास
- एम्बुलेंस सेवाएं
- कृत्रिम सहायिकी तथा यंत्र जैसे ऐनक, दंतावली, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग आदि।
- दवाएं तथा मरहम-पट्टी।

(ख) क.रा.बी. अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन और आधुनिकीकरण आवश्यकता पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) विवरण संलग्न हैं।

विवरण

क.रा.बी. अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए आवंटित, जारी एवं उपयोग की गई निधियां पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

क्र. सं.	अस्पताल/ औषधालय	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (31-01-2010 की स्थिति के अनुसार)	
			स्वीकृत	जारी एवं उपयोग की गई	स्वीकृत	जारी एवं उपयोग की गई	स्वीकृत	जारी एवं उपयोग की गई	स्वीकृत	जारी एवं उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	क.रा.बी. अस्पताल, बद्दी	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	38,82,00,000	12,46,13,801	-	15,24,14,626
2.	क.रा.बी. अस्पताल, कमरहट्टी	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	21,74,000	21,74,000	-	-
3.	क.रा.बी. अस्पताल, बेलूर	पश्चिम बंगाल	-	-	55,80,638	55,80,638	-	-	-	-
4.	क.रा.बी. अस्पताल, सिरामपुर	पश्चिम बंगाल	-	-	46,27,971	46,27,971	-	-	-	-
5.	क.रा.बी. अस्पताल, अलबेरिया	पश्चिम बंगाल	-	-	9,45,429	9,45,429	-	-	-	-
6.	क.रा.बी. अस्पताल, बाल्टीकुरी	पश्चिम बंगाल	-	-	1,00,30,623	1,00,30,623	-		34,83,005	34,83,005
7.	क.रा.बी. अस्पताल, कल्याणी	पश्चिम बंगाल	-	-	41,48,770	41,48,770	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	क.रा.बी. अस्पताल, मणिकताला	पश्चिम बंगाल	48,02,554	48,02,554	37,18,822	37,18,822	46,38,581	46,38,581	1,10,40,30,642	15,70,85,956
9.	क.रा.बी. अस्पताल, बज-बज	पश्चिम बंगाल	-	-	68,94,112	68,94,112	-	-	-	-
10.	क.रा.बी. अस्पताल, बंदेल	पश्चिम बंगाल	-	-	1,10,09,966	1,10,09,966	-	-	-	-
11.	क.रा.बी. अस्पताल, गोराहाट्टी	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	1,87,41,549	1,87,41,549	-	-
12.	क.रा.बी. अस्पताल, जोका	पश्चिम बंगाल	-	-	23,39,594	23,39,594	-	-	6,03,44,75,607	54,17,68,256
13.	क.रा.बी. अस्पताल, दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	-	-	3,00,000	3,00,000	-	-	-	-
14.	क.रा.बी. अस्पताल, बागमारी	पश्चिम बंगाल	8,66,543	8,66,543	-	-	-	-	-	-
15.	क.रा.बी. अस्पताल, नंदा नगर, इंदौर	मध्य प्रदेश	-	-	4,01,05,066	4,01,05,066	-	-	2,25,00,000	2,25,00,000
16.	क.रा.बी. टी.वी. अस्पताल, नंदा नगर, इंदौर	मध्य प्रदेश	49,347	49,347	66,22,232	66,22,232	-	-	-	-

17.	क.रा.बी. अस्पताल, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	24,29,630	24,29,630	-	-	28,75,863	28,75,863	-	-
18.	क.रा.बी. अस्पताल, भोपाल	मध्य प्रदेश	60,03,017	60,03,017	-	-	-	-	-	-
19.	क.रा.बी. औषधालय, नंदा नगर, इंदौर	मध्य प्रदेश	11,05,778	11,05,778	-	-	-	-	-	-
20.	क.रा.बी. औषधालय, सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	28,14,075	28,14,075	-	-
21.	क.रा.बी. औषधालय, सह-निदान केन्द्र, करनाल	हरियाणा	-	-	-	-	4,13,10,000	-	-	-
22.	क.रा.बी. औषधालय, औद्योगिक विकास कॉलोनी, हिसार	हरियाणा	-	-	-	-	10,10,830	10,10,830	-	-
23.	क.रा.बी. औषधालय, निदान केन्द्र हिसार के साथ पांच डा. के लिए	हरियाणा	-	-	-	-	4,74,27,000	3,10,20,586	69,96,869	3,04,99,365
24.	क.रा.बी. औषधालय, सह-निदान केन्द्र, मुरथल	हरियाणा	-	-	-	-	3,53,48,174	-	3,58,87,960	91,04,017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	क.रा.बी. अस्पताल, गुड़गांव	हरियाणा	-	-	22,42,22,536	-	15,76,88,759	12,42,86,794	19,98,00,169	24,14,58,934
26.	क.रा.बी. अस्पताल, तिरूनेलवैल्ली	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	50,92,74,660	4,62,10,906
27.	क.रा.बी. औषधालय और शाखा कार्यालय, अम्बुर	तमिलनाडु	-	-	-	-	42,96,500	42,96,500	-	-
28.	क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर	नई दिल्ली	16,49,806	21,53,506	1,06,76,252	76,17,157	31,87,56,729	20,78,85,877	6,63,91,82,139	82,27,34,707
29.	क.रा.बी. अस्पताल, रोहिणी	नई दिल्ली	12,29,908	12,29,908	21,60,53,000	69,80,000	-	-	4,55,70,763	2,59,99,713
30.	क.रा.बी. अस्पताल, ओखला	नई दिल्ली	-	-	27,89,000	27,89,000	54,86,250	54,86,250	1,66,16,63,460	15,69,78,531
31.	क.रा.बी. अस्पताल, झिलमिल	दिल्ली	5,75,057	5,75,057	58,08,186	29,04,093	-	-	78,000	78,000
32.	क.रा.बी. औषधालय, अर्जुन नगर	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	9,81,29,917	-
33.	क.रा.बी. औषधालय, नरेला	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	18,24,62,041	-
34.	क.रा.बी. औषधालय, पप्पनकलां	दिल्ली	1,16,22,479	-	-	-	-	-	-	-

35.	क.रा.बी. औषधालय, मोदी मिल	दिल्ली	-	-	-	-	5,77,27,000	2,26,99,790	3,07,52,452	5,64,54,467
36.	क.रा.बी. अस्पताल, चौद्वार	उड़ीसा	-	-	53,87,536	53,87,536	-	-	66,03,02,363	52,35,028
37.	क.रा.बी. अस्पताल, भुवनेश्वर	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	70,07,71,878	9,52,77,096
38.	क.रा.बी. अति-विशेषज्ञता अस्पताल, सनत नगर	आन्ध्र प्रदेश	-	-	129,84,39,529	-	-	19,15,90,249	-	36,67,41,159
39.	क.रा.बी. अस्पताल, भीवाड़ी	राजस्थान	-	-	19,37,80,141	-	-	8,72,52,989	3,82,15,385	12,47,16,795
40.	क.रा.बी. मॉडल अस्पातल, जयपुर	राजस्थान	11,67,390	111,67,390	-	-	1,42,96,26,743	-	-	42,00,50,230
41.	क.रा.बी. अस्पताल, अंधेरी मुंबई	महाराष्ट्र	-	-	6,68,943	6,68,943	33,30,011	33,30,011	18,48,86,316	18,48,86,316
42.	क.रा.बी. अस्पताल, कान्दीवली, मुंबई	महाराष्ट्र	-	-	-	-	1,45,64,07,743	40,14,160	-	-
43.	क.रा.बी. अस्पताल, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	9,13,047	9,13,047	2,37,600	2,37,600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	क.रा.बी. अस्पताल, बिववारी, पुणे	महाराष्ट्र	3,96,000	3,96,000	1,98,000	1,98,000	-	-	-	-
45.	क.रा.बी. एम.जी.एम. अस्पताल, मुंबई	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	क.रा.बी. अस्पताल, मुलुन्द, मुंबई	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	क.रा.बी. औषधालय, शाखा कार्यालय, चिंचवाड, पुणे	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	क.रा.बी. शाखा कार्यालय और औषधालय, वलुज	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	क.रा.बी. अस्पताल, राजाजी नगर, बंगलौर	कर्नाटक	-	-	48,53,604	48,53,604	39,14,12,321	39,14,12,321	-	-
50.	क.रा.बी. अस्पताल, डांडेली	कर्नाटक	-	-	30,00,000	30,00,000	-	-	-	-
51.	क.रा.बी. अस्पताल, मंगलौर	कर्नाटक	-	-	40,00,000	40,00,000	-	-	37,03,219	37,03,219
52.	क.रा.बी. अस्पताल, मैसूर	कर्नाटक	8,33,142	8,33,142	-	-	-	-	53,86,803	53,86,803

53.	क.रा.बी. अस्पताल, इंदिरा नगर	कर्नाटक	3,24,000	3,24,000	-	-	-	-	-	-
54.	क.रा.बी. अस्पताल, पीन्या	कर्नाटक	-	-	-	-	73,17,87,990	2,41,54,085	-	7,64,805
55.	क.रा.बी. औषधालय जयरंजन, कॉलोनी	कर्नाटक	-	-	2,08,251	2,08,251	-	-	-	-
56.	क.रा.बी. औषधालय, बासवानगुडी	कर्नाटक	-	-	57,667	57,667	-	-	-	-
57.	क.रा.बी. औषधालय, क्वींस रोड, बंगलौर	कर्नाटक	4,77,452	4,77,452	-	-	-	-	-	-
58.	क.रा.बी. औषधालय, ओडुगोडी	कर्नाटक	1,69,780	1,69,780	-	-	-	-	-	-
59.	क.रा.बी. औषधालय, मगाडी रोड	कर्नाटक	-	-	90,002	90,002	-	-	-	-
60.	क.रा.बी. औषधालय, हासन	कर्नाटक	-	-	1,88,947	1,88,947	-	-	38,548	38,548
61.	क.रा.बी. छाती रोग केन्द्र, नरोडा	गुजरात	-	-	-	-	1,34,832	1,34,832	-	-
62.	क.रा.बी. अस्पताल, बापू नगर	गुजरात	6,31,800	6,31,800	-	-	51,31,72,207	4,39,41,825	-	14,25,13,156
63.	क.रा.बी. अस्पताल, कलोल	गुजरात	3,00,000	3,00,000	54,811	54,811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	डी-34 औषधालय, खोखरा मणि नगर, अहमदाबाद	गुजरात	-	-	-	-	30,23,518	30,23,518	5,06,480	5,06,480
65.	क.रा.बी. अस्पताल, एवं ट्रोमा केन्द्र वे क.रा.बी. अस्पताल, सरोजिनी नगर, लखनऊ का नवीकरण	उत्तर प्रदेश	-	-	20,48,621	20,48,621	11,99,739	11,99,739	91,46,25,524	49,29,396
66.	क.रा.बी. अस्पताल, पान्डु नगर, कानपुर का नवीकरण	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	27,02,439	27,02,439	25,48,00,000	19,11,00,000
67.	क.रा.बी. अस्पताल, आदित्यपुर का उन्नयन	झारखंड	-	-	-	-	15,48,594	15,48,594	9,24,00,000	1,71,18,361
68.	क.रा.बी. अस्पताल, सैक्टर-24, नोएडा का विस्तार	उत्तर प्रदेश	-	-	52,10,330	52,10,330	66,66,00,000	26,94,155	5,00,34,061	7,80,33,794
69.	क.रा.बी. अस्पताल, मुलकुनाथुकवा	केरल	-	-	26,69,600	26,69,600	-	-	-	-
70.	क.रा.बी. अस्पताल, आश्रमम	केरल	55,33,016	55,33,016	1,16,32,693	1,16,32,016	10,80,240	10,80,240	18,41,736	18,41,736

71.	क.रा.बी. अति-विशेषज्ञता अस्पताल, आश्रमम	केरल	11,10,92,767	4,00,00,000	-	1,50,00,000	-	-	-	-
72.	क.रा.बी. अस्पताल, अलेप्पी	केरल	-	-	16,20,650	16,20,650	-	-	-	-
73.	क.रा.बी. अस्पताल, ओलारिकरा	केरल	-	-	28,10,670	28,10,670	-	-	-	-
74.	क.रा.बी. अस्पताल, पेरिपल्ली	केरल	-	-	5,66,685	5,66,685	-	-	4,80,79,74,137	-
75.	क.रा.बी. अस्पताल, पेरोरकरा	केरल	-	-	51,03,382	51,03,382	-	-	-	-
76.	क.रा.बी. अस्पताल, एरणाकुलम	केरल	-	-	15,29,573	15,29,573	-	-	-	-
77.	क.रा.बी. अस्पताल, एणुकोण	केरल	-	-	55,60,620	55,60,620	-	-	-	-
78.	क.रा.बी. अस्पताल, फरोख	केरल	-	-	43,55,360	43,55,360	-	-	18,20,940	18,20,940
79.	क.रा.बी. औषधालय, माइलोम	केरल	-	-	-	-	2,52,71,000	-	13,68,591	13,68,591
80.	क.रा.बी. औषधालय, कोलम	केरल	-	-	-	-	3,37,14,600	-	3,26,69,459	-
81.	क.रा.बी. अस्पताल, मडगांव	गोवा	-	-	71,30,679	71,30,679	47,58,91,226	5,18,59,836	9,35,964	9,35,964

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना

1722. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उन गांवों को गोद लेने और प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का है जहां अनुसूचित जाति के लोग अन्य जाति के लोगों से अधिक संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो उन गांवों के नाम सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्हें विकास के लिए चिन्हित किया गया है; और

(ग) उक्त गांवों के कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2009-10 में, 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 1000 गांवों का समेकित विकास करने हेतु "प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना" नामक एक नई योजना को प्रायोगिक आधार पर आरंभ करने की घोषणा की है। प्रायोगिक योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

1723. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत से चावल की हर किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या चावल के निर्यात पर उक्त प्रतिबंध के कारण विदेशी मुद्रा के अर्जन में भारी कमी आयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 15-10-2007 की अधिसूचना सं. 38 (आर.ई.-2007)/2004-2009 द्वारा बासमती चावल को छोड़कर चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध को हटाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किए गए चावल के मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण वर्ष 2008-09 तथा चालू वर्ष (2009-10) के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन में कमी आई है। परन्तु गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चावल के निर्यात के कारण समग्र विदेशी मुद्रा अर्जन में तेजी से कोई गिरावट नहीं दिखाई दी है।

(मूल्य: करोड़ रुपये)

मद/वर्ष	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010 (अप्रैल-सितम्बर) (अ)*
गैर-बासमती	3944.81	3178.17	4243.10	7410.74	1687.37	264.54
बासमती	2824.11	3043.10	2792.81	4344.58	9477.03	6201.34
कुल	6768.92	6221.27	7035.91	11755.32	11164.40	6465.88

*(अ)-अनंतिम

काली मिर्च की खेती को प्रभावित करने वाली समस्याएं

1724. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय समस्याओं ने काली मिर्च की खेती, उत्पादकता और बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कृषकों के हितों की रक्षा के लिए विशेषकर कर्नाटक सहित राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। काली मिर्च के उत्पादन एवं उत्पादकता में ठहराव के कारण पुराने और जराजीर्ण काली मिर्च पौधों का आधिक्य सर्वोत्कृष्ट रोपण सामग्री की अपर्याप्त आपूर्ति, कीट एवं रोग, मृदा उर्वरता में क्षरण, मौसम पर अत्यधिक निर्भरता और उपज क्षेत्र में जलवायु परिवर्तनों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, यांत्रिक कृषि हेतु प्रौद्योगिकी का अभाव, विभिम्न मुद्दों के समाधान के लिए अपर्याप्त संवर्धनात्मक कार्यकलाप आदि हैं। पुराने, जराजीर्ण तथा रोगों से प्रभावित बागानों के पुनर्रोपण एवं पुनरूज्जीवन पर विशेष ध्यान के साथ काली मिर्च उद्योग के पुनरुद्धार तथा देश में काली मिर्च के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा XIवीं और XIIवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु दो स्कीमें अनुमोदित की गई हैं। केरल के इडुक्की जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा 120.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ एक स्कीम की परियोजना लागत 230.58 करोड़ रुपए और केरल के वायनाड जिले तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा 53.28 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ दूसरी स्कीम का परिव्यय 100.81 करोड़ रुपए है। इन स्कीमों में कर्नाटक के काली मिर्च उपजकर्ता शामिल नहीं हैं।

नई आई.टी.आई./आई.टी.सी. की स्थापना

1725. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों (आई.टी.आई./आई.टी.सी.) की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से राज्यवार कितनी धनराशि की मांग की गयी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक आई.टी.आई./आई.टी.सी. द्वारा सामान्य तथा आरक्षित श्रेणियों में नामांकित बालिकाओं और बालकों की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है और इनकी कुल दाखिला क्षमता क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में नई आई.टी.आई./आई.टी.सी. की स्थापना की स्थापना की है अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) संघीय सरकार द्वारा देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) में **"कौशल विकास योजना"** नामक परियोजना के अंतर्गत 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया है। राज्य सरकारों से उन स्थानों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है जहां बुनियादी सुविधाओं यथा: सड़क, बिजली, जल आपूर्ति तथा संचार सुविधा इत्यादि के साथ निःशुल्क भूमि उपलब्ध हों। राज्य सरकारों से पी.पी.पी. में इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रत्युत्तरों को विवरण-I में दिया गया है। तथापि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तथा राज्य में उनके स्थानों के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब तक कोई निधियां जारी नहीं की गई है।

जहां तक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संबंध है, इनकी स्थापना वैयक्तिक संगठन(नों) द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है तथा ये व्यक्ति अपने मनपसंद व्यवसाय और स्थान के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु स्वतंत्र हैं। तथापि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) के साथ संबंधन हेतु इन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करना पड़ता है। देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, इसलिए नामांकन आंकड़ों का केन्द्रीय स्तर पर रखरखाव नहीं किया जाता। तथापि, वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (31-01-2010 तक) हेतु सीट क्षमता का वर्षवार व राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	सेवा रहित ब्लॉक	राज्य द्वारा मांगे गए संस्थानों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	0	
2.	आन्ध्र प्रदेश	102	142	
3.	अरुणाचल प्रदेश	79	5	
4.	असम	200	4	
5.	बिहार	467	105	राज्यों के परामर्श से इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तथा अविस्थिक ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
6.	चंडीगढ़	0	0	
7.	छत्तीसगढ़	69	70	
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	
9.	दमन और दीव	0	0	
10.	दिल्ली	0	0	
11.	गोवा	1	0	
12.	गुजरात	47	68	
13.	हरियाणा	90	22	
14.	हिमाचल प्रदेश	6	6	
15.	जम्मू और कश्मीर	37	50	-
16.	झारखंड	182	0	-
17.	कर्नाटक	9	100	-
18.	केरल	43	18	-
19.	लक्षद्वीप	1	0	-
20.	मध्य प्रदेश	100	110	-
21.	महाराष्ट्र	0	0	-
22.	मणिपुर	19	10	-
23.	मेघालय	29	17	-
24.	मिजोरम	19	8	-

1	2	3	4	5
25.	नागालैंड	44	5	-
26.	उड़ीसा	174	131	-
27.	पुडुचेरी	0	1	-
28.	पंजाब	43	74	-
29.	राजस्थान	122	54	-
30.	सिक्किम	2	2	-
31.	तमिलनाडु	68	24	-
32.	त्रिपुरा	33	0	-
33.	उत्तर प्रदेश	474	476	-
34.	उत्तराखंड	9	0	-
35.	पश्चिम बंगाल	296	160	-
	योग	2868	1662	-

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	2009-2010 (31-1-2010 को)		2008-2009 (31-3-2009 को)		2007-08 (31-3-2008 को)		2006-2007 (31-3-2007 को)	
		औ.प्र.सं./ औ.प्र.के. की संख्या	सीट क्षमता	औ.प्र.सं./ औ.प्र.के. की संख्या	सीट क्षमता	औ.प्र.सं./ औ.प्र.के. की संख्या	सीट क्षमता	औ.प्र.सं./ औ.प्र.के. की संख्या	सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	273	01	273	01	241	01	241
2.	आन्ध्र प्रदेश	615	120074	545	111338	538	104810	535	105308
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	05	512	05	512	05	512
4.	असम	31	5776	31	5776	31	5776	31	5776
5.	बिहार	258	44002	195	33858	144	24914	93	19224
6.	चंडीगढ	2	968	02	952	02	952	02	804
7.	छत्तीसगढ	116	13584	96	11872	94	11376	91	11080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	दादरा और नगर हवेली	1	228	01	228	01	228	01	228
9.	दमन और दीव	2	388	02	388	02	388	02	388
10.	दिल्ली	72	15160	72	13432	71	13160	71	13032
11.	गोवा	14	3644	14	3684	14	3437	14	3321
12.	गुजरात	502	76756	482	75428	441	73268	338	72804
13.	हरियाणा	167	29792	158	27056	138	24960	122	18936
14.	हिमाचल प्रदेश	152	15040	126	11520	100	8384	78	6972
15.	जम्मू और कश्मीर	38	4197	38	4197	38	4197	38	4380
16.	झारखंड	108	28264	97	22056	84	15272	51	9600
17.	कर्नाटक	1193	103408	1052	91872	886	78002	853	69416
18.	केरल	518	68774	477	62934	410	54790	410	60531
19.	लक्षद्वीप	1	96	01	96	01	96	01	96
20.	मध्य प्रदेश	228	34256	201	32704	193	29520	183	21396
21.	महाराष्ट्र	679	119904	635	105168	599	97808	576	92568
22.	मणिपुर	7	540	07	540	07	540	07	540
23.	मेघालय	7	942	07	942	07	942	7	942
24.	मिजोरम	1	294	01	294	01	294	01	294
25.	नागालैण्ड	8	944	08	928	08	928	07	928
26.	उड़ीसा	521	92404	456	78180	361	54852	233	38310
27.	पुडुचेरी	15	1860	15	1828	14	1716	14	1716
28.	पंजाब	246	34244	217	30500	199	27348	197	29923
29.	राजस्थान	782	89903	576	53951	392	31775	233	18553
30.	सिक्किम	2	516	01	212	01	212	01	212
31.	तमिलनाडु	687	84326	675	82678	664	80472	664	75748
32.	त्रिपुरा	8	944	08	816	08	816	08	816
33.	उत्तर प्रदेश	836	92346	548	65626	473	55610	449	44256
34.	उत्तराखंड	88	929	84	8689	80	8385	77	8287
35.	पश्चिम बंगाल	73	14020	72	13556	71	13396	71	12372
	कुल योग	7984	1107308	6906	953884	6079	829377	5465	749510

भारत और चीन के बीच व्यापार

1726. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और चीन के बीच संयुक्त आर्थिक समूह की आठवीं बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन सरकार का ध्यान चीन का पक्ष लेने वाले व्यापार घाटे की ओर आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में चीन के प्रतिनिधिमंडल की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या चीन के आयातक भारत से विनिर्मित वस्तुएं और मूल्य संवर्द्धित सामग्री खरीदने के इच्छुक नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) मंत्रिस्तर पर आर्थिक संबंधों, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त समूह (जे.ई.जी.) की आठवीं बैठक दिनांक 19 जनवरी, 2010 को बीजिंग में हुई थी। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा किया गया था। 8वें जे.ई.जी. के परिणाम के रूप में भारत एवं चीन के बीच व्यापार विस्तार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) जनवरी, 2010 में अपनी हाल की चीन यात्रा के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष तथा चीन के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया। चीनी पक्ष ने इस बात को माना कि व्यापार असंतुलन एक ऐसा मामला है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। चीनी पक्ष ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्ष अधिक संतुलित व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और चीन इस उद्देश्य हेतु अपनी ओर से कार्य करेगा। जे.ई.जी. के समापन पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार संतुलित व्यापार, भारत एवं चीन के बीच आर्थिक सहयोग के दीर्घकालिक, सततधारणीय तथा सुमेलीकृत विकास हेतु सहायक सिद्ध होगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिकों/कामगारों की गरिमा

1727. श्री वरुण गांधी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों/कामगारों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कामगारों को समुचित कार्य परिवेश, सुविधाएं और कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान के साधन मुहैया कराने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) श्रमिकों/कामगारों की मर्यादा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधानों यथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि में पहले से ही पर्याप्त विधिक उपबंध मौजूद हैं। ऐसे सांविधिक उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधन अधिनियमित किए जाते हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन पैकेज

1728. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में 2000 से ज्यादा मदों के निर्यात को बढ़ावा देने और जापान और चीन के बाजारों का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहन की योजना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रोत्साहनों से निर्यात को कितना बढ़ावा मिलेगा और उन क्षेत्रों को उबरने में कितनी सहायता मिलेगी जिनका निर्यात निरंतर गिरता जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार ने दिनांक 12-01-2010 को विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.) 2009-14 के अंतर्गत फोकस उत्पाद स्कम (एफ.पी.एस.), बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.पी.एस.) तथा विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना

(वी.के.जी.यू.वाई.) के तहत 2000 मदों (8 अंकीय आई.टी.सी.ए.एस. कोड स्तर पर) के संबंध में निर्यात प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, जापान और चीन को एम.एल.एफ.पी.एस. में शामिल किया गया है। इन स्कीमों के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कुछ मदों/क्षेत्रों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विदेश व्यापार नीति में सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहनों से वैश्विक मंदी के कारण निर्यातों में आई गिरावट को रोकने में अत्यधिक योगदान मिला है। हाल के प्रोत्साहन निर्यातों में अभी भी गिरावट या मंदी का सामना कर रहे क्षेत्रों सहित उत्पादों/क्षेत्रों के निर्यातों में सहायता प्रदान करने के लिए उद्दिष्ट हैं।

विवरण

विदेश व्यापार नीति 2009-14 में दिनांक 12-01-2010 को 1 जनवरी 2010 से लागू निर्यात प्रोत्साहनों की घोषणा

1. फोकस उत्पाद स्कीम (एफ.पी.एस.) के अंतर्गत नए उत्पाद

8 अंकीय आई.टी.सी.एच.एस. स्तर पर एफ.पी.एस. के अंतर्गत 112 नए उत्पाद जोड़े गए जो सभी बाजारों को हुए निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से शुल्क ऋण स्क्रिप के रूप में लाभ के पात्र होंगे।

प्रमुख उत्पादों/क्षेत्रों में इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़, रसायन, प्लास्टिक, कार्टन बॉक्स तथा एग पाउडर शामिल हैं।

सभी बाजारों को हुए निर्यातों के संबंध में एफ.पी.एस. के अंतर्गत विशेष फोकस उत्पादों के रूप में 8 अंकीय आई.टी.सी.एच.एस. स्तर पर **113 नए उत्पादों** को वर्गीकृत किया गया है और निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से अधिक लाभ प्रदान किए गए हैं।

प्रमुख क्षेत्रों में हाथ के औजार, साइकिलें, कृषि एवं बागवानी मशीनों के पुर्जे, सिलाई मशीनें एवं उनके पुर्जे, द्रव पम्प, नट बोल्ट, वॉशर स्क्रू, स्टेपलर तथा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एवं वेल्डिंग मशीनों के पुर्जे शामिल हैं।

2. बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.पी.एस.) के अंतर्गत नए उत्पाद एवं नए बाजार

एम.एल.एफ.पी.एस. में 8 अंकीय आई.टी.सी.एच.एस. स्तर पर **1837 नए उत्पाद** शामिल किए गए जो विनिर्दिष्ट बाजारों को हुए निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से लाभ के पात्र होंगे।

प्रमुख क्षेत्रों में मशीनी औजार, खुदाई उपकरण, ट्रांसमिशन टावर, विद्युतीय एवं ऊर्जा उपकरण, स्टील ट्यूब, पाइप तथा गैल्वेनाइज्ड शीट,, कम्प्रेसर, लौह एवं इस्पात संरचनाएं, ऑटो संघटक, तिपहिया वाहन तथा कपास से बुने फैब्रिक शामिल हैं। दिनांक 01-01-2010 से 30-06-2010 तक की छह महीने की सीमित अवधि हेतु लाभ प्रदान करने के लिए रसायन को शामिल किया गया है।

13 मौजूदा बाजारों अर्थात अल्जीरिया, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, यूक्रेन, ब्राजील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम के अतिरिक्त स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित सभी उत्पादों के लिए दो नए प्रमुख बाजार अर्थात चीन और जापान को एम.एल.एफ.पी.एस. में शामिल किया गया है।

3. विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) के अंतर्गत नए उत्पाद

विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वी.के.जी.यू.वाई.) में तिलहन तथा गौण नारियल उत्पादों को शामिल किया गया है जो सभी बाजारों को हुए निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से लाभ के पात्र होंगे।

चावल का आयात

1729. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशों से चावल आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आयात के क्या कारण हैं तथा अब तक इससे कितने राजस्व का सृजन हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत चावल का निर्यातक देश है। सरकार ने वर्तमान वर्ष के लिए चावल के स्टॉक की स्थिति का आकलन किया है और निर्णय लिया है कि केन्द्रीय पूल हेतु चावल का आयात अभी अपेक्षित नहीं है। तथापि, यदि खरीद में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो सरकार घरेलू बाजार में आसान कीमत पर चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित समय पर चावल के आयात पर विचार करने का निर्णय ले सकती है।

[हिन्दी]

निजी शौचालय योजना

1730. श्री गणेश सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए निजी शौचालय का निर्माण करने की योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उन्हें खुले में शौच करने से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए कितनी निधियां नियत की गई हैं;

(घ) क्या मूल्य वृद्धि को देखते हुए इस योजना के तहत शौचालय के निर्माण के लिए दस हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) भारत सरकार खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने तथा साफ वातावरण बनाए रखने के मुख्य उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.), एक व्यापक कार्यक्रम पहले से ही चला रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टी.एस.ए.सी. मांग आधारित कार्यक्रम है। बी.पी.एल. परिवार द्वारा शौचालय के निर्माण कार्य के पूरा होने तथा उसके द्वारा उसका उपयोग किए जाने की स्वीकार्यता के बाद ही बी.पी.एल. परिवारों को टी.एस.सी. के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस समय केन्द्रीय अंश के रूप में 1500.00 रुपये (पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 2000 रुपये) तथा 700.00 रुपये राज्य अंश सहित कुल वित्तीय प्रोत्साहन राशि 2200.00 रुपये (पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 2700 रुपये) है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी

1731. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के कारण जलापूर्ति में आई बाधा के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में जल की कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों ने इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (ग) कम वर्षा तथा इसके परिणामस्वरूप देश के कुछ भागों में भू जल स्तर में कमी के फलस्वरूप, महाराष्ट्र के कुछ भागों सहित इन क्षेत्रों में विद्यमान पेयजल स्रोतों से उपलब्धि में कमी आई है। वर्तमान में, किसी भी राज्य ने किसी गंभीर पेयजल आपूर्ति समस्या की जानकारी नहीं दी है। सूखे के कारण जल की कमी की समस्या का सामना करने के लिए राज्यों को योजना बनाने एवं आकस्मिकता संबंधी उपाय करने का बारंबार अनुरोध किया गया है, ताकि लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभावित राज्यों ने संबंधित क्षेत्रों में पेजयल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं तथा आकस्मिक उपाय किए हैं।

(घ) और (ङ) पेयजल की कमी सहित सूखे की स्थिति से निपटने हेतु सहायता के बारे में प्रभावित राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने पर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय - कृषि मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों में स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल प्रतिनियुक्त किए हैं। केंद्रीय दलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन.सी.सी.एफ.) के तहत सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान सूखा जिसमें अन्यों के साथ-साथ महाराष्ट्र भी शामिल है, की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों द्वारा मांगी गई राशि और एन.सी.सी.एफ. के तहत रिलीज हेतु अनुमोदित की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-10 में सूखे के परिणामस्वरूप पेयजल आपूर्ति के लिए मांगी गई सहायता तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन.सी.सी.एफ.) से अनुमोदित सहायता का ब्यौरा

(राशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पेयजल आपूर्ति		
		राज्य द्वारा मांगी गई राशि	के लिए	सरकार द्वारा एन.सी.सी.एफ. से अनुमोदित सहायता
1.	आन्ध्र प्रदेश	211.07	ग्रामीण	15.59
2.	असम	11.40	ग्रामीण	1.36
3.	बिहार	310.47	ग्रामीण	10.50
4.	हिमाचल प्रदेश	182.59	ग्रामीण और शहरी	14.42
5.	झारखंड	61.15	ग्रामीण	-
6.	कर्नाटक	84.99	ग्रामीण	2.00
7.	मध्य प्रदेश	313.50	ग्रामीण	7.70
8.	महाराष्ट्र	400.00	ग्रामीण और शहरी	97.77
9.	राजस्थान	453.46	ग्रामीण	20.00
10.	उत्तर प्रदेश	814.81	ग्रामीण और शहरी	96.26

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दूरस्थ गांवों को लाभ

1732. श्री अर्जुन मुंडा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरस्थ गांवों में रहने वाली जनजातीय आबादी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना के लाभ दूरस्थ गांवों तक पहुंचाने के लिए कोई पहल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) मनरेगा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। अधिनियम को 2-2-2006 से इसके पहले चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया। 2007-08 के दौरान अतिरिक्त 130 जिलों को शामिल किया गया तथा देश के शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 1-4-2008 से अधिनियम में शामिल किया गया। इस प्रकार मनरेगा दूरस्थ गांव सहित देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 2006-07 के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों की भागीदारी 36%, 2007-08 के दौरान 29%, 2008-09 के दौरान 25% तथा 2009-10 के दौरान अब तक 22% थी। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए गहन आई.ई.सी. क्रियाकलाप

शुरू किए गए हैं। इसमें प्रिन्ट के साथ-साथ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग शामिल हैं। जागरूकता सृजन कार्यक्रमों में सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन को भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए मानदंडों में ढिलाई

1733. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार को इन मानदण्डों में ढील देने के लिए राज्य सरकारों/अन्य निजी निकायों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) एस.ई.जेडों. की स्थापना हेतु मानदण्ड, एस.ई.जेड. नियमावली, 2006 में दिए गए हैं। नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एस.ई.जेडों के विभिन्न क्षेत्रों हेतु न्यूनतम भू-क्षेत्र अपेक्षाओं हेतु प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) कुछेक राज्य सरकारों से न्यूनतम भू-क्षेत्र अपेक्षा से संबंधित मानदण्डों में ढील प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, इन्हें सहमति प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों का बंद होना

1734. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आर्थिक मंदी के कारण राज्य-वार कितने कारखाने/इकाइयां बंद पड़ी हैं तथा कितनी फैक्ट्रियों को रुग्ण घोषित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इनमें से कितने कारखाने/इकाइयां औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों पर बंद की गई हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने कामगार/कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006 से 2009 (अनंतिम) के दौरान कारखानों/इकाइयों के बंद होने तथा प्रभावित कामगारों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान रुग्ण घोषित कम्पनियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है। 01-01-2007 से 31-01-2010 तक बी.आई.एफ.आर. द्वारा बंद किये जाने की सिफारिश वाली कम्पनियों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

विवरण-I

वर्ष 2006 से 2009 (अनंतिम) के दौरान बंद पड़े कारखानों/इकाइयों तथा इससे प्रभावित कामगारों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ क्षेत्र	2006		2007		2008(अ)		2009(अ)	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	20	144	-	-
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	-	-	*	*	-	-	*	*
बिहार	1	14	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ	-	-	*	*	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	1	196	-	-
गोवा	1	100	-	-	-	-	-	-
गुजरात	4	430	2	45	5	163	2	112
हरियाणा	3	118	4	198	5	330	1	6
हिमाचल प्रदेश	1	10	6	139	-	-	4	131
जम्मू और कश्मीर	3	54	-	-	-	-	*	*
झारखंड	*	*	*	*	*	*	*	*
कर्नाटक	5	379	1	4	1	30	8	500
केरल	5	121	3	45	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	*	*	-	-
महाराष्ट्र	-	-	*	*	-	-	*	*
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	-	-	1	10	-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम	-	-	1	49	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	-	1	26	-	-	-	-
त्रिपुरा	127	3681	53	1285	16	456	43	1103
उत्तर प्रदेश	10	1269	15	1941	3	212	*	*
उत्तराखण्ड	1	77	2	116	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	5	925	2	36	3	1447	1	100
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-
चण्डीगढ	-	-	-	-	1	1	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दादरा और नगर हवेली	-	-	*	*	1	73	1	48
दमन और दीव	-	-	*	*	-	-	-	-
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
पुडुचेरी	2	11	-	-	-	-	-	*
महायोग	168	7189	91	3894	56	3052	61	2010

क = बंद इकाइयों की संख्या ख = प्रभावित कामगारों की संख्या

(अ) = अनंतिम * = उपलब्ध नहीं - = शून्य

टिप्पणी: वर्ष 2008 और 2009 की सूचना प्राप्त विवरणियों/स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान रुग्ण घोषित कम्पनियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2007	2008	2009	2010
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	34	9	-
2.	असम	4	1	-	-
3.	बिहार	1	3	3	-
4.	छत्तीसगढ़	3	-	-	-
5.	चण्डीगढ़	1	2	-	-
6.	दादरा और नगर हवेली	2	1	-	-
7.	गोवा	4	-	1	-
8.	गुजरात	37	12	28	-
9.	हरियाणा	11	3	5	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	-
11.	जम्मू और कश्मीर	1	-	1	-
12.	झारखंड	-	1	5	-
13.	कर्नाटक	14	7	7	-
14.	केरल	6	13	3	-
15.	मध्य प्रदेश	16	1	11	1
16.	महाराष्ट्र	74	31	55	2
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	27	26	13	-

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2007	2008	2009	2010
18.	उड़ीसा	0	1	4	1
19.	पुडुचेरी	-	-	1	-
20.	पंजाब	18	8	16	-
21.	राजस्थान	13	4	17	-
22.	तमिलनाडु	40	27	17	-
23.	उत्तर प्रदेश	13	4	10	-
24.	उत्तरांचल	1	1	1	-
25.	पश्चिम बंगाल	29	16	13	-
	कुल	346	196	220	5

स्रोत: औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.)

विवरण-III

01-01-2007 से 31-01-2010 तक बी.आई.एफ.आर. द्वारा बंद किये जाने की सिफारिश वाली कम्पनियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2007	2008	2009	2010
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	1	-	-
2.	चण्डीगढ़	1	-	-	-
3.	गुजरात	1	-	-	-
4.	हरियाणा	1	-	-	-
5.	कर्नाटक	1	-	-	1
6.	केरल	-	1	-	-
7.	महाराष्ट्र	-	1	1	1
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	1
9.	उड़ीसा	-	-	1	-
10.	पंजाब	1	-	-	-
11.	पश्चिम बंगाल	-	1	-	-
	कुल	5	4	2	3

स्रोत: औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.)

[अनुवाद]

मिग-27 विमान को बेड़े से बाहर करना

1735. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सिलिगुड़ी के निकट मिग-27 के घातक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद भारतीय वायु सेना ने रूस में बने मिग-27 लड़ाकू विमानों को बेड़े से बाहर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या पूर्व में इसके इंजन में खराबी पाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दुर्घटना के मामलों में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) प्रत्येक विमान दुर्घटना के बाद उपयुक्त एहतियाती उपाय किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना की प्रत्येक विमान दुर्घटना की जांच-पड़ताल एक जांच-अदालत के द्वारा कराई जाती है और तद्नुसार उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

निजी क्षेत्र में आरक्षण

1736. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई आरक्षण नीति बनाने/लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वर्तमान में किन मानदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं तथा उक्त समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उद्योग एवं अन्य संघों के साथ बातचीत आरंभ करने तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे की जांच करने के लिए सितम्बर, 2004 में एक मंत्री समूह का गठन किया गया। इस समूह ने पांच बार बैठक की तथा शीर्ष उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श भी किया। अक्तूबर, 2006 में, निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई पर उद्योग के साथ विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति ने शीर्ष उद्योग मंडलों/संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। 11-07-2008 को हुई समन्वय समिति की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सितम्बर, 2008 में अधिकारियों के एक समूह का गठन किया गया है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने हेतु उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के मुद्दे का अध्ययन करेगा। अधिकारियों के इस समूह तथा शीर्ष उद्योग संघों की बैठकें सितम्बर, 2008 एवं फरवरी, 2009 में आयोजित की गई थीं। यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त आर्थिक प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहनों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों के रोजगार में बढ़ोतरी करने एवं औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में राज्यों के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा।

बढ़ते हुए निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार का संवर्धन करने के लिए एक योजना आरंभ की गई है ताकि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकें। यह योजना उन समस्त विकलांग कर्मचारियों पर लागू है जिन्हें 25,000 रु. प्रतिमाह तक के मासिक वेतन के साथ 1-4-2008 को या उसके पश्चात नियुक्त किया गया है।

स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सीमेंट संयंत्र

1737. श्री राजैया सिरिसिल्ला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट संयंत्र कामगारों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गए हैं और उनका तुरंत आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सीमेंट संयंत्रों को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या पड़ेसी देश भारत की तुलना में अत्यंत कम मूल्य पर सीमेंट का उत्पादन और निर्यात कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक संसाधनों का ब्यौरा क्या है साथ ही इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत के सभी बड़े सीमेंट संयंत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हैं। मौजूदा सीमेंट क्षमता का लगभग 87 प्रतिशत भाग-1 मिलियन टन प्रति वर्ष से लेकर 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष से भी अधिक क्षमता वाले आधुनिक सीमेंट संयंत्रों पर आधारित है तथा पर्यावरण एवं ऊर्जा कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वैश्विक बैंचमार्क के अनुरूप हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग की पर्यावरणीय एवं गुणवत्ता संबंधी जागरूकता इस तथ्य से प्रतिबिंबित होती है कि 143 संयंत्रों में से 67 संयंत्रों को आई.एस.ओ. 9000,42 संयंत्रों को आई.एस.ओ. 14000 प्रमाणन के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन पद्धति तथा 13 संयंत्रों को ओ.एच.एस.ए.एस. (ऑकुपेशनल हेल्प एंड सेफ्टी एडवाइजरी सर्विसेज) 18000 प्रमाणन प्राप्त है। सीमेंट संयंत्रों में कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं। परित्यक्त खानों को जलाशय के रूप में बदल दिया गया है तथा भू-क्षरण को रोकने के लिए हरित क्षेत्र को विकसित किया गया है।

(ग) और (घ) आंकड़े इस विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत हथकरघा क्षेत्र में दिहाड़ी कामगारों को रोजगार

1738. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.एस.) के तहत हथकरघा क्षेत्र में दिहाड़ी कामगारों को रोजगार देने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरभाष और डाक सेवाएं

1739. श्री हसन खान: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दूरभाष और डाक सेवाएं असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में दूरभाष और डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र सहित देश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदान की जा रही टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक हैं। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II दूरसंचार सर्किल शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र का सड़क मार्ग से संपर्क लगभग छह महीने अर्थात् नवंबर से अप्रैल तक कटा रहता है। इस अवधि के दौरान टेलीफोन संचार का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है।

इस क्षेत्र में संचार नेटवर्क का सुधार और विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) लद्दाख क्षेत्र श्रीनगर से लगभग 400 कि.मी. लंबी ऑप्टिकल फाइबर (ओ.एफ.) केबल के जरिए जुड़ा हुआ है और यह जोजिला दर्रे से होकर गुजरती है जोकि सर्दी के दौरान बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में ओ.एफ. केबल, जो सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसे पिछले गर्मी के मौसम में अपग्रेड किया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, लद्दाख क्षेत्र जम्मू से उपग्रह माध्यम के जरिए जुड़ा हुआ है जिसमें बैंडविड्थ सीमित है।

(iii) बी.एस.एन.एल. ने लेह में मोबाइल एम.एस.सी. संस्थापित किया है जिससे मोबाइल कॉलों के

लिए बैंडविड्थ की आवश्यकता में कमी आयी है और इससे इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था ओ.एफ. केबल में खराबी आ जाने पर भी कायम रखी जा सकती है।

(iv) दूर-दराज के गांवों और बस्तियों में डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनलों (डी.एस.पी.टी.) के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदान की गई है। अब तक, लद्दाख क्षेत्र में ऐसे 113 डी.एस.पी.टी. चालू किए जा चुके हैं।

जहां तक जम्मू और कश्मीर सर्किल में डाक सेवाओं की स्थिति का संबंध है, ये सेवाएं संतोषजनक हैं। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदंडों में छूट दी गई है। 15 विभागीय डाक घर और 93 अतिरिक्त विभागीय डाकघर लद्दाख के क्षेत्र की जनता की डाक संबंधी जरूरतें पुरी कर रहे हैं।

(ग) बी.एस.एन.एल. द्वारा इन दूरसंचार सर्किलों में दूरसंचार सेवा के विकास हेतु वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं।

क्र. सं.	सर्किल का नाम	डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क विस्तार योजना (रेडियो क्षमता)		जी.एस.एम. नेटवर्क विस्तार योजना (रेडियो क्षमता)	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1.	असम	49,500		260,000	286,000
2.	हिमाचल प्रदेश	39,000		172,000	189,200
3.	जम्मू और कश्मीर	26,250	0	214,000	235,400
4.	पूर्वोत्तर-I	19,750		94,000	103,400
5.	पूर्वोत्तर-II	33,250		114,000	125,400
6.	उत्तराखंड	36,750		314,000	345,400

लद्दाख क्षेत्र की वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए विकास योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें मूल्यवर्द्धित सेवाओं की शुरुआत करना, डाक पारेषण और वितरण, पिक-अप मेल सर्विस आदि में सुधार लाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहना शामिल है। इसके अतिरिक्त लेह प्रधान डाकघर में "प्रोजेक्ट ऐरो" के अंतर्गत डाक सेवाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करने का कार्य शुरू किया गया है।

विवरण

बी.एस.एन.एल. की लद्दाख क्षेत्र की वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए विकास योजना

2009-10 में किए गए विकास कार्य:

जी.एस.एम.:

(क) लद्दाख क्षेत्र के लिए समर्पित एम.एस.सी. संस्थापित और चालू किया गया है।

(ख) जी.एस.एम. कवरेज में सुधार हेतु इगू, उप्शी, शारा, कुम्बथांग, शारगोल, शाकर, चिकतान, थॉइज, एन.एच.पी.सी. चुटुक और लेह एक्सचेंज में अतिरिक्त जी.एस.एम. बी.टी.एस. चालू किए जा चुके हैं और स्काम्बो, सुमुर, चोस्कर, लेह सिटी में जी.एस.एम. बी.टी.एस. चालू करने की प्रक्रिया चल रही है।

पारेषण:

निम्नलिखित खंडों में ओ.एफ.सी. मीडिया चालू किया गया है:

क्र.सं.	स्टेशन	दूरी	एस.डी.सी.ए.
1.	थॉइज-बोगडांग-तुरतुक	80 किमी.	नुबरा
2.	शारा-इगू-उप्शी	32 किमी.	लेह
3.	कियरी-न्योमा	80 किमी.	न्योमा
4.	कारगिल-अकचमाल	8 किमी.	कारगिल

आई.डी.आर./डी.सी.एम.ई.: पानामिक में 2 एम.बी.पी.एस. आई.डी.आर. चालू किया गया है। थॉइज और पदम में 1:5 डी.सी.एम.ई. चालू किया गया है।

डी.एस.पी.टी.: लद्दाख में सुविधा रहित गांवों में दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए 105 डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डी.एस.पी.टी.) चालू किए गए हैं।

ग्रामीण एक्सचेंजों का उन्नयन: बोगडांग, तुरतुक और पानामिक नामक तीन ग्रामीण एक्सचेंजों में एम.सी.पी.सी. मीडिया का ओ.एफ.सी./आई.डी.आर. में उन्नयन कर दिया गया है।

2010-2011 में किए जाने वाले विकास कार्य:

(i) 20 जी.एस.एम. बी.टी.एस. संस्थापित करने की योजना है।

(ii) 162 डी.एस.पी.टी. संस्थापित किए जाएंगे।

(iii) तीन वाई-मैक्स बी.टी.एस. संस्थापित करने की योजना है।

(iv) 6 डब्ल्यू.एल.एल. बी.टी.एस. संस्थापित किए जाएंगे।

(v) लेह और कारगिल के लिए ई.वी.डी.ओ. बी.टी.एस. की योजना बनाई गई है।

(vi) 1080 पोर्टस अतिरिक्त ब्रॉडबैंड जोड़े जाने की योजना है।

(vii) लेह में 34 एम.बी.पी.एस. आई.डी.आर. और तुरतुक, बोगडांग, सुमुर, पनिखार, बटालिक में 2एम.बी.पी.एस. आई.डी.आर. का कार्य पूरा करने की योजना है।

(viii) न्योमा और थॉइज में 8 एम.बी.पी.एस. का उन्नयन और न्योमा और थॉइज में 1:5 डी.सी.एम.ई. का कार्य पूरा करने की योजना है।

(ix) बियामा-बटालिक, तांगत्से-चुशुल-माहे, लेह-परतापुर-थॉइज दिस्कित सुमुर, वानला-लामायुरु और सानकू पनिखार खंडों में लगभग 380 कि.मी. ओ.एफ. केबल बिछाए जाने की योजना बनाई गई है।

(x) सी.डी.आर. आधारित बिलिंग प्रणाली का कार्य पूरा किए जाने की योजना है।

(xi) मल्टीप्ले आधारित अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एम.एन.जी.टी.) का कार्य पूरा किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

एन.ई.जी.पी. के तहत निधियां

1740. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत 'मिशन मोड परियोजनाओं' सहित ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, मंत्रालय/विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं में शामिल न किए गए मंत्रालयों/विभागों के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजनाओं में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) सरकार ने मई, 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना अनुमोदित की है जिसके अंतर्गत राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) की ई-मूलसंरचना, राज्य आंकड़ा केन्द्र (एस.डी.सी.), सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.), राज्य पोटर्ल तथा 27 मिशन मोड परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-मूलसंरचना परियोजनाओं को सहायता दी है किन्तु, मिशन मोड परियोजनाएं संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की गई हैं तथा इसके लिए धनराशि का प्रावधान भी उनके द्वारा किया गया है। ई-मूलसंरचना से संबंधित ब्यौरे http://www.mit.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) में इस समय 27 मिशन मोड परियोजनाएं शामिल हैं। एन.ई.जी.पी. विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल सहित एक केन्द्रीकृत पहल है। राज्यों को अतिरिक्त राज्य विशिष्ट परियोजनाओं (पांच से अधिक नहीं) का चयन करने की छूट दी गई है जो राज्य के आर्थिक विकास के उपयुक्त हैं। एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओं के अलावा विभिन्न मंत्रालय और विभाग वास्तविक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ई-शासन परियोजनाएं भी शुरू कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

1741. श्री जोस के. मणि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात

की गई प्राकृतिक रबड़ का प्रमात्रा-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2006-07	56545	513.74
2007-08	60353	494.31
2008-09	46926	450.20

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत रोजगार कार्ड

1742. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के तहत राज्य-वार कितने लोगों/परिवारों ने रोजगार कार्ड के लिए आवेदन किए हैं तथा कितने लोगों को रोजगार कार्ड उपलब्ध कराया गया है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन कार्डों को तैयार किए जाने में किसी अनियमितता का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या रोजगार के अवसरों के अभाव में ग्रामीण लोग अभी भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा पलायन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले अतिरिक्त कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड जारी करने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए परिवार मूल इकाई है। पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी परिवार को जॉब-कार्ड जारी किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अब तक जॉब कार्ड में अनियमितताओं से संबंधित 183 शिकायतें मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं। ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करते हुए व्यापक आई.ई.सी. क्रियाकलापों के जरिए जागरूकता सृजन।

(ii) निगरानी एवं आसानी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेब समर्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) (www.nrega.nic.in) आरंभ की गई है जिसमें सभी महत्वपूर्ण मानदंड यथा - जॉब कार्ड, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान, उपलब्ध कराए गए रोजगार दिवसों की संख्या, चल रहे कार्यों को ऑनलाइन डाला जाता है। वेबसाइट पर लगभग 9.0 करोड़ जॉब कार्ड डाले गए हैं।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा कराए गए कुछ अध्ययन रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के पलायन में कमी को दर्शाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) व्यक्तिगत जमीन पर कार्य के लाभ, जैसा कि मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 1(iv) में दिया गया है, दिनांक 22-7-2009 की अधिसूचना द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को दिए गए हैं।

(ii) ग्राम ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के निर्माण को दिनांक 11-11-2009 की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 1 में अनुमेय क्रियाकलापों के रूप में शामिल किया गया है।

(iii) कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास विभाग की एस.जी.एस.वाई. तथा पी.एम.जी.एस.वाई. को नरेगा के साथ तालमेल के लिए संयुक्त तालमेल दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त तालमेल दिशा-निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए 23 राज्यों में 115 प्रायोगिक जिले निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	जॉब कार्ड जारी परिवारों की संचयी संख्या			
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10, जनवरी, 10 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5066675	8853413	11347815	11628041
2.	अरुणाचल प्रदेश	16926	23647	154957	97699
3.	असम	916753	1565775	2970522	3506152
4.	बिहार	3562761	7988992	10284009	12248705
5.	छत्तीसगढ़	1848766	2875796	3354795	3545688
6.	गुजरात	632269	865503	2877792	3397719
7.	हरियाणा	106772	161445	377568	436902
8.	हिमाचल प्रदेश	99446	393751	849993	950518
9.	जम्मू और कश्मीर	179133	278891	497175	569388
10.	झारखंड	2304037	2958788	3375992	3625871
11.	कर्नाटक	795600	1523091	3420945	5753636
12.	केरल	213840	479036	1897713	2394557
13.	मध्य प्रदेश	4446195	7238784	11229547	11308962
14.	महाराष्ट्र	2753047	3128352	4814593	5601714
15.	मणिपुर	18568	91013	385836	420332
16.	मेघालय	113255	121542	298755	358089
17.	मिजोरम	21966	89314	172775	179777
18.	नागालैंड	27884	115686	296738	319972
19.	उड़ीसा	2593194	4095075	5267853	5514074
20.	पंजाब	37326	97892	524928	673845
21.	राजस्थान	1508223	2869457	8468740	8874705
22.	सिक्किम	4498	30907	77112	68720

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	1157525	2200437	5512827	6212511
24.	त्रिपुरा	75067	465779	600615	607284
25.	उत्तर प्रदेश	4004287	7311973	10652018	11506207
26.	उत्तरांचल	199236	358734	817753	878345
27.	पश्चिम बंगाल	5147141	8578073	9556067	10163197
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			23313	12307
29.	दादरा और नगर हवेली			8100	10776
30.	दमन और दीव			0	0
31.	गोवा			10244	28283
32.	लक्षद्वीप			3313	6079
33.	पांडिचेरी			15547	60219
34.	चंडीगढ़			0	0
	कुल	37850390	64761146	100145950	110960274

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

1743. श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री मुरली मनोहर जोशी:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
डॉ. राजन सुशान्त:
श्री आर.के. सिंह पटेल:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण का लक्ष्य क्या है और कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है तथा कितनी बस्तियों/ग्रामों को इसके तहत जोड़ा गाय है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के तहत निधियों को जारी किए जाने के लिए विहित मानदंड क्या हैं तथा योजना के तहत राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित/संस्वीकृत/उपयोग की गई हैं;

(ग) क्या योजना का कोई मूल्यांकन/आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने संस्वीकृत निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है और कुछ राज्यों ने पी.एम.जी. एस.वाई. योजना के तहत अतिरिक्त निधियों/और अधिक सड़कों को इसके तहत शामिल किए जाने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पी.एम.जी. एस.वाई. के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2,30,447 कि.मी. लंबाई की सड़क बनाने और 60,638 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी, 2010 तक इन लक्ष्यों की तुलना में 29,000 बसावटों को सड़क सुविधा उपलब्ध कराई गई है और 134889 कि.मी. लंबाई की सड़कें बनाई गई हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष जनवरी, 2010 तक के दौरान निर्मित सड़कों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सड़क कोष में प्राप्त हाईस्पीड डीजल पर उपकर का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए निर्धारित किया जाता है। इसे वर्ष 2000-01 में निधियों के आवंटन के लिए योजना आयोग द्वारा दिए गए सूत्र के अनुसार राज्यों के बीच आबंटित किया जाता है। तैयारी की स्थिति, वर्तमान परियोजनाओं के निष्पादन की गति और कार्यान्वयन एजेंसियों की उपयोग क्षमता के अनुसार राज्यों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष जनवरी, 2010 तक के दौरान राज्य-वार आवंटन/उपकर घटक में से निधियों की रिलीज और उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 2005 में मूल्यांकन अध्ययन कराया था। इनकी कुछ प्रमुख टिप्पणियां थीं:-

(i) अधिकांश चुनिंदा राज्यों में कार्यान्वयन की गति बहुत कम थी।

(ii) सड़क कार्यों का चयन न्यायोचित पाया गया।

(iii) जहां तक बसावटों का चयन, परियोजना प्रस्तावों और स्वीकृति का संबंध है कार्यान्वयन करने वाले सभी चुनिंदा राज्यों ने कमोबेश पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया था।

(iv) पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों की गुणवत्ता सामान्यतः अच्छी पाई गई थी।

(v) इससे लाभार्थी ग्रामीणों की पहुंच में सुधार हुआ था और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य रोजगार के नये अवसरों आदि के रूप में आय में वृद्धि हुई है।

सरकार ने अध्ययन के निष्कर्षों को नोट कर लिया है और राज्यों की निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। नये कार्यक्रम कार्यान्वयन एकक स्थापित किए गए हैं, प्रक्रियाएं संचालित की गई हैं और संविदा प्रबंधन में सुधार किया गया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप, निष्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में 30710.44 कि.मी. लंबाई की सड़कें बनाई गईं जो वर्ष 2008-09 में बढ़कर 52404.51 कि.मी. हो गई हैं।

(ङ) और (च) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियां स्वीकृत परियोजनाओं की तुलना में और पूर्व में रिलीज की गई निधियों की व्यय स्थिति के आधार पर रिलीज की जाती हैं। कुछ राज्यों ने कोर नेटवर्क में और बसावटों तथा सड़कों को शामिल करने के लिए कोर नेटवर्क में सुधार की मांग की है। मंत्रालय द्वारा जिलों के मौजूदा कोर नेटवर्क में संशोधन करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 से 2009-10 (जनवरी, 2010 तक) के दौरान पूरे किए गए सड़क कार्यों की लंबाई

क्र.सं.	राज्य	2006-07 पूरी कर ली गई लंबाई	2007-08 पूरी कर ली गई लंबाई	2008-09 पूरी कर ली गई लंबाई	2009-10 पूरी कर ली गई लंबाई
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2194.94	1656.80	1885.00	1948.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	272.05	271.90	317.43	446.00
3.	असम	1546.97	1141.00	1985.11	1370.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	1078.54	1665.35	2532.20	1340.17
5.	छत्तीसगढ़	2988.89	2719.36	2427.08	1872.98
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	585.80	830.24	1262.07	739.51
8.	हरियाणा	373.55	670.21	969.87	697.38
9.	हिमाचल प्रदेश	1502.93	1555.20	1360.10	1215.05
10.	जम्मू और कश्मीर	46.82	140.69	469.80	549.08
11.	झारखंड	308.60	277.15	214.97	1159.39
12.	कर्नाटक	366.45	1427.01	2099.13	2125.31
13.	केरल	77.27	100.54	240.22	103.97
14.	मध्य प्रदेश	3788.50	5231.45	7893.72	7762.10
15.	महाराष्ट्र	1599.23	2942.19	4138.65	1927.25
16.	मणिपुर	199.55	265.99	78.95	748.80
17.	मेघालय	38.35	52.47	30.80	25.16
18.	मिजोरम	146.81	207.43	195.18	122.10
19.	नागालैंड	9.50	398.42	298.53	252.00
20.	उड़ीसा	2069.85	1836.04	2641.00	2687.14
21.	पंजाब	440.50	1036.49	751.62	549.71
22.	राजस्थान	6216.63	9887.50	10349.93	3553.93
23.	सिक्किम	204.22	142.47	308.57	84.32
24.	तमिलनाडु	519.03	747.90	609.59	1048.91
25.	त्रिपुरा	175.61	59.51	361.27	260.39
26.	उत्तर प्रदेश	2656.39	3551.98	6461.02	7351.19
27.	उत्तराखण्ड	105.89	842.08	645.60	497.90
28.	पश्चिम बंगाल	1197.58	1573.81	1877.11	815.25
	कुल	30710.45	41231.18	52404.52	41252.99

विवरण-II

वर्ष 2006-07 से 2009-10 (जनवरी, 2010 तक) पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटन, रिलीज और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	100.00	155.09	265.27	105.00	316.57	381.89	105.00	470.60	494.47	89.67	682.03	745.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.00	54.22	64.15	57.00	102.03	131.76	57.00	104.49	152.01	48.68	221.61	205.51
3.	असम	176.00	431.05	461.66	181.00	555.00	608.75	181.00	967.32	1007.05	154.58	1023.72	931.69
4.	बिहार	332.00	524.48	458.36	337.00	701.15	580.68	337.00	1022.62	1067.54	287.81	1583.28	1331.15
5.	छत्तीसगढ़	235.00	708.52	652.01	240.00	1050.89	932.50	240.00	964.12	863.34	204.97	702.21	542.83
6.	गोवा	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.71	4.41	0.00
7.	गुजरात	60.00	117.20	109.51	65.00	144.56	156.99	65.00	229.67	255.26	55.51	141.44	156.71
8.	हरियाणा	25.00	200.43	136.52	30.00	216.21	216.51	30.00	272.02	313.09	25.62	246.11	244.14
9.	हिमाचल प्रदेश	82.00	139.90	288.59	87.00	320.58	281.98	87.00	268.90	240.51	74.30	101.18	165.88
10.	जम्मू और कश्मीर	60.00	000	35.24	65.00	72.20	105.09	65.00	190.66	190.71	55.51	329.16	307.38
11.	झारखंड	170.00	56.83	56.76	175.00	0.00	63.18	175.00	208.67	211.47	149.45	359.51	345.73

12.	कर्नाटक	105.00	45.73	132.52	110.00	271.49	349.12	110.00	634.63	550.37	93.94	663.73	745.13
13.	केरल	25.00	15.00	25.19	30.00	24.68	61.32	30.00	82.29	84.41	25.62	100.43	76.27
14.	मध्य प्रदेश	435.00	1150.00	1007.69	440.00	1615.66	1358.73	440.00	1877.10	2198.06	375.77	237043	1753.75
15.	महाराष्ट्र	140.00	103.42	218.75	145.00	563.96	637.33	145.00	1030.00	929.98	123.83	785.48	787.70
16.	मणिपुर	28.00	0.00	13.42	33.00	76.17	64.28	33.00	20.00	37.97	28.18	101.69	129.86
17.	मेघालय	40.00	0.00	16.75	45.00	0.00	15.59	45.00	35.70	12.64	38.43	20.49	9.80
18.	मिजोरम	27.00	27.00	37.85	32.00	19.39	59.47	32.00	65.00	54.55	27.33	44.49	55.38
19.	नागालैंड	25.00	0.00	32.63	30.00	12.51	20.42	30.00	85.71	87.31	25.62	87.89	65.96
20.	उड़ीसा	268.00	624.59	582.81	273.00	546:83	677.41	273.00	1251.38	1163.01	233.15	1362.09	1430.99
21.	पंजाब	30.00	80.63	79.94	35.00	360.21	366.95	35.00	243.42	269.02	29.89	299.64	266.90
22.	राजस्थान	229.00	1141.67	1228.89	234.00	1646.64	1455.44	234.00	1771.32	1695.54	200.70	651.07	627.90
23.	सिक्किम	2500	36.26	43.86	30.00	170.46	88.81	30.00	55.00	103.99	25.62	79.72	75.56
24.	तमिलनाडु	8500	20.00	68.09	90.00	71.03	108.65	90.00	88.68	127.87	76.86	444.64	494.46
25.	त्रिपुरा	35.00	71.43	40.82	40.00	130.00	155.60	40.00	359.98	315.77	34.16	219.83	200.46
26.	उत्तर प्रदेश	370.00	325.19	709.93	375.00	1222.15	1201.04	375.00	1660.78	2000.07	323.68	2600.38	2367.25
27.	उत्तराखंड	95.00	12.79	67.00	100.00	78.74	99.73	100.00	114.89	152.79	85.40	109.33	106.91
28.	पश्चिम बंगाल	221.00	123.69	470.06	226.00	544.69	439.47	226.00	623.44	583.18	193.01	584.17	370.15
	कुल	3480.00	6165.12	7304.27	3615.00	10833.80	10618.69	3615.00	14698.39	1561.98	3089.00	15920.16	14540.81

[अनुवाद]

3-जी मोबाइल सेवा का विस्तार

1744. श्री सोमेन मित्राः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य में दूरसंचार सुविधाओं की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में "थर्ड-जेनरेशन" (3-जी) मोबाइल सेवा का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में दूरभाष सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) बी.एस.एन.एल. के संबंध में, देश में तथा पश्चिम बंगाल सर्किल/कोलकाता दूरसंचार जिले में दूरसंचार सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार, एम.टी.एन.एल. की दूरसंचार सुविधा की वर्तमान स्थिति संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:

	दिल्ली	मुंबई
स्थिर लाइन	1567096	2047452
जी.एस.एम.	2189841	2420486
सी.डी.एम.ए. (एम)	112006	71903
ब्रॉडबैंड	369342	414218
इंटरनेट	621010	871180

(ख) और (ग) जी, हां। बी.एस.एन.एल. द्वारा तीसरी पीढ़ी की सेवाओं की शुरुआत फरवरी, 2009 से कुछ चुनिंदा शहरों में की गई थी। 31-01-2010 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल सहित बी.एस.एन.एल. नेटवर्क में तीसरी पीढ़ी के 850870 उपभोक्ता हैं। बी.एस.एन.एल. ने प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों, वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों तथा पर्यटन स्थलों को कवर करते हुए कुल 760 शहरों में तीसरी पीढ़ी की सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। बी.एस.एन.एल. की 2010-11 तक इस कार्य को पूरा करने की योजना है। 23-02-2010 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड ने 337 शहरों में तीसरी पीढ़ी की सेवाओं की शुरुआत की है, जिनमें पश्चिम बंगाल सर्किल/कोलकाता दूरसंचार जिले में तीसरी पीढ़ी की सेवाओं की सुविधा से कवर किए गए 42 शहर/नगर शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है। बी.एस.एन.एल. की मार्च, 2010 तक पश्चिम बंगाल सर्किल के खड़गपुर एवं दार्जिलिंग शहरों में तीसरी पीढ़ी की सेवाओं की शुरुआत करने की योजना है।

एम.टी.एन.एल. अपने सेवा क्षेत्रों अर्थात् मुम्बई एवं दिल्ली में 193368 उपभोक्ताओं को तीसरी पीढ़ी की सेवाओं हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित स्पैक्ट्रम के माध्यम से तीसरी पीढ़ी की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

(घ) बी.एस.एन.एल. द्वारा देश और पश्चिम बंगाल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. बी.एस.एन.एल. की वर्ष 2009-10 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 5.4 मिलियन अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन की सुविधा देने की योजना है। साथ ही, बी.एस.एन.एल. ने अगले तीन वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर रूप से 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन कवर करने की योजना बनाई है।

2. बी.एस.एन.एल. ने अलग-थलग पड़े तथा दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क लगाए हैं।

3. सुदूर एवं दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, जहां स्थलीय प्रौद्योगिकीय के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है, में डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनलों के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों सहित पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवाओं को सुदृढ़ करने की योजना संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

एम.टी.एन.एल. ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है।

विवरण-I

31-01-2010 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल/कोलकाता दूरसंचार जिला तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बी.एस.एन.एल. की दूरसंचार सुविधाओं की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति

मद	अखिल भारत	पश्चिम बंगाल/कोलकाता दूरसंचार जिला
निवल स्विचन क्षमता स्थिर लाइनें	45979609	3292290
सीधी एक्सचेंज लाइनें	27978356	2240014
डब्ल्यू.एल.एल. स्विचन क्षमता (लाइनों में)	8450760	420000
प्रचालनरत डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शन	5732846	171855
सेल्यूलर क्षमता (लाइनों में)	53801201	3717076
सेल्युलर कनेक्शन	59376593	3719272
टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	38344	1922
ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या	4,880,591	308788
इंटरनेट कनेक्शन	3863981	412839

बी.एस.एन.एल. द्वारा पश्चिम बंगाल में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु भावी योजना

मोबाइल कवरेज जी.एस.एम.: 316 ब्लॉक मुख्यालयों में जी.एस.एम. सुविधा पहले से ही उपलब्ध है तथा शेष ब्लॉक मुख्यालयों में 2010-11 के दौरान सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। 1000 से अधिक आबादी वाले 17174 गांवों में से 11604 गांवों में सेल्यूलर सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं तथा शेष गांवों में यह सुविधा 2010-11 के दौरान उपलब्ध करा दी जाएगी।

कोलकाता जिले में दूसरी पीढ़ी के 144 बी.टी.एस. तथा तीसरी पीढ़ी के 183 बी.टी.एस. संस्थापित करने की योजना है।

डब्ल्यू.एल.एल. कवरेज: 34190 गांवों में पहले ही डब्ल्यू.एल.एल. सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा शेष गांवों में 2010-11 के दौरान सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। 3354 ग्राम पंचायतों में से 3150 ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया गया है तथा शेष पंचायत 2010-11 तक कवर हो जाएंगी।

ब्रॉडबैंड (वारलाइन): 1146 ग्रामीण एक्सचेंजों में से 1080 ग्रामीण एक्सचेंजों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध है, शेष एक्सचेंजों में जून, 2010 तक सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। 144 अतिरिक्त डी.एस.एल.ए.एम. को पहले ही वर्ष 2010-11 के लिए नियोजित कर लिया गया है ताकि ग्रामीण आबादी को ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। इस समय 1137 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध है, 211 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में जून, 2010 तक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

कोलकाता जिले में मार्च, 2010 तक 31200 ब्रॉडबैंड कनेक्शनों को उपलब्ध कराने की योजना है।

ब्रॉडबैंड वायरलेस (वाई मैक्स): वायरलेस हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 32 वाई-मैक्स बी.टी.एस. की संस्थापना पहले ही हो गई है। 300 ग्राम पंचायतों को वाई-मैक्स के माध्यम से पहले ही कवर कर लिया गया है। चरण-II में 200 वाई-मैक्स बी.टी.एस. की योजना बनाई है, जिससे पश्चिम बंगाल की 1076 ग्राम पंचायतों, अनेक ग्राहक सुविधा केंद्रों तथा महाविद्यालयों को सुविधा प्राप्त होगी।

विवरण-II

23-02-10 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल. द्वारा शुरू की गई 3जी सेवाओं वाले शहरों की सूची

1.	उत्तराखंड	देहरादून
2.		हलद्वानी
3.		नैनीताल
4.		ऋषिकेश
5.		मंसूरी
6.		हरिद्वार
7.		उत्तरकाशी
8.		टिहरी
9.		काशीपुर
10.		रूद्रपुर
11.		अल्मोड़ा
12.		रुड़की
13.		विकास नगर
14.		भागेश्वर
15.		श्रीनगर
16.		पिथौरागढ
17.		चंपावत
18.		कोट द्वार
19.		पौढ़ी
20.	पंजाब	जालंधर
21.		अमृतसर
22.		पठानकोट
23.		कपूरथला
24.		भटिंडा
25.		गुरूदासपुर
26.		मानसा
27.		नवाशहर
28.		होशियारपुर
29.		पंचकूला
30.		ए.एस.आर. एयरपोर्ट
31.		मोहाली
32.		पटियाला स्पेशल जॉन
33.		पटियाला
34.		फतेहगढ़ साहिब
35.		चंडीगढ
36.		लुधियाना
37.		रोपड़
38.		मोगा
39.		संगरूर
40.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
41.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
42.		सोलन
43.		मंडी
44.		धर्मशाला
45.		पालमपुर
46.		चम्बा
47.		नाहन
48.		बाड़ी
49.		कुल्लू
50.		मनाली
51.		हमीरपुर
52.		केवलोंग
53.		बिलासपुर

54.		ऊना	82.		भवानी पाटन
55.	हरियाणा	बहादुरगढ़	83.		ढेंकनाल
56.		जींद	84.		परला खेमुंडी
57.		अम्बाला	85.		कोरापुट
58.		करनाल	86.		संबलपुर
59.		कुरुक्षेत्र	87.		सोनपुर
60.		हिसार	88.		बारागढ़
61.		हांसी	89.		डियोगढ़
62.		सोनीपत	90.		नयागढ़
63.		सिरसा	91.		जगत सिंहपुर
64.		कैथल	92.		छतरपुर
65.		पानीपत	93.		केन्द्रपाड़ा
66.		फतेहाबाद	94.		मलकानगिरि
67.		रोहतक	95.		नौरंगपुर
68.		भिवानी	96.		राउरकेला
69.		कालका	97.		सुंदरगढ़
70.	असम	गुवाहाटी	98.		नोपाड़ा
71.	कोलकाता	कोलकाता	99.		जयपुर रोड
72.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	100.		रावगढ़
73.		पुरी	101.		फुलवानी
74.		कटक	102.		बौध
75.		झारसुगुडा	103.		पारादीप
76.		खुर्दा एवं जटनी	104.		भद्रक
77.		बेरहमपुर	105.	राजस्थान	जयपुर
78.		बोलनगीर	106.		जोधपुर
79.		अनुगुल	107.		उदयपुर
80.		तलचेर	108.		कोटा
81.		कान्हा	109.		बीकानेर

110.		जैसलमेर	138.		जलोर
111.		डोसा	139.		बाडमेर
112.		नागौर	140.		झालसवाड़
113.		पाली	141.		माउंटआबू
114.		चितौड़गढ	142.	बिहार	पटना
115.		रावतभाटा	143.		सहरसा
116.		बंसवारा	144.		भागलपुर
117.		डूंगरपुर	145.		गया
118.		श्री गंगा नगर	146.		हाजीपुर
119.		सवाई माधोपुर	147.		कटिहार
120.		करौली	148.		मुजफ्फरपुर
121.		चुरू	149.		मोतिहारी
122.		बेरन	150.		मुंगेर
123.		हनुमानगढ	151.		दरभंगा
124.		कंकरोली	152.		सुपौल
125.		अजमेर	153.		आरा
126.		किशनगढ	154.		बक्सर
127.		अलवर	155.		बरौनी
128.		बालोट्रा	156.		बेगुसराय
129.		भरतपुर	157.		कहलगांव
130.		धौलपुर	158.		औरंगाबाद
131.		झुंझनू	159.		बोधगया
132.		सीकर	160.		जामुई
133.		बूंदी	161.		जमालपुर
134.		सिरोही	162.		लखीसराय
135.		टोंक	163.		सीतामढी
136.		भीलवाड़ा	164.		मधेपुर
137.		मकराना	165.		छपरा

166.		गोपालगंज	194.		बोकारो
167.		सीवान	195.		रामगढ़
168.		किशनगंज	196.		लातेहर
169.		समस्तीपुर	197.		सीमडेगा
170.		भभुआ	198.		खूंटी
171.		बिक्रमगंज	199.		हजारीबाग
172.		डालमियानगर	200.		देवघर
173.		सासाराम	201.		जमात्रा
174.		पूर्णिया	202.		पाकुर
175.		खगडिया	203.	पूर्वोत्तर-II	कोहिमा
176.		नरकटियागंज	204.		दमापुर
177.		रामनगर	205.		इटानगर
178.		बगहा	206.	पूर्वोत्तर-I	शिलांग
179.		बेत्तिया	207.		अगरतला
180.		बांका	208.		ऐजवाल
181.		मधुबानी	209.		कोलासिब
182.		जहानाबाद	210.		लुंगले
183.		महनार	211.		चंपई
184.		अररिया	212.	अंडमान और निकोबार	पोर्टब्लेयर
185.		शेखपुर	213.	उत्तर प्रदेश पूर्व	लखनऊ
186.		शिवहर	214.		कानपुर
187.		राजगीर	215.		वाराणसी
188.		बिहार शरीफ	216.		बस्ती
189.		बाढ़	217.		तेत्री बाजार
190.		नवादा	218.		खलीलाबाद
191.	झारखंड	रांची	219.		आजमगढ़
192.		धनबाद	220.		मऊ
193.		जमशेदपुर	221.		गोरखपुर

222.	गाजुपीर	250.		जगदीशपुर इंडस्ट्रीय एयरिया
223.	जौनपुर	251.		सुल्तानपुर
224.	महाराजगंज	252.		कोरवा
225.	इलाहाबाद	253.		बलिया
226.	बहराइच	254.		मुगलसराय
227.	बाराबंकी	255.		अंबेडकर नगर
228.	भींगा	256.		ओराई
229.	पदरौना	257.		उन्नाव
230.	देवरिया	258.		फतेहपुर
231.	अकबरपुर	259.		बांडा
232.	फैजाबाद	260.		कारवी
233.	टंडा एन.टी.पी.सी.	261.		हमीरपुर
234.	गोंडा	262.		महोबा
235.	बलरामपुर	263.		भदोही
236.	गीडा	264.		प्रतापगढ
237.	हरदोई	265.		मंझानपुर
238.	झांसी	266.		शाहजहांपुर
239.	फर्रूखाबाद	267.		ललितपुर
240.	कन्नौज	268.		लखीमपुर
241.	रायबरेली	269.		सीतापुर
242.	उनचाहर एन.टी.पी.सी.	270.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	आगरा
243.	रोबर्ट्सगंज	271.		मेरठ
244.	शक्तिनगर	272.		इटावा (उत्तर पूर्व)
245.	पिपरी	273.		बिन्नौर
246.	रिहंदनगर	274.		बरेली
247.	मिर्जापुर	275.		पिलीभीत
248.	ओबरा	276.		इटावा
249.	अमेठी			

277.		मथुरा	305.		अलीपुर दोआर
278.		वृंदावन	306.		नामची
279.		बदायूं	307.		मंगन
280.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	308.		गजविंग
281.		हल्दिया	309.		माल्डा
282.		बहरामपुर	310.		सिलीगुड़ी
283.		आसनसोल	311.		फराका एन.टी.पी.सी.
284.		बरदवान	312.		मायापुर
285.		मिदनापुर	313.		जलगांव
286.		कृष्णानगर	314.		खर्जुरियाघाट
287.		डायमंड	315.		कलीमपोंग
288.		बसीरहाट	316.		एम.आई.टी. विष्णुपुर
289.		बंगांव	317.		सिंग्टम
290.		कोयंटई	318.		नवबाजार
291.		बोलपुर	319.		एस.एम.आई.टी.-मजिटार
292.		तामलुक			
293.		सूरी	320.		बागडोगरा
294.		जलपाई गुड़ी	321.	चेन्नई	चेन्नई
295.		रानीगंज	322.	केरल	कन्नूर
296.		रानाघाट	323.		कासरकोड
297.		विष्णुपुर	324.		माहे
298.		बांकुरा	325.		त्रिचूर
299.		गंगटोक	326.		चावकक्ड
300.		पुरुलिया	327.		मालाप्पुरम
301.		हाबरा	328.		कोल्लम
302.		बलूरघाट	329.		पत्तनमटिट्टा
303.		रायगंज	330.		कोटायम
304.		कूच बिहार	331.		कालीकट

332.		पलक्कड
333.		एलेपी
334.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
335.		कूनुर
336.		ऊंटी
337.	कर्नाटक	बंगलोर

नौसेना के लिए ब्रह्मोस ब्लॉक-II

1745. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नौसेना के लिए ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के ब्लॉक-II को विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रक्षेपास्त्र के पूर्व के प्रकारों की तुलना में इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इस परियोजना के लिए कितना आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इससे नौसेना की क्षमता में कितनी वृद्धि होगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) ब्रह्मोस ब्लॉक II का समुद्री रूपांतर स्थापित/प्रमाणित नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बी.पी.एल. परिवारों की पहचान

1746. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री हेमानंद बिसवाल:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सक्सेना और तेंदुलकर समिति जैसी विभिन्न समितियों के निष्कर्षों के बावजूद देश में गरीबों की निश्चित संख्या का पता लगाने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और देश में आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ग) क्या इन समितियों के गरीबी संबंधी आंकड़ों में भिन्नता है तथा राज्य और केंद्र द्वारा क्या आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश में गरीबी को कम करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) डॉ. एन.सी. सक्सेना तथा प्रोफेसर एस.डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूहों का विभिन्न उद्देश्यों के साथ गठन किया गया था। योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने 8 दिसम्बर, 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 2004-05 में गरीबी अनुपात योजना आयोग के 27.5% के गरीबी अनुपात की तुलना में 37.2% था। जबकि डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह का गठन 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए बी.पी.एल. जनगणना करवाने की पद्धति के विषय में ग्रामीण विकास मंत्रालय को परामर्श देने के लिए किया गया था।

योजना आयोग लगभग हर 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा करवाए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अलग से राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता तथा संख्या का अनुमान लगाता है। योजना आयोग द्वारा राज्य-वार गरीबी का आकलन राज्य विशेष की गरीबी रेखा से तथा इन प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त राज्य विशेष उपभोक्ता व्यय वितरण से किया जाता है।

गरीबी के नवीनमत अनुमान वर्ष 2004-05 के लिए उपलब्ध हैं जो योजना आयोग द्वारा जारी किए गए थे। इनके अनुसार वर्ष 2004-05 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का 27.5% थी। वर्ष 2004-05 के लिए देश में गरीबी रेखा

से नीचे रहने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ. ए.पी.एस.) कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या - 2004-05 (यू.आर.पी.-उपभोग पर आधारित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लोगों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	126.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.03
3.	असम	55.77
4.	बिहार	369.15
5.	छत्तीसगढ़	90.96
6.	दिल्ली	22.93
7.	गोवा	2.01
8.	गुजरात	90.69
9.	हरियाणा	32.10
10.	हिमाचल प्रदेश	6.36
11.	जम्मू और कश्मीर	5.85
12.	झारखण्ड	116.39
13.	कर्नाटक	138.89
14.	केरल	49.60
15.	मध्य प्रदेश	249.68
16.	महाराष्ट्र	317.38
17.	मणिपुर	3.95
18.	मेघालय	4.52
19.	मिजोरम	1.18
20.	नागालैण्ड	3.99
21.	उड़ीसा	178.49
22.	पंजाब	21.63
23.	राजस्थान	134.89
24.	सिक्किम	1.14
25.	तमिलनाडु	145.62
26.	त्रिपुरा	6.38
27.	उत्तर प्रदेश	590.03
28.	उत्तराखंड	35.96
29.	पश्चिम बंगाल	208.36
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.92
31.	चंडीगढ़	0.74
32.	दादरा और नगर हवेली	0.84
33.	दमन और दीव	0.21
34.	लक्षद्वीप	0.11
35.	पुडुचेरी	2.37
	अखिल भारत	3017.20

स्रोत: योजना आयोग

यू.आर.पी. उपभोग = यूनिफार्म रिकॉल अवधि उपभोग, जिसमें सभी मदों के लिए व्यय आंकड़े 30 दिन की रिकॉल अवधि से एकत्र किए जाते हैं।

टिप्पणी: 1. असम के गरीबी अनुपात का उपयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा के लिए किया जाता है।

2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण का गोवा की गरीबी रेखा का आकलन करने में प्रयोग किया जाता है।

3. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पाण्डिचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए उपयोग किया जाता है।

4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का ग्रामीण तथा शहरी चण्डीगढ़ के लिए उपयोग किया जाता है।

5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादरा और नागर हवेली के व्यय वितरण का दादरा और नागर हवेली के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

6. गोवा के गरीबी अनुपात का दमन और दीव के लिए उपयोग किया जाता है।

7. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है।

उर्दू माध्यम से आई.टी.आई.

1747. श्री एम.बी. राजेश: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में, विशेषकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उर्दू माध्यम वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) को आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित, संस्वीकृत तथा जारी की गईं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज) की स्थापना तथा विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन है। राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्धारित अनुदेशन के किसी भी माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए सक्षम हैं।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि प्लान के अंतर्गत उर्दू माध्यम से नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अपने प्रस्ताव योजना आयोग को भेजें, जिससे ऐसे प्रस्तावों पर प्राथमिकता से विचार करने का अनुरोध किया गया है।

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय भी अपने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का समर्थन करता है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत सामग्री पर धन

1748. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के तहत किए गए कार्यों के लिए सामग्री के क्रय पर प्रत्येक राज्य द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत कामगारों की मजदूरी पर कुल राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने ग्रामों में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों के दुर्विनियोजन का पता चला है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची-I के पैरा 9 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के सामग्री घटक की लागत कुल लागत के 40% से अधिक नहीं होगी। सामग्री घटक की लागत में अर्द्धकुशल तथा कुशल कामगारों को दी गई मजदूरी भी शामिल है। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (जनवरी, 2010 तक) में दी गई मजदूरी से संबंधित व्यय तथा सामग्री घटक से संबंधित व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधियों के दुर्विनियोजन से संबंधित अभी तक कुल 330 शिकायतें मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चूंकि मनरेगा का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं ताकि वे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनकी जांच तथा आवश्यक कार्रवाई कर सकें। कुछ विशेष शिकायतों के मामले में मंत्रालय शिकायतों की जांच करने के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता भी तैनात करता है।

विवरण-I

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 जनवरी, 2010 तक	
		मजदूरी संबंधी व्यय	सामग्री घटक संबंधी व्यय	मजदूरी संबंधी व्यय	सामग्री घटक संबंधी व्यय	मजदूरी संबंधी व्यय	सामग्री घटक संबंधी व्यय	मजदूरी संबंधी व्यय	सामग्री घटक संबंधी व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	58422.5	1196.1	166929.8	27474.6	225796.5	53356.9	263608.0	36720.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	218.9	0.0	187.3	111.0	2055.8	1015.6	462.0	211.5
3.	असम	38369.2	20002.6	35749.4	17780.8	57941.3	34524.4	47681.9	27438.5
4.	बिहार	41859.9	28984.7	68323.6	33991.8	84379.9	42206.5	85702.3	49379.6
5.	छत्तीसगढ़	43156.5	22677.1	90069.5	46901.5	91005.6	48345.8	61992.0	33585.9
6.	गुजरात	5583.0	1256.0	5785.8	1596.8	14437.3	4082.9	37889.8	10611.3
7.	हरियाणा	2329.8	1213.1	4440.9	659.3	8269.4	2309.6	5783.0	1758.5
8.	हिमाचल प्रदेश	2057.6	1858.8	7355.5	5103.2	20337.8	12483.4	22766.6	15896.7
9.	जम्मू और कश्मीर	2242.2	1162.5	2639.4	1488.1	5321.8	3097.1	5448.2	2725.9
10.	झारखण्ड	41286.4	29020.5	61595.9	42434.3	67843.6	62985.7	67102.8	41381.6
11.	कर्नाटक	14774.2	9769.2	14306.8	8381.2	23295.9	10857.1	129260.9	63938.6
12.	केरल	2474.6	139.0	7139.5	870.9	18459.6	2201.0	28471.2	1773.7
13.	मध्य प्रदेश	117350.4	65999.6	175006.4	106934.7	215621.8	125998.0	231748.8	148420.6
14.	महाराष्ट्र	16517.9	859.9	16586.0	1606.2	31377.0	3110.6	21712.3	3951.6
15.	मणिपुर	1385.9	599.1	4184.7	1810.6	22299.4	11587.4	19736.0	11325.1
16.	मेघालय	1767.5	321.4	3650.6	1280.7	6052.8	2460.5	7344.3	3880.5
17.	मिजोरम	1375.6	190.1	4020.6	20.5	13712.3	2180.8	13546.8	3459.2
18.	नागालैण्ड	863.6	544.2	1690.6	545.0	16372.3	9759.5	23080.0	13783.5
19.	उड़ीसा	42197.7	30299.0	31228.3	25183.3	39810.4	25261.2	37382.0	18274.2
20.	पंजाब	1464.0	975.1	1939.7	1016.6	4412.4	2343.5	6707.9	3254.8
21.	राजस्थान	50726.5	17658.7	98424.2	45697.5	426531.9	177203.0	365682.9	145945.3
22.	सिक्किम	211.2	50.7	808.3	357.6	2414.7	1708.6	2941.0	1565.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	तमिलनाडु	14628.2	0.0	49890.7	0.0	95899.8	0.0	133872.2	0.0
24.	त्रिपुरा	3007.8	1419.9	13134.3	6804.2	30057.8	17955.1	30611.5	13701.0
25.	उत्तर प्रदेश	46209.2	30267.4	126279.0	58784.3	225446.5	120413.8	264573.9	155557.5
26.	उत्तरांचल	2942.1	1748.6	5930.1	3236.4	8830.2	3911.0	13527.3	6544.8
27.	पश्चिम बंगाल	30814.7	7664.0	76549.7	21675.7	61522.4	28579.9	84162.4	37247.5
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					123.9	10.0	503.7	13.1
29.	दादरा और नगर हवेली					0.5	0.4	64.0	36.2
30.	दमन और दीव					0.0	0.0	0.0	0.0
31.	गोवा					97.1	64.7	122.9	90.2
32.	लक्षद्वीप					145.3	29.5	158.2	20.8
33.	पांडिचेरी					130.0	0.0	636.4	0.0
34.	चंडीगढ़					0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल	584236.9	275877.1	1073846.7	461746.6	1820003.1	810043.3	2014283.3	852492.4

विवरण-II

राज्य	निधियों के दुर्विनियोजन से संबंधित शिकायतों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2
असम	9
बिहार	42
छत्तीसगढ़	6
गुजरात	4
हिमाचल प्रदेश	3
हरियाणा	11
झारखंड	16
कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	51
महाराष्ट्र	2
नागालैण्ड	2
उड़ीसा	6
पंजाब	3
राजस्थान	34
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	125
पश्चिम बंगाल	8
कुल	330

नेशनल फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट बोर्ड

1749. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में व्यापक स्पेक्ट्रम नीति तैयार करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा संस्तुत "नेशनल फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट बोर्ड" का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय में 18-09-2006 को गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, दूरसंचार आयोग ने भावी प्रौद्योगिकियों और स्टेकहोल्डरों की स्पैक्ट्रम संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्पैक्ट्रम योजना तैयार करते हुए स्पैक्ट्रम प्रबंधन नीति के निर्माण और स्पैक्ट्रम के दक्ष उपयोग पर सिफारिशें देने के लिए रेडियो स्पैक्ट्रम इंजीनियरिंग और प्रबंधन (सी.ई.आर.एस.ई.एम.) के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देना

1750. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री सुरेश अंगडी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री रमेश राठौड़:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) क्षेत्र को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार कितनी निधियां नियत की गई;

(ग) क्या विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच असंतोषजनक है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत सरकार ने सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) योजना को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,000 स्थापित किए जा रहे हैं। इन कयोस्कों में कम्प्यूटर, सम्पर्क तथा प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध है, जिन्हें समुचित प्रोत्साहन दिया जाता है। ये केन्द्र इन्टरनेट तथा ई-मेल की सुविधाओं सहित सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर कार्यान्वित की जा रही है जिसमें भारत सरकार केवल राजस्व के व्यावहारिक अंतराल का पोषण कर रही है। 28 फरवरी तक लगभग 70,000 सी.एस.सी. स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक सी.एस.सी. की स्थापना 6 गांवों के लिए एक सी.एस.सी. के मानदण्ड पर की जाती है। राज्यवार आबंटित धनराशि/व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जारी धनराशि-सी.एस.सी. परियोजना

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सी.एस.सी.					
		2006-07		2007-08		2008-09	
		डी.आई.टी. अंश	ए.सी.ए. अंश	डी.आई.टी. अंश	ए.सी.ए. अंश	डी.आई.टी. अंश	ए.सी.ए. अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	929	929	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	-		134	134	272.25	272.25
3.	असम	1238	867	-	-	-	0
4.	बिहार	1490	1490	-	-	484.25	484.25
5.	चंडीगढ़	671	671	-	-	-	0
6.	गोवा	-		-	-	-	0
7.	गुजरात	613	613	-	-	-	0
8.	हरियाणा	230	230	-	-	-	0
9.	हिमाचल प्रदेश	666	666	-	-	507.75	13
10.	जम्मू और कश्मीर	-		499	0	319.75	111
11.	झारखण्ड	1078	1075	-	-	-	0
12.	कर्नाटक	-		-	-	-	0
13.	केरल	45	45	-	-	570.68	160.8
14.	मध्य प्रदेश	1830	1830	-	-	336.21	336.21
15.	महाराष्ट्र	-		1444	1410	616.9	0
16.	मणिपुर	-		79	79	-	0
17.	मेघालय	-		199	199	312.75	61.9
18.	मिजोरम	-		27	27	-	0
19.	नागालैण्ड	-		44	44	-	0
20.	उड़ीसा	1697	1675	-	-	-	0
21.	पंजाब	419	419	-	-	341.055	314.06
22.	राजस्थान	1314	1095	-	-	-	0
23.	सिक्किम	-		20	20	-	0
24.	तमिलनाडु	539	539	-	-	601.25	0
25.	त्रिपुरा	29	29	-	-	300.25	189
26.	उत्तर प्रदेश	3550	3550	-	-	-	0
27.	उत्तराखण्ड	556	556	-	-	-	0
28.	पश्चिम बंगाल	1347	1295	-	-	375	375
	कुल (राज्य)	**18241**	**17574**	**2446**	**1913**	**5038.095**	**2317.47**

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और नकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	253.75	0
30.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	0
31.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	0
32.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	0
33.	दिल्ली	-	-	-	-	-	0
34.	लक्षदीव	-	-	-	-	-	0
35.	पुडुचेरी	-	-	9	-	312.75	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	**-**	**0**	**9**	**0**	**566.5**	**0**
	कुल (राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र)	18241	17574	2455	1913	5604.595	2317.47

एस.एस.डी.जी. के लिए राज्यों को जारी की गई राशि सहित

सीमाओं पर बारहमासी सड़कों का निर्माण

1751. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी:**
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री जी.एस. बासवराज:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-चीन सीमा के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में सड़क नेटवर्क और अन्य सैन्य अवसंरचना को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो सड़क संपर्क सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में चीन की तुलना में सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों के आवागमन में कितना समय लगता है;

(ग) क्या सरकार को आरंभ में स्वीकृत 73 सड़कों में से केवल 12 के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु क्या कार्य योजना यदि कोई है, तैयार की गई है; और

(ङ) इससे क्षेत्र के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) 73 भारत-चीन सड़कों के उन्नयन और विकास का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क अवसंरचना के विकास का कार्य समग्र रूप से और व्यापक तरीके से किया जाता है।

(ख) सरकार सामरिक आवश्यकताओं तथा इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की सीमाओं पर तेजी से सड़कें बनाने और अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। सन् 2022 तक लगभग 18000 किलोमीटर लम्बी सड़कें पूरा करने की योजना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सीमा सड़क संगठन के पास 61 सड़कों (73 सड़कों में से) पर वन विभाग से अनुमति संबंधी कुल 93 मामले हैं। 48 मामलों में सरकार ने वन-विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली है और इसके अतिरिक्त पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने 21 मामलों के लिए सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। शेष 24 मामलों के निपटान के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और राज्य वन विभागों के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इन सभी सड़कों को सन् 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) सीमा सड़क संगठन पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करता है जैसे क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पर्याप्त धनराशि का भुगतान किया जाता

है, घने जंगल/वन्यजीवों को बचाने के लिए वैकल्पिक संरेखण किया गया है, गन्दगी को नदी में नहीं गिराया जाता है, इत्यादि।

[हिन्दी]

डाकघरों का आधुनिकीकरण

1752. **श्री हरीश चौधरी:**
डॉ. संजय सिंह:
श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में डाकघरों के आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत पहले ही शामिल कर लिए गए डाकघरों के नाम क्या हैं; और

(ग) देश के सभी डाकघरों का कब तक आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी हां, सरकार ने देश में डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट ऐरो नामक एक योजना शुरू की है।

(ख) इस परियोजना का लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ 'रूप एवं परिवेश' में सुधार लाकर चुनिंदा डाकघरों का उन्नयन करना है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 22 डाक सर्किलों में 1,000 डाकघरों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया गया है। डाकघरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) डाक विभाग वर्ष 2010-11 में प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत 500 और डाकघरों में आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर रहा है।

विवरण

प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत उन्नयन किए गए एवं आधुनिकीकृत डाकघरों की सूची

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
1.	आन्ध्र प्रदेश	द्वारका तिरुमला एस.ओ.	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	कोहीर एस.ओ.	1
3.	आन्ध्र प्रदेश	नेक्कोंडा एस.ओ.	1
4.	आन्ध्र प्रदेश	पट्टीकोंडा एल.एस.जी. एस.ओ.	1
5.	आन्ध्र प्रदेश	सोमपेटा एस.ओ.	1
6.	झारखंड	डाकघर	1
7.	झारखंड	हजारीबाग एच.ओ.	1
8.	झारखंड	जमशेदपुर एच.ओ.	1
9.	झारखंड	मधुपुर एस.ओ.	1
10.	मध्य प्रदेश	डाकघर	1
11.	मध्य प्रदेश	गुना एच.ओ.	1
12.	मध्य प्रदेश	मोरार एच.ओ.	1
13.	मध्य प्रदेश	मोरेना एच.ओ.	1
14.	मध्य प्रदेश	नंद नगर एस.ओ.	1
15.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी एच.ओ.	1
16.	महाराष्ट्र	बारामति एस.ओ.	1
17.	महाराष्ट्र	भंडारा एच.ओ.	1
18.	महाराष्ट्र	जवहर एस.ओ.	1
19.	महाराष्ट्र	कालांगूत एस.ओ.	1
20.	महाराष्ट्र	नांदेड एच.ओ.	1
21.	पूर्वोत्तर	चेरापुंजी एस.ओ.	1
22.	पूर्वोत्तर	डाकघर	1
23.	उड़ीसा	बारपाली एस.ओ.	1
24.	उड़ीसा	चांदाबाली एस.ओ.	1
25.	उड़ीसा	गोपालपुर एस.ओ.	1
26.	उड़ीसा	कामाख्यानगर एस.ओ.	1
27.	उड़ीसा	पुरी एच.ओ.	1

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
28.	राजस्थान	झालावाड़ एच.ओ.	1
29.	राजस्थान	मुकुंदगढ़ एस.ओ.	1
30.	राजस्थान	नंदनवन एस.ओ.	1
31.	राजस्थान	एस.ओ.	1
32.	राजस्थान	शाहपुरा एस.ओ.	1
33.	तमिलनाडु	अरियालूर	1
34.	तमिलनाडु	चेट्टिकुलम	1
35.	तमिलनाडु	जेयानकोंडम	1
36.	तमिलनाडु	मदनगोपालपुरम	1
37.	तमिलनाडु	पेदालूर	1
38.	तमिलनाडु	पेरांबलूर	1
39.	तमिलनाडु	थुरईमंगलम	1
40.	तमिलनाडु	थुरयूर	1
41.	तमिलनाडु	तिरुकुवलई	1
42.	उत्तर प्रदेश	अकबरपुर एस.ओ.	1
43.	उत्तर प्रदेश	घर	1
44.	उत्तर प्रदेश	घर	1
45.	उत्तर प्रदेश	कैसरगंज एस.ओ.	1
46.	उत्तर प्रदेश	नवाबगंज एस.ओ.	1
47.	उत्तराखंड	किछा एस.ओ.	1
48.	उत्तराखंड	नरेंद्रनगर एस.ओ.	1
49.	उत्तराखंड	राजपुर एस.ओ.	1
50.	उत्तराखंड	ऑफिस	1
51.	आन्ध्र प्रदेश	अमलपुरम एच.ओ.	2
52.	आन्ध्र प्रदेश	अमरावती एस.ओ.	2
53.	आन्ध्र प्रदेश	बडवेल एस.ओ.	2
54.	आन्ध्र प्रदेश	बंजारा हिल्स एस.ओ.	2
55.	आन्ध्र प्रदेश	बांसवाड़ा एस.ओ.	2
56.	आन्ध्र प्रदेश	बेगमपेट एस.ओ.	2
57.	आन्ध्र प्रदेश	चंद्रगिरी एच.ओ.	2
58.	आन्ध्र प्रदेश	कुडप्पा एच.ओ.	2
59.	आन्ध्र प्रदेश	दुब्बाक एस.ओ.	2
60.	आन्ध्र प्रदेश	एलूरू एच.ओ.	2
61.	आन्ध्र प्रदेश	गूटी एस.ओ.	2
62.	आन्ध्र प्रदेश	गुंटूर एच.ओ.	2
63.	आन्ध्र प्रदेश	हनुमान जंक्शन एस.ओ.	2
64.	आन्ध्र प्रदेश	हुजूरनगर एस.ओ.	2
65.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद जी.पी.ओ.	2
66.	आन्ध्र प्रदेश	जुबिली एच.ओ.	2
67.	आन्ध्र प्रदेश	कामरेड्डी एच.ओ.	2
68.	आन्ध्र प्रदेश	खम्मम एच.ओ.	2
69.	आन्ध्र प्रदेश	कोदूर एस.ओ.	2
70.	आन्ध्र प्रदेश	कोथपटनम एस.ओ.	2
71.	आन्ध्र प्रदेश	कुप्पम एस.ओ.	2
72.	आन्ध्र प्रदेश	लक्कीरेड्डी पल्ली एस.ओ.	2
73.	आन्ध्र प्रदेश	महबूबनगर एच.ओ.	2
74.	आन्ध्र प्रदेश	मंथानी	2
75.	आन्ध्र प्रदेश	मुलूंग एस.ओ.	2
76.	आन्ध्र प्रदेश	नागरकुर्नूल एस.ओ.	2
77.	आन्ध्र प्रदेश	नरसिंहपटनम एच.ओ.	2
78.	आन्ध्र प्रदेश	पालकोंडा एस.ओ.	2
79.	आन्ध्र प्रदेश	पेनुकोंडा एस.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
80.	आन्ध्र प्रदेश	एस.के. नगर एस.ओ.	2
81.	आन्ध्र प्रदेश	संतमगुलूरू एस.ओ.	2
82.	आन्ध्र प्रदेश	सिकंदराबाद एच.ओ.	2
83.	आन्ध्र प्रदेश	सिरीसिल्ला एस.ओ.	2
84.	आन्ध्र प्रदेश	सुल्लूरपेट एस.ओ.	2
85.	आन्ध्र प्रदेश	तनुकू एच.ओ.	2
86.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति एच.ओ.	2
87.	आन्ध्र प्रदेश	तूनी एस.ओ.	2
88.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा एच.ओ.	2
89.	आन्ध्र प्रदेश	विनुकोंडा एस.ओ.	2
90.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापटनम एच.ओ.	2
91.	आन्ध्र प्रदेश	विजयनगरम कैंट एस.ओ.	2
92.	आन्ध्र प्रदेश	विजयनगरम एच.ओ.	2
93.	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल एच.ओ.	2
94.	आन्ध्र प्रदेश	येम्मिगानूर एस.ओ.	2
95.	बिहार	आरा एच.ओ.	2
96.	बिहार	औरंगाबाद एच.ओ. बिहार	2
97.	बिहार	बांकीपुर एच.ओ.	2
98.	बिहार	भारगलपुर एच.ओ.	2
99.	बिहार	बिहारशरीफ एच.ओ.	2
100.	बिहार	बिक्रमगंज एस.ओ.	2
101.	बिहार	छपरा एच.ओ.	2
102.	बिहार	गया एच.ओ.	2
103.	बिहार	गोपालगंज एच.ओ.	2
104.	बिहार	हाजीपुर एच.ओ.	2
105.	बिहार	मधुबनी एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
106.	बिहार	मोतीहारी एच.ओ.	2
107.	बिहार	मुंगेर एच.ओ.	2
108.	बिहार	मुजफ्फरपुर एच.ओ.	2
109.	बिहार	सासाराम एच.ओ.	2
110.	गुजरात	भुज एच.ओ.	2
111.	गुजरात	बोदेली (संखंडा) एस.ओ.	2
112.	गुजरात	छोटाउदेयर एस.ओ.	2
113.	गुजरात	द्वारका एस.ओ.	2
114.	गुजरात	गांधी नगर एच.ओ.	2
115.	गुजरात	मियागम करजान एस.ओ.	2
116.	गुजरात	पदारा एस.ओ.	2
117.	गुजरात	पोरबंदर एच.ओ.	2
118.	गुजरात	प्रभास पाटन	2
119.	गुजरात	राजपिपला एस.ओ.	2
120.	झारखंड	बी. देवघर एच.ओ.	2
121.	झारखंड	बी.एस.सिटी एच.ओ.	2
122.	झारखंड	बी.एस. सिटी सै.-IX एस.ओ.	2
123.	झारखंड	बी.एस. सिटी सै.-VI एस.ओ.	2
124.	झारखंड	बी.बी.सी.एल. धनबाद एस.ओ.	2
125.	झारखंड	चायबासा एच.ओ.	2
126.	झारखंड	डालटनगंज एच.ओ.	2
127.	झारखंड	धनबाद एच.ओ.	2
128.	झारखंड	धुरवा एस.ओ.	2
129.	झारखंड	दुमका एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
130.	झारखंड	गढ़वा एम.डी.जी.	2
131.	झारखंड	गिरिडीह एच.ओ.	2
132.	झारखंड	गोड्डा एम.डी.जी.	2
133.	झारखंड	गोरलमुड़ी एस.ओ.	2
134.	झारखंड	गुमला एच.ओ.	2
135.	झारखंड	झुमरीतलैया एस.ओ.	2
136.	झारखंड	कांके एस.ओ.	2
137.	झारखंड	कतरसगढ़ एस.ओ.	2
138.	झारखंड	कोडरमा	2
139.	झारखंड	लातेहर एम.डी.जी.	2
140.	झारखंड	लोहारदगा एम.डी.जी.	2
141.	झारखंड	नामकम एस.ओ.	2
142.	झारखंड	रामगढ़ कैंट एच.ओ.	2
143.	झारखंड	रांची जी.पी.ओ.	2
144.	झारखंड	साकची एम.डी.जी.	2
145.	झारखंड	सिमदेगा एम.डी.जी.	2
146.	झारखंड	टाटानगर एस.ओ.	2
147.	मध्य प्रदेश	अगर मालवा एस.ओ.	2
148.	मध्य प्रदेश	अंभा एस.ओ.	2
149.	मध्य प्रदेश	अरोन एस.ओ.	2
150.	मध्य प्रदेश	बदरवास एस.ओ.	2
151.	मध्य प्रदेश	बामोरी एस.ओ.	2
152.	मध्य प्रदेश	बरचा एस.ओ.	2
153.	मध्य प्रदेश	भान्देर एस.ओ.	2
154.	मध्य प्रदेश	भेल एच.ओ. पिपलानी	2
155.	मध्य प्रदेश	भिण्ड एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
156.	मध्य प्रदेश	भोपाल जी.पी.ओ.	2
157.	मध्य प्रदेश	बरहामपुर एस.ओ.	2
158.	मध्य प्रदेश	सी.टी.टी. नगर एच.ओ.	2
159.	मध्य प्रदेश	चन्देरी एस.ओ.	2
160.	मध्य प्रदेश	छतरपुर एस.ओ.	2
161.	मध्य प्रदेश	छिन्दवाड़ा एच.ओ.	2
162.	मध्य प्रदेश	डाबरा एस.ओ.	2
163.	मध्य प्रदेश	डाक भवन एस.ओ.	2
164.	मध्य प्रदेश	दतिया एम.डी.जी.	2
165.	मध्य प्रदेश	देवास एच.ओ.	2
166.	मध्य प्रदेश	धनपुरी एस.ओ.	2
167.	मध्य प्रदेश	धार एच.ओ.	2
168.	मध्य प्रदेश	इसागढ़ एस.ओ.	2
169.	मध्य प्रदेश	गंजबसोड़ा एस.ओ.	2
170.	मध्य प्रदेश	गरोथ एस.ओ.	2
171.	मध्य प्रदेश	गूना बाजार एस.ओ.	2
172.	मध्य प्रदेश	गूना सिटी एस.ओ.	2
173.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर फोर्ट एस.ओ.	2
174.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद एच.ओ.	2
175.	मध्य प्रदेश	इन्दौर सिटी एच.ओ.	2
176.	मध्य प्रदेश	इन्दौर जी.पी.ओ.	2
177.	मध्य प्रदेश	जबलपुर एच.ओ.	2
178.	मध्य प्रदेश	जावड़ा एस.ओ.	2
179.	मध्य प्रदेश	झबुआ एच.ओ.	2
180.	मध्य प्रदेश	जौरा एस.ओ.	2
181.	मध्य प्रदेश	करेरा एस.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
182.	मध्य प्रदेश	कटनी एच.ओ.	2
183.	मध्य प्रदेश	खजुराहो एस.ओ.	2
184.	मध्य प्रदेश	खण्डवा एच.ओ.	2
185.	मध्य प्रदेश	खरगौन एस.ओ.	2
186.	मध्य प्रदेश	खिलचीपुर एस.ओ.	2
187.	मध्य प्रदेश	खुराई एस.ओ.	2
188.	मध्य प्रदेश	कोलारस एस.ओ.	2
189.	मध्य प्रदेश	कोतरी एस.ओ.	2
190.	मध्य प्रदेश	कुरवाई एस.ओ.	2
191.	मध्य प्रदेश	लस्कर एच.ओ.	2
192.	मध्य प्रदेश	मन्दसौर सिटी एस.ओ.	2
193.	मध्य प्रदेश	मन्दसौर एच.ओ.	2
194.	मध्य प्रदेश	माण्डू एस.ओ.	2
195.	मध्य प्रदेश	महऊ एस.ओ.	2
196.	मध्य प्रदेश	मूंगावली एस.ओ.	2
197.	मध्य प्रदेश	नीमच एच.ओ.	2
198.	मध्य प्रदेश	नौराजाबाद	2
199.	मध्य प्रदेश	पन्ना एस.ओ.	2
200.	मध्य प्रदेश	पिछौरा एस.ओ.	2
201.	मध्य प्रदेश	पोहरी एस.ओ.	2
202.	मध्य प्रदेश	रायसेन एच.ओ.	2
203.	मध्य प्रदेश	राजगढ़ (बीया एस.ओ.)	2
204.	मध्य प्रदेश	रतलाम एच.ओ.	2
205.	मध्य प्रदेश	रीवा एच.ओ.	2
206.	मध्य प्रदेश	सबलगढ़ एस.ओ.	2
207.	मध्य प्रदेश	सागर कैंट एच.ओ.	2
208.	मध्य प्रदेश	सांची एस.ओ.	2
209.	मध्य प्रदेश	सिहोर एच.ओ.	2
210.	मध्य प्रदेश	शादोरा एस.ओ.	2
211.	मध्य प्रदेश	शहडोल एच.ओ.	2
212.	मध्य प्रदेश	शाहजहांपुर एच.ओ.	2
213.	मध्य प्रदेश	शिवपुर एस.ओ.	2
214.	मध्य प्रदेश	सुजलपुर मंडी एस.ओ.	2
215.	मध्य प्रदेश	सिरोंज एस.ओ.	2
216.	मध्य प्रदेश	उज्जैन सिटी एस.ओ.	2
217.	मध्य प्रदेश	उज्जैन एच.ओ.	2
218.	मध्य प्रदेश	उमरिया एस.ओ.	2
219.	मध्य प्रदेश	विदिशा एच.ओ.	2
220.	मध्य प्रदेश	विजयपुर एस.ओ.	2
221.	महाराष्ट्र	अहमदनगर एच.ओ.	2
222.	महाराष्ट्र	अकोला एच.ओ.	2
223.	महाराष्ट्र	अलीबाग एच.ओ.	2
224.	महाराष्ट्र	अमलनेर एस.ओ.	2
225.	महाराष्ट्र	अमगांव एस.ओ.	2
226.	महाराष्ट्र	अमरावती	2
227.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद एच.ओ.	2
228.	महाराष्ट्र	बीड़ एच.ओ.	2
229.	महाराष्ट्र	सी.सी. ओरोस एम.डी.जी.	2
230.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर एच.ओ.	2
231.	महाराष्ट्र	चन्दूर रेलवे एस.ओ.	2
232.	महाराष्ट्र	चिपलून एच.ओ.	2
233.	महाराष्ट्र	दादर एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
234.	महाराष्ट्र	धुले एच.ओ.	2
235.	महाराष्ट्र	इगतपुरी एस.ओ.	2
236.	महाराष्ट्र	गोंदिया एच.ओ.	2
237.	महाराष्ट्र	जलगांव एच.ओ.	2
238.	महाराष्ट्र	जयसिंहपुर एम.डी.जी.	2
239.	महाराष्ट्र	जुहू एस.ओ.	2
240.	महाराष्ट्र	कराड़ एच.ओ.	2
241.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर एच.ओ.	2
242.	महाराष्ट्र	लातूर एच.ओ.	2
243.	महाराष्ट्र	महाबलेश्वर एस.ओ.	2
244.	महाराष्ट्र	मंत्रालय एस.ओ.	2
245.	महाराष्ट्र	मापूसा एम.डी.जी.	2
246.	महाराष्ट्र	मातुंगा एस.ओ.	2
247.	महाराष्ट्र	मीराज एच.ओ.	2
248.	महाराष्ट्र	मोतीलाल नगर एस.ओ.	2
249.	महाराष्ट्र	मुम्बई जी.पी.ओ.	2
250.	महाराष्ट्र	नागपुर जी.पी.ओ.	2
251.	महाराष्ट्र	नरीमन प्वाइंट एस.ओ.	2
252.	महाराष्ट्र	नासिक एच.ओ.	2
253.	महाराष्ट्र	पणजी एच.ओ.	2
254.	महाराष्ट्र	पंचगणी एस.ओ.	2
255.	महाराष्ट्र	परभनी एच.ओ.	2
256.	महाराष्ट्र	पारली वैद्यनाथ एस.ओ.	2
257.	महाराष्ट्र	पोण्डा एम.डी.जी.	2
258.	महाराष्ट्र	पुणे सिटी एच.ओ.	2
259.	महाराष्ट्र	राजगुरूनगर एस.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
260.	महाराष्ट्र	रत्नागिरी एच.ओ.	2
261.	महाराष्ट्र	सकोली एस.ओ.	2
262.	महाराष्ट्र	सांगली एच.ओ.	2
263.	महाराष्ट्र	शिवाजीनगर एच.ओ.	2
264.	महाराष्ट्र	श्रीरामपुर एच.ओ.	2
265.	महाराष्ट्र	उल्हासनगर V एस.ओ.	2
266.	महाराष्ट्र	वाशी एस.ओ.	2
267.	महाराष्ट्र	वर्धा एच.ओ.	2
268.	महाराष्ट्र	यवतमाल एच.ओ.	2
269.	पूर्वोत्तर	अगरतला एच.ओ.	2
270.	पूर्वोत्तर	आइजोल एच.ओ.	2
271.	पूर्वोत्तर	चम्फाई एस.ओ.	2
272.	पूर्वोत्तर	जौवाई एस.ओ.	2
273.	पूर्वोत्तर	कोहिमा एच.ओ.	2
274.	पूर्वोत्तर	लंगलई एस.ओ.	2
275.	पूर्वोत्तर	नाहरलगन एस.ओ.	2
276.	पूर्वोत्तर	पानीसागर एस.ओ.	2
277.	पूर्वोत्तर	सबरूम एस.ओ.	2
278.	पूर्वोत्तर	तूरा एच.ओ.	2
279.	पूर्वोत्तर	वोखा एस.ओ.	2
280.	उड़ीसा	आनन्दपुर एस.ओ.	2
281.	उड़ीसा	अशोक नगर एस.ओ.	2
282.	उड़ीसा	बोलांगीर एच.ओ.	2
283.	उड़ीसा	बांकी एम.डी.जी.	2
284.	उड़ीसा	बारगढ़ एच.ओ.	2
285.	उड़ीसा	बारीपाड़ा एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
286.	उड़ीसा	भद्रक एच.ओ.	2
287.	उड़ीसा	भुवनेश्वर जी.पी.ओ.	2
288.	उड़ीसा	चांदनी चौक एच.ओ.	2
289.	उड़ीसा	चौद्वार एस.ओ.	2
290.	उड़ीसा	कालेज स्कवायर एस.ओ.	2
291.	उड़ीसा	धेनकनाल एच.ओ.	2
292.	उड़ीसा	जी उदयगिरी एस.ओ.	2
293.	उड़ीसा	जाजपुर रोड एम.डी.जी.	2
294.	उड़ीसा	झरसुगड़ा एच.ओ.	2
295.	उड़ीसा	जूनागढ़ा एस.ओ.	2
296.	उड़ीसा	मदनपुररामपुर एस.ओ.	2
297.	उड़ीसा	नवरंगपुर एम.डी.जी.	2
298.	उड़ीसा	पल्लाहाड़ा एस.ओ.	2
299.	उड़ीसा	परलाखेमुन्दी एच.ओ.	2
300.	उड़ीसा	फुलबनी एच.ओ.	2
301.	उड़ीसा	पिपली एस.ओ.	2
302.	उड़ीसा	रायरखौल एस.ओ.	2
303.	उड़ीसा	राजगंगापुर एस.ओ.	2
304.	उड़ीसा	राजकनिका एस.ओ.	2
305.	उड़ीसा	राऊरकेला एच.ओ.	2
306.	उड़ीसा	राऊरकेला 2 एम.डी.जी.	2
307.	उड़ीसा	शहीदनगर एम.डी.जी.	2
308.	उड़ीसा	सखी गोपाल एस.ओ.	2
309.	उड़ीसा	सम्भलपुर एच.ओ.	2
310.	उड़ीसा	सोनपुर एम.डी.जी.	2
311.	उड़ीसा	सोरादा एस.ओ.	2
312.	उड़ीसा	सोरो एम.डी.जी.	2
313.	उड़ीसा	सुनाबेदा 2 एस.ओ.	2
314.	उड़ीसा	तालचेर एम.डी.जी.	2
315.	राजस्थान	आबू रोड एस.ओ.	2
316.	राजस्थान	अजमेर एच.ओ.	2
317.	राजस्थान	अलवर एच.ओ.	2
318.	राजस्थान	भरतपुर एच.ओ.	2
319.	राजस्थान	भीलवाड़ा सिटी एस.ओ.	2
320.	राजस्थान	भीनमाल एस.ओ.	2
321.	राजस्थान	भुसावर एस.ओ.	2
322.	राजस्थान	विजयनगर एम.डी.जी.	2
323.	राजस्थान	बूंदी एच.ओ.	2
324.	राजस्थान	चितौड़गढ़ एच.ओ.	2
325.	राजस्थान	चोहतान एस.ओ.	2
326.	राजस्थान	डीग एच.ओ.	2
327.	राजस्थान	देवगढ़ एस.ओ.	2
328.	राजस्थान	डूंगरपुर एच.ओ.	2
329.	राजस्थान	गंगापुर एस.ओ.	2
330.	राजस्थान	जैसलमेर एच.ओ.	2
331.	राजस्थान	ज्वाहरनगर एच.ओ.	2
332.	राजस्थान	जोधपुर एच.ओ.	2
333.	राजस्थान	कमान एस.ओ.	2
334.	राजस्थान	कंकरोली एच.ओ.	2
335.	राजस्थान	कपासन एस.ओ.	2
336.	राजस्थान	कोटा एच.ओ.	2
337.	राजस्थान	कचहरी एस.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
338.	राजस्थान	लक्ष्मणगढ़ एस.ओ.	2
339.	राजस्थान	मदननगर एच.ओ.	2
340.	राजस्थान	मानसरोवर एस.ओ.	2
341.	राजस्थान	मावली जंक्शन एम.डी.जी.	2
342.	राजस्थान	मेड़ता सिटी एस.ओ.	2
343.	राजस्थान	मोतीडूंगरी एम.डी.जी.	2
344.	राजस्थान	नागौर सिटी एस.ओ.	2
345.	राजस्थान	नींबीहेड़ा एस.ओ.	2
346.	राजस्थान	पाली सिटी एस.ओ.	2
347.	राजस्थान	पिलानी एस.ओ.	2
348.	राजस्थान	पोखरन एस.ओ.	2
349.	राजस्थान	पुष्कर एस.ओ.	2
350.	राजस्थान	राजगढ़ एस.ओ.	2
351.	राजस्थान	सादुलपुर एस.ओ.	2
352.	राजस्थान	सगवाड़ा एस.ओ.	2
353.	राजस्थान	सवाईमाधोपुर एच.ओ.	2
354.	राजस्थान	एस.ओ.	2
355.	राजस्थान	शास्त्रीनगर एच.ओ.	2
356.	राजस्थान	सिरोही एच.ओ.	2
357.	राजस्थान	श्री डूंगरगढ़ एस.ओ.	2
358.	राजस्थान	श्रीगंगानगर एच.ओ.	2
359.	राजस्थान	सुजानगढ़ एस.ओ.	2
360.	राजस्थान	सुमेरपुर एस.ओ.	2
361.	राजस्थान	तोडाराई सिंह एस.ओ.	2
362.	राजस्थान	ऊनियारा एस.ओ.	2
363.	तमिलनाडु	'अबिरामम एस.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
364.	तमिलनाडु	अलगप्पपुरम एस.ओ.	2
365.	तमिलनाडु	अन्ना नगर एच.ओ.	2
366.	तमिलनाडु	अन्ना रोड एच.ओ.	2
367.	तमिलनाडु	अरावंकाडु एस.ओ.	2
368.	तमिलनाडु	अरुमुगनेरी एस.ओ.	2
369.	तमिलनाडु	बाहूर एस.ओ.	2
370.	तमिलनाडु	भुवनगिरी एस.ओ.	2
371.	तमिलनाडु	चुन्निमलाई एस.ओ.	2
372.	तमिलनाडु	च्रोमपेट एस.ओ.	2
373.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर एच.ओ.	2
374.	तमिलनाडु	कॉलोनी	2
375.	तमिलनाडु	देंकनिकोट्टा एस.ओ.	2
376.	तमिलनाडु	देवकोट्टाई एच.ओ.	2
377.	तमिलनाडु	गांधीनगर एस.ओ.	2
388.	तमिलनाडु	गिंगी	2
379.	तमिलनाडु	कलाकाड एस.ओ.	2
380.	तमिलनाडु	कलयारकोइल	2
381.	तमिलनाडु	कल्लाल एस.ओ.	2
382.	तमिलनाडु	कलपाक्कम एस.ओ.	2
383.	तमिलनाडु	कांचीपुरम एच.ओ.	2
384.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी एस.ओ.	2
385.	तमिलनाडु	करईकल एस.ओ.	2
386.	तमिलनाडु	कोडईकनाल एस.ओ.	2
387.	तमिलनाडु	कोरडचेरी एस.ओ.	2
388.	तमिलनाडु	कुलीथलई एस.ओ.	2
389.	तमिलनाडु	मलमदुरै एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
390.	तमिलनाडु	मुदलियारमेट एस.ओ.	2
391.	तमिलनाडु	मुसीरी एस.ओ.	2
392.	तमिलनाडु	नन्नीलम एस.ओ.	2
393.	तमिलनाडु	पैलेस एस.ओ.	2
394.	तमिलनाडु	पंडमंगलम एस.ओ.	2
395.	तमिलनाडु	परंगीपेटई एस.ओ.	2
396.	तमिलनाडु	पेरुंदुरई एस.ओ.	2
397.	तमिलनाडु	पोदानूर एस.ओ.	2
398.	तमिलनाडु	पुदुवायल	2
399.	तमिलनाडु	रामेश्वरम एस.ओ.	2
400.	तमिलनाडु	रासिपुरम एस.ओ.	2
401.	तमिलनाडु	शोलिंघूर एस.ओ.	2
402.	तमिलनाडु	सिंगमपुनेरी एस.ओ.	2
403.	तमिलनाडु	सीरकाली एस.ओ.	2
404.	तमिलनाडु	शिवगंगा कलैक्ट्रेट	2
405.	तमिलनाडु	शिवगंगा एच.ओ.	2
406.	तमिलनाडु	श्रीवैकुंठम एच.ओ.	2
407.	तमिलनाडु	श्रीविल्लीपुथूर एस.ओ.	2
408.	तमिलनाडु	सेंट थॉमस माउंट एच.ओ.	2
409.	तमिलनाडु	सुचींद्रम एच.ओ.	2
410.	तमिलनाडु	तेंकासी एच.ओ.	2
411.	तमिलनाडु	थेनी एस.ओ.	2
412.	तमिलनाडु	तिरुक्कोयिलूर एस.ओ.	2
413.	तमिलनाडु	तिरुमंगलम एस.ओ.	2
414.	तमिलनाडु	तिरुप्पत्तूर एस.ओ.	2
415.	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
416.	तमिलनाडु	तिरुवोट्टियूर	2
417.	तमिलनाडु	उदयारपालयम एस.ओ.	2
418.	तमिलनाडु	उथमपालयम एस.ओ.	2
419.	तमिलनाडु	वनपाडी एस.ओ.	2
420.	तमिलनाडु	वल्लम एस.ओ.	2
421.	तमिलनाडु	वल्लियूर एस.ओ.	2
422.	तमिलनाडु	वालपारई एस.ओ.	2
423.	तमिलनाडु	वंदावासी एस.ओ.	2
424.	तमिलनाडु	वेलूर एस.ओ.	2
425.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम एच.ओ.	2
426.	तमिलनाडु	वीरलीमालई एस.ओ.	2
427.	तमिलनाडु	वृद्धाचलम एच.ओ.	2
428.	तमिलनाडु	वाशंरमैनपेट एस.ओ.	2
429.	तमिलनाडु	वेलिलुगटन एस.ओ.	2
430.	उत्तर प्रदेश	आगरा फोर्ट एच.ओ.	2
431.	उत्तर प्रदेश	आगरा एच.ओ.	2
432.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ एच.ओ.	2
433.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद एच.ओ.	2
434.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद कचहरी एच.ओ.	2
435.	उत्तर प्रदेश	अनूपशहर एस.ओ.	2
436.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़ एच.ओ.	2
437.	उत्तर प्रदेश	बछरावां एस.ओ.	2
438.	उत्तर प्रदेश	बलिया एच.ओ.	2
439.	उत्तर प्रदेश	बरेली एच.ओ.	2
440.	उत्तर प्रदेश	बाजार बलदीराय एस.ओ.	2
441.	उत्तर प्रदेश	भादर एस.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
442.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर एच.ओ.	2
443.	उत्तर प्रदेश	दलमऊ एस.ओ.	2
444.	उत्तर प्रदेश	गौरीगंज एस.ओ.	2
445.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद एच.ओ.	2
446.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर एच.ओ.	2
447.	उत्तर प्रदेश	जैस एस.ओ.	2
448.	उत्तर प्रदेश	झांसी एच.ओ.	2
449.	उत्तर प्रदेश	कानपुर कैंट एच.ओ.	2
450.	उत्तर प्रदेश	कानपुर एच.ओ.	2
451.	उत्तर प्रदेश	कड़हल एस.ओ.	2
452.	उत्तर प्रदेश	कासगंज एस.ओ.	2
453.	उत्तर प्रदेश	खतौली एस.ओ.	2
454.	उत्तर प्रदेश	खीरी एच.ओ.	2
455.	उत्तर प्रदेश	लालगंज एच.ओ.	2
456.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर एच.ओ.	2
457.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ चौक एच.ओ.	2
458.	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज एस.ओ.	2
459.	उत्तर प्रदेश	मेरठ कैंट एच.ओ.	2
460.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद एच.ओ.	2
461.	उत्तर प्रदेश	मुसाफिरखाना एस.ओ.	2
462.	उत्तर प्रदेश	मुस्तफाबाद एस.ओ.	2
463.	उत्तर प्रदेश	नवाबगंज एच.ओ.	2
464.	उत्तर प्रदेश	नोएडा एच.ओ.	2
465.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़ एच.ओ.	2
466.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली एच.ओ.	2
467.	उत्तर प्रदेश	सईदपुर एस.ओ.	2
468.	उत्तर प्रदेश	सालौन एस.ओ.	2
469.	उत्तर प्रदेश	सेमारोता एस.ओ.	2
470.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर एच.ओ.	2
471.	उत्तर प्रदेश	शिवरत्नगंज एस.ओ.	2
472.	उत्तर प्रदेश	उंच्चाहार एस.ओ.	2
473.	उत्तर प्रदेश	वारामसी कैंट एच.ओ.	2
474.	उत्तर प्रदेश	डालीगंज	2
475.	उत्तर प्रदेश	मनकनगर	2
476.	उत्तर प्रदेश	विकासनगर	2
477.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी एच.ओ.	2
478.	उत्तराखंड	अल्मोड़ा एच.ओ.	2
479.	उत्तराखंड	बागेश्वर एम.डी.जी.	2
480.	उत्तराखंड	चम्पावत एस.ओ.	2
481.	उत्तराखंड	देहरादून कैंट एच.ओ.	2
482.	उत्तराखंड	देहरादून एच.ओ.	2
483.	उत्तराखंड	गोपेश्वर एच.ओ.	2
484.	उत्तराखंड	हल्द्वानी एच.ओ.	2
485.	उत्तराखंड	जोशीमठ एस.ओ.	2
486.	उत्तराखंड	काशीपुर एम.डी.जी.	2
487.	उत्तराखंड	कोटद्वार एस.ओ.	2
488.	उत्तराखंड	लैंसडाउन एच.ओ.	2
489.	उत्तराखंड	लोहाघाट एस.ओ.	2
490.	उत्तराखंड	नैनीताल एच.ओ.	2
491.	उत्तराखंड	न्यू टिहरी एच.ओ.	2
492.	उत्तराखंड	पौड़ी एच.ओ.	2
493.	उत्तराखंड	पिथौरागढ़ एच.ओ.	2

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
494.	उत्तराखंड	रानीखेत एच.ओ.	2
495.	उत्तराखंड	ऋषिकेश एस.डी.जी.	2
496.	उत्तराखंड	रूड़की एच.ओ.	2
497.	उत्तराखंड	रूद्रप्रयाग एस.ओ.	2
498.	उत्तराखंड	रूद्रपुर एम.डी.जी.	2
499.	उत्तराखंड	श्रीनगर एस.ओ.	2
500.	उत्तराखंड	उत्तरकाशी एस.ओ.	2
501.	आन्ध्र प्रदेश	बेगम बाजार एस.ओ.	2
502.	आन्ध्र प्रदेश	बेल्लमपल्ली एस.ओ.	3
503.	आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर एच.ओ.	3
504.	आन्ध्र प्रदेश	गांधी चौक एस.ओ.	3
505.	आन्ध्र प्रदेश	हनामकोंडा एच.ओ.	3
506.	आन्ध्र प्रदेश	हुमायुंनगर एस.ओ.	3
507.	आन्ध्र प्रदेश	काकानाडा एच.ओ.	3
508.	आन्ध्र प्रदेश	काजीपेट एस.ओ.	3
509.	आन्ध्र प्रदेश	खैरताबाद एच.ओ.	3
510.	आन्ध्र प्रदेश	कोथापेटा एस.ओ.	3
511.	आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल एच.ओ.	3
512.	आन्ध्र प्रदेश	नेल्लूर एच.ओ.	3
513.	आन्ध्र प्रदेश	राजामुद्री एच.ओ.	3
514.	आन्ध्र प्रदेश	रेपल्ले एस.ओ.	3
515.	आन्ध्र प्रदेश	सनतनगर आई.ई.एस.ओ.	3
516.	आन्ध्र प्रदेश	संगारेड्डी एच.ओ.	3
517.	आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुल्लम एच.ओ.	3
518.	आन्ध्र प्रदेश	तेनाली एच.ओ.	3
519.	आन्ध्र प्रदेश	तिरूमला एस.ओ.	3
520.	असम	बारपेटा रोड एस.ओ.	3
521.	असम	बोकाखात एस.ओ.	3
522.	असम	बोंगाई गांव एस.ओ.	3
523.	असम	चेरियाली एस.ओ.	3
524.	असम	धेमाजी एस.ओ.	3
525.	असम	धुबरी एच.ओ.	3
526.	असम	डिब्रूगढ़ एच.ओ.	3
527.	असम	डिगबोई एस.ओ.	3
528.	असम	दुमदुमा एस.ओ.	3
529.	असम	दुलियाजान एस.ओ.	3
530.	असम	गुवाहाटी जी.पी.ओ.	3
531.	असम	एच.ओ.	3
532.	असम	जोरहाट एच.ओ.	3
533.	असम	मरियानी एस.ओ.	3
534.	असम	मोरीगांव एस.ओ.	3
535.	असम	नागांव एच.ओ.	3
536.	असम	नलवाड़ी एच.ओ.	3
537.	असम	रंगिया एस.ओ.	3
538.	असम	सिलचर एच.ओ.	3
539.	असम	शिवसागर एच.ओ.	3
540.	असम	तेजपुर एच.ओ.	3
541.	असम	तिन्सुकिया एच.ओ.	3
542.	असम	बारपेटा एच.ओ.	3
543.	बिहार	अररिया	3
544.	बिहार	बरौनी	3
545.	बिहार	बरौनी ऑयल रिफाइनरी	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
546.	बिहार	भागलपुर एच.ओ.	3
547.	बिहार	बक्सर एच.ओ.	3
548.	बिहार	डी.एम.सी.एच.	3
549.	बिहार	डालमिया नगर	3
550.	बिहार	दरभंगा एच.ओ.	3
551.	बिहार	डुमरांव	3
552.	बिहार	गुलजारबाग	3
553.	बिहार	कटिहार एच.ओ.	3
554.	बिहार	किशनगंज	3
555.	बिहार	लोहियानगर	3
556.	बिहार	पाटलीपुत्र	3
557.	बिहार	पटना सिटी	3
558.	बिहार	पटना जी.पी.ओ.	3
559.	बिहार	पटना सैक्रेट्रिएट	3
560.	बिहार	पटना यूनिवर्सिटी	3
561.	बिहार	पूर्णिया एच.ओ.	3
562.	बिहार	राजगीर	3
563.	बिहार	रकसौल	3
564.	बिहार	सहरसा एच.ओ.	3
565.	बिहार	सीवान एच.ओ.	3
566.	छत्तीसगढ़	अकालतारा एस.ओ.	3
567.	छत्तीसगढ़	बलौदाबाजार एस.ओ.	3
568.	छत्तीसगढ़	भिलाई-I एस.ओ.	3
569.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर एच.ओ. सी.जी.एच.	3
570.	छत्तीसगढ़	चम्पा एस.ओ.	3
571.	छत्तीसगढ़	सिविक सेंटर भिलाई एस.ओ.	3
572.	छत्तीसगढ़	धमतारी एस.ओ.	3
573.	छत्तीसगढ़	डूंगरगढ़ एस.ओ.	3
574.	छत्तीसगढ़	दुर्ग एच.ओ.	3
575.	छत्तीसगढ़	जाशपुर नगर एस.ओ.	3
576.	छत्तीसगढ़	कवर्धा एस.ओ.	3
577.	छत्तीसगढ़	कोरबा एच.ओ.	3
578.	छत्तीसगढ़	महासमुन्द एस.ओ.	3
579.	छत्तीसगढ़	मानेन्द्रगढ़ एस.ओ.	3
580.	छत्तीसगढ़	मुंगेली एस.ओ.	3
581.	छत्तीसगढ़	रायगढ़ एच.ओ.	3
582.	छत्तीसगढ़	रायपुरगंज एस.ओ.	3
583.	छत्तीसगढ़	रायपुर एच.ओ.	3
584.	दिल्ली	अशोक विहार एच.ओ.	3
585.	दिल्ली	डी-1 जनकपुरी	3
586.	दिल्ली	बदरपुर	3
587.	दिल्ली	चाणक्यपुरी	3
588.	दिल्ली	सिविल लाइन्स	3
589.	दिल्ली	कनॉट प्लेस	3
590.	दिल्ली	दिल्ली जी.पी.ओ.	3
591.	दिल्ली	ग्रेटर कैलाश	3
592.	दिल्ली	हौज खास पी.ओ.	3
593.	दिल्ली	इन्द्रप्रस्थ एच.ओ.	3
594.	दिल्ली	जनपथ	3
595.	दिल्ली	झिलमिल एच.ओ.	3
596.	दिल्ली	जे.एन.यू.	3
597.	दिल्ली	जंगपुरा	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
598.	दिल्ली	कालकाजी	3
599.	दिल्ली	करोलबाग	3
600.	दिल्ली	कृष्णानगर	3
601.	दिल्ली	लाजपतनगर	3
602.	दिल्ली	लोधी रोड एच.ओ.	3
603.	दिल्ली	मालवीय नगर, दिल्ली	3
604.	दिल्ली	एस्टेट	3
605.	दिल्ली	न्यू दिल्ली जी.पी.ओ.	3
606.	दिल्ली	ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट	3
607.	दिल्ली	पटपड़गंज	3
608.	दिल्ली	राजेन्द्र नगर	3
609.	दिल्ली	राजौरी गार्डन	3
610.	दिल्ली	रमेश नगर	3
611.	दिल्ली	राष्ट्रपति भवन	3
612.	दिल्ली	एस.जे. एन्क्लेव	3
613.	दिल्ली	संसद मार्ग एच.ओ.	3
614.	दिल्ली	सरोजिनी नगर	3
615.	दिल्ली	शाहदरा	3
616.	दिल्ली	श्रीनिवासपुरी	3
617.	दिल्ली	तिलकनगर	3
618.	दिल्ली	उद्योग भवन	3
619.	दिल्ली	कमीशन	3
620.	गुजरात	अहमदाबाद जी.पी.ओ.	3
621.	गुजरात	अंकलेश्वर एस.ओ.	3
622.	गुजरात	भरूच एच.ओ.	3
623.	गुजरात	भावनगर एच.ओ.	3
624.	गुजरात	जामनगर एच.ओ.	3
625.	गुजरात	जूनागढ़ एच.ओ.	3
626.	गुजरात	खम्बालिया एम.डी.जी.	3
627.	गुजरात	महुआ एम.डी.जी.	3
628.	गुजरात	मानवादर एस.ओ.	3
629.	गुजरात	मोरबी एम.डी.जी.	3
630.	गुजरात	पाल्दी पी.ओ.	3
631.	गुजरात	पी.ओ.	3
632.	गुजरात	राजकोट एच.ओ.	3
633.	गुजरात	सिलवासा एम.डी.जी.	3
634.	गुजरात	सूरत एच.ओ.	3
635.	गुजरात	उमरेथ	3
636.	गुजरात	ऊना एम.डी.जी.	3
637.	गुजरात	वडोदरा एच.ओ.	3
638.	गुजरात	वलसाड़ एच.ओ.	3
639.	गुजरात	वापी एस.ओ.	3
640.	गुजरात	वियारा एम.डी.जी.	3
641.	हरियाणा	अम्बाला सिटी एच.ओ.	3
642.	हरियाणा	अम्बाला जी.पी.ओ.	3
643.	हरियाणा	चरखी दादरी एस.ओ.	3
644.	हरियाणा	फरीदाबाद एन.आई.टी. एच.ओ.	3
645.	हरियाणा	गुड़गांव एच.ओ.	3
646.	हरियाणा	हिसार एच.ओ.	3
647.	हरियाणा	होडल एस.ओ.	3
648.	हरियाणा	जींद एच.ओ.	3
649.	हरियाणा	कैथल एम.डी.जी.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
650.	हरियाणा	करनाल एच.ओ.	3
651.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र एच.ओ.	3
652.	हरियाणा	एस.ओ.	3
653.	हरियाणा	मेडिकल कॉलेज रोहतक	3
654.	हरियाणा	पानीपत एच.ओ.	3
655.	हरियाणा	रोहतक एच.ओ.	3
656.	हरियाणा	सदर बाजार एस.ओ.	3
657.	हरियाणा	एम.डी.जी.	3
658.	हरियाणा	एस.ओ.	3
659.	हरियाणा	एस.ओ.	3
660.	हरियाणा	एस.ओ.	3
661.	हिमाचल प्रदेश	बैजनाथ एस.ओ.	3
662.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा एच.ओ.	3
663.	हिमाचल प्रदेश	डलहौजी एस.ओ.	3
664.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला एच.ओ.	3
665.	हिमाचल प्रदेश	ज्वालामुखी एस.ओ.	3
666.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा एच.ओ.	3
667.	हिमाचल प्रदेश	कसौली एस.ओ.	3
668.	हिमाचल प्रदेश	केलौंग एच.ओ.	3
669.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू एच.ओ.	3
670.	हिमाचल प्रदेश	मनाली एस.ओ.	3
671.	हिमाचल प्रदेश	परवाणु एस.ओ.	3
672.	हिमाचल प्रदेश	रेकांगपयो एच.ओ.	3
673.	हिमाचल प्रदेश	शिमला ईस्ट एस.ओ.	3
674.	हिमाचल प्रदेश	शिमला जी.पी.ओ.	3
675.	जम्मू-कश्मीर	अखनूर एम.डी.जी.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
676.	जम्मू-कश्मीर	अनंतनाग एच.ओ.	3
677.	जम्मू-कश्मीर	बारामुल्ला एच.ओ.	3
678.	जम्मू-कश्मीर	डोडा एम.डी.जी.	3
679.	जम्मू-कश्मीर	गांधीनगर एच.ओ.	3
680.	जम्मू-कश्मीर	लेह एच.ओ.	3
681.	जम्मू-कश्मीर	पुलवामा एम.डी.जी.	3
682.	जम्मू-कश्मीर	रामनगर एम.डी.जी.	3
683.	जम्मू-कश्मीर	आर.एस. पुरा एम.डी.जी.	3
684.	जम्मू-कश्मीर	एस.आर. गंज एस.ओ.	3
685.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर जी.पी.ओ.	3
686.	झारखंड	एजी बिहार एस.ओ.	3
687.	झारखंड	चक्रधरपुर एस.ओ.	3
688.	झारखंड	चतरा एस.ओ.	3
689.	झारखंड	चिरकुंदा एस.ओ.	3
690.	झारखंड	जपला एस.ओ.	3
691.	झारखंड	मैथोन डैम एस.ओ.	3
692.	झारखंड	पाकूर एस.ओ.	3
693.	झारखंड	साहिबगंज एस.ओ.	3
694.	झारखंड	सतसंग एस.ओ.	3
695.	झारखंड	सिल्ली एस.ओ.	3
696.	कर्नाटक	बेंगलूर जी.पी.ओ.	3
697.	कर्नाटक	बसवनगुडी एच.ओ.	3
698.	कर्नाटक	एस.ओ.	3
699.	कर्नाटक	बेलगांव एच.ओ.	3
700.	कर्नाटक	बेल्लारी एच.ओ.	3
701.	कर्नाटक	बीदर एच.ओ.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
702.	कर्नाटक	बीजापुर एच.ओ.	3
703.	कर्नाटक	चामराजनगर एस.ओ.	3
704.	कर्नाटक	चामराजपेट एस.ओ.	3
705.	कर्नाटक	एस.ओ.	3
706.	कर्नाटक	धारवाड़ एच.ओ.	3
707.	कर्नाटक	धारवाड़ के.सी. पार्क एस.ओ.	3
708.	कर्नाटक	फ्रेजर टाउन एस.ओ.	3
709.	कर्नाटक	गुलबर्ग एच.ओ.	3
710.	कर्नाटक	एच.ए.एल. II स्टेज एच.ओ.	3
711.	कर्नाटक	इंदिरानगर एस.ओ.	3
712.	कर्नाटक	जयनगर एच.ओ.	3
713.	कर्नाटक	जयनगर III ब्लॉक एस.ओ.	3
714.	कर्नाटक	कोलार एच.ओ.	3
715.	कर्नाटक	मैंगलूर एच.ओ.	3
716.	कर्नाटक	म्यूजियम रोड एस.ओ.	3
717.	कर्नाटक	मैसूर एच.ओ.	3
718.	कर्नाटक	इंडस्ट्रीज एस.ओ.	3
719.	कर्नाटक	राजाजीनगर एच.ओ.	3
720.	कर्नाटक	साइंस इंस्टिट्यूट एस.ओ.	3
721.	कर्नाटक	शाहबाद एस.ओ.	3
722.	कर्नाटक	सेंट थॉमस टाउन एस.ओ.	3
723.	कर्नाटक	उडुपी एच.ओ.	3
724.	कर्नाटक	विवेकनगर एस.ओ.	3
625.	कर्नाटक	येलहंका एस.ओ.	3
726.	केरल	आलप्पुषा एच.ओ.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
727.	केरल	आलुवा एच.ओ.	3
728.	केरल	कालीकट एच.ओ.	3
729.	केरल	चंगनाश्शेरी एच.ओ.	3
730.	केरल	एरणाकुलम एच.ओ.	3
731.	केरल	कण्णूर एच.ओ.	3
732.	केरल	कवारत्ती एस.ओ.	3
733.	केरल	कोच्चि एच.ओ.	3
734.	केरल	कोल्लम एच.ओ.	3
735.	केरल	कोट्टक्कल एस.ओ.	3
736.	केरल	कोट्टयम एच.ओ.	3
737.	केरल	मून्नार एस.ओ.	3
738.	केरल	नीलेश्वर एस.ओ.	3
739.	केरल	पालक्काड एच.ओ.	3
740.	केरल	पाल्लिक्कल एस.ओ.	3
741.	केरल	पथनमथिट्टा एच.ओ.	3
742.	केरल	पट्टम पैलेस एस.ओ.	2
743.	केरल	पय्योली एस.ओ.	3
744.	केरल	तलश्शेरी एच.ओ.	3
745.	केरल	जी.पी.ओ.	3
746.	केरल	तृश्शूर एच.ओ.	3
747.	केरल	थयक्काड एच.ओ.	3
748.	केरल	त्रिप्पूणित्तुरा एस.ओ.	3
749.	केरल	टी.वी. मेडिकल कॉलेज एस.ओ.	3
750.	केरल	टी.वी.एम. फोर्ट एस.ओ.	3
751.	मध्य प्रदेश	बदनावार	3
752.	मध्य प्रदेश	बालाघाट एच.ओ.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
753.	मध्य प्रदेश	बरवानी	3
754.	मध्य प्रदेश	बेतूल	3
755.	मध्य प्रदेश	दमोह एच.ओ.	3
756.	मध्य प्रदेश	दिनडोरी एम.डी.जी.	3
757.	मध्य प्रदेश	गोविंदपुर	3
758.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर सिटी एस.ओ.	3
759.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर आर.एस.एस.ओ.	3
760.	मध्य प्रदेश	एच.ई. होस्पिटल	3
761.	मध्य प्रदेश	इंदौर सिटी-2	3
762.	मध्य प्रदेश	इटारसी एम.डी.जी.	3
763.	मध्य प्रदेश	महेश्वर	3
764.	मध्य प्रदेश	मैहर	3
765.	मध्य प्रदेश	मउगंज	3
766.	मध्य प्रदेश	मोती महल एस.ओ.	3
767.	मध्य प्रदेश	नागदा	3
768.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर एच.ओ.	3
769.	मध्य प्रदेश	परासिया	3
770.	मध्य प्रदेश	पारसा एस.ओ.	3
771.	मध्य प्रदेश	आर.बी. कॉलोनी ग्वालियर एस.ओ.	3
772.	मध्य प्रदेश	आर.एस. नगर भोपाल	3
773.	मध्य प्रदेश	आर.एस.एस. नगर, इदौर	3
774.	मध्य प्रदेश	सागर यूनिवर्सिटी	3
775.	मध्य प्रदेश	सतना एच.ओ.	3
776.	मध्य प्रदेश	सियोनी एच.ओ.	3
777.	मध्य प्रदेश	सीधी एच.ओ.	3
778.	मध्य प्रदेश	तेकनपुर एस.ओ.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
779.	मध्य प्रदेश	तीकमगढ़ एच.ओ.	3
780.	मध्य प्रदेश	उज्जैन एम.एल. नगर	3
781.	महाराष्ट्र	अंबाजोगई	3
782.	महाराष्ट्र	अंधेरी आर.एस.	3
783.	महाराष्ट्र	आजादनगर	3
784.	महाराष्ट्र	बोरीवली वेस्ट	3
785.	महाराष्ट्र	चकाला एम.आई.डी.सी.	3
786.	महाराष्ट्र	एरिया	3
787.	महाराष्ट्र	चेंबुर एच.ओ.	3
788.	महाराष्ट्र	चिंचवड ईस्ट	3
789.	महाराष्ट्र	कोलाबा डाकघर	3
790.	महाराष्ट्र	देवरुख एम.डी.जी.	3
791.	महाराष्ट्र	दिनडोरी	3
792.	महाराष्ट्र	गादचिरोली एस.ओ.	3
793.	महाराष्ट्र	गाधिंगलाज एम.डी.जी.	3
794.	महाराष्ट्र	गोरेगांव ईस्ट	3
795.	महाराष्ट्र	कालबादेवी एच.ओ.	3
796.	महाराष्ट्र	कानकावली एम.डी.जी.	3
797.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर आर.एस. एस.ओ.	3
798.	महाराष्ट्र	कुदाल एम.डी.जी.	3
799.	महाराष्ट्र	कुर्ला (डब्ल्यू)	3
800.	महाराष्ट्र	माहिम एच.ओ.	3
801.	महाराष्ट्र	मालेगांव एच.ओ.	3
802.	महाराष्ट्र	मालवान एच.ओ.	3
803.	महाराष्ट्र	मनमाड एस.ओ.	3
804.	महाराष्ट्र	मुलुंड (डब्ल्यू)	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
805.	महाराष्ट्र	नागपुर सिटी एच.ओ.	3
806.	महाराष्ट्र	नासिक रोड एच.ओ.	3
807.	महाराष्ट्र	पवई आई.आई.टी. एस.ओ.	3
808.	महाराष्ट्र	पुणे एच.ओ.	3
809.	महाराष्ट्र	संगवेश्वर एस.ओ.	3
810.	महाराष्ट्र	सतारा एच.ओ.	3
811.	महाराष्ट्र	शिरडी	3
812.	महाराष्ट्र	तासगांव एम.डी.जी.	3
813.	महाराष्ट्र	थाने एच.ओ.	3
814.	महाराष्ट्र	तुलजापुर एम.डी.जी.	3
815.	पूर्वोत्तर	अलोंग एम.डी.जी.	3
816.	पूर्वोत्तर	ए.आर.टी.सी.	3
817.	पूर्वोत्तर	चुराचंदपुर	3
818.	पूर्वोत्तर	धर्मनगर एच.पी.ओ.	3
819.	पूर्वोत्तर	इंफाल एच.पी.ओ.	3
820.	पूर्वोत्तर	खोंसा एम.डी.जी.	3
821.	पूर्वोत्तर	खोवई	3
822.	पूर्वोत्तर	कोलासिब	3
823.	पूर्वोत्तर	मोन	3
824.	पूर्वोत्तर	राधाकिशोरपुर	3
825.	पूर्वोत्तर	शिलांग जी.पी.ओ.	3
826.	पूर्वोत्तर	तेजु एम.डी.जी.	3
827.	पूर्वोत्तर	त्वेनसांग	3
828.	उड़ीसा	असका एच.ओ.	3
829.	उड़ीसा	बालासोर एच.ओ.	3
830.	उड़ीसा	बारबिल एस.ओ.	3
831.	उड़ीसा	भवानीपटना एच.ओ.	3
832.	उड़ीसा	भोईनगर एस.ओ.	3
833.	उड़ीसा	बर्ला एस.ओ.	3
834.	उड़ीसा	कटक जी.पी.ओ.	3
835.	उड़ीसा	देवगढ़ एस.ओ.	3
836.	उड़ीसा	जाटनी एस.ओ.	3
837.	उड़ीसा	केंद्रपाड़ा एच.ओ.	3
838.	उड़ीसा	क्योंझारगढ़ एच.ओ.	3
839.	उड़ीसा	कोरापुट एच.ओ.	3
840.	उड़ीसा	नालकोनगर एस.ओ.	3
841.	उड़ीसा	एस.ओ. भुवनेश्वर-2	3
842.	उड़ीसा	पारादीप एस.ओ.	3
843.	उड़ीसा	रायरंगपुर एच.ओ.	3
844.	उड़ीसा	राउरकेला-11 एस.ओ.	3
845.	उड़ीसा	राउरकेला-5 एस.ओ.	3
846.	उड़ीसा	सलीपुर एस.ओ.	3
847.	उड़ीसा	तेलेंगा बाजार एस.ओ.	3
848.	उड़ीसा	उत्कल यूनिवर्सिटी एस.ओ.	3
849.	पंजाब	अबोहर एस.ओ.	3
850.	पंजाब	अमृतसर जी.पी.ओ.	3
851.	पंजाब	बरनाला एस.ओ.	3
852.	पंजाब	भठिंडा एच.ओ.	3
853.	पंजाब	भठिंडा सिटी एस.ओ.	3
854.	पंजाब	सेंट्रल पोस्ट ऑफिस एस.ओ.	3
855.	पंजाब	चंडीगढ़ जी.पी.ओ.	3
856.	पंजाब	फरीदकोट एच.ओ.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
857.	पंजाब	फजिलका एस.ओ.	3
858.	पंजाब	गीद्दरबाहा एस.ओ.	3
859.	पंजाब	गोल्डन टेंपल एस.ओ.	3
860.	पंजाब	गोराया	3
861.	पंजाब	गुरदासपुर एच.ओ.	3
862.	पंजाब	इंडस्ट्रियल टाउन एस.ओ.	3
863.	पंजाब	जालंधर सिटी एच.ओ.	3
864.	पंजाब	कपूरथला एच.ओ.	3
865.	पंजाब	कोटकापुरा एस.ओ.	3
866.	पंजाब	लुधियाना एच.ओ.	3
867.	पंजाब	मालेरकोटला एस.ओ.	3
868.	पंजाब	मॉडल टाउन एस.ओ. (जालंधर)	3
869.	पंजाब	मॉडल टाउन एस.ओ. (लुधियाना)	3
870.	पंजाब	पटियाला एच.ओ.	3
871.	पंजाब	फगवाड़ा एच.ओ.	3
872.	पंजाब	समाना एस.ओ.	3
873.	पंजाब	जीरा एस.ओ.	3
874.	राजस्थान	अजय नगर	3
875.	राजस्थान	अराइन	3
876.	राजस्थान	भरतपुर सिटी एम.डी.जी.	3
877.	राजस्थान	भीलवाड़ा एच.ओ.	3
878.	राजस्थान	भिनाई	3
879.	राजस्थान	बीकानेर एच.ओ.	3
880.	राजस्थान	चुरू	3
881.	राजस्थान	दरगह शरीफ	3
882.	राजस्थान	दौसा एच.ओ.	3
883.	राजस्थान	धौलपुर एच.ओ.	3
884.	राजस्थान	डुदू	3
885.	राजस्थान	जयपुर सिटी	3
886.	राजस्थान	जयपुर जी.पी.ओ.	3
887.	राजस्थान	झोटवाड़ा	3
888.	राजस्थान	झुंझुनू एच.ओ.	3
889.	राजस्थान	कोकरी	3
890.	राजस्थान	किशनगढ़ सिटी	3
891.	राजस्थान	कचहरी, अजमेर	3
892.	राजस्थान	मकराना एम.डी.जी.	3
893.	राजस्थान	मंगलीवास	3
894.	राजस्थान	मसूदा	3
895.	राजस्थान	एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी	3
896.	राजस्थान	नसीराबाद एम.डी.जी.	3
897.	राजस्थान	फागी	3
898.	राजस्थान	पिसांगना	3
899.	राजस्थान	आर.पी.एस.सी.	3
900.	राजस्थान	सांभर लैक एच.ओ.	3
901.	राजस्थान	सारवाड़	3
902.	राजस्थान	शास्त्री नगर	3
903.	राजस्थान	श्याम नगर	3
904.	राजस्थान	सिघाना एस.ओ.	3
905.	राजस्थान	सीवाना	3
906.	राजस्थान	सूरजगढ़ एस.ओ.	3
907.	राजस्थान	ताडाभीम	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
908.	राजस्थान	टोंक राज एच.ओ.	3
909.	राजस्थान	उदयपुर एच.ओ.	3
910.	राजस्थान	विद्याधर नगर	3
911.	तमिलनाडु	अडयार एस.ओ.	3
912.	तमिलनाडु	बसंतनगर एस.ओ.	3
913.	तमिलनाडु	चारिंग क्रॉस एस.ओ.	3
914.	तमिलनाडु	चेंगलपट्टु एच.ओ.	3
915.	तमिलनाडु	चेन्नई जी.पी.ओ.	3
916.	तमिलनाडु	चिदंबरम एच.ओ.	3
917.	तमिलनाडु	कूनुर एच.ओ.	3
918.	तमिलनाडु	कूनूर आर.एस.	3
919.	तमिलनाडु	कुडलूर एच.ओ.	3
920.	तमिलनाडु	ईरोड एच.ओ.	3
921.	तमिलनाडु	गुडलूर नीलागिरीस एस.ओ.	3
922.	तमिलनाडु	इंडस्ट्रियल एस्टेट एस.ओ.	3
923.	तमिलनाडु	इंदु नगर एस.ओ.	3
924.	तमिलनाडु	लव डेल एस.ओ.	3
925.	तमिलनाडु	मदुरै एच.ओ.	3
926.	तमिलनाडु	मेट्टुपालयम एच.ओ.	3
927.	तमिलनाडु	पांडिचेरी एच.ओ.	3
928.	तमिलनाडु	रोयापेट्टा एस.ओ.	3
929.	तमिलनाडु	सेलम एच.ओ.	3
930.	तमिलनाडु	रामकृष्ण विद्यालय एस.ओ.	3
931.	तमिलनाडु	ताम्ब्रम एच.ओ.	3
932.	तमिलनाडु	तेयनांपेट एस.ओ.	3
933.	तमिलनाडु	थंजावूर एच.ओ.	3
934.	तमिलनाडु	त्यागराज नगर नार्थ एस.ओ.	3
935.	तमिलनाडु	तिरुचिरपल्लि एच.ओ.	3
936.	तमिलनाडु	उदगमंडलम एच.ओ.	3
937.	तमिलनाडु	वेल्लूर एच.ओ.	3
938.	उत्तर प्रदेश	आलमबाग एस.ओ.	3
939.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मिस्लिम यूनिवर्सिटी एस.ओ.	3
940.	उत्तर प्रदेश	अरमापुर एस.ओ.	3
941.	उत्तर प्रदेश	चुनार एस.ओ.	3
942.	उत्तर प्रदेश	देवरिया एच.ओ.	3
943.	उत्तर प्रदेश	दिलकुशा एस.ओ.	3
944.	उत्तर प्रदेश	इटावा एच.ओ.	3
945.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद एच.ओ.	3
946.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर एच.ओ.	3
947.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद सिटी एस.ओ.	3
948.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर एच.ओ.	3
949.	उत्तर प्रदेश	गीता प्रैस एस.ओ.	3
950.	उत्तर प्रदेश	गोंडा एच.ओ.	3
951.	उत्तर प्रदेश	विश्वविद्यालय एस.ओ.	3
952.	उत्तर प्रदेश	आई.आई.टी. कानपुर	3
953.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ जी.पी.ओ.	3
954.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी सिटी एस.ओ.	3
955.	उत्तर प्रदेश	मथुरा एच.ओ.	3
956.	उत्तर प्रदेश	मेरठ सिटी एच.ओ.	3
957.	उत्तर प्रदेश	मिरजापुर एच.ओ.	3
958.	उत्तर प्रदेश	मोदी नगर एस.ओ.	3

क्र.सं.	सर्किल	डाकघर	चरण
959.	उत्तर प्रदेश	मुगलसराय एस.ओ.	3
960.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर एच.ओ.	3
961.	उत्तर प्रदेश	न्यू हैदराबाद एस.ओ.	3
962.	उत्तर प्रदेश	रॉबर्टसगंज एस.ओ.	3
963.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर एच.ओ.	3
964.	उत्तर प्रदेश	शक्तिनगर एस.ओ.	3
965.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर एच.ओ.	3
966.	उत्तराखंड	अगस्तमुनी	3
967.	उत्तराखंड	वैजनाथ	3
968.	उत्तराखंड	देहरादून सिटी	3
969.	उत्तराखंड	धूमाकोट	3
970.	उत्तराखंड	ओखीमठ	3
971.	उत्तराखंड	राम नगर	3
972.	उत्तराखंड	वीरभद्र	3
973.	पश्चिम बंगाल	अलीपुर एच.ओ.	3
974.	पश्चिम बंगाल	अलीपुर द्वार एस.ओ.	3
975.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल एच.ओ.	3
976.	पश्चिम बंगाल	बागनान एस.ओ.	3
977.	पश्चिम बंगाल	बल्लीगंज एस.ओ.	3
978.	पश्चिम बंगाल	बाराबाजार एच.ओ.	3
979.	पश्चिम बंगाल	बेहरामपुर (प.ब.) एच.ओ.	3
980.	पश्चिम बंगाल	नगर सी.सी. ब्लॉक एस.ओ.	3
981.	पश्चिम बंगाल	बोलपुर एस.ओ.	3
982.	पश्चिम बंगाल	बर्धवान एच.ओ.	3
983.	पश्चिम बंगाल	दैनहाट एस.ओ.	3
984.	पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग एच.ओ.	3
985.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर एच.ओ.	3
986.	पश्चिम बंगाल	एगरा एस.ओ.	3
987.	पश्चिम बंगाल	गंगतोक एच.ओ.	3
988.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा एच.ओ.	3
989.	पश्चिम बंगाल	काकद्वीप एस.ओ.	3
990.	पश्चिम बंगाल	कालीमपोंग एस.ओ.	3
991.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता जी.पी.ओ.	3
992.	पश्चिम बंगाल	मयनगुड़ी एस.ओ.	3
993.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर एच.ओ.	3
994.	पश्चिम बंगाल	न्यू अलीपुर एस.ओ.	3
995.	पश्चिम बंगाल	पार्क स्ट्रीट एच.ओ.	3
996.	पश्चिम बंगाल	पोर्ट ब्लेयर एच.ओ.	3
997.	पश्चिम बंगाल	सरत बोस रोड एस.ओ.	3
998.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी एच.ओ.	3
999.	पश्चिम बंगाल	सिंगूर एस.ओ.	3
1000.	पश्चिम बंगाल	टॉलीगंज एच.ओ.	3

गेहूं और चीनी का निर्यात

1753. डॉ. संजय सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे गेहूं और चीनी के भण्डार की वर्तमान स्थिति क्या है जिसे विदेशों में निर्यात किए जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के गेहूं और चीनी का निर्यात किया गया है; और

(ग) गेहूं और चीनी के त्वरित निर्यात और गत वर्षों की तुलना में इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 से गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित है। सरकार द्वारा विदेशों को निर्यात हेतु चीनी की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित गेहूं (विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत निर्यातित) तथा चीनी की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्राः टन में और मूल्यः लाख रुपये में)

वर्ष	गेहूं		चीनी	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2006-07	46633	3535.00	1643398	312746.57
2007-08	237	23.94	4684557	541215.64
2008-09	1121	145.73	3332079	444874.33

स्रोतः डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.

(ग) सरकार वहनीय कीमतों पर कृषि पण्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि कृषकों को बेहतर कीमतें उपलब्ध कराने के लिए 'बेशी उत्पाद' के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है।

[अनुवाद]

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

1754. श्री रामकिशुनः

श्री संजय दिना पाटीलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वदेशी फार्मा उद्योग द्वारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की आलोचना की गयी है तथा इस उद्योग द्वारा कितने अभ्यावेदन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2, 3 और 4 का विशेष संदर्भ देते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त संदर्भित समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने तथा इस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संबंधित सभी पणधारकों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) ने 13-11-2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए बौद्धिक संपदा को उपयोग करने के लक्ष्य को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त कार्यकलापों को तैयार करने व संचालित करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की है। समझौता ज्ञापन और कार्य योजना का मुख्य जोर बौद्धिक संपदा के संबंध में मानव संसाधन विकास, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण पर है। ये दोनों दस्तावेज औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट www.dipp.nic.in पर उपलब्ध हैं। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2 में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को यह अनुमति दी गई है कि वह समझौता ज्ञापन के विभिन्न कार्यकलापों में समन्वय करने के लिए तीसरी पार्टी या पार्टियों को नियुक्त कर सकता है। वर्तमान में, कोई तीसरी पार्टी नियुक्त नहीं की गई है। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में डी.आई.पी.पी. और डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के बीच सहयोग के क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है और समझौता ज्ञापन का अनुच्छेद 4 सहयोग के प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए कार्यकलापों के लिए तैयार की गई बौद्धिक संपदा विकास कार्य योजना से संबंधित है। नीति, विधान और प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों को समझौता ज्ञापन और बौद्धिक संपदा विकास कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) कार्य आवंटन नियमावली के तहत,

डब्ल्यू.आई.पी.ओ. से संबंधित सभी मामलों के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग नोडल विभाग है, जिनमें संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों के साथ समन्वय शामिल है। कार्य योजना तैयार करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और होम्योपैथी (ए.वाई.यू.एस.एच.) विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) से परामर्श किया गया था।

जी.एस.एम. लाइनों में वृद्धि

1755. श्री निशिकांत दुबे:

श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने देश में 93 करोड़ जी.एस.एम. लाइनों की वृद्धि करने हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने तीन से चार वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चरण VI के अंतर्गत जी.एस.एम. उपस्कर की 93 मिलियन लाइनों के प्रापण हेतु निविदा आमंत्रित की है।

वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कामगारों की समस्याएं

1756. डॉ. जी. विवेकानंद:

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

श्री रमेश राठौड़:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक मंदी से उत्पन्न हुई कामगारों की समस्याओं और बेरोजगारी का आकलन करने हेतु वित्त और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं;

(ग) क्या उक्त समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28-04-2009 को आयोजित सचिवों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार योजना आयोग द्वारा एक कृतक बल का गठन किया गया था जो सरकार के विचारार्थ नियोजन आधारित क्षेत्रों में विशेषरूप से रोजगार की हानि से संबंधित विषयों की गंभीरतापूर्वक जांच करने और लघु तथा दीर्घ दोनों अवधियों के लिए इस क्षेत्र को बेहतर स्थिति में लाने के लिए विशेष सिफारिशें करेगा।

कृतक बल का संघटन निम्नवत है:

1. वरिष्ठ परामर्शी (अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था), योजना आयोग - अध्यक्ष
2. परामर्शी (श्रम और रोजगार अनुवीक्षण), योजना आयोग - सदस्य
3. परामर्शी (उद्योग एवं ग्रामीण एवं लघु उद्योग), योजना आयोग - सदस्य
4. परामर्शी (आगामी योजना), योजना आयोग - सदस्य
5. संयुक्त सचिव (रत्न एवं आभूषण, इन-चार्ज) वाणिज्य मंत्रालय - सदस्य
6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय - सदस्य
7. अध्यक्ष, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद - सदस्य
8. डॉ. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय - संयोजक
9. सुश्री अमरजीत कौर, उप-महानिदेशक (ई), श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य

(ग) और (घ) अब तक कृतक बल की दो बैठकें 22-12-2009 तथा 26-02-2010 को आयोजित की गई हैं। कृतक बल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में निजी कंपनियां

1157. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल सहित देश में दूरसंचार क्षेत्र में और अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल सहित देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क की सघनता का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण कर दिया है और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के सरकारी प्रयासों में सहायता देने हेतु एकीकृत अभिगम सेवाओं, राष्ट्रीय लम्बी दूरी, अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा अवसंरचना प्रदाताओं के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दे दी है। इस समय ये सेवाएं पात्रता के अध्यधीन प्रतिस्पर्धा और निजी भागीदारी के लिए खुली हैं। दूरसंचार सेवाओं के लिए 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है तथा दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण और अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-। हेतु 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

टेलीफोन उपभोक्ताओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ग) देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के टेली-घनत्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

31-12-2009 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का नाम	टेलीफोनों की संख्या		
		सार्वजनिक	निजी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6350919	37543384	43894303
2.	असम	1428416	6678055	8106471
3.	बिहार	5282538	27891645	33174183
4.	गुजरात	4824598	26541191	31365789
5.	हरियाणा	3128423	10460494	13588917
6.	हिमाचल प्रदेश	1566332	3265623	4831955
7.	जम्मू और कश्मीर	1294365	3922312	5216677
8.	कर्नाटक	5574041	29928582	35502623
9.	केरल	7262881	18432460	25695341
10.	मध्य प्रदेश	4876540	25011890	29888430
11.	महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)	7318826	35696380	43015206
12.	पूर्वोत्तर	1272931	3669322	4942253

1	2	3	4	5
13.	उड़ीसा	2806616	10759984	13566600
14.	पंजाब	4741307	15290094	20031401
15.	राजस्थान	5190226	27041088	32231314
16.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	6255015	34263097	40518112
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	8861542	30822413	39683955
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4441344	24024112	28465456
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	3170100	19511574	22681674
20.	कोलकाता	3101617	13447765	16549382
21.	चेन्नै	2208576	10466222	12674798
22.	दिल्ली	3841847	25539556	29381403
23.	मुम्बई	4524680	22680511	27205191
	जोड़	99323680	462887754	562211434

विवरण-II

ग्रामीण और शहरी टेलीघनत्व

क्र. सं.	लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र	31-12-2009 की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व (% में)		
		ग्रामीण	शहरी	समग्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.24	131.10	52.36
2.	असम	16.37	88.03	26.91
3.	बिहार	12.26	114.05	26.09
4.	गुजरात	30.13	88.48	53.44
5.	हरियाणा	36.09	91.65	54.46
6.	हिमाचल प्रदेश	49.42	256.34	71.94
7.	जम्मू और कश्मीर	23.04	106.39	45.20
8.	कर्नाटक	21.14	128.02	60.48

1	2	3	4	5
9.	केरल	42.05	169.96	74.80
10.	मध्य प्रदेश	12.54	84.77	31.55
11.	महाराष्ट्र (-) मुम्बई	28.96	80.93	46.65
12.	पूर्वोत्तर	21.59	90.46	38.01
13.	उड़ीसा	17.51	114.99	33.64
14.	पंजाब	39.67	114.25	69.87
15.	राजस्थान	28.71	111.37	48.42
16.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	34.67	105.38	67.83
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14.25	99.10	33.01
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			
19.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	20.08	92.10	30.33
20.	कोलकाता	#	111.65	111.65
21.	चेन्नै	#	148.78	148.78
22.	दिल्ली	#	164.58	164.58
23.	मुम्बई	#	133.62	133.62
	सम्पूर्ण भारत	21.19	110.69	47.88

4 महानगर क्षेत्रों में ग्रामीण टेलीफोन हैं किन्तु ग्रामीण जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण

1758. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में आज की तिथि के अनुसार सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नौसेना हेतु विमानों की खरीद

1759. श्री प्रदीप माझी:

श्री एस. सेम्मलई:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना की योजना समुद्री क्षमता संदर्शी योजना के भाग के रूप में अतिरिक्त विमान बेड़े को शामिल करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मल्टी रोल फाइटर जेट तथा समुद्री गहन सर्वेक्षण विमान की खरीद हेतु रूस तथा अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) समुद्री क्षमता संदर्शी योजना में वृद्धि के लिए नौसेना विमानन योजना बनाई जाती है। नौसेना विमानन परिसंपत्तियों के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है ताकि सुव्यवस्थित वृद्धि हो सके।

(ग) और (घ) मिग-29-के/के.यू.बी. विमानों की आपूर्ति के लिए मैसर्स आर.ए.सी. मिग, रूस के साथ 20 जनवरी, 2004 को एक संविदा की गई थी। इनमें से कुछ विमानों की सुपुर्दगी दिसम्बर 2009 में कर दी गई थी। इसके अलावा, समुद्री टोही विमानों की अधिप्राप्ति के लिए मैसर्स बोइंग, यू.एस.ए. के साथ 1-1-2009 को एक संविदा की गई थी।

[हिन्दी]

मुख्य बंदरगाहों पर खाद्य वस्तुओं का पड़ा रहना

1760. श्रीमती मीना सिंह: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मुख्य बंदरगाहों पर नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं, प्रसंस्कृत चीनी और कच्ची चीनी सहित विभिन्न प्रकार की पण्य वस्तुएं काफी मात्रा में पड़ी हुई हैं तथा खराब हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो बंदरगाह-वार, वर्ष-वार, मात्रा-वार तथा मद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) जिम्मेदार अधिकारियों/एजेंसियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नयी समुद्री नीति

1761. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षित रेल, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्गों सहित पोत परिवहन परियोजनाओं के विस्तार को बढ़ाने हेतु नई समुद्री नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) नयी नीति से समुद्री उद्योग को बढ़ावा देने और विस्तार करने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है; और

(ङ) इस क्षेत्र में न्यायालय में कितने विवाद लंबित हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) प्रस्तावित समुद्रीय नीति में समुद्रीय क्षेत्र का समेकित विकास परिकल्पित है, जिसमें पत्तनों तक पहुंचने के लिए कम से कम दूरी सुनिश्चित करने हेतु पश्चभूमि से सम्पर्क भी शामिल है।

(ग) और (घ) इस समय, प्रस्तावित समुद्रीय नीति के अंतर्गत जो समुद्रीय क्षेत्र के विस्तार में कार्यान्वयन के बाद आएगी, परियोजनाओं के निष्पादन में कोई कठिनाईयां देखी नहीं गई है।

(ङ) इस समय ऐसे 246 कोर्ट के मामले लंबित हैं जो भूमि आबंटन, पत्तन प्रभार, नीति मामले, परियोजनाओं, बोली दाता के चयन, व्यक्तिगत मामलों आदि से जुड़े मुद्दों से संबंधित हैं।

सैनिकों के परिवारों को सहायता

1762. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री ए. गणेश मूर्ति:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमाओं पर अभियान तथा नक्सली हमलों में घायल हुए/मारे गए वायुसेना कर्मियों सहित रक्षा कर्मियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके परिवार के सदस्यों/विधवाओं के कल्याण हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सैनिकों के परिवारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक सरकारी सहायता/मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकार को उनकी पहचान करने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सम्मानित/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा विभिन्न हमलों में मारे गए कार्मिकों के आश्रितों के कल्याण के लिए खर्च की गई/खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सेना का आधुनिकीकरण

1763. श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री राजू शेट्टी:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री जी.एस. बासवराज:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवादियों के विरुद्ध फील्ड फॉर्मेशन में उपयोग किए जा रहे पुराने इन्फैंट्री हथियारों को उपयोग से चरणबद्ध ढंग से हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जैसाकि हाल ही में रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि करोड़ों रुपए के आधारभूत लड़ाकू हथियार और उपकरण खरीदने में अनावश्यक देरी के कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में खरीद नीति में क्या परिवर्तन किए जाएंगे;

(घ) आर्टिलरी के आधुनीकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) होविटजर गन, राइफल्स, ग्रेनेड, खान संरक्षित वाहनों, स्नो स्कूटर आदि जैसे उपकरण/हथियारों की खरीद की स्थिति क्या है; और

(च) नए हथियार और उपकरण सम्मिलित किए जाने की प्रक्रिया कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) इन्फैंट्री और तोपखाना सहित पुरानी हथियार प्रणालियों का नई प्रणालियों से प्रतिस्थापन एक सतत प्रक्रिया है जो सेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं और बल में गुणात्मक आवश्यकताओं के आधार पर होती है। ऐसे उपस्करों की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति नीति के अनुसार की जाती है जिसे समय-समय पर संशोधित और अद्यतन किया जाता है।

[अनुवाद]

चीन के साथ व्यापार

1764. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन के बीच आयात-निर्यात के बीच बहुत अंतर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात के मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) चीन को निर्यात में बढ़ावा देने तथा चीन के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चीन से आयातित वस्तुओं के प्रभाव से भारतीय उद्योग विशेषकर छोटे और मध्यम उद्योग के रक्षोपाय हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच हुए आयात और निर्यात के मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	2006-07	2007-08	2008-09
चीन से हुए आयात	17.5 बिलियन अम.डॉ.	27.1 बिलियन अम.डॉ.	32.5 बिलियन अम.डॉ.
चीन को किए गए निर्यात	8.3 बिलियन अम.डॉ.	10.9 बिलियन अम.डॉ.	9.4 बिलियन अम.डॉ.

(ग) भारत सरकार चीन की सरकार के साथ अधिकाधिक बाजार पहुंच हेतु बातचीत कर रही है और कृषि उत्पादों, बासमती चावल, भेषजों आदि जैसे हमारे उत्पादों हेतु व्यापार संवर्धन कार्यकलाप भी कर रही है। भारतीय उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय कंपनियों ने चीन में आयोजित व्यापार मेलों में भी भाग लिया है। आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त दल (जे.ई.जी.) के दिनांक 19 जनवरी, 2010 को मंत्रिस्तर पर आयोजित 8वें सत्र के परिणामस्वरूप व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार हेतु भारत और चीन के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन में यह स्वीकार किया गया है कि भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग के दीर्घावधिक, सततधारणीय एवं सुमेलीकृत विकास हेतु संतुलित व्यापार अत्यंत उपयोगी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार चीन भारत से अपनी मूल्यवर्धित वस्तुओं की अपेक्षित मात्रा का यथासंभव अधिकाधिक आयात करने का प्रयास करेगा।

(घ) चीन से भारत में होने वाले कुछेक निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जनहित में बसों/लॉरियों हेतु रेडियल टायरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में केवल उन्हीं खिलौनों के आयात की अनुमति है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों और उनके साथ इन मानकों के अनुरूप होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न हो। बिना अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आई.एम.ई.आई.) संख्या अथवा शून्य आई.एम.ई.आई. वाले "मोबाइल हैण्डसैटों" तथा बिना इलेक्ट्रॉनिक क्रम संख्या (ई.एस.एन.)/मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटीफायर (एम.ई.आई.डी.) अथवा शून्य ई.एस.एन./एम.ई.आई.डी. वाले "सी.डी.एम.ए. मोबाइल फोनों" के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। केन्द्र सरकार ने चीन से चॉकलेटों तथा कैण्डियों/मिठाइयों/दूध से बने अथवा एक संघटक के रूप में दुग्ध ठोस युक्त खाद्य पदार्थों सहित सभी दुग्ध उत्पादों के आयातों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

पोत परिवहन आधुनिकीकरण निधि

1765. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत परिवहन उद्योग संघ ने सरकार से वस्त्र उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन विधि की तर्ज पर पोत परिवहन आधुनिकीकरण निधि बनाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) विश्व स्तर पर चल रही उधार की कमी नौवहन कम्पनियों की पोतों की खरीद के कार्यक्रम को प्रभावित करती रही है क्योंकि पोत की खरीद के लिए वित्त की व्यवस्था करना मुश्किल होता चला जा रहा है। चार्टर दरों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ने नौवहन कम्पनियों के लाभांशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। एक तरफ गिरती हुई परिसम्पत्ति मूल्यों के चलते बैंक इन परिसम्पत्तियों को ऋणाधार के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचा रही हैं, जबकि दूसरी ओर गिरते हुए मूल्य पोत स्वामियों के लिए इन परिसम्पत्तियों को खरीदने का एक अवसर प्रदान करते हैं, जिनके मूल्य लगभग एक वर्ष पहले अत्याधिक ऊंचे स्तरों पर पहुंच गये थे।

भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ जो कि भारतीय टन्भार के 90% हिस्से वाली भारतीय नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने पोतों की खरीद के लिए भारतीय नौवहन कम्पनियों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 10000 करोड़ रुपए की निधि सृजित करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंक संघ से भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा विदेश से पोत खरीदने के लिए प्रस्तावित वित्त पोषण की जांच करने हेतु एक कार्यदल गठित करने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त कार्यदल ने बैठक करके इस मामले की जांच करके विभिन्न बैंकों से कार्यकारी अधिकारियों का एक छोटा दल तैयार किया है। भारतीय बैंक संघ ने तत्पश्चात यह प्रत्युत्तर दिया है कि उधार लेने वालों को अपनी वित्त पोषण की आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग बैंकों से बातचीत करनी होगी और यह कि भारतीय बैंक संघ की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।

औद्योगिक विनिर्माण विकास

1766. श्री पी. करुणाकरनः
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः
श्री जगदीश शर्माः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री सुरेश अंगडीः
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः
श्री ई.जी. सुगावनमः
श्री सर्वे सत्यनारायणः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले दस वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की गणना हेतु विनिर्माण क्षेत्र के योगदान में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों द्वारा जी.डी.पी. में कितना योगदान दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर उन परंपरागत उद्योगों हेतु विनिर्माण नीति/विनिर्माण क्षेत्र बनाने का है जिनमें रोजगार सृजन की अधिकतम संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वैश्विक मंदी ने कई उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्र सहित क्षेत्र-वार वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा जो 1999-2000 में 14.8 प्रतिशत था, बढ़कर 2009-10 में 15.6 प्रतिशत हो गया। 1999-2010 में, अन्य क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा नीचे दिया गया है:-

वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	1999-2000	2009-2010 (अग्रिम अनुमान)
कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	25.0	17.0
खनन और उत्खनन	2.3	2.4
विनिर्माण	14.8	15.6
विद्युत, गैस और जलापूर्ति	2.5	1.6
निर्माण	5.7	8.6
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	21.7	24.1
वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबार सेवाएं	13.1	16.2
समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	14.9	14.6
स्थायी लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद	**100.0**	**100.0**

स्त्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

(ग) और (घ) औद्योगिक वृद्धि को तेज करने हेतु सरकार ने एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित विनिर्माण नीति/विनिर्माण क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने हेतु किसी विशिष्ट उद्योग को चिन्हित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) वैश्विक मंदी से भारत के कुछ निर्यातोन्मुख उद्योग प्रभावित हुए जैसे कि वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा और रत्न तथा आभूषण। आटोमोबाइल और सहायक पुर्जों, इस्पात आदि में भी मंदी देखी गई। वर्तमान वर्ष व पिछले वर्ष उद्योग-वार तिमाही वृद्धि दरें निम्न प्रकार हैं:

उद्योगों की विकास दर (प्रतिशत)

	2008-09				2009-10		
	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3
खाद्य उत्पाद	-7.1	7.6	0.6	-25.2	-17.2	-5.2	-0.6
पेय, तंबाकू और उत्पाद	30.7	9.8	12.2	12.5	-6.2	2.1	0.7
सूती वस्त्र	3.6	-3.2	-3.4	-4.4	-1.7	4.3	7.5
ऊन, रेशम तथा मानव निर्मित रेशों के वस्त्र	7.3	-8.9	1.3	0.5	4.8	21.2	11.7
जूट तथा अन्य वनस्पति रेशों के वस्त्र	-8.1	-2.9	-23.3	-6.3	-16.2	-18.3	-10.4
वस्त्र उत्पादन	6.3	4.0	3.8	8.7	8.2	11.0	10.2
लकड़ी तथा लकड़ी-उत्पाद व फर्नीचर तथा फिक्सचर	-11.9	-0.5	-10.0	-16.3	14.6	1.3	11.0
कागज और कागज उत्पाद	1.3	7.7	1.3	-2.8	3.6	-0.6	3.8
चमड़ा और फर उत्पाद	5.8	-8.8	-10.5	-13.0	-3.5	4.9	1.1
मूल रसायन और रसायन उत्पाद	11.2	1.2	-4.6	8.8	2.0	13.8	21.8
रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	-3.5	-4.5	-0.9	2.7	10.6	14.3	18.4
गैर-धातु खनिज	1.0	0.1	1.9	1.7	8.3	4.9	6.3
मूल धातु और मिश्रधातु उद्योग	4.9	8.4	5.0	-2.0	7.7	2.6	3.4
धातु उत्पाद और पुर्जे	2.0	1.8	-0.4	-16.8	-4.8	4.9	15.6
मशीनरी और उपकरण	7.9	12.3	4.7	10.3	7.2	15.0	24.7
परिवहन उपकरण और पुर्जे	10.3	13.9	-10.9	-1.5	6.9	12.0	43.6
अन्य विनिर्माण उद्योग	-9.5	6.5	5.6	-2.7	14.9	12.3	1.6
कुल विनिर्माण	5.8	4.9	0.5	0.3	3.4	9.2	14.3

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

अप्रैल-जनवरी, 2009-10 में छह कोर उद्योगों नामतः कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, सीमेंट तथा इस्पैंत के सूचकांक से कोर क्षेत्र की वृद्धि 5.4 प्रतिशत थी (अनंतिम), जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि, अर्थात, अप्रैल-जनवरी, 2008-09 के दौरान यह वृद्धि 3.0 प्रतिशत रही थी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करना

1767. श्री महेश जोशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास में निजी क्षेत्रों को शामिल करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(ख) इस संबंध में निजी क्षेत्र को दी गई अथवा दी जाने वाली सुविधाओं तथा रियायतों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) नामक योजना को अनुमोदित किया। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायत (यों) में संभावित विकास केन्द्र के आस-पास के छोटे क्षेत्रों का व्यापक तथा तेजी से विकास करना है जिससे आजीविका अवसर तथा शहरी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर को सुधारा जा सके। योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

बाल श्रम अधिनियम, 1986 को लागू करना

1768. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री पी. विश्वनाथन:

श्री नीरज शेखर:

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1996 को लागू करना अप्रभावी सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूरे देश में उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उल्लंघन, अभियोजन और दोषसिद्ध के मामलों की संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1968 के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, जो अपने-अपने क्षेत्रों में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकार हैं, द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से नियमित अनुवीक्षण करती है। इसके अलावा, केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति (सी.एम.सी.) भी अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी की जाती है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उल्लंघनों, अभियोजनों एवं दोषसिद्धियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उल्लंघन			अभियोजन			दोषसिद्धि		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र	0	0		0	0		0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आन्ध्र प्रदेश	53843	17380	894	9128	3104	386	0	116	135
3.	अरुणाचल प्रदेश	3			3					
4.	असम	0	3		0	0		0	1	
5.	बिहार	2514			284			0		
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0	2	1	0	8	7	0	2	
7.	छत्तीसगढ़	19			19			0		
8.	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	0			0			0		
9.	दमन औरदीव संघ राज्य क्षेत्र	0	0		0	0		0		
10.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	313	338		187	274		29	8	
11.	गोवा									
12.	गुजरात	169	523	655	270	233	328	270	36	11
13.	हरियाणा	201	105		0	2510		3	308	
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	3	0	0	1	0
15.	जम्मू और कश्मीर	64	61	42	60	61	41	1	11	25
16.	झारखंड	67			4			0		
17.	कर्नाटक	3962	2207	134	3235	473	121	170	0	17
18.	केरल	23	5		1	1		0	3	
19.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0	0		0			0	0	
20.	मध्य प्रदेश	150	58	25	150	58	25	5	14	7
21.	महाराष्ट्र	399	67		54	23		7	0	
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0		0	0		0	0	
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	0			0			0		
26.	उड़ीसा	449	492	128	73	145	22	0	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	0	0		0	0		0	0	
28.	पंजाब	172	206		129	176		23	46	
29.	राजस्थान	19	26	9	22	26	9	26	15	2
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	636	445		603	218		434	295	
32.	त्रिपुरा	0	0		0	0		0	0	
33.	उत्तर प्रदेश	2513	5421		117	548		19	46	
34.	उत्तराखण्ड	2	302	34	0		6	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	112	48		7	2		0	0	0
	कुल	65630	27689	1922	14346	7863	945	987	904	197

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण द्वारा सड़कों का निर्माण

1769. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण (एन.आर.आर.डी.ए.) को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में आवश्यक कुल ग्रामीण सड़कों के निर्माण के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो बनाई जाने वाली किलोमीटर में सड़कों की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त एजेंसी द्वारा किलोमीटर में सड़कों का कितना औसत वार्षिक निर्माण किया गया है; और

(ङ) आगामी वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं। तकनीकी विनिर्देशनों, परियोजना मूल्यांकन, अंशकालिक गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानीकर्त्ताओं की नियुक्ति, निगरानी प्रणालियों का प्रबंधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के संबंध में सलाह के जरिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) स्थापित की गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006-07 में यह मूल्यांकन किया गया है कि कोर नेटवर्क के आधार पर सभी पात्र संपर्कविहीन बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए 3.70 लाख कि.मी. लम्बी सड़कों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में खेत से बाजार तक सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3.68 लाख कि.मी. लंबी सड़कों का उन्नयन अथवा नवीकरण करने की आवश्यकता होगी।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 2010 तक) में कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों द्वारा बनाई गई सड़कों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	लम्बाई कि.मी. में
2006-2007	30,710.44

वर्ष	लम्बाई कि.मी. में
2007-08	41,231.17
2008-09	52,404.51
2009-10 (जनवरी, 2010 तक)	42,368.44

(ङ) ऐसी अपेक्षा है कि भारत निर्माण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 1000 और इससे अधिक तथा पर्वतीय राज्यों, मरूभूमि एवं जनजातीय क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक व्यक्तियों वाली सभी पात्र बसावटों को वर्ष 2012 तक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा।

बी.पी.एल. परिवारों की जनसंख्या

1770. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री पी. लिंगम:
श्री हर्षवर्धन:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री दारा सिंह चौहान:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन करने वाले लोगों के उन्नयन हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त योजना के प्रभावी होने के बावजूद ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों से तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए ऐसे लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) बी.पी.एल. सूची में लोगों को शामिल करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं तथा राज्य-वार गरीबी से पीड़ित चिन्हित किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त मानदण्डों में संशोधन करने का है तथा नए सिरे से बी.पी.एल. परिवारों की जनगणना करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गयी है;

(छ) क्या बी.पी.एल. सूची को संशोधित करने हेतु राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त जनगणना कब तक कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा करवाए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अलग से राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता तथा संख्या का अनुमान लगाता है।

गरीबी के दो नवीनतम तुलनात्मक आकलन वर्ष 1993-94 तथा 2004-05 के लिए उपलब्ध हैं। इनके अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या वर्ष 1993-04 के 32.04 करोड़ (कुल जनसंख्या का 36%) से घटकर वर्ष 2004-05 में 30.17 करोड़ (कुल जनसंख्या का 27.5%) हो गई है। तदनुसार, यह आकलन लगाया गया है कि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या वर्ष 1993-94 के 57.03 करोड़ (कुल जनसंख्या का 64%) से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 79.54 (कुल जनसंख्या का 72.5%) हो गई है। वर्ष 1993-92 तथा 2004-05 के लिए देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(घ) से (ज) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए बी.पी.एल. जनगणना करवाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है ताकि उन गरीबों को इस मंत्रालय के कार्यक्रमों में लक्ष्य बनाया जा सके। पिछली बी.पी.एल. जनगणना वर्ष 2002 में करवाई गई थी जिसमें ग्रामीण परिवारों की अंक आधारित रैंकिंग की पद्धति का प्रयोग किया गया था जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर 13 सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का प्रयोग किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बी.पी.एल. जनगणना करवाने की पद्धति के संबंध में इस मंत्रालय को परामर्श देने के लिए डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में 12 अगस्त, 2008 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस विशेषज्ञ समूह ने 21 अगस्त, 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस विशेषज्ञ समूह ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए पद्धति की सिफारिश की, जिसमें बी.पी.एल. सूची से ग्रामीण परिवारों को स्वतः बाहर करना तथा बी.पी.एल. सूची में स्वतः शामिल करना और शेष परिवारों की ग्रेडिंग करना शामिल है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट को टिप्पणियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेज दिया गया है। यह इस मंत्रालय की वेबसाइट www.rural.nic.in पर भी डाल दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए अगली बी.पी.एल. जनगणना करवाने की पद्धति को अंतिम रूप दे रहा है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या - 1993-94

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लोगों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	153.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.73
3.	असम	96.36
4.	बिहार	493.36
5.	छत्तीसगढ	एन.ए.
6.	दिल्ली	15.51
7.	गोवा	1.91
8.	गुजरात	105.19
9.	हरियाणा	43.88
10.	हिमाचल प्रदेश	15.86
11.	जम्मू और कश्मीर	20.92
12.	झारखण्ड	एन,ए,
13.	कर्नाटक	156.45
14.	केरल	76.41
15.	मध्य प्रदेश	298.52
16.	महाराष्ट्र	305.22
17.	मणिपुर	6.80
18.	मेघालय	7.38
19.	मिजोरम	1.94
20.	नागालैंड	5.05
21.	उड़ीसा	160.60
22.	पंजाब	25.11
23.	राजस्थान	128.50
24.	सिक्किम	1.84
25.	तमिलनाडु	202.10
26.	त्रिपुरा	11.79
27.	उत्तर प्रदेश	604.46

1	2	3
28.	उत्तराखंड	एन.ए.
29.	पश्चिम बंगाल	254.56
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.06
31.	चंडीगढ़	0.80
32.	दादरा और नगर हवेली	0.77
33.	दमन और द्वीव	0.18
34.	लक्षद्वीप	0.14
35.	पांडिचेरी	3.31
	अखिल भारत	3203.68

स्रोतः योजना आयोग

टिप्पणी:

1. असम के गरीबी अनुपात का उपयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा के लिए किया जाता है।
2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पाण्डिचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए उपयोग किया जाता है।
3. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात का दमन और दीव के लिए उपयोग किया जाता है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का ग्रामीण तथा शहरी चण्डीगढ़ के लिए उपयोग किया जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण का गोवा की गरीबी रेखा का आकलन करने में प्रयोग किया जाता है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादरा और नागर हवेली के व्यय वितरण का दादरा और नागर हवेली के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
8. हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात का 1993-94 के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए उपयोग।

विवरण-II

राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या - 2004-05 (यू.आर.पी.- उपभोग पर आधारित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लोगों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	126.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.03
3.	असम	55.77
4.	बिहार	369.15
5.	छत्तीसगढ़	90.96
6.	दिल्ली	22.93
7.	गोवा	2.01
8.	गुजरात	90.69
9.	हरियाणा	32.10
10.	हिमाचल प्रदेश	6.36
11.	जम्मू और कश्मीर	5.85
12.	झारखण्ड	116.39
13.	कर्नाटक	138.89
14.	केरल	49.60
15.	मध्य प्रदेश	249.68
16.	महाराष्ट्र	317.38
17.	मणिपुर	3.95
18.	मेघालय	4.52
19.	मिजोरम	1.18
20.	नागालैण्ड	3.99
21.	उड़ीसा	178.49
22.	पंजाब	21.63

1	2	3
23.	राजस्थान	134.89
24.	सिक्किम	1.14
25.	तिमिलनाडु	145.62
26.	त्रिपुरा	6.38
27.	उत्तर प्रदेश	590.03
28.	उत्तराखंड	35.96
29.	पश्चिम बंगाल	208.36
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.92
31.	चंडीगढ़	0.74
32.	दादरा और नगर हवेली	0.84
33.	दमन और द्वीव	0.21
34.	लक्षद्वीप	0.11
35.	पांडिचेरी	2.37
	अखिल भारत	3017.20

स्रोतः योजना आयोग

यू.आर.पी. उपभोग=यूनिफार्म रिकॉल अवधि उपभोग, जिसमें सभी मदों के लिए व्यय आंकड़े 30 दिन की रिकॉल अवधि से एकत्र किए जाते हैं।

टिप्पणी:

1. असम के गरीबी अनुपात का उपयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा के लिए किया जाता है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण का गोवा की गरीबी रेखा का आकलन करने में प्रयोग किया जाता है।
3. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पाण्डिचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए उपयोग किया जाता है।
4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का ग्रामीण तथा शहरी चण्डीगढ़ के लिए उपयोग किया जाता है।
5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादरा और नागर हवेली के व्यय वितरण का दादरा और नागर हवेली के गरीबी अनुपात का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
6. गोवा के गरीबी अनुपात का दमन और दीव के लिए उपयोग किया जाता है।
7. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

11 अंकों वाला मोबाइल नम्बर

1771. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
श्री राधा मोहन सिंहः
श्री ई.जी. सुगावनमः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार 10 अंक के मोबाइल नम्बर को क्रमशः 11 अंकों की संख्या में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

1772. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
डॉ. बलीरामः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभाग-वार मृतकों के ऐसे कितने मामले हैं जिनके आश्रितों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार मृत कर्मचारियों के आश्रितों को विकल्प के रूप में कुछ वित्तीय सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आश्रितों को रोजगार/वित्तीय सहायता कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई स्पेक्ट्रम नीति

1773. **श्री शरद यादव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में नई स्पेक्ट्रम नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसरण में विभिन्न स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना, 2000 (एन.एफ.ए.पी. 2000) बनाई गई थी जिसने सरकारी दस्तावेज का रूप ले लिया है। आई.टी.यू. के विश्व रेडियो संचार सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार और देश के विभिन्न स्टेकहोल्डरों की स्पेक्ट्रम संबंधी आवश्यकता के अनुसार भी सामान्यत: प्रत्येक दो वर्ष में इसकी समीक्षा की जाती है और इसे संशोधित किया जाता है। राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना-2008 बनाई गई है जो इस समय लागू है। राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना की समीक्षा/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव/परियोजनाएं

1774. **श्री हरिन पाठक:**
श्रीमती मेनका गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त और अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों तथा उन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा पूरा कर लिया गया है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार ऐसी परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो आज तक केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों/परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधूरे प्रस्तावों/परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 2010 तक पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यों द्वारा पूरे किए गए सड़क कार्यों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों से अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रस्तावों के अनुमोदन में कोई अनावश्यक विलंब नहीं है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) द्वारा संवीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कोई तकनीकी विसंगती नहीं है। इन प्रस्तावों की और संवीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुरूप हैं। संवीक्षा के दौरान पाई गई इन विसंगतियों की सूचना सुधार के लिए राज्यों को दी जाती है। विसंगतियां दूर करने के पश्चात राज्य सरकारों से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों को इस मंत्रालय द्वारा उस राज्य में कार्यान्वयन मशीनरी की निष्पादन क्षमता के आधार पर मंजूरी दी जाती है।

परियोजनाओं का निष्पादन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उनसे चल रहे कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है किंतु इन परियोजनाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों द्वारा किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

#	राज्य	2006-07			2007-08		
		मूल्य करोड़ में	सड़क कार्यों की सं.	लंबाई कि.मी. में	मूल्य करोड़ में	सड़क कार्यों की सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	350.21	340	1829.32	527.57	366	2071.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	413.03	116	898.60			
3.	असम	1548.60	629	2853.40	570.12	139	984.27
4.	बिहार	1494.21	432.00	3724.31	3231.76	1530	7620.21
5.	छत्तीसगढ				1978.06	1251	6836.67
6.	गोवा						
7.	गुजरात	224.02	449	1298.66	235.46	390	1362.23
8.	हरियाणा	199.64	47	618.83	446.82	108	1085.23
9.	हिमाचल प्रदेश	968.64	639	4559.75	366.37	165	1564.97
10.	जम्मू और कश्मीर	667.81	251	1566.17	192.09	25	334.55
11.	झारखण्ड				499.49	353	1679.78
12.	कर्नाटक	326.58	173	1569.49	656.14	313	2450.06
13.	केरल	46.56	77	155.95	294.21	322	733.27
14.	मध्य प्रदेश	3096.09	2971	13088.74	3395.17	2953	12083.40
15.	महाराष्ट्र	1107.92	1559	6079.08	1475.48	441	4626.21
16.	मणिपुर	152.23	59	556.19			
17.	मेघालय	39.62	26	105.59			
18.	मिजोरम				147.15	30	399.40
19.	नागालैण्ड				126.26	29	467.00
20.	उड़ीसा	1093.65	843	3034.87	2670.21	1689	6617.05
21.	पंजाब	569.26	119	1525.16	344.21	63	763.90

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	1833.02	3634	10768.20	2916.33	2321	14546.99
23.	सिक्किम	149.00	67	323.27	94.08	39	206.73
24.	तमिलनाडु	174.31	379	849.23	703.11	332	1148.71
25.	त्रिपुरा	525.21	266	861.36	2177.76	817	6364.42
26.	उत्तर प्रदेश	2289.76	2881	8093.77	236.88	94	790.61
27.	उत्तराखण्ड	203.04	102	890.31	1119.96	444	3035.80
28.	पश्चिम बंगाल	657.78	236	1692.79			
	कुल	18130.17	16295	66933.04	24404.69	14214	77773.08

#	राज्य	2008-09			2009-10 (जनवरी, 2010 तक)		
		मूल्य करोड़ में	सड़क कार्यों की सं.	लंबाई कि.मी. में	मूल्य करोड़ में	सड़क कार्यों की सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1756.97	1260	5070.65			
2.	अरुणाचल प्रदेश	563.91	104	862.48	401.57	64	583.02
3.	असम	5078.39	2582	7677.39	695.13	418	1228.98
4.	बिहार	10131.38	5631.00	20062.57	695.12	418.00	1228.98
5.	छत्तीसगढ	1111.80	1049	3819.82			
6.	गोवा						
7.	गुजरात	394.58	466	1567.74	130.38	221	438.86
8.	हरियाणा	371.79	67	697.17	241.63	69	611.32
9.	हिमाचल प्रदेश	48.70	19	145.14	243.97	194	639.87
10.	जम्मू और कश्मीर	1200.26	440	2259.43			
11.	झारखण्ड	973.12	669	3122.31	280.20	279	1026.42
12.	कर्नाटक	620.92	310	2076.12	810.22	429	2787.98
13.	केरल	230.47	200	533.54			

1	2	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	2586.40	1935	8917.85	878.16	642	2953.32
15.	महाराष्ट्र	268.36	128	824.07	1186.61	792	4131.03
16.	मणिपुर	363.66	131	1157.37			
17.	मेघालय	128.54	36	183.54			
18.	मिजोरम	227.89	47	560.84			
19.	नागालैण्ड	54.04	11	205.20			
20.	उड़ीसा	4036.79	2076	10127.18			
21.	पंजाब	804.97	337	3496.87	432.58	71	925.92
22.	राजस्थान	254.56	105	488.69	665.08	229	2726.98
23.	सिक्किम	1324.63	2409	5113.63	117.83	54	275.53
24.	तमिलनाडु	223.27	65	339.70			
25.	त्रिपुरा	2821.77	1310	7968.26			
26.	उत्तर प्रदेश				87.67	38	272.53
27.	उत्तराखण्ड	1210.22	609	2894.31	419.21	133	1204.53
28.	पश्चिम बंगाल						
	कुल	36787.38	21996	90171.89	7285.37	4051	21035.26

विवरण-II

वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के दौरान पूर्ण सड़क कार्यों की वर्षवार संख्या

क्र सं.	राज्य	पूरे किए गए सड़क कार्यों की संख्या				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (जनवरी 2010 तक)	सकल योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	479	332	383	503	1697
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	33	31	31	108
3.	असम	270	129	293	342	1034

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	194	199	309	313	1015
5.	छत्तीसगढ	518	603	721	586	2428
6.	गोवा	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	293	334	375	240	1242
8.	हरियामा	14	64	99	67	244
9.	हिमाचल प्रदेश	141	197	307	183	828
10.	जम्मू और कश्मीर	22	52	48	93	215
11.	झारखंड	59	63	44	147	313
12.	कर्नाटक	114	268	301	319	1002
13.	केरल	44	53	111	55	263
14.	मध्य प्रदेश	857	939	2068	1636	5500
15.	महाराष्ट्र	459	695	818	357	2329
16.	मणिपुर	6	0	59	47	112
17.	मेघालय	12	17	8	9	46
18.	मिजोरम	1	17	11	3	32
19.	नागालैण्ड	1	13	19	12	45
20.	उड़ीसा	491	432	685	404	2012
21.	पंजाब	64	64	54	54	236
22.	राजस्थान	1824	3005	1694	290	6813
23.	सिक्किम	30	7	22	38	97
24.	तमिलनाडु	214	379	241	626	1460
25.	त्रिपुरा	36	40	119	89	284
26.	उत्तर प्रदेश	1366	1649	1423	1256	5694
27.	उत्तराखण्ड	18	67	25	64	174
28.	पश्चिम बंगाल	192	227	268	125	812
	कुल	7732	9878	10536	7889	36035

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र सं.	राज्य	मूल्य करोड़ में	सड़कों/पुलों की सं.	लंबाई कि.मी. में	स्थिति
1.	अरुणाचल प्रदेश	457.27	38	622.75	संवीक्षा चल रही है।
2.	छत्तीसगढ़	1119.33	690	3062.49	सड़कों की सूची प्राप्त हुई। प्रतिदर्श प्रस्तावों पर टिप्पणियां भेजी गई। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होना अभी बाकी है।
3.	कर्नाटक	1398.37	733.00	4303.84	संवीक्षा चल रही है।
4.	मध्य प्रदेश	110.50	62		राज्यों द्वारा अनुपालन की प्रतीक्षा है।
5.	मिजोरम	227.29	40	567.76	केवल प्रस्तावों की सूची प्राप्त हुई।
6.	नागालैंड	238.75	49	643	चरण-I तथा II के लिए राज्यों को टिप्पणियां भी भेजी गई।
7.	उड़ीसा	489.30	213.00	5576.13	संवीक्षा चल रही है।
8.	सिक्किम	59.02	20	93.87	राज्यों को टिप्पणियां भेजी गई। अनुपालन प्रतीक्षित है।
9.	दमन और दीव	10.84	56	38.76	राज्यों को टिप्पणियां भेजी गई। इन्हें कोर नेटवर्क में डाला जा रहा है।

[हिन्दी]

लंबित ग्रामीण विकास और स्वच्छता प्रस्ताव/परियोजनाएं

1775. श्री पकौड़ी लाल:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास और स्वच्छता संबंधी प्रस्तावों/परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रस्तावों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केंद्र सरकार को प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए तथा कब से ये लंबित या अनुमोदित हैं;

(ग) प्रस्तावों के लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा समय पर निधियां जारी न करने के कारण कुछ प्रस्ताव/परियोजनाएं संबंधित राज्यों द्वारा क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) शेष प्रस्तावों/परियोजनाओं के कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान नामक बड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों (2006-07, 2007-08 तथा 2008-09) तथा चालू वर्ष 2009-10 के दौरान स्वच्छता योजना सहित विभिन्न प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पी.एम.जी.एस.वाई. तथा टी.एस.सी. के बड़े कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव तथा स्वीकृत किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों (2006-07, 2007-08 तथा 2008-09) तथा चालू वर्ष 2009-10 के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या तथा टी.एस.सी. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (छ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों की कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के संबंध में जांच की जाती है। अपेक्षित दस्तावेजों के प्रमाणन/प्रस्तुतीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकार/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को कमियों/टिप्पणियों की सूचना दी जाती है। पूर्ण प्रस्ताव परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखे जाते हैं तथा अंततः अनुमोदित किए जाते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक नरेगा के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (2-3-10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	102541.43	137105.40	321910.00	330227.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	1450.85	1265.38	2949.00	1888.97
3.	असम	26550.85	52175.01	95872.00	64487.06
4.	बिहार	54831.38	46707.83	138819.00	83910.90
5.	छत्तीसगढ़	71850.74	114415.71	166449.00	81488.74
6.	गुजरात	7433.94	5915.71	16419.00	0.00
7.	हरियाणा	3589.39	4840.97	13657.00	60654.83
8.	हिमाचल प्रदेश	4667.64	12754.06	40975.00	6563.68
9.	जम्मू और कश्मीर	4136.37	7071.37	10473.00	33177.61
10.	झारखंड	55854.59	65069.07	180580.00	9239.66

1	2	3	4	5	6
11.	कर्नाटक	24850.69	25298.49	39851.00	63600.22
12.	केरल	3739.51	6900.55	19887.00	189748.15
13.	मध्य प्रदेश	190944.20	260279.82	406112.00	30068.92
14.	महाराष्ट्र	21815.64	2923.75	18756.00	253381.66
15.	मणिपुर	1692.89	6184.13	36541.00	22489.95
16.	मेघालय	3224.68	5918.73	7803.00	32742.70
17.	मिजोरम	2023.90	3343.49	15194.00	12453.01
18.	नागालैंड	910.11	4399.59	26806.00	19003.83
19.	उड़ीसा	78380.49	53695.69	87844.00	44982.11
20.	पंजाब	3445.75	2972.32	6775.00	24581.26
21.	राजस्थान	78041.00	105600.20	652157.00	10220.20
22.	सिक्किम	691.50	629.75	4097.00	594264.49
23.	तमिलनाडु	18409.21	51609.09	140127.00	5376.64
24.	त्रिपुरा	2754.66	17016.45	46037.00	134990.96
25.	उत्तर प्रदेश	56914.69	166589.89	393390.00	56871.06
26.	उत्तराखण्ड	4470.60	11003.65	10116.00	472687.16
27.	पश्चिम बंगाल	38868.84	88262.88	92275.00	23216.81
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		135.00	703.00	134801.96
29.	दादरा और नगर हवेली		45.00	45.00	153.00
30.	दमन और दीव		90.00	22.00	39.20
31.	गोवा		114.00	618.00	0.00
32.	लक्षद्वीप		45.00	262.00	100.00
33.	पांडिचेरी		45.00	419.00	359.93
34.	चंडीगढ़		45.00	20.00	0.00
	कुल	864085.54	1260467.98	2993960.00	2797771.90

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक आई.ए.वाई. के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (5-3-10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	26089.14	36201.00	82082.90	84909.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1056.18	1874.15	3483.08	1655.82
3.	असम	22544.21	32429.53	68352.61	46310.08
4.	बिहार	77769.32	95693.97	239781.53	16196.00
5.	छत्तीसगढ़	4011.28	5571.39	15849.04	13611.68
6.	गोवा	135.45	188.12	289.24	335.09
7.	गुजरात	12721.15	17668.82	35837.53	31734.10
8.	हरियाणा	1762.99	2480.72	5031.21	5242.22
9.	हिमाचल प्रदेश	629.95	874.96	1805.54	1651.47
10.	जम्मू और कश्मीर	1885.71	2717.68	7128.93	3897.08
11.	झारखंड	6054.58	9485.46	29692.35	14606.17
12.	कर्नाटक	9993.64	13880.51	28209.02	35627.03
13.	केरल	5557.40	7718.85	15655.73	19118.37
14.	मध्य प्रदेश	7996.44	11201.37	23436.36	22942.62
15.	महाराष्ट्र	16097.35	21914.89	47024.34	41321.54
16.	मणिपुर	662.34	837.46	1640.08	1926.19
17.	मेघालय	750.95	590.62	2138.36	3178.47
18.	मिजोरम	294.27	451.92	1250.85	929.86
19.	नागालैंड	634.89	1240.58	3959.18	2785.95
20.	उड़ीसा	15042.66	20280.02	46082.17	29495.57
21.	पंजाब	1544.07	3067.91	6204.31	3633.73
22.	राजस्थान	6617.51	8888.57	18111.46	17671.65
23.	सिक्किम	194.92	230.71	578.85	644.99

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	10385.44	14424.69	29414.38	30388.93
25.	त्रिपुरा	3357.26	2745.03	6696.99	4704.41
26.	उत्तर प्रदेश	34445.43	46720.92	97568.50	97972.85
27.	उत्तराखण्ड	1714.48	2394.68	4856.72	3938.04
28.	पश्चिम बंगाल	20745.29	26044.64	57212.41	53113.67
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	312.73	92.55	98.04
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	38.07	53.29	80.20
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	21.26	29.54	59.88	62.21
33.	पांडिचेरी	37.50	37.50	0.00	239.74
	कुल	290753.06	388237.01	879579.39	735522.94

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

(रु. करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	155.09	316.57	470.60	705.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.22	102.03	104.49	256.52
3.	असम	431.05	555.00	967.32	930.00
4.	बिहार	524.48	701.15	1022.62	1513.16
5.	छत्तीसगढ	708.52	1050.89	964.12	438.03
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	117.20	144.56	229.67	117.80
8.	हरियाणा	200.43	216.21	272.02	230.49
9.	हिमाचल प्रदेश	139.90	320.58	268.90	53.95

1	2	3	4	5	6
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	72.20	190.66	313.20
11.	झारखंड	56.83	0.00	208.67	324.74
12.	कर्नाटक	45.73	271.49	634.63	675.87
13.	केरल	15.00	24.68	82.29	77.11
14.	मध्य प्रदेश	1150.00	1615.66	1877.10	1600.23
15.	महाराष्ट्र	103.42	563.96	1030.00	699.18
16.	मणिपुर	0.00	76.17	20.00	143.16
17.	मेघालय	0.00	0.00	35.70	0.00
18.	मिजोरम	27.00	19.39	65.00	38.58
19.	नागालैंड	0.00	12.51	85.71	60.02
20.	उड़ीसा	624.59	546.83	1251.38	1245.95
21.	पंजाब	80.63	360.21	243.42	273.42
22.	राजस्थान	1141.67	1646.64	1771.32	480.00
23.	सिक्किम	36.26	170.46	55.00	71.80
24.	तमिलनाडु	20.00	71.03	88.68	487.00
25.	त्रिपुरा	71.43	130.00	359.98	89.49
26.	उत्तर प्रदेश	325.19	1222.15	1660.78	2578.51
27.	उत्तराखण्ड	12.79	78.74	114.89	99.95
28.	पश्चिम बंगाल	123.69	544.69	623.44	375.00
	कुल	6165.12	10833.80	14698.39	13878.16

रिलीज में ई.ए.पी. घटक तथा नाबार्ड में आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत सृजित विंडो से ऋण शामिल है।

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2007-08 तक एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13545.64	2060.69

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	842.20	718.04
3.	असम	29847.28	11863.75
4.	बिहार	20462.40	0.00
5.	छत्तीसगढ़	6089.13	678.46
6.	गोवा	250.58	0.00
7.	गुजरात	10724.36	4251.76
8.	हरियाणा	7552.28	4868.23
9.	हिमाचल प्रदेश	1948.24	1019.28
10.	जम्मू और कश्मीर	3252.59	1368.83
11.	झारखंड	4173.94	0.00
12.	कर्नाटक	19871.61	7156.67
13.	केरल	9618.09	4024.19
14.	मध्य प्रदेश	20402.84	7472.95
15.	महाराष्ट्र	31832.03	12052.97
16.	मणिपुर	2179.95	1112.80
17.	मेघालय	1753.09	225.78
18.	मिजोरम	688.66	214.90
19.	नागालैंड	1356.43	551.08
20.	उड़ीसा	11931.45	2814.72
21.	पंजाब	4416.73	3143.95
22.	राजस्थान	15960.83	5663.52
23.	सिक्किम	703.59	109.13
24.	तमिलनाडु	23561.42	15643.08
25.	त्रिपुरा	4324.16	522.44
26.	उत्तराखण्ड	6123.38	2464.72
27.	उत्तर प्रदेश	68935.32	23436.30

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	14439.59	606.26
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	129.55	82.23
33.	पांडिचेरी	166.64	100.00
	कुल	337084.00	114226.73

एस.जी.आर.वाई.: संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (फरवरी, 10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5885.67	8962.95	10613.51	11412.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	125.36	307.66	373.78	253.50
3.	असम	7217.03	13565.96	17568.00	12705.49
4.	बिहार	11613.93	10434.17	23585.90	12177.95
5.	छत्तीसगढ़	3093.97	4735.78	5608.59	5855.57
6.	गोवा	50.00	65.83	81.98	75.00
7.	गुजरात	2208.34	3345.82	3996.20	3623.39
8.	हरियाणा	1304.92	1988.71	2351.04	2470.78
9.	हिमाचल प्रदेश	517.66	706.32	989.45	731.50
10.	जम्मू और कश्मीर	591.21	784.51	1084.41	679.05
11.	झारखंड	4736.81	7507.84	9374.22	6122.74

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	4185.34	6592.64	8003.12	7836.12
13.	केरल	1985.02	3041.20	3597.15	3810.08
14.	मध्य प्रदेश	6566.78	9964.64	12018.27	12073.95
15.	महाराष्ट्र	8740.87	13117.90	15730.36	16132.98
16.	मणिपुर	184.35	180.39	351.58	334.11
17.	मेघालय	308.92	449.68	249.50	507.51
18.	मिजोरम	125.14	247.17	270.99	274.74
19.	नागालैंड	234.97	423.41	635.55	427.74
20.	उड़ीसा	6724.76	10036.46	12132.09	11688.32
21.	पंजाब	633.02	922.89	1130.30	837.90
22.	राजस्थान	3222.55	5072.68	6087.47	5889.71
23.	सिक्किम	141.22	224.73	346.24	276.40
24.	तमिलनाडु	5204.41	7940.45	9387.24	10078.78
25.	त्रिपुरा	1137.37	1740.85	1897.58	1472.64
26.	उत्तर प्रदेश	19901.38	29995.93	36301.78	33582.89
27.	उत्तराखण्ड	1061.01	1618.59	1914.26	1929.80
28.	पश्चिम बंगाल	6201.87	9896.13	13066.81	11652.15
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0_00	6.25	0.00	10.43
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	12.50	0.00	0.00	12.50
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	12.50	0.00
33.	पांडिचेरी	100.00	150.00	200.00	145.72
	कुल	104016.37	154027.54	198959.87	175082.01

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी./एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (जनवरी, 10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	27221.88	30524.00	39505.49	43774.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	13663.78	11241.00	16246.35	17820.00
3.	असम	11372.37	18959.00	18756.80	29554.29
4.	बिहार	13006.65	16968.50	45238.00	18610.50
5.	छत्तीसगढ़	6549.00	9595.00	12525.50	5790.00
6.	गोवा	127.00	165.50	0.00	182.00
7.	गुजरात	14033.08	20589.00	36944.00	29054.00
8.	हरियाणा	6372.63	9341.00	11729.00	5293.00
9.	हिमाचल प्रदेश	15620.86	13042.00	14151.00	7526.00
10.	जम्मू और कश्मीर	23314.67	32992.00	39649.00	22387.00
11.	झारखंड	3631.00	8445.51	8033.00	8164.50
12.	कर्नाटक	24336.00	28316.24	47784.57	42113.00
13.	केरल	6216.00	8425.08	10697.00	15176.82
14.	मध्य प्रदेश	19733.40	25162.00	38047.00	34940.00
15.	महाराष्ट्र	36152.00	40440.00	64824.49	54759.58
16.	मणिपुर	1689.50	4559.00	4522.91	2980.00
17.	मेघालय	5104.59	5529.00	6338.00	6940.00
18.	मिजोरम	4271.39	3888.00	5419.26	2520.00
19.	नागालैंड	2998.00	3974.57	4253.00	4706.39
20.	उड़ीसा	9722.58	17194.55	29868.00	18338.74
21.	पंजाब	4098.00	5179.91	8656.00	7880.70
22.	राजस्थान	31466.30	60672.00	97182.66	44535.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	1630.77	2013.00	3245.00	980.00
24.	तमिलनाडु	12496.22	19090.00	28782.00	28135.45
25.	त्रिपुरा	4577.89	5443.00	4100.80	6140.00
26.	उत्तर प्रदेश	28389.40	40151.00	61577.55	77675.52
27.	उत्तरांचल	8329.36	8930.00	8586.83	6181.84
28.	पश्चिम बंगाल	1718.40	19137.00	38939.00	30572.29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़				
	कुल	353242.72	469966.86	705602.21	572730.62

वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक टी.एस.सी. के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

(रु. लाख)

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (फरवरी, 10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	9455.20	878.78	1391.81	11078.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	1530.16	155.24
3.	असम	337.74	4256.13	8310.66	726.18
4.	बिहार	830.23	9554.97	7150.57	9046.72
5.	छत्तीसगढ़	4677.48	5158.04	1144.14	5018.42

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	37.65	0.00	
7.	गुजरात	4976.36	8528.33	978.81	3036.91
8.	हरियाणा	2334.61	2755.14	1069.09	
9.	हिमाचल प्रदेश	27.01	1024.14	679.70	408.40
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	1791.20	1115.82	332.90
11.	झारखंड	2747.69	1909.95	3188.20	3941.66
12.	कर्नाटक	1924.30	1383.75	3176.18	5571.00
13.	केरल	363.18	2229.06	388.99	975.45
14.	मध्य प्रदेश	4386.49	6793.58	9767.83	7973.48
15.	महाराष्ट्र	8719.53	6785.73	3526.29	8394.05
16.	मणिपुर	90.81	748.44	99.83	1055.44
17.	मेघालय	550.06	0.00	578.30	400.27
18.	मिजोरम	647.91	182.70	694.27	135.14
19.	नागालैंड	89.61	170.05	99.78	1059.27
20.	उड़ीसा	5465.48	5858.40	7204.33	5031.55
21.	पंजाब	0.00	0.00	223.18	116.02
22.	राजस्थान	1148.29	2915.05	2516.85	4352.64
23.	सिक्किम	137.64	0.00	254.86	
24.	तमिलनाडु	4873.92	2243.15	473.31	6166.18
25.	त्रिपुरा	0.00	882.41	158.76	836.66
26.	उत्तर प्रदेश	17210.53	15085.11	38139.95	11504.86
27.	उत्तरखण्ड	157.40	664.36	861.89	773.98
28.	पश्चिम बंगाल	945.99	9056.89	3047.06	2666.76
	कुल	72097.46	90893.37	97770.62	90771.62

डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी., आई.डब्ल्यू.डी.पी. तथा आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत की गई केंद्रीय रिलीज

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रिलीज की गई निधियों का योजनावार/राज्यवार विवरण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	डी.पी.ए.पी.			डी.डी.पी.			आई.डब्ल्यू.डी.पी.			आई.डब्ल्यू. एम.पी.
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2009 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	41.31	56.24	55.87	18	28.3	35.02	35.63	37.13	44.43	30.68
2.	बिहार	3.03	0.2	0				9.51	2	7.32	0
3.	छत्तीसगढ	8.26	13.92	24.38				22.96	25.75	30.44	13.69
4.	गोवा								0	0	0
5.	गुजरात	35.97	16.34	39.33	35.04	65.59	75.13	27.13	23.57	31.87	50.23
6.	हरियाणा				12.34	28.74	10.26	5.48	4.45	4.28	0
7.	हिमाचल प्रदेश	3.69	8.35	8.59	9.25	2.17	6.45	17.55	27.86	23.48	16.51
8.	जम्मू और कश्मीर	2.6	0	6.4	4.49	7.39	2.76	6.62	5.97	4.53	0
9.	झारखंड	4.79	0	2.9				2.33	2.9	8.41	0
10.	कर्नाटक	31.76	44.46	57.76	29.69	35.07	49.47	32.06	22.92	46.2	34.16
11.	केरल							2.6	2.1	11.46	0
12.	मध्य प्रदेश	53.74	53.16	56.97				19.68	16.47	28.76	38.98
13.	महाराष्ट्र	57.53	54.21	64.03				31.12	56.97	60.44	67.77
14.	उड़ीसा	14.81	23.93	25.13				20.62	17.94	33.54	21.77
15.	पंजाब							3.51	2.5	3.6	2.29
16.	राजस्थान	25.83	13.96	18.1	160.25	98.18	216.87	42.76	48.45	45.26	69.92
17.	तमिलनाडु	30.63	32.01	35.49				26.92	27.07	34.6	16.17
18.	उत्तर प्रदेश	34.67	49.4	39.72				47.36	55.82	70.58	13.93
19.	उत्तराखण्ड	7.69	14.62	7.07				11.23	16.67	24.64	0
20.	पश्चिम बंगाल	2.7	2.68	6.47				6.27	2.62	7.14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					पूर्वोत्तर राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश							25.84	15.64	32.27	5.45
2.	असम							31.02	27.05	38.93	14.81
3.	मणिपुर							16.35	4.5	11.18	0
4.	मेघालय	डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के अंतर्गत कवर न की गई						12.03	5.47	9.42	2.43
5.	मिजोरम							8.58	31.29	26.5	5.06
6.	नागालैंड							10.98	29.64	27.53	8.56
7.	सिक्किम							2.75	3.86	2.6	1.17
8.	त्रिपुरा							5.38	0	1.58	2.45

डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. और आई.डब्ल्यू.डी.पी. को 1-4-2009 से आई.डब्ल्यू.एम.पी. में मिला दिया गया।

विवरण-II

टी.एस.सी. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (फरवरी, 10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0
3.	असम	2	4	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ	1	0	0	0
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	1	0	0
8.	गुजरात	0	0	0	0
9.	हरियाणा	1	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	0	0	2	0
13.	कर्नाटक	0	0	0	0
14.	केरल	0	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	0	3	0	0
16.	महाराष्ट्र	0	0	0	0
17.	मणिपुर	1	4	0	0
18.	मेघालय	3	1	0	0
19.	मिजोरम	0	0	0	0
20.	नागालैंड	4	0	0	0
21.	उड़ीसा	0	0	0	0
22.	पांडिचेरी	0	0	0	0
23.	पंजाब	0	0	3	0
24.	राजस्थान	0	0	0	0
25.	सिक्किम	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	0	0	0	0
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
29.	उत्तरांचल	0	0	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0
	कुल	13	15	5	0

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07 के दौरान सड़क कार्यों की सं.	2007-08 के दौरान सड़क कार्यों की सं.	2008-09 के दौरान सड़क कार्यों की सं.	2009-10 के दौरान सड़क कार्यों की सं. (जनवरी, 10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	340	366	1260	

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	116		104	64
3.	असम	629	139	2582	418
4.	बिहार	432	1530	5631	418
5.	छत्तीसगढ़		1251	1049	
6.	गोवा				
7.	गुजरात	449	390	466	221
8.	हरियाणा	47	108	67	69
9.	हिमाचल प्रदेश	639	165	19	194
10.	जम्मू और कश्मीर	251	25	440	
11.	झारखंड		353	669	279
12.	कर्नाटक	173	313	310	429
13.	केरल	77	322	200	
14.	मध्य प्रदेश	2971	2953	1935	642
15.	महाराष्ट्र	1559	441	128	792
16.	मणिपुर	59		131	
17.	मेघालय	26		36	
18.	मिजोरम		30	47	
19.	नागालैंड		29	11	
20.	उड़ीसा	843	1689	2076	
21.	पंजाब	119	63	337	71
22.	राजस्थान	3634	2321	105	229
23.	सिक्किम	67	39	2409	54
24.	तमिलनाडु	379	332	65	
25.	त्रिपुरा	266	817	1310	
26.	उत्तर प्रदेश	2881	94		38
27.	उत्तरखण्ड	102	444	609	133
28.	पश्चिम बंगाल	236			
	कुल	16295	14214	21996	4051

[अनुवाद]

ठेकेदारों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

1776. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में वर्ष-वार मजदूरों/कामगारों सहित कितने ठेका मजदूर/कामगार राष्ट्रमंडल खेल स्थलों पर मरे;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रमंडल परियोजनाओं में लगे निजी ठेकेदारों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लंघन किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) ऐसे मजदूरों/कामगारों के रहन-सहन को सुधारने और उनके हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्ष 2008 में 9 मौतें, वर्ष 2009 में 11 मौतें तथा वर्ष 2010 में एक मौत हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसी विशेष शिकायत प्राप्त होने अथवा अन्यथा भी निरीक्षण अधिकारी राष्ट्रमंडल खेल 2010 के कार्यस्थल पर लगे प्रतिष्ठानों का विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षण करते हैं। जहां तक राष्ट्रमंडल खेलों में लगे ठेका कामगारों के जीवन स्तर का संबंध है, कामगारों को ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत भी प्रधान नियोक्ता के साथ ही साथ ठेका प्रतिनिधियों को संबंधित कार्यदशाओं के सांविधिक उपबंधों के बारे में कामगारों को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण सड़कों के किनारे पेड़ों का लगाया जाना

1777. श्री राजू शेट्टी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की कोई स्कीम तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अरब जगत के साथ व्यापार

1778. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का लक्ष्य अरब जगत के साथ अपने व्यापार को दुगना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या समझौते किये गये हैं; और

(ग) ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने से देश को क्या लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि पारस्परिक लाभ हेतु सभी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। अब तक अरब जगत के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

पक्की सड़कों का निर्माण

1779. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण की स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य-वार उत्तर प्रदेश सहित उन गांवों की संख्या कितनी है जिन्हें पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है; और

(ग) इन गांवों को पक्की सड़कों से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों अथवा उससे अधिक संख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी संपर्कता मुहैया करवाए जाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) को शुरू किया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरखण्ड), मरूभूमि (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथा चिन्हित किए गए अनुसार) और आदिवासी (अनुसूची-V) क्षेत्रों के संबंध में व्यक्तियों अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटें इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण कोर नेटवर्क के विद्यमान थ्रू रूट का उन्नयन भी किया जाता है।

(ख) पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने वाली पात्र बसावटों, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों की निष्पादन क्षमता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर इस योजना के तहत सभी पात्र बसावटों को संपर्क मुहैया करवाया जाता है।

विवरण

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

संपर्क मुहैया कराए जाने वाली पात्र बसावटों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संपर्क विहीन पात्र बसावटें	31-1-2010 तक संपर्क मुहैया कराई गई बसावटें	अन्य योजनाओं के तहत कवर की गई तथा अव्यवहार्य बसावटें	अभी भी संपर्क मुहैया करवाने के लिए शेष
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1901	886	363	652
2.	अरुणाचल प्रदेश	819	215	9	695
3.	असम	12185	5309	1316	5560
4.	बिहार	10034	2954	0	7080
5.	छत्तीसगढ़	9855	4623	7	5225
6.	गोवा	20	2	0	18
7.	गुजरात	3661	1901	371	1389
8.	हरियाणा	2	1	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3861	1758	110	1993
10.	जम्मू और कश्मीर	2792	654	68	2070
11.	झारखंड	10006	1574	2236	6196
12.	कर्नाटक	274	269	5	0
13.	केरल	454	330	19	105
14.	मध्य प्रदेश	19615	8926	37	10652

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	1925	1062	364	499
16.	मणिपुर	654	118	0	536
17.	मेघालय	756	164	0	592
18.	मिजोरम	251	79	6	166
19.	नागालैंड	116	74	3	39
20.	उड़ीसा	18339	4608	208	13523
21.	पंजाब	536	406	9	121
22.	राजस्थान	11235	10368	385	482
23.	सिक्किम	318	126	0	192
24.	तमिलनाडु	2402	1948	199	255
25.	त्रिपुरा	1952	775	0	1177
26.	उत्तर प्रदेश	28842	10720	14869	3253
27.	उत्तराखण्ड	2531	383	92	2056
28.	पश्चिम बंगाल	22932	6147	11127	5658
	कुल	168268	66380	31804	70084

[अनुवाद]

रक्षा खरीद संबंधी नई नीति

1780. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा खरीद संबंधी नई नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई नीति की क्या आवश्यकता है;

(ग) तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या नई नीति में पूर्व नीति की खामियों का ध्यान रखा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) रक्षा अधिप्राप्ति नीति-2008 (डी.पी.पी.-2008) 01 सितंबर, 2008 से प्रभावी है। अधिक पारदर्शिता लाने और रक्षा अधिप्राप्ति में स्वदेशी उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा बदलते हुए समय के साथ तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था कि रक्षा अधिप्राप्ति नीति की वार्षिक रूप से पुनरीक्षा की जाएगी। रक्षा अधिप्राप्ति नीति-2008 की पुनरीक्षा की गई थी और कुछ संशोधन प्रख्यापित किए गए जो 1 नवंबर, 2009 से प्रभावी हैं।

[हिन्दी]

पेंशन योजनाएं

1781. डॉ. राजन सुशान्त:
श्री विष्णु पद राय:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वृद्ध/विधवा/नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन प्रदान करने की मौजूदा स्कीमों के ब्यौरे सहित निर्धारित मानदंड और उसके अंतर्गत तय की गई आयु क्या है;

(ख) राज्य-वार और संघ शासित राज्यों-वार इन स्कीमों के अंतर्गत कितनी राशि की पेंशन प्रदान की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितनी निधियां आवंटित की गई और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित राज्यों द्वारा कितना व्यय किया गया/कितनी निधियों का उपयोग किया गया और इन निधियों के उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) राज्य-वार और संघ शासित राज्यों-वार उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इन स्कीमों के अंतर्गत अनियमित पेंशन के समवितरण, लाभार्थियों की गलत पहचान आदि की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई; और;

(छ) इन स्कीमों के अंतर्गत पेंशन राशि बढ़ाने, अगर कोई हो और प्रभावी मानिटरिंग/क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) वृद्धों, विधवाओं तथा अपंगों को क्रमशः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.) के तहत पेंशन दी जाती है। ये पेंशन योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के घटक हैं। एन.एस.ए.पी. के अन्य दो घटक हैं:- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) तथा अन्नपूर्णा।

आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत 40 से 64 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को विधवा पेंशन दी जाती है। आई.जी.एन.डी.पी.एस. के तहत 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर तथा विविध विकलांगता वाले लोगों को विकलांगता पेंशन दी जाती है। ये तीनों योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवार के लोगों के लिए हैं।

(ख) तीनों पेंशन योजनाओं अर्थात आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस., आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. तथा आई.जी.एन.डी.पी.एस. के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति लाभार्थी प्रति माह 200 रु. की दर से केंद्रीय सहायता दी जाती है। राज्यों से राज्य निधियों से प्रति लाभार्थी प्रति माह और 200 रु. का अंशदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) एन.एस.ए.पी. को वर्ष 2002-03 से राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया है तथा एन.एस.ए.पी. के तहत सभी योजनाओं के लिए संयुक्त आबंटन के रूप में वित्त मंत्रालय अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में निधियां रिलीज करता है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के प्रत्येक महीने में एन.एस.ए.पी. के तहत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित की गई निधियों तथा उनके द्वारा किए गए व्यय/उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। कुछ राज्य सभी पात्र लाभार्थियों का निर्धारण धीमी गति से किए जाने के कारण अपने पास उपलब्ध कुल निधियों का उपयोग नहीं कर सके।

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के तहत राज्यों द्वारा बताए गए लाभार्थियों की संख्या राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दी गई है। आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. तथा आई.जी.एन.डी.पी.एस. फरवरी, 2009 में शुरू की गई है।

(ङ) और (च) एन.एस.ए.पी. के तहत लाभार्थियों का निर्धारण तथा पेंशन/लाभ का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय में प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है।

(छ) पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निगरानी बढ़ाने के लिए एन.एस.ए.पी. का कम्प्यूटरीकरण करने का काम शुरू कर दिया गया है। एन.एस.ए.पी. - एम.आई.एस. साफ्टवेयर विकसित कर लिए गए हैं तथा एन.एस.ए.पी. वेबसाइट http:nsap.nic.in शुरू कर दिया गया है। राज्यों को लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार करने तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। एन.एस.ए.पी. के कार्यान्वयन की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य सचिवों के साथ क्षेत्र अधिकारियों की तथा निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

*एन.एस.ए.पी. के तहत वित्तीय प्रगति**

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	11975.33	12389.99	20232.26	19613.33	28989.21	30014.13	36443.00	23591.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	36002.20	26864.66	25909.42	34875.91	49996.41	40968.89	59776.00	40939.20
3.	असम	7321.40	7321.40	11090.26	10424.73	13408.63	12867.02	15577.00	11150.74
4.	बिहार	66.95	98.04	136.36	79.60	156.75	65.23	196.00	67.47
5.	छत्तीसगढ़	4507.10	1936.55	2468.01	2503.63	2568.67	2767.38	7262.00	3911.81
6.	गोवा	3296.25	3304.03	2982.65	2982.65	4127.50	3892.15	3532.00	3937.70
7.	गुजरात	1389.08	1402.05	2290.41	1514.93	1989.31	2259.52	2179.00	1862.21
8.	हरियाणा	1381.41	1540.14	1863.99	899.20	2042.75	1489.13	3322.00	1998.59
9.	हिमाचल प्रदेश	10257.15	9983.15	14180.12	12288.59	20983.60	18880.96	23606.00	12700.83
10.	जम्मू और कश्मीर	9043.49	8428.94	21176.47	17738.22	22850.20	23089.26	31261.00	22992.56
11.	झारखंड	4056.39	5967.85	7497.36	7084.47	5779.21	5436.33	5943.00	2038.28
12.	कर्नाटक	17387.80	15947.22	24397.53	24397.63	43592.42	25303.90	29747.00	15346.39
13.	केरल	22213.91	17005.13	20199.06	18515.00	31332.25	39654.00	41540.00	26100.00
14.	मध्य प्रदेश	17021.72	14106.84	18479.38	20908.54	20802.81	18006.81	22043.00	13596.05
15.	महाराष्ट्र	1289.03	1289.00	1229.47	1229.47	4792.37	2787.13	3769.00	3228.58
16.	मणिपुर	8533.24	9379.29	15959.34	12001.69	14316.14	13197.15	15259.00	12177.00
17.	मेघालय	13159.76	9756.97	18479.19	18479.19	32070.19	19750.17	28618.00	20986.26
18.	मिजोरम	37824.45	19291.11	33106.56	58176.00	84300.35	88229.51	112302.00	66138.83
19.	नागालैंड	3217.41	1742.50	1841.90	1670.88	4720.53	3341.89	4745.00	2698.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा	15220.45	15424.57	17012.92	19289.28	27842.45	22819.08	37384.00	24960.95
21.	पंजाब	759.11	435.22	390.85	395.50	488.02	41.14	365.00	0.00
22.	राजस्थान	15866.36	8692.52	16872.45	15464.00	17941.11	17318.51	17265.00	0.00
23.	सिक्किम	1062.92	1147.92	2082.48	2082.48	2051.86	2054.86	2213.00	1126.00
24.	तमिलनाडु	1190.80	691.00	950.23	1264.62	1866.47	1095.10	830.00	1045.49
25.	त्रिपुरा	345.32	345.32	429.71	429.71	602.20	514.69	578.00	353.03
26.	उत्तर प्रदेश	1016.72	523.00	789.22	525.95	835.15	655.32	691.00	647.00
27.	उत्तरांचल	304.33	393.85	441.39	421.96	437.90	473.10	530.00	150.23
28.	पश्चिम बंगाल	2386.92	1958.94	2648.32	2531.05	3339.35	4012.34	3948.00	3014.08
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	78.42	15.44	12.63	16.49	25.00	11.85	29.00	18.48
30.	दादरा और नगर हवेली	16.00	46.00	30.91	20.00	181.00	181.00	212.66	163.82
31.	दमन और दीव	78.42	16.72	30.00	30.00	61.00	44.12	72.00	36.33
32.	दिल्ली	4.00	2.46	6.69	6.69	13.00	1.80	15.00	1.57
33.	लक्षद्वीप	567.00	40.06	3640.00	3640.00	5327.00	4507.00	2996.33	326.50
34.	पांडिचेरी	5.60	1.21	0.57	0.57	1.00	0.23	1.66	0.10
35.	चंडीगढ़	115.00	0.00	115.00	115.00	168.00	168.00	198.00	110.00
	कुल	248961.44	197489.11	288973.21	311616.96	450000.00	405898.70	514448.65	317416.73

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए गए व्यय

विवरण-II

*एन.एस.ए.पी. की योजनाओं के तहत वास्तविक प्रगति**

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07 एनओएपीएस	2007-08 आईजीएन ओएपीएस	2008-09 आईजीएन ओएपीएस	2009-10		
					आईजीएन ओएपीएस	आईजीएन डब्ल्यूपीएस	आईजीएन डीपीएस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	466000	919230	919230	919230	276314	58723

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	904916	1415179	2133678	2192357	63651	3162
3.	असम	201345	437218	490120	509842	61283	12324
4.	बिहार	3409	2687	2687	2687		
5.	छत्तीसगढ़	40117	62691	79661	211057		146
6.	गोवा	95800	130306	130306	130306		
7.	गुजरात	41342	53749	85637	85637		
8.	हरियाणा	66038	77649	123557	129000	4730	4048
9.	हिमाचल प्रदेश	366236	366236	643003	643000	182707	45398
10.	जम्मू और कश्मीर	533334	686666	821969	834405	325000	90000
11.	झारखंड	134409	141956	141956	176064		
12.	कर्नाटक	453620	532000	931434	1066051	171935	107199
13.	केरल	742561	828193	1001636	1024364	160400	125364
14.	मध्य प्रदेश	643400	643400	643400	643400	10315	5677
15.	महाराष्ट्र	45853	61371	166689	159292		
16.	मणिपुर	418566	445449	494179	528322		
17.	मेघालय	494996	580328	988761	904759	11875	8112
18.	मिजोरम	1576481	2558065	2941120	3300260	1121500	56300
19.	नागालैंड	65752	76385	148687	169102	9454	1903
20.	उड़ीसा	467846	451845	1039041	1191716		
21.	पंजाब	12923	12963	14500	14500		
22.	राजस्थान	628949	628949	628949	628949		
23.	सिक्किम	43619	72514	72514	72514	4676	1341
24.	तमिलनाडु	33446	32883	32952	37146		
25.	त्रिपुरा	10525	10525	23747	23747	1192	587
26.	उत्तर प्रदेश	28053	28053	28053	28053	200	631
27.	उत्तरांचल	14869	15169	18879	18879		
28.	पश्चिम बंगाल	83972	136592	136592	136592		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	696	493	702	861	4568	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दादरा और नगर हवेली	4350	5619	4049	4464	3049	96
31.	दमन और दीव	1132	1006	6856	911		
32.	दिल्ली	246		630	95	5	4
33.	लक्षद्वीप	84000	98615	121974	121974		2011
34.	पांडिचेरी	36	42	36	36		
35.	चंडीगढ़	एन.आर.		3356	20757	16945	
	कुल	8708837	11514026	15020640	15930329	2429799	523026

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई जानकारी के अनुसार। आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. तथा आई.जी.एन.डी.पी.एस. फरवरी, 09 में शुरू की गई।

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत श्रेणीकरण में उच्च स्थान वाले राज्य

1782. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किन राज्यों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अधिक कार्यदिवस की प्रतिशतता का स्तर प्राप्त किया है तथा जो अखिल भारतीय श्रेणी-वार में पहली से लेकर पांचवीं श्रेणी तक है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मनरेगा के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता और परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में किन राज्यों ने श्रेणीकरण में उच्च स्थान प्राप्त किया है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में वर्ष 2009-10 के दौरान सरकार से निधियों की पहली किस्त प्राप्त करने में देरी हो गई;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने की दिशा में शीघ्रता लाने तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास मनरेगा के अंतर्गत महिला कामगारों के लिए अलग परियोजनाएं हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है। इस अधिनियम में अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए मांगे जाने पर प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी का प्रावधान है। किसी परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार दिवसों की संख्या उनके द्वारा मांगे गए रोजगार दिवसों की संख्या पर निर्भर करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई लक्ष्य पूर्व-निर्धारित नहीं किए जाते हैं और इसीलिए श्रमदिवसों के प्रतिशत, कार्यों की गुणवत्ता, परियोजनाएं पूरी करने के आधार पर राज्यों का श्रेणीकरण नहीं किया जाता है। सरकार ने वर्ष 2008-09 से महात्मा गांधी नरेगा प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2007-08 के दौरान नरेगा कार्यान्वयन में उनके संपूर्ण निष्पादन के लिए विभिन्न राज्यों के 22 जिलों को पुरस्कृत किया गया और वर्ष 2008-09 के दौरान 25 जिलों को अपने निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है।

(ग) वर्ष 2009-10 के लिए नरेगा के अंतर्गत निधियों की पहली किस्त उन जिलों को रिलीज की गई जिन्होंने 1-4-2009 की स्थिति के अनुसार अपने अथशेष की जानकारी दी थी और उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए 2007-08 तक अपने लेखों का निबटान कर लिया था। दिनांक 29-4-09 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को 1112.59 करोड़ रु. रिलीज किए गए। जैसे ही जिलों ने निधियों की रिलीज के लिए आवश्यकताएं पूरी कीं, उन्हें अधिक निधियां रिलीज की गईं। वर्ष 2009-10 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निधि स्थापित

की और उसके बाद राज्य निधि में 2491.85 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अब तक 4726.87 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य निधि में निधियां रिलीज की गई हैं। दिनांक 28-4-2009 को आन्ध्र प्रदेश की राज्य निधि में 914.37 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे। परवर्ती किस्तों में अधिक निधियां रिलीज की गई हैं और राज्य को अपनी राज्य निधि में अब तक 3302.27 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

(घ) परियोजनाएं पूरी करने में तेजी लाने और महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) राज्यों को कहा गया है कि वे निष्पादित कार्यों के त्वरित माप के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ तकनीकी स्टाफ सहित समर्पित स्टाफ तैनात करें। ऐसा करने के लिए दिनांक 1-4-2009 से इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

(ii) कार्यों के समुचित नियोजन पर जोर डाला गया है।

(iii) तिमाही आधार पर आयोजित निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में और राज्य विशिष्ट समीक्षा बैठकों में भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाती है।

(iv) इस अधिनियम के निष्पादन की जांच करने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों में राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता और क्षेत्र अधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। वे अधिनियम के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की गुणवत्ता की भी निगरानी करते हैं।

(ङ) जी, नहीं। महिला कामगारों के लिए परियोजनाओं की अलग सूची के लिए महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवाओं का सुदृढ़ किया जाना

1783. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री रमेश राठौड़:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में दूरसंचार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में दूरसंचार सेवाओं की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. ने देश में दूरसंचार सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से इस वित्तीय वर्ष के दौरान ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी.एस.एम.) मोबाइल कनेक्शनों के 180 लाख कनेक्शन तथा ब्रॉडबैंड के 25 लाख कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, बी.एस.एन.एल. की वर्ष 2010-11 के दौरान 200 लाख जी.एस.एम. मोबाइल कनेक्शन तथा 75 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

एम.टी.एन.एल. में वर्ष 2009-10 के दौरान टेलीफोन एवं इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए संशोधित वार्षिक योजना लक्ष्य निम्नवत हैं:

क्र.सं.	मद	वास्तविक लक्ष्य		
		दिल्ली	मुम्बई	कुल
1	2	3	4	5
1.	डब्ल्यू.एल.एल. एवं सेल्यूलर कनेक्शनों सहित निवल नए कनेक्शन	500 हजार	500 हजार	1000 हजार

1	2	3	4	5
2.	डब्ल्यू.एल.एल. एवं जी.एस.एम. हेतु क्षमता सहित निवल स्विचन क्षमता	500 हजार	500 हजार	1000 हजार
3.	डी.एस.एल.ए.एम./एफ.टी.टी.एच. पोर्टों की संस्थापना	200 हजार	200 हजार	400 हजार

(ग) 31-01-2010 की स्थिति के अनुसार देश में बी.एस.एन.एल. की दूरसंचार सेवाओं की सर्किल-वार स्थिति की जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार एम.टी.एन.एल. के उपभोक्ताओं की संख्या निम्नवत है:

	दिल्ली	मुम्बई
स्थिर लाइन	1567096	2047452
जी.एस.एम.	2189841	2420486
सी.डी.एम.ए. (एम)	112006	71903
ब्रॉडबैंड	369342	414218
इंटरनेट	621010	871180

(घ) और (ड) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के क्षेत्र में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सर्किल-वार उपलब्धि के बारे में जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराने में आने वाली बाध्यताएं तथा समस्याएं निम्नवत हैं:

(i) विद्युत पावर आपूर्ति तथा उपमार्ग सड़कों जैसी अवसंरचना की अपर्याप्त उपलब्धता, जिसकी वजह से दूरसंचार का विकास बाधित हो रहा है।

(ii) ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग अधिकांशत: अलग-अलग क्षेत्रों की है तथा दूर-दराज के उन अलग-थलग क्षेत्रों की है जहां दूरसंचार नेटवर्क के लिए केबल बिछाना तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य है।

एम.टी.एन.एल. ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है।

विवरण-I

बी.एस.एन.एल. की वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए सर्किल-वार योजना

क्र. सं.	सर्किल का नाम	जी.एस.एम. मोबाइल कनेक्शन		ब्रॉडबैंड कनेक्शन	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार	33,000	37,000	1,000	
2.	आन्ध्र प्रदेश	1,455,000	1,617,000	245,000	
3.	असम	234,000	260,000	15,000	
4.	बिहार	1,056,000	1,173,000	60,000	
5.	छत्तीसगढ़	327,000	363,000	17,500	

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	1,134,000	1,260,000	177,500	
7.	हरियाणा	564,000	626,000	80,000	
8.	हिमाचल प्रदेश	153,000	170,000	22,500	
9.	जम्मू और कश्मीर	192,000	213,000	12,500	
10.	झारखंड	405,000	450,000	25,000	
11.	कर्नाटक	1,170,000	1,300,000	287,500	
12.	केरल	582,000	647,000	185,000	
13.	मध्य प्रदेश	690,000	767,000	82,500	सभी 26 सर्किलों के लिए 7,500,000 ब्रॉडबैंड कनेक्शन
14.	महाराष्ट्र	1,644,000	1,827,000	230,000	
15.	पूर्वोत्तर-1	84,000	93,000	10,000	
16.	पूर्वोत्तर-2	102,000	113,000	5,000	
17.	उड़ीसा	438,000	487,000	50,000	
18.	पंजाब	651,000	723,000	130,000	
19.	राजस्थान	1,422,000	1,580,000	120,000	
20.	तमिलनाडु	1,452,000	1,613,000	160,000	
21.	उत्तराखंड	285,000	317,000	26,500	
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,719,000	1,910,000	95,000	
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	630,000	700,000	77,500	
24.	पश्चिम बंगाल	816,000	907,000	60,000	
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	528,000	587,000	150,000	
26.	चैन्नई टेलीफोन्स	234,000	260,000	175,000	
	कुल	18,000,000	20,000,000	2,500,000	7,500,000

विवरण-II

31-01-2010 की स्थिति के अनुसार, बी.एस.एन.एल. के स्थिर, मोबाइल एवं ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की सर्किल वार स्थिति

क्र. सं.	सर्किल का नाम	स्थिर लाइन (वायर लाइन + डब्ल्यूएलएल कनेक्शन)	मोबाइल कनेक्शन	कुल कनेक्शन	ब्रॉडबैंड कनेक्शन
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार	26,685	105,270	131,955	3,702

1	2	3	4	5	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	2,351,628	4,078,007	6,429,635	471,036
3.	असम	434,742	1,009,899	1,444,641	48,345
4.	बिहार	1,223,092	3,092,531	4,315,623	50,432
5.	छत्तीसगढ़	354,895	885,595	1,240,490	49,931
6.	गुजरात	2,127,239	2,777,067	4,904,306	348,713
7.	हरियाणा	884,510	2,286,362	3,170,872	146,847
8.	हिमाचल प्रदेश	438,957	1,156,410	1,595,367	39,491
9.	जम्मू और कश्मीर	327,543	898,433	1,225,976	35,734
10.	झारखंड	516,861	1,073,097	1,589,958	52,126
11.	कर्नाटक	2,513,656	3,143,061	5,656,717	551,941
12.	केरल	3,956,235	3,438,993	7,395,228	395,561
13.	मध्य प्रदेश	1,705,955	2,094,151	3,800,106	153,695
14.	महाराष्ट्र	3,244,441	4,213,244	7,457,685	473,781
15.	पूर्वोत्तर-1	257,043	383,286	640,329	15,848
16.	पूर्वोत्तर-2	182,285	474,893	657,178	10,078
17.	उड़ीसा	809,135	2,083,541	2,892,676	85,713
18.	पंजाब	1,378,603	3,411,009	4,789,612	259,619
19.	राजस्थान	1,771,102	3,593,805	5,364,907	224,713
20.	तमिलनाडु	2,362,057	4,020,802	6,382,859	387,959
21.	उत्तराखंड	362,127	943,333	1,305,460	50,465
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,843,901	7,180,690	9,024,591	199,852
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,193,897	2,032,639	3,226,536	124,150
24.	पश्चिम बंगाल	1,035,287	2,055,457	3,090,744	74,319
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	1,366,582	1,755,860	3,122,442	253,520
26.	चैन्नई टेलीफोन्स	1,042,744	1,189,158	2,231,902	373,020
	कुल	33,711,202	59,376,593	93,087,795	4,880,591

विवरण-III

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (31-10-2010 तक) के दौरान बी.एस.एन.एल. के ग्रामीण कनेक्शनों की सर्किल-वार उपलब्धियां

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान	2008-09 के दौरान	2009-10 के दौरान (31-01-2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार	3,859	938	7,848	13,825
2.	आन्ध्र प्रदेश	228,876	78,823	498,891	446,004
3.	असम	109,350	106,649	-6,646	44,344
4.	बिहार	85,768	131,403	437,291	353,967
5.	छत्तीसगढ़	82,311	74,906	79,275	62,830
6.	गुजरात	44,548	213,163	68,383,	103,918
7.	हरियाणा	117,869	247,030	417,733	521,790
8.	हिमाचल प्रदेश	143,415	97,568	124,243	172,230
9.	जम्मू और कश्मीर	46,140	-24	4,789	15,470
10.	झारखंड	67,905	27,878	63,745	127,478
11.	कर्नाटक	139,001	11,255	78,218	41,422
12.	केरल	319,583	182,142	213,827	278,958
13.	मध्य प्रदेश	173,268	168,505	130,111	161,734
14.	महाराष्ट्र	576,980	296,568	92,186	74,113
15.	पूर्वोत्तर-1	40,593	47,716	25,789	15,267
16.	पूर्वोत्तर-2	23,856	20,513	17,334	74,253
17.	उड़ीसा	133,164	146,835	193,154	248,916
18.	पंजाब	353,378	237,911	381,292	232,768
19.	राजस्थान	304,475	97,471	200,320	270,402
20.	तमिलनाडु	209,261	-1,695	-9,112	25,175
21.	उत्तराखंड	97,509	56,329	67,695	93,123

1	2	3	4	5	6
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	544,551	452,875	246,853	272,199
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	66,933	137,493	88,174	129,660
24.	पश्चिम बंगाल	168,900	170,087	216,566	62,687
25.	कोलकाता टेलीफोन्स	29,333	-90,858	0	0
26.	चैन्नई टेलीफोन्स	6,242	-2,102	1,292	-1,897
	कुल	4,117,068	2,909,379	3,639,251	3,840,636

[अनुवाद]

राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र

1784. श्री बाल कुमार पटेल:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री जोसेफ टोप्पो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राप्त, स्वीकृत, लंबित प्रस्तावों तथा चालू विशेष आर्थिक क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार के साथ लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा किए गए निर्यातों तथा सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए अधिगृहीत भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा भूमि से कितने किसानों तथा कृषि कामगारों को विस्थापित किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एस.ई.जेड. अधिनियम 2005 के अधिनियमन से पूर्व स्थापित केन्द्र सरकार के सात एस.ई.जेडों तथा राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एस.ई.जेडों के अतिरिक्त 575 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें 348 एस.ई.जेडों. को अधिसूचित किया जा चुका है। कुल 105 एस.ई.जेडों ने निर्यात करना शुरू कर दिया है। एस.ई.जेड. नियमावली, 2006 के अनुसार सब प्रकार से पूर्ण और राज्य सरकार की सिफारिशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव, एस.ई.जेडों हेतु अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ तत्काल भेजे जाते हैं।

(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार एस.ई.जेडों में 1,28,390.44 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा 4,89,831 लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया गया। अप्रैल-दिसम्बर, 2009 के दौरान एस.ई.जेडों से लगभग 1,52,092.68 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया।

(घ) भूमि राज्य का विषय है। एस.ई.जेडों हेतु भूमि की खरीद संबंधित राज्य सरकारों की नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। वर्तमान नीति के अनुसार अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी एस.ई.जेड. का अनुमोदन नहीं करता है जहां राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2007 के बाद ऐसे एस.ई.जेडों के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण किया है अथवा करने का प्रस्ताव हो। 348 अधिसूचित एस.ई.जेडों में शामिल कुल भूमि 41,765 है. है। जहां तक किसी प्रभावित व्यक्ति के राहत/पुनर्वास पैकेज का संबंध है यह राज्य नीति के प्रावधानों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं।

कारगिल शहीदों के आश्रितों के लिए प्रावधान

1785. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को आवंटित पेट्रोल पंपों, गैस एजेन्सियों और धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रावधान सभी शहीदों के आश्रितों के लिये किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कारगिल शहीदों की पत्नियों तथा आश्रितों को पेट्रोल पम्प डीलरशिप तथा एल.पी.जी. एजेन्सी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 500 आउटलेट आबंटित किए थे, जिनमें से 452 का आबंटन वास्तविक रूप से पात्र इच्छुक उम्मीदवारों को किया गया था। इसके अलावा, कारगिल संक्रिया के प्रत्येक शहीद के निकटतम संबंधी को एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपए दिए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने कारगिल संक्रिया को विशिष्टत: अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के रूप में अधिसूचित किया था।

[हिन्दी]

दूषित पेयजल

1786. श्री गोरखनाथ प्रसाद जायसवाल:
श्री पी. लिंगम:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों में विभिन्न रसायन से दूषित जल की पहचान के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) समय-समय पर राज्य जल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए पेयजल स्रोतों की जांच करते हैं। इनके आधार पर, 01-04-2009 की स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 1.80 लाख ग्रामीण बसावटों के पेयजल स्रोतों में अत्यधिक संदूषण अर्थात् आर्सेनिक, फ्लोराइड, लवणता, लौह तथा नाइट्रेट होने की जानकारी दी गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, अनुमोदित तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्यों के पास हैं। ये राज्य जल गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने के लिए इन योजनाओं से निधियां प्राप्त कर सकते हैं। एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के "स्थायित्व" घटक से भी फ्लोराइड संदूषण को दूर करने के लिए वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से एक्वीफर के तनूकरण के लिए निधियों का उपयोग किया जा सकता है।

विवरण

01-04-2009 की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता-प्रभावित बसावटों की संख्या की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	संदूषण-वार बसावटों की संख्या					
		कुल	फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	खारापन	नाइट्रेट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,097	791	0	0	306	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	274	0	0	274	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	26,589	517	810	25,262	0	0
4.	बिहार	34,909	5,957	2,510	26,442	0	0
5.	छत्तीसगढ़	8,379	51	12	8,158	158	0
6.	गुजरात	948	450	0	1	274	223
7.	हरियाणा	179	173	0	0	6	0
8.	हिमाचल प्रदेश	88	0	8	8	72	0
9.	जम्मू और कश्मीर	6	0	0	0	6	0
10.	झारखण्ड	815	83	0	730	1	1
11.	कर्नाटक	8,559	4,152	21	3,127	1,203	56
12.	केरल	1,879	172	0	1,291	335	81
13.	मध्य प्रदेश	5,385	4,720	0	178	481	6
14.	महाराष्ट्र	3,989	1,415	0	922	442	1,210
15.	मणिपुर	5	0	0	5	0	0
16.	मेघालय	107	1	0	106	0	0
17.	नागालैंड	157	0	0	157	0	0
18.	उड़ीसा	23,676	700	2	20,255	2,667	52
19.	पुडुचेरी	4	0	0	4	0	0
20.	पंजाब	864	54	0	51	759	0
21.	राजस्थान	37,658	11,775	66	103	24,787	927
22.	तमिलनाडु	637	0	0	557	80	0
23.	त्रिपुरा	7,102	0	0	7,102	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	5,911	1,768	873	2,800	455	15
25.	उत्तराखंड	9	2	7	0	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	10,773	582	5,195	4,339	657	0
	कुल	1,79,999	33,363	9,504	1,01,872	32,689	2,571

[अनुवाद]

2जी और 3जी स्पेक्ट्रम का आवंटन

1787. श्री मनीष तिवारी:

श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि दूरसंचार विभाग का यह निर्णय कि 2जी स्पेक्ट्रम नये टेलीकाम आपरेटरों को जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख 1 अक्तूबर, 2007 से बदलकर 25 सितम्बर, 2007 करना तर्क के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी;

(ग) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्थगन लगा दिया है;

(घ) 3जी प्रौद्योगिकी हेतु स्पेक्ट्रम की प्रस्तावित नीलामी पर इस मुकदमे का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) ऐसे कितने 3जी स्पेक्ट्रम लाइसेन्स हैं जिनका प्रत्येक टेलीकाम सर्किल में आवंटन किया जाएगा;

(च) प्रत्येक टेलीकाम सर्किल में प्रत्येक लाइसेंस के लिये क्या आरक्षित मूल्य निर्धारित है तथा अखिल भारतीय लाइसेंस हेतु आरक्षित मूल्य क्या है;

(छ) अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा 3जी स्पेक्ट्रम लाइसेंसों हेतु स्पेक्ट्रम के न्यूनतम मूल्य या आरक्षित मूल्य तय करने का आधार क्या है; और

(ज) संभावित 3जी लाइसेंसों हेतु नेटवर्क की 'रोल आउट' दशायें क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) मैसर्स एस. टेल लि. ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की रिट याचिका (सिविल) सं. 363 दायर की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 10-01-2008 की प्रेस रिलीज, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि दूरसंचार विभाग ने एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंसों की मंजूरी के लिए दिनांक 25-9-2007 तक आवेदन करने वाले सभी पात्र आवेदकों को एल.ओ.आई. (आशय पत्र) जारी करने का निर्णय लिया है, को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। अपनी याचिका में मैसर्स एस. टेल लि. ने आरोप लगाया है कि दिनांक 24-09-2007 के प्रेस रिलीज (जो प्रेस में दिनांक 25-09-2007 को प्रकाशित हुआ) के माध्यम से घोषित यू.ए.एस. लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु 01-10-2007 की निर्धारित तिथि को दिनांक 25-9-2007 को पूर्वित कर दिया गया था। इसके विपरीत दो तारीखें अर्थात 01-10-2007 तथा 25-9-2007 अलग-अलग उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई थी और कट ऑफ डेट को पूर्वित नहीं किया गया था। जबकि यू.ए.एस. लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु अगले आदेश तक दिनांक 01-10-2007 को कट-ऑफ-डेट के रूप में निर्धारित कर दिया गया, दूसरी तारीख 25-9-2007 का निर्धारण उन यू.ए.एस. लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पत्रों को आरंभिक रूप से प्रक्रियाबद्ध करने के लिए किया गया था जिन्हें दूरसंचार विभाग में दिनांक 25-9-2007 तक प्राप्त किया गया था और शेष आवेदन पत्रों को भविष्य में विचार करने के लिए लम्बित रख दिया गया। दिनांक 01-10-2007 तक भारी संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए 25-09-2007 की तारीख एकमात्र विधि-सम्मत तारीख थी जो सभी आवेदन पत्रों को दो सदृश समूहों (अर्थात उन आवेदकों के आवेदन पत्रों जिन्होंने समाचार पत्र में प्रेस रिलीज के प्रकाशन की तारीख तक आवेदन किया था तथा उन आवेदकों जिन्होंने प्रेस रिलीज के प्रत्युत्तर में आवेदन किया था) में विभक्त करती है। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 01-07-2009 के निर्णय के तहत दिनांक 10-01-2008 के प्रेस रिलीज को रद्द कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के दिनांक 01-07-2009 के आदेश को सरकार द्वारा 2009 की एल.पी.ए. सं. 388 के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई। खंडपीठ ने दिनांक 24-11-2009 के अपने निर्णय में सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

दिनांक 03-12-2009 को सरकार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के दिनांक 24-11-2009 के प्रतिवादित निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में 2009 की विशेष अनुमति याचिका सं. 33406 दायर की। दिनांक 15-12-2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स एस. टेल लि. को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी शपथ पत्र दायर करने के लिए नोटिस जारी किया और इसके अलावा यह निर्देश दिया कि प्रतिवादी इस अवधि के दौरान किसी मानहानि का मामला दायर नहीं करेगा।

(घ) यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) '3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी' सम्बन्धी अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के निर्देशानुसार 17 सेवा क्षेत्रों में 3जी स्पेक्ट्रम के 3 ब्लॉकों की नीलामी करने का प्रस्ताव है

और शेष 5 सेवा क्षेत्रों अर्थात बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर में 4 ब्लॉकों की नीलामी किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) 2.1 गीगाहर्ट्ज बैंड में 5+5 मेगाहर्ट्ज के एक 3जी कैरियर की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य निम्नानुसार है:

(i) दिल्ली, मुम्बई, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सेवा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 320 करोड़ रु.।

(ii) कोलकाता, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 120 करोड़ रु. तथा

(iii) असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 30 करोड़ रु.।

उपर्युक्त आरक्षित मूल्य का अखिल भारतीय कुल योग 3500 करोड़ रु. है।

(छ) दूरसंचार विभाग द्वारा न्यूनतम आरक्षित मूल्य का प्रस्ताव भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद किया गया था और इसे मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा स्वीकार किया गया था।

(ज) 3जी स्पेक्ट्रम के लिए रॉल-आउट दायित्व निम्नानुसार है:

(i) **मेट्रो सेवा क्षत्र में:** लाइसेंसधारक जिसे स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है, से प्रभावी तारीख से पांच वर्षों के भीतर सेवा क्षेत्र के कम से कम 90% भाग में 3जी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हुए अपेक्षित स्ट्रीट लेवेल कवरेज की अपेक्षा की जाएगी।

(ii) **क, ख और ग श्रेणी के सेवा क्षेत्रों में:** लाइसेंसधारक जिसे स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है, प्रभावी तारीख से पांच वर्षों के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा क्षेत्र में जिला मुख्यालय का कम से कम 50% 3जी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हुए कवर किया जाएगा जिसमें से जिला मुख्यालय का कम से कम 15% भाग ग्रामीण अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) होना चाहिए।

कृषि आयात

1788. श्री संजय धोत्रे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मात्रा-वार तथा मूल्य-वार खाद्य वस्तुओं सहित कृषि आयातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेशी मूल्य पर इन आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारी मात्रा में इनके उड़ेले जाने के मामलों का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) आयातित खाद्यान्नों पर निर्भरता को कम करने के लिए बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खाद्य वस्तुओं सहित कृषि आयातों और निर्यातों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (स्रोत: वाणिज्य विभाग तथा डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता)।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा देश में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक घटनाक्रमों की नियमित आधार पर कड़ी निगरानी की जाती है और वित्तीय एवं समग्र आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय किए जाते हैं। आयातों से उत्पन्न किसी भी घरेलू चिंता का निवारण डब्ल्यू.टी.ओ. के टैरिफ एवं व्यापार से संबंधित सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन करार, रक्षोपाय करार तथा सब्सिडी एवं प्रति संतुलनकारी उपाय संबंधी करार के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(छ) कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। गेहूं और चावल की अधिकतम खरीद करने और इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विभिन्न कदम

उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत की गई पहलों के परिणामस्वरूप खाद्यान्न का कुल उत्पादन वर्ष 2007-08 में 230.78 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 233.88 मिलियन टन हो गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि आयात

(मात्राः टन/मूल्यः लाख रुपये)

मद	2006-07		2007-08		2008-09	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
खाद्यान्न	6125900	599555	1847733	283910	50414	21550
गिरी एवं बीज	586491	383832	591883	372245	614236	516538
दालें	2270967	389191	2835053	537494	2325649	586478
दूध एवं क्रीम	3090	2890	1979	2896	2775	3495
मसालें	118511	73890	144627	97364	117695	105809
चीनी	1052	348	733	587	386095	58311
वनस्पति तेल जमा हुआ (खाद्य)	4269375	953989	4903388	1030309	6714299	1581462
वनस्पति तेल एवं पशु वसा	1113	1119	1095	1248	809	1207
संबद्ध उत्पाद (चाय)	23293	12706	19726	13095	25055	19528
कुल	13399792	2417520	10346217	2339148	10237027	2894378

विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि निर्यात

(मात्राः टन/मूल्यः लाख रुपये)

मद	2006-07		2007-08		2008-09	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
खाद्यान्न	5524855	767051	9697733	1475718	6506630	1508980
दालें	250701	77334	164200	52641	136227	54022
मांस, कुक्कुट एवं डेयरी	-	412493	-	513924	-	691426
फल एवं सब्जियां	-	296050	-	292447	-	439904
प्रसंस्कृत खाद्य	-	248668	-	273797	-	388649
गिरियां एवं बीज	637567	429609	719546	499599	653722	569849
तम्बाकू	158254	168516	173345	193188	207908	345779

1	2	3	4	5	6	7
चीनी एवं शीरा	1970273	326083	5582078	566278	3004200	453144
मसाले	482795	315789	614861	431486	675408	633813
खली	6437432	550432	6908504	814055	6742935	1026924
ग्वारगम खली	189331	112579	211169	112574	258573	133898
पुष्पोत्पाद	-	65270	-	34030	-	36880
फलों एवं सब्जियों के बीज	8104	12159	10082	14196	8785	11991
स्पिरिट एवं पेय	-	27167	-	34629	-	55446
संबद्ध उत्पाद	2475426	1928467	2713538	2109820	1666606	1710596
कुल		5737667		7418382		8061301

सशस्त्र बल

1789. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक उपकरण की खरीद में शामिल धनराशि को दर्शाते हुए आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु लक्षित खरीद प्रस्तावों के विलंब की स्थिति क्या है;

(घ) खरीद में विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को गति देने के लिए वार्षिक रक्षा खरीद नीति में क्या बदलाव किए गए हैं; और

(च) यह खरीद कब तक पूरी हो जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) आधुनिकीकरण कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण खतरे की अवधारणा, प्रौद्योगिकीय बदलावों तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण का कार्य रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार रक्षा उपस्करों/प्लेटफार्मों की अधिप्राप्ति के माध्यम से किया जाता है। तथापि, अपर्याप्त और सीमित विक्रेता आधार, की गई पेशकशों के प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अनुरूप न होने, फील्ड परीक्षणों, संविदा वार्ताओं की जटिलताओं, सीमित स्वदेशी क्षमता तथा स्वदेशीकरण के लिए लगने वाले लंबे समय जैसे अनेक कारणोंसे रक्षा अधिप्राप्ति की कुछ परियोजनाओं में कभी-कभार विलंब हो जाता है। इसके अलावा, अत्याधुनिक रक्षा उपस्करों और प्लेटफार्मों को उपलब्ध न करके उनके बाजार को सीमित करना, सामग्री की अपेक्षित किस्म की सीमित उपलब्धता, बड़ी संख्या में प्रणालियों, समन्वायोजनों और उप-समन्वायोजनों के निर्माण तथा विनिर्माण से जुड़े एकीकरण की जटिलताओं के कारण भी विलंब होता है। तंत्रगत तथा संस्थागत विलंबों को रोकेने लिए, अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रक्रियाओं और प्रक्रम को लगातार परिष्कृत किया जाता है। सभी अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और उसमें दी गई समय-सीमाओं द्वारा निदेशित होती हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा का संशोधन

1790. श्री एस. सेम्मलई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की संस्थानिक सामाजिक लेखापरीक्षा संस्थापित की है;

(ख) क्या सरकार का विचार मनरेगा संस्थानिक सामाजिक लेखापरीक्षा स्थापित करने के लिए उन राज्यों के लिए इसे अनिवार्य बनाने हेतु मनरेगा के प्रारूप में आवश्यक संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसा ही तंत्र अन्य केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण कल्याणकारी कार्यक्रमों की स्थापना हेतु प्रस्तावित है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) आन्ध्र प्रदेश में मनरेगा की संस्थानिक सामाजिक लेखापरीक्षा संस्थापित की है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ने राज्य स्तर पर समर्पित सामाजिक लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षाएं कराने को अत्यधिक महत्व दिया है तथा राज्यों को इसके लिए आवश्यक प्रबंधन करने के अनुदेश जारी किए हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा कराने की क्रियाविधियों के लिए अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा-3 (दिनांक 31-12-2008 की अधिसूचना) में संशोधन किया है। मंत्रालय ने नरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के नए प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं।

(घ) जी, नहीं। इस समय अन्य केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

कॉल ड्रॉपों पर प्रभार

1791. **श्री अनंत कुमार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नेटवर्क में गड़बड़ी आने के कारण कॉल ड्रॉप हो जाने पर प्रभार नहीं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लिए प्रशुल्क के विनियमन का अधिकार प्रदान किया गया है। देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण का निर्णय अधिकांशतः सेवा प्रदाताओं के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह, सेवा प्रदाताओं को ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन विविध प्रशुल्कों का ऑफर देने की छूट है। कॉल ड्राप की घटना मुख्यतः अपर्याप्त कवरेज एवं व्यतिकरण इत्यादि के कारण होती है। कॉल ड्रॉप की घटना कॉल स्थापित हो जाने के बाद किसी भी समय घटित हो सकती है। कॉल के ड्रॉप हो जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं से कॉल की अवधि तक का प्रभार लिया जाता है तथा प्रभार की राशि उसके द्वारा अपनाए गए प्रशुल्क प्लान के पल्स दर तक पर्णांकित राशि होती है। कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रति सेकेंड पल्स वाले कतिपय प्रशुल्क प्लान हैं। प्रति सेकेंड प्लान के मामले में, प्रभार कॉल की सेकेंडों में वास्तविक अवधि के लिए ही लिए जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शुष्क शौचालयों का निर्माण

1792. **श्री संजय सिंह चौहान:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शुष्क शौचालयों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उन पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष राज्यों में इस प्रकार के शौचालयों का निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य की जांच करने और ऐसे नए शौचालय आरंभ करने के लिए किसी केंद्रीय दल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कॉन्सट्रक्शन ऑफ ड्राइ लैट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1993 के अंतर्गत शुष्क शौचालयों का निर्माण निषिद्ध है। इसलिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शुष्क शौचालयों के निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री मार्गों का उपयोग

1793. श्री यशवंत लागुरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अब तक अपने समुद्री मार्गों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) सरकार ने कोई राष्ट्रीय समुद्री मार्ग घोषित नहीं किया है।

[अनुवाद]

निशक्तता और समान अवसर का अधिकार अधिनियम

1794. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:
श्री रमेश राठौड़:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निशक्तता और समान अवसरों के अधिकार, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 में संशोधन का प्रस्ताव/विधेयक पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त संशोधनों को पारित और शीघ्रता से इसे अधिनियमित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का संशोधन सरकार के विचाराधीन है। विभिन्न दावा धारकों के साथ विस्तृत परामर्श करने के बाद, मसौदा संशोधन तैयार किए गए हैं। मसौदा संशोधनों को राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को परिचालित किया गया है तथा विभिन्न दावा धारकों के विचार/टिप्पणी जानने हेतु इनको मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। भली-भांति विचार-विमर्श करने के बाद, संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान का हमला

1795. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने हाल ही में पुंछ जिले के कृष्णा-घाटी क्षेत्र सहित भारतीय सीमा पर स्थित चौकियों पर गोलीबारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वच्छ शौचालयों हेतु विशेष कार्यक्रम

1796. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 2001 के अधिदेश के अनुसार उन परिवारों का राज्य-वार प्रतिशत क्या है जिनके पास स्वच्छ शौचालय, पिट शौचालय, अन्य प्रकार के शौचालय हैं और उन परिवारों का प्रतिशत क्या है जिनके पास कोई शौचालय नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक परिवार को स्वच्छ शौचालय की सुविधा प्रदान करने हेतु वर्तमान कार्यक्रमों के अतिरिक्त कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में पिट शौचालय, वाटर क्लोजेट टाइप शौचालय, अन्य प्रकार के शौचालय संबंधी सुविधाओं तथा बिना शौचालय वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में, भारत सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) का संचालन करती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य लक्ष्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना तथा स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। टी.एस.सी. मांग आधारित कार्यक्रम है। टी.एस.सी. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, वर्ष 2012 तक देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज संबंधी कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत			
	पिट शौचालय	वाटर क्लोजेट	अन्य शौचालय	कोई शौचालय नहीं
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीप	12.39%	18.38%	11.55%	57.67%
आन्ध्र प्रदेश	6.39%	8.62%	3.14%	81.85%
अरुणाचल प्रदेश	24.02%	6.04%	17.28%	52.66%
असम	46.91%	8.61%	4.04%	40.43%
बिहार	5.97%	4.16%	3.79%	86.09%
चंडीगढ	6.40%	47.59%	14.54%	31.47%
छत्तीसगढ	1.78%	1.83%	1.57%	94.82%
दादरा और नगर हवेली	0.23%	16.89%	0.20%	82.68%
दमन और दीव	9.37%	20.23%	2.43%	67.98%
दिल्ली	32.90%	19.03%	10.96%	37.11%
गोवा	18.92%	20.83%	8.46%	51.79%
गुजरात	8.09%	11.28%	2.29%	78.35%
हरियाणा	20.46%	2.11%	6.09%	71.34%
हिमाचल प्रदेश	14.96%	6.40%	6.36%	72.28%

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	16.43%	2.88%	22.49%	58.20%
झारखंड	2.12%	2.23%	2.22%	93.43%
कर्नाटक	9.48%	4.67%	3.25%	82.60%
केरल	12.78%	61.99%	6.56%	18.67%
लक्षद्वीप	0.37%	91.22%	1.55%	6.86%
मध्य प्रदेश	3.88%	2.62%	2.43%	91.06%
महाराष्ट्र	10.23%	5.33%	2.66%	81.79%
मणिपुर	66.82%	4.63%	6.05%	22.50%
मेघालय	29.84%	3.74%	6.52%	59.90%
मिजोरम	70.16%	4.12%	5.46%	20.26%
नागालैंड	47.26%	5.92%	11.46%	35.36%
उड़ीसा	3.09%	3.29%	1.33%	92.29%
पांडिचेरी	0.98%	19.84%	0.60%	78.58%
पंजाब	26.36%	6.39%	8.16%	59.09%
राजस्थान	8.10%	3.18%	3.33%	85.39%
सिक्किम	29.76%	24.34%	5.25%	40.65%
तमिलनाडु	4.56%	7.36%	2.44%	85.64%
त्रिपुरा	66.02%	4.56%	7.35%	22.07%
उत्तर प्रदेश	8.34%	1.95%	8.94%	80.77%
उत्तराखंड	16.10%	7.17%	8.33%	68.40%
पश्चिम बंगाल	15.35%	6.97%	4.61%	73.07%
अखिल भारत	10.30%	7.11%	4.51%	78.08%

राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन

1797. **प्रो. रामशंकर:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के अंतर्गत उसके आरंभ किए जाने से लेकर अब तक आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्य उक्त निधियों का पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं यदि हां, तो राज्य-वार और परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत निधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए किसी जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी भी राज्य को कोई भी निधियां आबंटित नहीं की हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. लाभार्थियों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना

1798. श्री मनोहर तिरकी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के लाभार्थियों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों हेतु अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) राज्य सरकारों ने इस संबंध में किसी सीमा तक सहमति व्यक्त की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. श्रेणी के असंगठित क्षेत्र श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्य कवर किए जाने के पात्र हैं। इस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र तथा झारखंड में चल रही है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव

1799. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री अर्जुन मुंडा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2007 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का क्षेत्रवार तथा वर्षवार कितना आगम हुआ तथा इस संबंध में कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप राजस्व अर्जन में कोई वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने खुदरा क्षेत्र में एफ.डी.आई. पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2009 तक क्षेत्रवार एफ.डी.आई. अंतर्वाह संबंधी विवरण संलग्न है। 26 फरवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार 36 प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) के समक्ष विचारार्थ लंबित हैं।

(ख) और (ग) राजस्व सृजन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सोपाधिकता (कंडीशनल्टीज) का हिस्सा नहीं है। एफ.डी.आई. द्वारा सृजित राजस्व संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जी, नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार को छोड़कर जहां सरकार के पूर्व अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है, खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं है और यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:-

(i) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल एकल ब्रांड के होने चाहिए;

(ii) उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसी ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए;

(iii) "एकल ब्रांड" उत्पाद के खुदरा व्यापार में केवल उन्हीं उत्पादों को शामिल किया जाएगा जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्षवार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2009 तक

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2007-08 अप्रैल-मार्च		2008-09 अप्रैल-मार्च		2009-10 अप्रैल-दिसम्बर		कुल	
		एफ.डी.आई. रुपये में	एफ.डी.आई. अमरीकी डालर में	एफ.डी.आई. रुपये में	एफ.डी.आई. अमरीकी डालर में	एफ.डी.आई. रुपये में	एफ.डी.आई. अमरीकी डालर में	एफ.डी.आई. रुपये में	एफ.डी.आई. अमरीकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धातुकर्मी उद्योग	46,859.75	1,176.89	41,567.11	960.85	16,127.62	336.33	104,554.48	2,474.07
2.	खनन	17,616.63	444.26	1,613.93	34.22	7,241.48	151.42	26,472.04	629.89
3.	विद्युत	38,774.62	968.00	43,818.41	984.80	60,881.11	1,257.92	143,474.14	3,210.71
4.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	1,718.91	43.15	4,044.07	85.27	3,223.62	67.01	8,986.60	195.43
5.	कोयला उत्पादन	554.40	14.08	10.70	0.22	0.00	0.00	565.10	14.30
6.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	57,290.54	1,426.78	19,312.19	412.27	10,848.84	218.83	87,451.57	2,057.88
7.	बॉयलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	60.85	1.51	0.00	0.00	184.78	3.96	245.64	5.46
8.	प्राइम मूवर्स विद्युत जनरेटर के अलावा	11.60	0.28	164.21	3.38	0.00	0.00	175.81	3.67
9.	विद्युत उपकरण	26,500.92	639.67	17,980.00	386.85	29,310.99	611.04	73,791.91	1,637.56
10.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	56,233.00	1,409.64	73,285.39	1,676.54	28,571.74	594.90	158,090.13	3,681.08
11.	इलैक्ट्रानिक्स	4,328.60	108.65	3,417.98	76.50	1,592.27	33.25	9,338.84	218.40
12.	दूरसंचार	51,026.09	1,261.46	117,268.74	2,558.39	114,420.48	2,358.62	282,715.31	6,178.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	सूचना और प्रसार (प्रिंट मीडिया सहित)	12,903.38	321.46	34,923.70	762.32	20,693.87	431.76	68,520.95	1,515.54
14.	आटोमोबाइल उद्योग	26,969.57	674.76	52,116.52	1,151.74	46,960.17	976.29	126,046.26	2,802.79
15.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	4,083.24	99.08	1,692.18	35.15	846.69	17.92	6,622.11	152.16
16.	समुद्री परिवहन	5,245.13	128.36	2,313.53	50.21	12,971.85	275.02	20,530.50	453.60
17.	पत्तन	36,665.70	918.18	20,198.67	493.15	3,046.11	65.41	59,910.48	1,476.75
18.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	491.76	12.36	774.09	18.01	1,176.80	25.07	2,442.66	55.44
19.	औद्योगिक मशीनरी	4,796.16	119.00	3,827.69	82.77	7,827.23	164.41	16,451.07	366.17
20.	मशीन औजार	2,256.69	56.87	2,064.52	45.66	5,887.33	122.70	10,208.54	225.23
21.	कृषि मशीनरी	265.44	6.72	224.31	5.57	40.33	0.86	530.08	13.15
22.	अर्थ मूविंग मशीनरी	2,611.36	66.09	108.00	2.27	6.90	0.15	2,726.26	68.51
23.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	8,582.84	210.76	6,349.08	142.24	6,680.69	138.18	21,612.61	491.17
24.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	390.75	9.83	534.85	12.58	3,393.62	72.06	4,319.23	94.47
25.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	522.44	13.17	3,520.30	75.42	6,716.70	141.87	10,759.44	230.47
26.	औद्योगिक उपकरण	88.14	2.23	836.49	17.48	368.49	7.61	1,293.12	27.32
27.	वैज्ञानिक उपकरण	0.13	0.00	35.60	0.83	0.00	0.00	35.73	0.83
28.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा आरेखण उपकरण	50.20	1.26	0.00	0.00	0.10	0.00	50.30	1.27
29.	उर्वरक	79.21	1.95	1,608.60	38.53	359.64	7.65	2,047.46	48.14

30.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	9,175.56	228.45	34,271.40	749.20	12,578.73	264.39	56,025.69	1,242.03
31.	फोटोग्राफी, कच्ची फिल्म और कागज	2,087.80	52.84	44.44	1.05	0.00	0.00	2,132.24	53.90
32.	डाई स्टाफ	222.58	5.51	56.19	1.17	195.26	4.02	473.84	10.70
33.	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	13,264.28	334.09	8,101.16	181.16	8,361.30	176.14	29,726.73	691.84
34.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	7,476.11	185.98	7,561.47	157.44	6,273.79	131.62	21,311.37	475.03
35.	कागज तथा लुंगदी (कागज उत्पाद सहित)	1,237.35	31.24	11,815.93	272.51	285.30	5.90	13,338.58	309.66
36.	चीनी	410.93	10.07	226.80	5.01	2.40	0.05	640.13	15.13
37.	किण्वन उद्योग	10,759.17	270.05	6,284.23	144.70	5,128.85	106.84	22,172.25	521.59
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2,745.65	69.08	4,553.04	102.64	9,370.03	196.70	16,668.72	368.42
39.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	61.16	1.53	1,961.22	42.88	2,285.66	46.10	4,308.04	90.51
40.	साबुन कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	394.72	10.01	1,059.45	22.03	1,158.57	24.27	2,612.73	56.32
41.	रबड़ की वस्तुएं	609.73	15.12	4,007.06	84.88	958.19	20.01	5,574.99	120.01
42.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	297.77	7.46	155.59	3.32	169.94	3.58	623.30	14.37
43.	ग्लू तथा जिलेटिन	90.04	2.28	0.00	0.00	12.64	0.27	102.68	2.55
44.	कांच	442.54	11.04	938.35	20.82	132.28	2.81	1,513.17	34.67
45.	सिरेमिक	4,626.16	115.11	8,508.67	198.53	271.87	5.78	13,406.70	319.42
46.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	687.12	16.89	31,435.20	724.80	1,105.05	23.25	33,227.38	764.94
47.	काष्ठ उत्पाद	15.40	0.39	557.53	11.27	277.15	5.90	850.08	17.56
48.	रक्षा उद्योग	0.00	0.00	4.50	0.10	0.00	0.00	4.50	0.10
49.	परामर्श सेवाएं	13,542.39	340.91	14,629.15	314.72	14,168.51	296.33	42,340.05	951.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	सेवा क्षेत्र	265,892.72	6,615.41	285,161.02	6,137.62	170,738.28	3,547.16	721,792.01	16,300.19
51.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	9,959.10	249.23	10,273.91	241.22	4,872.46	102.35	25,105.48	592.80
52.	शिक्षा	1,770.13	43.62	10,318.40	214.18	2,250.43	47.28	14,338.96	305.09
53.	होटल तथा पर्यटन	16,938.69	421.44	20,299.60	449.83	23,498.71	489.46	4,0737.00	1,360.73
54.	व्यापार	24,878.70	621.02	27,351.37	631.69	22,327.39	465.14	74,557.45	1,717.85
55.	खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड)	78.01	1.98	1,354.68	30.19	6.794.28	145.32	8,226.96	177.49
56.	कृषि सेवा	4,541.18	113.22	242.06	5.26	63,294.61	1,305.68	68,077.85	1,424.15
57.	हीरे, सोने के आभूषण	2,359.56	59.15	3,884.58	83.50	1,093.54	23.15	7,337.68	165.80
58.	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग कॉफी तथा रबड़)	749.47	18.94	1,750.04	37.08	39.45	0.79	2,538.95	56.81
59.	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	803.26	20.09	1,622.69	36.54	3,067.75	63.78	5,493.70	120.41
60.	कयर	0.60	0.01	0.00	0.00	11.92	0.25	12.52	0.27
61.	निर्माण कार्यकलाप	69,893.48	1,742.54	87,918.87	2,028.11	105,425.79	2,218.13	263,238.15	5,988.79
62.	आवास, स्थावर सम्पदा (सिनेप्लेक्स, मल्टी प्लेक्स एकीकृत कस्बों तथा वाणिज्यिक परिसरों आदि सहित)	87,493.37	2,179.13	126,212.41	2,801.17	114,722.09	2,383.12	328,427.87	7,363.42
63.	विविध उद्योग	25,938.30	645.12	64,076.93	1,482.56	32,561.20	680.93	122,576.43	2,808.61
	कुल योग	986,420.89	24,575.43	1,230,248.80	27,330.82	1,002,812.86	20,866.78	3,219,482.54	72,773.02

दूरसंचार विभाग संबंधी विधि मामले

1800. श्री संजय भोई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) मामलों के संबंध में सरकारी वकीलों के शुल्क में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग के मामलों) के संबंध में सरकारी वकीलों का शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, न्यायिक मामले की गंभीरता और महत्व के आधार पर सरकारी वकीलों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मामला-दर-मामला आधार पर विशेष दरों पर शुल्क दिया जाता है।

टेलीफोन डायरेक्टरी जारी किया जाना

1801. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों के दौरान दिल्ली में लैंड लाइन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) की कोई टेलीफोन डायरेक्टरी जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन डायरेक्टरी के अभाव में उपभोक्ताओं को संपर्क स्थापित करने में बहुत अधिक कठिनाई आ रही है;

(ग) यदि हां, तो नई अद्यतन टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) एम.टी.एन.एल. लैंड लाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु नई टेलीफोन डायरेक्टरी कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, हां। एम.टी.एन.एल., दिल्ली में लैंडलाइन के लिए दूरभाष निदेशका का अंतिम बार मुद्रण वर्ष 1999 में किया गया था और पूरक निदेशिका वर्ष 2000 में जारी की गई।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली में ग्राहकों की सुविधा के लिए एम.टी.एन.एल. द्वारा नियमित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

निदेशिका सम्बन्धी अद्यतन सूचना निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध है:-

(i) 197-मीटर न की गई निदेशिका पूछताछ सेवा

(ii) एम.टी.एन.एल. वेबसाइट पर इंटरनेट द्वारा।

(ग) और (घ) एम.टी.एन.एल. द्वारा मुद्रित निदेशिकाएं नहीं प्रकाशित किए जाने के कारण नीचे दिए गए हैं:-

(i) अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए आसानी से उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और 197 नम्बर पर आसानी से फोन किया जा सकता है जहां इंटरनेट से अभिगम्य एम.टी.एन.एल. की वेबसाइट पर निःशुल्क पूछताछ की जा सकती है। इसमें भारी खर्च भी आता है।

(ii) मोबाइल कनेक्शनों की संख्या अब लैंडलाइन कनेक्शनों से काफी अधिक हो गई है और लैंडलाइन कटवाने के कारण मुद्रित निदेशिका सूचना पुरानी पड़ जाती है जिससे ग्राहक को शिकायत होने लगती है।

(iii) विशाल आंकड़ों के कारण निदेशिकाएं काफी भारी भरकम हो जाती हैं और प्रत्येक सेट में विविध खंड होते हैं जिससे ग्राहकों को इन्हें ढोने और रखने में असुविधा होती है।

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सहायता

1802. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत हरियाणा सहित देश में राज्यवार कुल कितने लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित/जारी/प्रयुक्त की गई तथा देश में प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

(एस.जी.एस.वाई.) का उद्देश्य सहायता-प्राप्त निर्धन परिवारों (स्वरोजगारियों) की आय को निहित समय में स्थायी तौर पर उचित स्तर तक पहुंचाने के माध्यम से उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2006-07 से 2009-10 (जनवरी, 10 तक) के दौरान हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के संबंध में केंद्रीय आबंटन, केंद्रीय रिलीज, उपयोग (कुल उपलब्ध निधियों में से), वित्तीय सहायता तथा सहायता-प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2006-07 से 2009-10 (जनवरी, 10 तक) के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07				
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	उपयोग	स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	5885.70	5885.67	9010.51	54306.81	638843
2.	अरुणाचल प्रदेश	282.45	125.36	215.00	315.19	1878
3.	असम	7339.07	7217.03	9156.20	13967.69	67587
4.	बिहार	13998.30	11613.93	15523.33	28569.72	109350
5.	छत्तीसगढ	3109.61	3093.97	4677.29	10875.62	33669
6.	गोवा	50.00	50.00	61.50	145.32	711
7.	गुजरात	2216.70	2208.34	2846.60	6981.41	27237
8.	हरियाणा	1304.92	1304.92	1857.92	5179.96	14158
9.	हिमाचल प्रदेश	548.73	517.66	630.01	2053.57	5905
10.	जम्मू और कश्मीर	679.13	591.21	864.95	2829.89	8219
11.	झारखंड	5278.02	4736.81	6037.02	11039.24	69077
12.	कर्नाटक	4445.01	4185.34	5723.25	12420.67	46407
13.	केरल	1995.54	1985.02	2717.76	5915.71	22401
14.	मध्य प्रदेश	6664.05	6566.78	9316.78	21382.40	59781
15.	महाराष्ट्र	8784.83	8740.87	12608.68	22551.98	84707
16.	मणिपुर	492.01	184.35	218.57	583.23	3560

1	2	3	4	5	6	7
17.	मेघालय	551.23	308.92	366.38	338.69	3328
18.	मिजोरम	127.56	125.14	139.56	140.36	11856
19.	नागालैण्ड	378.12	234.97	272.37	227.93	3273
20.	उड़ीसा	6729.73	6724.76	8611.11	20226.75	68687
21.	पंजाब	635.23	633.02	1103.27	3471.84	10532
22.	राजस्थान	3375.71	3222.55	4825.90	16049.61	38445
23.	सिक्किम	141.22	141.22	211.35	295.78	1397
24.	तमिलनाडु	5204.41	5204.41	7342.13	12353.31	53509
25.	त्रिपुरा	888.34	1137.37	1205.83	2284.99	9551
26.	उत्तर प्रदेश	20152.62	19901.38	26142.53	62864.42	257577
27.	उत्तराखण्ड	1061.01	1061.01	1399.53	3048.83	10564
28.	पश्चिम बंगाल	7480.75	6201.87	9165.29	5415.26	28251
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमुह	25.00	0.00	6.10	6.10	108
30.	दमन और दीव	25.00	0.00	0.50	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00	12.50	3.09	6.33	23
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	5.07	13.35	42
33.	पुडुचेरी	100.00	100.00	154.19	363.56	1293
	कुल	110000.00	104016.37	142419.56	326226.52	1691926

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08				
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	उपयोग	स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.
1	2	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	8980.19	8962.95	12376.54	33100.47	263615
2.	अरुणाचल प्रदेश	498.44	307.66	198.90	540.42	1599

1	2	8	9	10	11	12
3.	असम	12951.32	13565.96	15080.79	21281.28	100261
4.	बिहार	21363.17	10434.17	15114.73	24765.77	100159
5.	छत्तीसगढ़	4744.20	4735.78	6529.53	14912.15	44914
6.	गोवा	75.00	65.83	65.99	160.07	735
7.	गुजरात	3380.31	3345.82	4351.63	9388.13	45189
8.	हरियाणा	1988.70	1988.71	2685.00	7441.68	19891
9.	हिमाचल प्रदेश	837.51	706.32	854.83	2669.78	7764
10.	जम्मू और कश्मीर	1036.54	784.51	933.71	3051.76	6818
11.	झारखंड	8054.92	7507.84	8138.72	14301.22	77168
12.	कर्नाटक	6781.32	6592.64	9879.54	22151.29	95409
13.	केरल	3042.76	3041.20	3932.09	9387.73	39683
14.	मध्य प्रदेश	10167.06	9964.64	13182.35	41879.74	73091
15.	महाराष्ट्र	13405.01	13117.90	18237.64	32884.65	119344
16.	मणिपुर	868.24	180.39	217.54	297.60	3144
17.	मेघालय	972.76	449.68	531.38	424.86	3419
18.	मिजोरम	225.10	247.17	256.97	210.00	5830
19.	नागालैण्ड	667.26	423.41	148.42	109.10	2259
20.	उड़ीसा	10271.49	10036.46	11694.96	25595.35	87171
21.	पंजाब	966.49	922.89	1316.40	4332.47	15402
22.	राजस्थान	5149.28	5072.68	6054.31	17487.60	50351
23.	सिक्किम	249.22	224.73	282.19	366.86	1718
24.	तमिलनाडु	7940.46	7940.45	10807.08	20337.24	152907
25.	त्रिपुरा	1567.66	1740.85	2340.01	2815.51	13672
26.	उत्तर प्रदेश	30755.63	29995.93	36606.60	83194.83	292105
27.	उत्तराखण्ड	1619.24	1618.59	2004.98	4503.03	13482
28.	पश्चिम बंगाल	11414.72	9896.13	12645.70	7046.60	60736

1	2	8	9	10	11	12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमुह	25.00	6.25	5.38	5.38	195
30.	दमन और दीव	25.00	0.00		0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00	0.00		0.00	0
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	25.33	57.27	177
33.	पुडुचेरी	150.00	150.00	98.25	241.30	1087
	कुल	170224.00	154027.54	196597.47	404941.14	1699295

विवरण

2006-07 से 2009-10 (जनवरी, 10 तक) के दौरान एस.जी.एस.वाई. के तहत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09				
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	उपयोग	स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	10616.38	10613.51	12387.32	37111.21	188837
2.	अरुणाचल प्रदेश	609.20	373.78	178.98	178.04	774
3.	असम	15829.39	17568.00	18765.16	39898.90	142728
4.	बिहार	25255.54	23585.90	20168.92	45141.71	127226
5.	छत्तीसगढ	5608.59	5608.59	6919.11	16343.93	46542
6.	गोवा	125.00	81.98	79.43	192.80	592
7.	गुजरात	3996.20	3996.20	5179.56	10923.64	41728
8.	हरियाणा	2351.04	2351.04	2997.98	7895.16	20639
9.	हिमाचल प्रदेश	990.11	989.45	1325.12	4505.31	11863
10.	जम्मू और कश्मीर	1225.40	1084.41	879.40	2860.88	6990

1	2	3	4	5	6	7
11.	झारखंड	9522.53	9374.22	9974.35	16833.30	83103
12.	कर्नाटक	8016.88	8003.12	10414.87	35338.36	99950
13.	केरल	3597.15	3597.15	4721.34	11570.07	43784
14.	मध्य प्रदेश	12019.50	12018.27	16858.66	41387.04	99200
15.	महाराष्ट्र	15848.40	15730.36	21571.10	39628.44	154647
16.	मणिपुर	1061.19	351.58	264.16	450.00	3640
17.	मेघालय	1188.92	249.50	245.65	290.88	2195
18.	मिजोरम	275.12	270.99	352.29	356.40	8748
19.	नागालैण्ड	815.54	635.55	298.29	242.37	3205
20.	उड़ीसा	12141.96	12132.09	14818.29	30531.65	126206
21.	पंजाब	1142.58	1130.30	1109.00	3745.69	13109
22.	राजस्थान	6087.48	6087.47	7549.05	17970.96	58495
23.	सिक्किम	304.60	346.24	316.77	403.21	1689
24.	तमिलनाडु	9387.22	9387.24	12055.51	18616.19	113097
25.	त्रिपुरा	1916.04	1897.58	2472.55	4997.07	23847
26.	उत्तर प्रदेश	36359.30	36301.78	40455.09	123197.04	319568
27.	उत्तराखण्ड	1914.26	1914.26	2305.16	6156.54	18044
28.	पश्चिम बंगाल	13494.48	13066.81	13735.25	10152.68	99905
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	0.00	8.18	15.98	243
30.	दमन और दीव	25.00	0.00		0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00	0.00	2.04	6.24	24
32.	लक्षद्वीप	25.00	12.50	0.00	0.00	0
33.	पुडुचेरी	200.00	200.00	131.41	292.64	1257
	कुल	202000.00	198959.87	228539.96	527234.28	1861875

(रु. लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10 (जनवरी, 10 तक)				
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	उपयोग	स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल सं.
1	2	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	10887.00	11412.57	8494.24	22329.10	115570
2.	अरुणाचल प्रदेश	568.00	253.50	92.14	135.25	490
3.	असम	14750.00	12705.49	13695.49	27326.96	96515
4.	बिहार	25899.00	12177.95	22395.87	33886.33	116069
5.	छत्तीसगढ	5752.00	5855.57	5302.38	14394.36	38292
6.	गोवा	150.00	75.00	58.49	214.37	493
7.	गुजरात	4098.00	3623.39	4655.73	10348.45	38055
8.	हरियाणा	2411.00	2470.78	1838.31	5274.29	11864
9.	हिमाचल प्रदेश	1015.00	731.50	995.10	3477.48	8611
10.	जम्मू और कश्मीर	1257.00	679.05	411.55	1209.84	3128
11.	झारखंड	9766.00	6122.74	9663.36	16682.62	87261
12.	कर्नाटक	8221.00	7937.36	7541.95	19222.47	65990
13.	केरल	3689.00	3810.08	3236.26	9739.40	34641
14.	मध्य प्रदेश	12325.00	12073.95	9953.40	27977.12	61283
15.	महाराष्ट्र	16251.00	16132.98	13573.30	28213.71	101387
16.	मणिपुर	989.00	334.11	191.61	230.85	6774
17.	मेघालय	1108.00	507.51	481.30	525.87	4598
18.	मिजोरम	256.00	274.74	211.38	187.78	8886
19.	नागालैण्ड	760.00	427.74	296.98	336.20	2543
20.	उड़ीसा	12453.00	11936.25	9482.99	19284.71	72950
21.	पंजाब	1172.00	837.90	940.63	3478.45	9644

1	2	8	9	10	11	12
22.	राजस्थान	6243.00	5889.71	6029.90	14848.44	35856
23.	सिक्किम	284.00	276.40	261.20	323.94	1195
24.	तमिलनाडु	9627.00	10078.78	9078.75	33200.37	79326
25.	त्रिपुरा	1785.00	1472.64	1347.63	2757.35	9430
26.	उत्तर प्रदेश	37286.00	35671.39	33825.58	109641.93	270115
27.	उत्तराखण्ड	1963.00	1929.80	1731.86	4709.72	13210
28.	पश्चिम बंगाल	13839.00	11652.15	14326.03	9778.80	31922
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	10.43	20.74	34.61	587
30.	दमन और दीव	25.00	0.00		0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00	12.50	0.00	0.00	
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	2.30	0.00	0
33.	पुडुचेरी	250.00	145.72	200.84	430.80	2183
	कुल	205154.00	177519.68	180337.28	420201.58	132886

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों का कार्यकरण

1803. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) उक्त गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण में क्या कमियां, यदि कोई हों, पाई गई हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के वर्गीकरण के लिए हाल ही में कोई नई ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछली ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में नई प्रणाली के लाभ क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-प्रमुख पत्तनों का अधिग्रहण

1804. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में अनेक पत्तनों में प्रमुख पत्तन बनने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को ऐसे पत्तनों का अधिग्रहण करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर, संबंधित पत्तन के भावी विकास और सामरिक महत्व के संबंध के लिए संभाव्य के आधार पर भारत सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 अथवा महापत्तन न्यास अधिनियम की संगत धाराओं के अंतर्गत पत्तनों को महापत्तन के रूप में घोषित करती है।

इस समय, केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात के कुछ पत्तनों को अपने अधिकार में लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गुजरात में अवस्थित इन गैर महापत्तनों को राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाना है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों हेतु विकास योजनाएं

1805. श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने और उसमें सुधार करने के लिए कोई व्यापक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत शामिल किए गए गांवों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में इससे लाभान्वित लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को सरल तथा सुधारने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। तथापि, मंत्रालय पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन तथा अवसंरचना तथा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अनेक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की योजनाएं अतिरिक्त आय सृजित करने के लिए मजदूरी तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा गरीबी का उपशमन करती हैं। बी.पी.एल. परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का प्रावधान भी ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को सुधारने में योगदान देता है।

[अनुवाद]

श्रम विवादों का समाधान

1806. श्री महेन्द्र कुमार राय:
शेख सैदुल हक:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रम न्यायालयों द्वारा श्रम विवादों का समाधान करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा 2क के अनुरूप पंचाट प्रस्तुत करने के लिए 3 माह की समय-सीमा उल्लिखित है। उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 2क के परन्तुक में पक्षकारों द्वारा निर्धारित तरीके से संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग अनुरोध करने पर किसी औद्योगिक विवाद के लिए श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उपर्युक्त समय-सीमा बढ़ाने हेतु भी व्यवस्था है।

स्पेक्ट्रम का उपयोग

1807. श्री रुद्र माधव राय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सीमित स्पैक्ट्रम संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्पैक्ट्रम लेखा परीक्षा करने और देश में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए स्पैक्ट्रम की जमाखोरी से आपरेटरों को हतोत्साहित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इष्टतम स्पैक्ट्रम उपयोग को प्राप्त करने तथा इस संबंध में जमाखोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों को आरंभिक/शुरुआती स्पेक्ट्रम का आवंटन स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन अलग-अलग मामले के आधार पर उनके सेवा लाइसेंस करारों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा और अधिक स्पेक्ट्रम के आवंटन पर भी पहले से आवंटित स्पेक्ट्रम का इष्टतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के पश्चात विचार किया जाता है जो उस समय उपलब्ध प्रौद्योगिकीय नवीनताओं तथा विशेषताओं के अनुरूप सभी प्रकार के परियात तथा समय-समय पर तैयार किए गए उपभोक्ता मानदंडों को ध्यान में रखकर किया जाता है। समय-समय पर संशोधित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटनार्थ उपभोक्ता से जुड़े मानदंडों के तहत स्पेक्ट्रम संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है और प्रचालकों को स्पेक्ट्रम की जमाखोरी करने के प्रति हतोत्साहित किया जाता है।

(ग) स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु संशोधित स्पेक्ट्रम आवंटन मानदंडों की सिफारिश करने के लिए दूरसंचार विभाग में एक समिति गठित की गई हैं और समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की सिफारिशों के दूरसंचार क्षेत्र तथा जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव होंगे। इसलिए सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर ट्राई की सिफारिशें मांगी है। सरकार इस मामले में ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने पर निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

दूरसंचार राजस्व में वृद्धि

1808. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के नेटवर्क की तुलना में निजी क्षेत्र में मोबाइल सेवा नेटवर्क में आशा से अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के राजस्व की तुलना में निजी क्षेत्र की मोबाइल कंपनियों के राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) समय के साथ मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तीव्र प्रतिस्पर्धा की वजह से प्रशुल्कों में अत्यधिक कमी आई है और इसकी प्रतिपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपभोक्ता आधार में वृद्धि के बावजूद भी नहीं हो पाई है।

(घ) प्रधानमंत्री ने बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के प्रचालनात्मक और वित्तीय पैरामीटरों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान, बी.एस.एन.एल. के लाभ में अपेक्षित सुधार करने हेतु वित्तीय और संस्थागत व्यवस्थाओं पर सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह/समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. ने भी अपने राजस्व में वृद्धि हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें मूल्य वर्धित सेवाएं, विभिन्न उपभोक्ताओं के अनुकूल विविध प्रशुल्क योजनाएं प्रदान करना और उपभोक्ता अनुकूल उपाय करना आदि शामिल है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): मैं, श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल इंस्ट्रक्शन, मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1765/15/10]

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1766/15/10]

(3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1767/15/10]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दि तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1768/15/10]

(2) महापत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 920(अ) जो 23 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1769/15/10]

(3) महापत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 921(अ) जो 23 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास वेतन और भत्ता, अवकाश और पेंशन सार (संशोधन) नियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1770/15/10]

(4) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कलकता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कलकता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1771/15/10]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1772/15/10]

(3) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1773/15/10]

(5) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1774/15/10]

(7) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1775/15/10]

(9) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1776/15/10]

(11) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1777/15/10]

(13) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी न्यूमैटिक टायर्स एण्ड ट्यूब्स फॉर ऑटोमोटिव वेहिकल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 जो 19 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.का.नि.

2953(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1778/15/10]

(14) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3164(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 51(अ) जो 12 जनवरी, 2010 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1105 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1779/15/10]

(15) (एक) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1780/15/10]

(17) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1781/15/10]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1782/15/10]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1783/15/10]

(2) संविधान के अनुच्छेद 338(6) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री डी. नैपोलियन]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1784/15/10]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिस्एबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिस्एबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1785/15/10]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैण्डिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैण्डिकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1786/15/10]

(8) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैण्डिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैण्डिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1787/15/10]

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मेन्टली हैण्डिकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मेन्टली हैण्डिकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1788/15/10]

(12) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1789/15/10]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 1790/15/10]

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:

अपराह्न 12.03½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय नर्स परिषद

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद् नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्स परिषद् नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी विधेयक

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-2 दिनांक 8-3-2010 में प्रकाशित।

[अध्यक्ष महोदया]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

(दो) भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, यह क्या बात है?...*(व्यवधान)* महिला रिजर्वेशन बिल का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, महिला रिजर्वेशन बिल का क्या हुआ?...*(व्यवधान)* ये सब लोग मिले हुए हैं।...*(व्यवधान)* यह जीरो ऑवर से भी बड़ा ऑवर है।...*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-2 दिनांक 8-3-2010 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.06 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): अध्यक्ष महोदया, देश में नकली घी, नकली दूध आदि का कारोबार फैलता जा रहा है।...*(व्यवधान)* नकली घी, नकली दूध खाने पीने के कारण बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।...*(व्यवधान)* नकली घी एवं नकली दूध के निर्माण करने वालों एवं कारोबारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* दिनांक 21-2-10 को इलैक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है।...*(व्यवधान)* जालौन में 270 टिन नकली घी जब्त किया गया है।...*(व्यवधान)* कानपुर में पांच क्विंटल खोया जब्त किया गया है।...*(व्यवधान)* जींद में 500 लिटर नकली दूध जब्त किया गया है।...*(व्यवधान)* इस तरह पूरे देश में नकली घी, नकली दूध और नकली कारोबार करने वाले कारोबारियों का जाल फैल गया है।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: केवल जयवंत गंगाराम आवले जी की ही बात रिकार्ड में जायेगी।

*(व्यवधान)**

श्री जयवंत गंगाराम आवले: इस तरह के कारोबार करने वाले पकड़े गये हैं।...*(व्यवधान)* काफी मात्रा में यह जब्त किया गया है, जो चिंता का विषय है।...*(व्यवधान)*

मेरी सरकार से मांग है कि देश में नकली घी, नकली दूध के निर्माण का कारोबार रोका जाये एवं इस धंधे में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की जाये।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को शून्य प्रहर में उठाने की अनुमति दी। ...*(व्यवधान)* यह सदन इस बात का गवाह है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद के मनगढ़ में कृपालु महाराज जी के आश्रम में हृदयविदारक घटना घटी,...*(व्यवधान)* आपने स्वयं उस पीठ से 65 लोगों की मृत्यु पर पूरे सदन में एक शोक प्रस्ताव रखा।...*(व्यवधान)* उस शोक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रस्ताव में पूरे सदन के सम्मानित सदस्य इस बात पर सहमत थे कि शायद इस देश में कदाचित लापरवाही और उदासीनता की इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती।...(*व्यवधान*) आज उत्तर प्रदेश की सरकार 65 मृतक लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की बात पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।...(*व्यवधान*) उत्तर प्रदेश के जिन परिवारों में लोगों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को राज्य सरकार ने अभी तक आर्थिक सहायता नहीं दी है।...(*व्यवधान*) जबकि भारत के प्रधान मंत्री ने उसी सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा कि मृतक के परिवारों को दो-दो लाख रुपये और 50-50 हजार रुपये घायलों की सेवा के लिए दिये हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: केवल श्री जगदम्बिका पाल की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी और बाकी कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*...

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: राज्य सरकार की संवेदनशीलता, शून्यता की पराकाष्ठा है कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मंनगढ़ की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है...(*व्यवधान*) उनकी जवाबदेही भी तय नहीं की है।...(*व्यवधान*) प्रशासन के लोग कहते हैं कि उस आश्रम के लोग जिम्मेदार हैं और आश्रम के लोग कहते हैं कि प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।...(*व्यवधान*) 65 लोगों की मृत्यु हुई। वहां ढाई घंटे तक न तो कलैक्टर गये, न पुलिस कप्तान गये और न ही कोई क्राइसेज मैनेजमैंट का काम हुआ।...(*व्यवधान*) एक साथ मां-बेटे की चिता जलायी गयी।...(*व्यवधान*) ऐसे तमाम गांव हैं जिनमें आज कोई बच्चा नहीं बचा।...(*व्यवधान*) उन गांवों की गलियों में बच्चों के कोलाहल आज दब चुके हैं।...(*व्यवधान*)

पूरे इलाके में लोगों के बीच इस घटना को लेकर जिस तरीके से शोक है, जिस तरीके से नदी के किनारे एक साथ बड़ी तादाद लोगों की लाशों को चिताओं पर जलाया गया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.10 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.10¼ बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी तक न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी, न तो आश्रम के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी है। आज एक तरफ उत्तर प्रदेश में पार्कों के लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, पार्कों में मूर्तियों के लिए, स्मारकों के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च हो रहा है, मैं उसकी निन्दा करता हूं... (*व्यवधान*) और राज्य सरकार की भर्त्सना करता हूं। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा के अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा दो बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.00¼ बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, 'नियम 377 के अधीन मामले' सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज 'नियम 377 के अधीन मामले' उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर स्वयं आकर पर्ची दे सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाएगा जिनके लिए निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर पर्ची प्राप्त हो जाएगी, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई परियोजना के लिए कोष में केंद्रीय सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में, जहां पर 80 प्रतिशत रेगिस्तान का क्षेत्र है आजादी के साठ साल के बाद भी इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण ग्रामीण महिलाओं को 5 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पानी लाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया जिससे इस क्षेत्र के 691 गांवों, बाड़मेर शहर एवं पाकिस्तान-भारत सीमा पर तैनात सेनाओं को इस योजना से पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 242 करोड़ रुपए की धनराशि इस कार्य में वहन करने की सहमति भी दी है परंतु इस धनराशि के अभी तक उपलब्ध नहीं होने से इस योजना पर अमल नहीं हो पाया है इस धनराशि को आवंटित करने के लिए केबिनेट की मंजूरी चाहिए। लोगों की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने चिट्ठी भेजकर उक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है परंतु अभी तक यह धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त परियोजना के लिए 242.56 करोड़ रुपए की धनराशि की केबिनेट मंजूरी लेकर तत्काल उपलब्ध करवाई जाये जिससे इस परियोजना पर कार्य हो सके।

(दो) आन्ध्र प्रदेश में मल्काजगिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, के छावनी क्षेत्र में नागरिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण (मल्काजगिरि): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात मल्काजगिरि, आन्ध्र प्रदेश, में रक्षा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के संबंध में इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कभी-कभी रक्षा अधिकारी स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए उनके घरों से बेदखल कर देते हैं। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि हाल ही में मुझे गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोगों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो 50 वर्षों से ज्यादा समय से स्लम बस्तियों में रह रहे हैं और उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें सैन्य अधिकारियों जैसे डी.ई.ओ., सब-एरिया कमांडर, सिकंदराबाद द्वारा उनके घरों से बेदखल न किया जाए। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां सैन्य अधिकारियों ने सुभाषनगर निरुमालगिरि और कुतुबुल्लापुर आदि जैसे जगहों में वहां के लोगों को अपनी परेशानियों को बताने का मौका दिए बिना उन आम रास्तों को भी बंद कर दिया है जिनसे होकर नागरिक आते-जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन तथ्यों के बारे में पता लगाएं और न केवल सिविलियन आबादी बल्कि सैन्य हित में भी इन समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए रक्षा मंत्रालय में संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करे जिससे वे स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों तथा नागरिकों की शिकायतों को दूर कर उनके साथ न्याय करें।

(तीन) केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित): हमारे पवित्र संविधान के उदार निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 366(2) के

*सभा पटल पर रखे माने गये।

अनुसार एंग्लो इंडियन को जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी तथा क्रमशः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण देने के लिए इसे अनुच्छेद 331 तथा 333 में सम्मिलित किया गया। यह सुविधा जारी है और इसके लिए एंग्लो इंडियन समुदाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य सभी दलों का आभारी है जिनका सहयोग और सहानुभूति इस समुदाय को मिली है। एक लम्बे समय के बाद यह समुदाय समुचित जीवन-दशा के अभाव में कष्ट में है क्योंकि इसमें से अधिकांश आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। एंग्लो इंडियन द्वारा स्थापित बहुत से शैक्षिक संस्थानों का धार्मिक संगठनों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और इन संस्थानों में इस समुदाय के साथ भेद-भाव किया जाता है। बहुत से एंग्लो इंडियन किराये के मकानों में रह रहे हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश रेलवे में काम करते थे और नियमित रूप से तबादलों के कारण वे अपना घर नहीं बना सके।

उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय सेवाओं में नौकरियों में आरक्षण देने और एंग्लो-इंडियनों को विशेष आरक्षण का प्रावधान करने तथा कमजोर वर्ग के लिए घोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें आवास आवंटन करने हेतु आवश्यक कदम उठाये। मैं सरकार से अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने तथा उसके द्वारा भारत से एंग्लो इण्डियन समुदाय की समस्याओं का अध्ययन करके छह माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध करता हूं।

(चार) सरदार सरोवर परियोजना में ऊपरि पुल के निर्माण हेतु गुजरात सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदय, गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है जिसमें फेज-1 पिलर्स निर्माण, ओवरहेड ब्रिज एवं दरवाजों के निर्माण की मंजूरी के लिए कहा गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को शीघ्र ही मंजूरी दी जाए।

(पांच) राजस्थान में रतनगढ़ और सरदार-शहर के बीच रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन कार्य एवं चुरू और नोहर वाया तारा नगर के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू (राजस्थान) के रतनगढ़-सरदार शहर रेल लाइन 50 कि.मी. छोड़कर संपूर्ण मीटरगेज रेल-लाइन का आमान परिवर्तन होने जा रहा है। रतनगढ़-सरदारशहर मीटर गेज रेल लाइन इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण रेल लाइन है, इस रेल लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तन करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है। लेकिन इस रेल बजट में इसकी चर्चा तक नहीं की गई है, इस मांग को लेकर कई बार धरने, प्रदर्शन हुए हैं, विभिन्न संगठनों, जन प्रतिनिधियों ने काफी बार ज्ञापन दिए हैं। मैंने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। सरदारशहर शैक्षणिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रेल बजट में इसको शामिल नहीं करने के कारण जनता में काफी आक्रोश है। तत्कालीन रेल मंत्री महोदय द्वारा अंतरिम रेल बजट 2009-2010 में चुरू-नोहर वाया तारानगर नई रेल लाइन के सर्वे की घोषणा की थी इसका भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण रेल लाइन है। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता एवं प्रवासी उक्त लाइन की वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। उक्त दोनों रेल लाइन इस क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरा माननीया रेल मंत्री महोदया से अनुरोध है कि इसी बजट में उक्त दोनों मार्गों को शामिल करते हुए इस क्षेत्र को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

(छह) गुजरात के हिम्मतनगर में ग्रामीणों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए बक्तापुर गांव के नजदीक साबरकांठा-अहमदाबाद रेलवे लाईन पर रेलवे गेट सं. 93 सी को पुनः खोलने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) में अहमदाबाद से खेड़ब्रह्मा वाया हिम्मतनगर रेलवे लाइन जो आजादी के पहले से ही चलती है, बहुत पुरानी है। हिम्मतनगर के पास एक बक्तापुर गांव है जहां से यह रेल लाइन पसार होती है वहां गांव के पीछे एक रेलवे का फाटक है जिसका नंबर 93-सी है। इस फाटक के रास्ते से गांववासी जो ज्यादातर किसान या खेत मजदूर हैं, वो अपने खेत में हल, बैलगाड़ी इत्यादि लेकर जाते हैं। इस वजह से गांववासियों के लिए यह बहुत उपयोगी फाटक है और यहां कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अब रेल विभाग ने अचानक इस फाटक वाले रास्ते के दोनों ओर से खड्डा खोद के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है जिसकी वजह से सारे बक्तापुर गांववासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस फाटक का

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

रास्ता तुरंत चालू कर दिया जाए और इसी रेल लाइन पर हिम्मतनगर के महेनापुर इलाके में जहां कोई आबादी नहीं है, कोई सोसायटी नहीं, वहां एक नया फाटक चालू किया है जिसका नंबर एल.सी. 85 है, जहां जरूरत है वहां फाटक बंद कर रहे हैं और जहां कोई जरूरत नहीं है वहां नया फाटक चालू किया गया है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

(सात) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खड़ी फसल को बचाने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा आवंटित पानी का यथोचित हिस्सा रणजीतसागर बांध से छोड़े जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, राजस्थान में खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा तयशुदा पानी नहीं दिया जा रहा है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल ने दिनांक 20 सितम्बर, 2009 को रणजीतसागर बांध (पंजाब) से राजस्थान के हिस्से का 4.16 लाख क्यूसेक पानी प्रतिदिन देना तय किया था। तयशुदा पानी किसानों को नहीं मिलने से मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में विशेषकर अनूपगढ़, खाजूवाला एवं घडसाना में किसानों की खड़ी एवं तैयार फसलें बर्बाद हो रही हैं। इन फसलों को सिर्फ एक बार पानी की आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि पंजाब सरकार एवं राजस्थान सरकार के मध्य समन्वय स्थापित कर राजस्थान के किसानों की तैयार एवं खड़ी फसल को बर्बाद होने से बचाया जाये। इस संबंध में मेरा भारत सरकार से यह भी अनुरोध है कि तयशुदा पानी नहीं मिलने से यदि किसान की फसल बर्बाद होती है तो प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़ आदि की भांति प्राकृतिक आपदा मानते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी.आर.एफ. मार्गदर्शिका के अनुसार प्राकृतिक आपदा कोष से किसानों को तुरन्त मुआवजा दिलवाया जाये।

(आठ) यातायात के सुचारू परिचालन के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जगदीशपुर रेल समपार पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): महोदय, वाराणसी-जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जौनपुर शहर में जगदीशपुर से सटी हुई रेलवे क्रॉसिंग है। उक्त रेल लाइन डबल रेल होने के कारण जब दोनों तरफ से गाड़ियां आती हैं तब रेलवे क्रॉसिंग बहुत समय तक बन्द रहता है। शहर से सटी होने के कारण प्रायः रेलवे क्रासिंग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाया करती है जिससे शहर में आवागमन बाधित होता है। उक्त क्रासिंग पर काफी समय से ओवर ब्रिज की मांग लोग करते आ रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान जगदीशपुर में ओवर ब्रिज बनाने हेतु दिलाना चाहता हूं।

(नौ) दिल्ली से खुर्जा के लिए एक महिला स्पेशल रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्ध नगर): मेरा निर्वाचन क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर एन.सी.आर. क्षेत्र (नोयडा, ग्रेटर नोयडा, जेवर, दनकौर खुर्जा) में पड़ता है और दिल्ली-कानपुर रेल लाइन पर एक महिला स्पेशल ट्रेन अत्यंत आवश्यक है जो दनकौर, अजायपुर, बेराकी, दादरी, मरीपात, वैयर, चोला और खुर्जा से होकर गुजरेगी। रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं को देखते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक महिला स्पेशल ट्रेन की मांग लम्बे समय से हो रही है।

मैं रेल मंत्रालय से दिल्ली से खुर्जा के बीच में एक महिला स्पेशल ट्रेन शुरू करने का अनुरोध करता हूं जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र तथा आस-पास की कामकाजी महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी।

(दस) केरल में पालक्काड़ और कोझीकोड के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): केरल का मालाबार क्षेत्र लम्बे समय से रेल विभाग में पिछड़ा हुआ और उपेक्षित है। इस समस्या के समाधान के लिए इस क्षेत्र में अधिक रेलगाड़ियां चलायी जानी चाहिए। पालक्काड़ और कोझीकोड-मालाबार में दो महत्वपूर्ण-स्थान-के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रैस गाड़ी की मांग लम्बे समय से लम्बित है। इस नई इंटिरसिटी एक्सप्रेस सेवा को रेलवे पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के शुरू किया जा सकता है। अमृता एक्सप्रेस के डिब्बे इस नई सेवा के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं। वर्तमान में अमृता एक्सप्रेस त्रिवेन्द्रम से आने के बाद दिन भर बेकार खड़ी रहती है। यदि अमृता एक्सप्रेस के रेक का उपयोग पालक्काड़ और कोझीकोड के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने में किया जाए तो इससे हजारों यात्रियों को लाभ होगा। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि पालक्काड़ और

कोझीकोड के बीच तत्काल एक इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा शुरू की जाए।

(ग्यारह) हल्दिया-पारादीप अंतर-जलमार्ग खोले जाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): पश्चिम बंगाल में हल्दिया से उड़ीसा में पारादीप पत्तन तक के अंतर्देशीय जलमार्ग को देश का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इस मार्ग के तालचेर-थमरा, ब्रह्माणी नदी के खंड, जिमोनखाली-चारबेलिया, महानदी डेल्टा के खंड (623 कि.मी.) के रूप में पहचान की गई है।

जियोनाखाली-हिजली तटवर्ती कैनाल और उड़ीसा तटवर्ती कैनाल इस मार्ग के भाग हैं। परंतु आज तक सही दिशा में कोई कार्य-आरंभ नहीं किया गया है, यहां तक कि प्रस्तावित जलमार्गों का मानचित्र भी प्रकाशित नहीं किया गया है जनता और स्थानीय प्रशासन इस संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में हैं।

हमारे राष्ट्र कवि गुरूदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर पारादीप में अपनी संपदा में आने जाने हेतु इसी मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे। यदि इस मार्ग को चालू किया जाता है तो हल्दिया पत्तन से उड़ीसा और वापसी तक तथा सामान की ढुलाई की लागत न्यूनतम हो जाएगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा। समाज आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा।

चालू वित्तीय वर्ष में इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय आबंटन करना एक अच्छा कदम होगा।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर अविलंब विचार करे।

अपराह्न 2.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

महिला सशक्तिकरण*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ वक्तव्य देंगी।

...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखिए।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): महोदय, आज हम 'समान अधिकार, समान अवसर: सभी की प्रगति' विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। महिलाओं को महत्वपूर्ण मानव संसाधन मानते हुए, संविधान में उन्हें न केवल बराबरी का दर्जा दिया बल्कि उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के अधिकार भी सरकार को दिए। संविधान से प्रेरणा पाकर, भारत सरकार महिलाओं का चहुंमुखी कल्याण, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में निर्धारित शासन के 6 आधारभूत सिद्धांतों में महिलाओं को राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने का सिद्धांत भी शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के अधीन 30-01-2006 से मंत्रालय का दर्जा दिया जाना इस दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, यह मंत्रालय महिलाओं के प्रति भेदभावों को समाप्त करने के लिए कानूनों की समीक्षा करके, महिलाओं के साथ न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए कानून बनाकर और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कर्यक्रम चलाकर महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण करने के प्रयास कर रहा है।

गरीबी मानव जाति के लिए अभिशाप है और गरीबों में भी महिलाओं को ही पुरुषों की अपेक्षा अधिक तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। हाल ही तक अर्थात् 30-03-2008 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्व-सहायता दलों के माध्यम से महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'स्वयंसिद्धा कार्यक्रम' चला रहा था। इस स्कीम के अंतर्गत, 650 ब्लॉकों में 10.02 लाख लाभार्थियों के 69,774 स्व-सहायता दल गठित किए गए। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के निष्कर्षों और इसके कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस स्कीम के विस्तार का मंत्रालय का प्रस्ताव है।

चूंकि अधिकांश कामकाजी महिलाएं औपचारिक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, इसलिए इन महिलाओं हेतु आय-अर्जुन, कल्याण, सहायता सेवाएं, प्रशिक्षण, कौशलों के

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1791/15/10

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

उन्नयन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने वाली स्कीम की जरूरत महसूस की गई। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देते हुए अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए 7वीं योजना अवधि के दौरान "प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप)" स्कीम शुरू की गई, जो सफलतापूर्वक चलाई जा रही है।

केवल महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए शीर्ष वित्त-पोषक संगठन के रूप में सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष नाम से महिलाओं हेतु राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना की। अब तक राष्ट्रीय महिला कोष के 66.867 स्व-सहायता दलों को 236.50 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए हैं, जिनसे 6,68,650 महिलाएं लाभान्वित हुई। राष्ट्रीय महिला कोष की लाभार्थियों पर कराए गए प्रभाव अध्ययनों से पता चला है कि कोष से प्राप्त ऋणों से लाभार्थी महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार आया है। इन अध्ययनों से यह जानकारी भी मिली है कि अब स्कूल भेजी जानी वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ी है और स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी कमी आई है। महिला लाभार्थियों में साक्षरता बढ़ी है। यह पाया गया है कि कोष की लाभार्थियों में अद्यम चलाने, कामकाज के लिए अकेले घर से बाहर जाने का आत्मविश्वास बढ़ा है और यह प्रवृत्ति भी देखने में आई है कि महिलाएं खेतों में मजदूरी छोड़कर पशुओं की देखरेख, उजरती कार्य जैसे काम करने लगी हैं और आय पर उनके नियंत्रण एवं पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी कमी आई है। इससे यह पता चलता है कि स्व-सहायता दलों के माध्यम से गरीब महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला कोष का लघु वित्त कार्यक्रम भारत का सर्वाधिक सफल कार्यक्रम है। ऋण प्राप्त करने वाले महिला स्व-सहायता दलों की संख्या में तेजी से होती बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखकर कोष की अधिकृत पूंजी में वृद्धि करके इसे सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त जागरुकता विकास कार्यक्रम भी चलाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में उनके अधिकारों, स्थिति और समस्याओं तथा अन्य सामाजिक सरोकारों के विषय में जागरुकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम से महिलाओं को संगठित होने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सरकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू करने के लिए वचनबद्ध है। इस मिशन के अंतर्गत सरकार के विभिन्न महिला केन्द्रित और महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम समेकित रूप से चलाए जाएंगे। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों का संकेंद्रण सुनिश्चित करके उक्त सभी मोर्चों पर महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास करेगा। महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सरकार उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव भी कर रही है। इस समिति के निष्कर्षों के आधार पर सरकार भारतीय महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए जरूरी उपायों का निर्धारण करेगी।

हमें विश्वास है कि इन प्रयासों से भारतीय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार होगा और भारतीय समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव अतीत की बात बनकर रह जाएगी।

अपराह्न 2.02 बजे

रेल बजट (2010-2011) - सामान्य चर्चा

*लेखानुदानों की मांगें (रेल) - 2010-2011

*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) - 2009-2010

*अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) - 2007-2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब मद संख्या 15 से 18 एक साथ ली जाएंगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में मांग सं. 1 से 16 के सावधि मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:-

मांग संख्या 3 से 9, 11, 13, 15 और 16।"

"कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं:-

मांग संख्या 12 और 15।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 2010-11 के लिए लेखानुदान की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांगों की राशि (रु.)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	28,33,33,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	100,00,00,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	700,61,43,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	1192,75,17,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	558,08,92,000
6.	सवारी और मालडिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	1254,20,27,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	677,17,42,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	934,08,42,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	3178,79,46,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	2629,68,69,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	552,59,15,000
12.	विविध संचालन व्यय	515,54,09,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	2402,91,60,000
14.	निधियों में विनियोग	4213,84,83,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,83,000

1	2	3
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	9,96,67,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	7689,49,65,000
	रेलवे निधियां	3506,53,00,000
	रेलवे संरक्षा निधि	283,06,67,000
	जोड़	30431,97,60,000

सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 2009-10 के लिए
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपुरक अनुदानों की मांगों की राशि (रु.)
1	2	3
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	195,84,87,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	531,80,14,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	81,65,78,000
6.	सवारी एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	267,03,28,000
7.	संयंत्र व उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	312,16,44,000
8.	परिचालन व्यय-चल-स्टाक और उपस्कर	684,69,19,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	638,24,89,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	195,64,33,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1133,52,32,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	59,61,00,000

1	2	3
16.	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	पूंजी	1167,70,00,000
	जोड़	5267,92,24,000

सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 2007-08 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की राशि (रु.)
12.	विविध संचालन व्यय	22,32,94,567
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण का भुगतान तथा अतिपूंजीकरण के परिशेधन के लिए भुगतान	20,80,86,212
	जोड़	43,13,80,779

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक। अब जो श्री हरिन पाठक ने कहा है केवल उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

***श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद पूर्व): महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*श्री हरिन पाठक का नाम अध्यक्षपीठ द्वारा पुकारा गया परंतु वे व्यवधान के कारण नहीं बोल सके।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत हुई।

(**श्री फ्रांसिस्को कोजी सारदीना** *पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.0¼ बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 4.00 बजे तक स्थगित होती है।

अपराह्न 3.01 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

रेल बजट (2010-2011), सामान्य चर्चा

***लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2010-2011**

***अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2009-2010**

***अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2007-2008 -** *जारी*

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री हरिन पाठक। जो श्री हरिन पाठक कहेंगे केवल उसे ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेल बजट पर अपने विचार रखना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 9 मार्च, 2010/18 फाल्गुन 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री हसन खान	141
2.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	142
3.	श्री पी.टी. थॉमस श्री ई.जी. सुगावनम	143
4.	श्री जोस के. मणि डॉ. जी. विवेकानन्द	144
5.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्री हंसराज गं. अहीर	145
6.	श्री जयवंत गंगाराम आवले श्री अर्जुन राम मेघवाल	146
7.	श्री सोमेन मित्रा श्री ओम प्रकाश यादव	147
8.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन श्री एम.के. राघवन	148
9.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री वरुण गांधी	149
10.	श्री दत्ता मेघे प्रो. रामशंकर	150
11.	श्री अर्जुन राय श्री महेन्द्र कुमार राय	151
12.	श्री एम.बी. राजेश	152
13.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	153
14.	श्री नारनभाई कछाड़िया श्री एंटो एंटोनी	154
15.	श्री सी. राजेन्द्रन	155
16.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी श्री चंद्रकांत खैरे	156
17.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री आनंदराव अडसुल	157
18.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	158
19.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी डॉ. मन्दा जगन्नाथ	159
20.	श्री गणेश सिंह श्री प्रहलाद जोशी	160

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1606, 1748
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1693, 1806
3.	अडसूल, श्री आनंदराव	1632, 1640, 1669, 1728
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	1636, 1637, 1750, 1758
5.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	1784
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1604, 1731
7.	आनंदन, श्री एम.	1615
8.	अनंत कुमार, श्री	1673, 1791
9.	अंगड़ी, श्री सुरेश	1633, 1750, 1766
10.	एंटोनी, श्री एंटो	1649
11.	अनुरागी, श्री घनश्याम	1660
12.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	1743
13.	बाबर, श्री गजानन ध.	1632, 1636, 1640, 1672, 1789
14.	बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	1696
15.	बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	1705
16.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	1678

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
17.	बलीराम, डॉ.	1772
18.	बलराम, श्री पी.	1580, 1621, 1623, 1630, 1718
19.	बासवराज, श्री जी.एस.	1751, 1763
20.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	1612, 1635, 1736
21.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	1784, 1804
22.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1606
23.	भगत, श्री सुदर्शन	1711
24.	भोई, श्री संजय	1619, 1800
25.	बिसवाल, श्री हेमानंद	1746
26.	चौधरी, श्री हरीश	1631, 1752, 1770
27.	चौहान, श्रीमती राजकुमारी	1659
28.	चौहान, श्री संजय सिंह	1675, 1792
29.	चौहान, श्री दारा सिंह	1709, 1770
30.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1614, 1733, 1743
31.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1656
32.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	1681, 1784, 1802
33.	चौधरी, श्री अधीर	1692
34.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1664, 1669, 1696, 1770, 1776
35.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	1636, 1757
36.	देवरा, श्री मिलिंद	1630
37.	धनपालन, श्री के.पी.	1690

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
38.	धोत्रे, श्री संजय	1668, 1788
39.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	1609, 1634, 1664, 1735
40.	दुबे, श्री निशिकांत	1633, 1755
41.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	1640, 1716, 1781
42.	गढ़वी, श्री मुकेश बैरवदानजी	1618
43.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1655, 1707, 1776
44.	गांधी, श्रीमती मेनका	1636, 1683, 1751, 1774
45.	गांधी, श्री वरुण	1633, 1634, 1662, 1727
46.	गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल	1762, 1763
47.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	1762
48.	गवली, श्रीमती भावना पाटील	1644
49.	घाटोवार, श्री पबन सिंह	1613
50.	गौडा, श्री शिवराम	1635
51.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1634
52.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	1624
53.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	1745
54.	हक, शेख सैदुल	1693, 1806
55.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	1649
56.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	1764, 1768
57.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	1650, 1772
58.	जाधव,श्री बलीराम	1716, 1781
59.	जायसवाल, डॉ. संजय	1676

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
60.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	1602, 1683, 1770, 1786
61.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	1743
62.	जावले, श्री हरिभाऊ	1710
63.	जयाप्रदा, श्रीमती	1664, 1782
64.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	1624, 1688
65.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	1689, 1756
66.	जिन्दल,श्री नवीन	1726, 1763
67.	जोशी, श्री महेश	1647, 1767
68.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	1620, 1649, 1656, 1743, 1769
69.	जोशी, श्री प्रहलाद	1681
70.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	1749
71.	करुणाकरन, श्री पी.	1646, 1766
72.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	1651, 1671
73.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1751
74.	खान, श्री हसन	1739
75.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	1707
76.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	1640, 1691
77.	कुमार, श्री मिथिलेश	1596
78.	कुमार, श्री विश्व मोहन	1775
79.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	1671
80.	कुमार, श्री वीरेन्द्र	1742
81.	कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश	1702, 1781
82.	लागुरी, श्री यशवंत	1598, 1638, 1683, 1783, 1793

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
83.	लाल, श्री पकौड़ी	1654, 1775
84.	लिंगम, श्री पी.	1669, 1770, 1786
85.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1656, 1687, 1799
86.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1652, 1665, 1750, 1783
87.	महन्त, डॉ. चरण दास	1606
88.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	1766, 1769
89.	महतो, श्री नरहरि	1591, 1661, 1664
90.	महताब, श्री भर्तृहरि	1670
91.	माझी, श्री प्रदीप	1627, 1630, 1735, 1759, 1795
92.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	1652, 1746
93.	मंडल, श्री मंगनी लाल	1694, 1808
94.	मणि, श्री जोस के.	1741
95.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	1595, 1770
96.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	1763
97.	मित्रा, श्री सोमेन	1744
98.	मुंडा, श्री अर्जुन	1607, 1732, 1799
99.	मुत्तेमवार, श्री विलास	1608, 1655, 1751, 1781, 1801
100.	नागपाल, श्री देवेन्द्र	1596
101.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	1643, 1752, 1764

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
102.	नरह, श्रीमती रानी	1662
103.	नटराजन, कुमारी मीनाक्षी	1714
104.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	1712
105.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1630, 1746
106.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	1590, 1724, 1762, 1766
107.	पांडा, श्री वैजयंत	1621, 1628, 1761
108.	पांडा, श्री प्रबोध	1661, 1699, 1784
109.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	1752, 1762
110.	पाण्डेय, श्री गोरखनाथ	1674
111.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	1746
112.	पांगी, श्री जयराम	1610, 1690
113.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	1661, 1770, 1780
114.	पटेल, श्री देवजी एम.	1636, 1680
115.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	1743
116.	पटेल, श्री बाल कुमार	1666, 1784
117.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1651
118.	पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई	1671, 1716, 1805
119.	पाठक, श्री हरिन	1653, 1774
120.	पाटील, श्री संजय दिना	1704, 1754
121.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	1642
122.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1803
123.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	1580, 1584, 1621, 1703, 1778
124.	प्रधान, श्री अमरनाथ	1583
125.	प्रधान, श्री नित्यानंद	1621, 1628, 1761
126.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	1658, 1743, 1779
127.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	1601
128.	राजभर, श्री रमाशंकर	1770
129.	राजेश, श्री एम.बी.	1747
130.	राम, श्री पूर्णमासी	1636, 1697
131.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	1587, 1720, 1743
132.	रामशंकर, प्रो.	1797
133.	रामकिशुन, श्री	1626, 1754
134.	राणे, श्री निलेश नारायण	1684, 1784
135.	राव, श्री नामा नागेश्वर	1633, 1645, 1755, 1765
136.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1750
137.	राठौड़, श्री रमेश	1586, 1750, 1756, 1783, 1794
138.	रावत, श्री अशोक कुमार	1661, 1681, 1796
139.	राय, श्री विष्णु पद	1706, 1781
140.	राय, श्री रूद्रमाधव	1636, 1807
141.	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	1708
142.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1751, 1781
143.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1616, 1640, 1738

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
144.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	1585, 1719, 1784
145.	रेड्डी, श्री के.जी.एस.पी.	1766, 1770
146.	रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल	1582
147.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	1664, 1682
148.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	1806
149.	सेम्मलई, श्री एस.	1622, 1759, 1790
150.	सरोज, श्रीमती सुशीला	1713
151.	सरोज, श्री तूफानी	1640, 1686, 1752
152.	सत्यानारायण, श्री सर्वे	1594, 1626, 1651, 1729, 1766
153.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	1740
154.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	1698
155.	शांता, श्रीमती जे.	1588, 1671, 1721
156.	शारिक, श्री शरीफुद्दीन	1701
157.	शर्मा, श्री जगदीश	1656, 1766
158.	शर्मा, श्री मदन लाल	1668
159.	शेखर, श्री नीरज	1640, 1768
160.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	1579, 1717, 1743, 1750, 1789
161.	शेट्टी, श्री राजू	1656, 1763, 1777
162.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	1625, 1640, 1768
163.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	1592, 1725, 1776, 1785
164.	सिंह, डॉ. भोला	1648
165.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	1605, 1623, 1660, 1734
166.	सिंह, श्री दुष्यंत	1629
167.	सिंह, श्री गणेश	1681, 1730
168.	सिंह, श्री इज्यराज	1631, 1638, 1770
169.	सिंह, श्री जगदानंद	1695
170.	सिंह, श्रीमती मीना	1639, 1760
171.	सिंह, श्री राधा मोहन	1657, 1771
172.	सिंह, श्री राकेश	1611
173.	सिंह, श्री सुशील कुमार	1787
174.	सिंह, चौधरी लाल	1630
175.	सिंह, श्री रेवती रमन	1715
176.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	1620, 1743
177.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	1599, 1603
178.	सिंह, डॉ. संजय	1599, 1659, 1752, 1753
179.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	1617, 1737
180.	शिवासामी, श्री सी.	1632, 1764
181.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	1630
182.	सुधाकरण, श्री के.	1679
183.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1766, 1771, 1722
184.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	1752

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
185.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	1581, 1725
186.	सुशान्त, डॉ. राजन	1743, 1781, 1663
187.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	1589, 1723
188.	टन्डन, श्री लालजी	1641
189.	तिवारी, श्री मनीष	1667, 1787
190.	ठाकोर, श्री जगदीश	1703, 1645
191.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1597, 1659, 1671, 1758
192.	थामराईसेलवन, श्री आर.	1640, 1752
193.	थॉमस, श्री पी.टी.	1640
194.	तिरकी, श्री मनोहर	1685, 1786, 1798
195.	टोप्पो, श्री जोसेफ	1593, 1784
196.	वर्धन, श्री हर्ष	1623, 1770

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
197.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1600, 1688, 1786, 1793, 1795
198.	वर्मा, श्री सज्जन	1651, 1789
199.	विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.	1656, 1677, 1794
200.	विश्वनाथन, श्री पी.	1625, 1640, 1768
201.	विवेकानन्द, डॉ. जी.	1756
202.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	1700, 1764
203.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	1642, 1762
204.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	1603, 1688, 1725
205.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	1649, 1771
206.	यादव, श्री शरद	1632, 1652, 1773
207.	यास्खी, श्री मधु गौड	1655, 1707, 1776

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	143, 144, 147, 153, 155
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	142, 149, 157, 158, 159, 160
रक्षा	:	148, 152, 156
श्रम और रोजगार	:	145, 151
पंचायती राज	:	154
ग्रामीण विकास	:	141, 146
पोत परिवहन	:	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	150

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1579, 1586, 1588, 1592, 1594, 1600, 1603, 1604, 1612, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1628, 1634, 1651, 1662, 1670, 1677, 1679, 1684, 1703, 1712, 1717, 1718, 1723, 1724, 1726, 1728, 1729, 1733, 1737, 1741, 1753, 1754, 1764, 1766, 1778, 1784, 1788, 1799
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1596, 1597, 1606, 1609, 1611, 1616, 1617, 1630, 1631, 1635, 1640, 1644, 1647, 1649, 1659, 1669, 1687, 1689, 1690, 1707, 1710, 1716, 1739, 1740, 1744, 1749, 1750, 1752, 1755, 1757, 1771, 1772, 1773, 1783, 1787, 1791, 1800, 1801, 1807, 1808
रक्षा	:	1585, 1587, 1608, 1627, 1632, 1642, 1646, 1666, 1667, 1673, 1686, 1692, 1698, 1700, 1705, 1720, 1735, 1745, 1751, 1758, 1759, 1762, 1763, 1780, 1785, 1789, 1795
श्रम और रोजगार	:	1584, 1589, 1618, 1625, 1637, 1656, 1660, 1665, 1672, 1676, 1681, 1688, 1693, 1696, 1701, 1715, 1721, 1725, 1727, 1734, 1736, 1747, 1756, 1768, 1776, 1806
पंचायती राज	:	1593, 1613, 1629, 1671
ग्रामीण विकास	:	1580, 1582, 1590, 1591, 1598, 1599, 1602, 1605, 1607, 1610, 1614, 1615, 1636, 1638, 1639, 1641, 1648, 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658,

		1661, 1663, 1664, 1674, 1675, 1678, 1680, 1682, 1683, 1685, 1694, 1695, 1697, 1702, 1711, 1713, 1714, 1730, 1731, 1732, 1738, 1742, 1743, 1746, 1748, 1767, 1769, 1770, 1774, 1775, 1777, 1779, 1781, 1782, 1786, 1790, 1792, 1796, 1797, 1798, 1802, 1803, 1805
पोत परिवहन	:	1583, 1601, 1633, 1643, 1645, 1699, 1706, 1760, 1761, 1765, 1793, 1804
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1581, 1595, 1624, 1626, 1668, 1691, 1704, 1708, 1709, 1719, 1722, 1794.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/7/9/2010 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।